षोडश माला, खंड 2, अंक 2

मंगलवार, 8 जुलाई, 2014
17 आषाढ़, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 91
Dated 10 April 2018

(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : एक सौ पंद्रह रुपये

सम्पादक मण्डल

अनूप मिश्रा
महासचिव
लोक सभा

प्रभा सक्सेना
संयुक्त सचिव

ऊषा जैन
निदेशक

सुमन रतन
अपर निदेशक

कीर्ति प्रभा
सम्पादक

इन्दु बक्शी
सम्पादक

अन्जु मीणा
सम्पादक

© 2014 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए क पया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीक ति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

षोडश माला, खण्ड 02, दूसरा सत्र, 2014/1936 (शक)

अंक 02, मंगलवार, 08 जुलाई, 2014/17 आषाढ़, 1936 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
नियम 193 के अधीन चर्चा	
मूल्य वृद्धि	1, 486, 488
प्रश्न का मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 25	2-69
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 26 से 40	69-176
अतारांकित प्रश्न संख्या 67 से 135	177-433
सभा पटल पर रखे गए पत्र	434-436
राज्य सभा से संदेश	436-437
समितियों के लिए निर्वाचन	
(एक) प्राक्कलन समिति	437
(दो) लोक लेखा समिति	438
(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	439
(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	440
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	441
रेल बजट (2014-15)	441-472
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 2011-12	472
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014	473-474
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधान) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 4)के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण	
श्री राजनाथ सिंह	475

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम

नियम 377 के अधीन मामले 477

(एक) गुजरात में बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पालनपुर रेलवे स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं और महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी 477

(दो) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता हेतु अनुरोध करने वाले सभी लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री ए.टी. नाना पाटील 478

(तीन) नेफेड द्वारा राजस्थान में बीकानेर के तिलम संघ और मूंगफली किसानों की बकाया राशि के भुगतान की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल 479

(चार) उत्तर प्रदेश के बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा और घाघरा नदियों पर बाढ़ प्रबंधन तथा भूमि-कटाव नियंत्रण परियोजना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री भरत सिंह 479

(पांच) उत्तर प्रदेश के धौरहरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शारदा और घाघरा नदियों के कारण आने वाली बाढ़ को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रेखा वर्मा 480

(छह) उत्तर-पूर्व मुम्बई में साल्ट पैन भूमि पर स्वामित्व अधिकार के मुद्दे का निपटान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरीट सोमैया 480

(सात) कर्नाटक के मैसूर में पासपोर्ट सेवा केन्द्र को प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने की आवश्यकता

श्री प्रताप सिम्हा 481

(आठ) बिहार के रोहतास जिले को झारखंड में पलामू जिले से जोड़ने हेतु सोन नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री छेदी पासवान 482

(नौ) केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी घाट संबंधी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री एंटो एन्टोनी 482

विषय	कॉलम
(दस) नई दिल्ली स्थित सरदार बल्लभभाई पटेल के सरकारी आवास को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	482
(ग्यारह) तमिलनाडु के नागापट्टिनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तिरुवरूर और कराईकुडी के बीच रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. के. गोपाल	483
(बारह) पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में अमटा और बगनान के बीच नई रेल लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री सुल्तान अहमद	483
(तेरह) राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 को विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्री भर्तृहरि महताब	484
(चौदह) रबड़ के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री जोस के. मणि	484
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	493-494
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	494-496
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	497-498
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	497-498

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. एम. तंबिदुरै

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

प्रो. के.वी. थॉमस

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

महासचिव

श्री पी. श्रीधरन

लोक सभा

मंगलवार, 8 जुलाई, 2014/17 आषाढ़, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब महासचिव उन सदस्यों के नाम पुकारेंगे जिन्होंने शपथ अथवा प्रतिज्ञान नहीं लिया है।

महासचिव : प्रो. सांवर लाल जाट

राजस्थान

प्रो. सांवर लाल जाट (अजमेर) - शपथ-हिन्दी

पूर्वाह्न 11.01 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

मूल्य वृद्धि

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, मुझे खेद है कि मुझे सभा के कार्य में व्यवधान डालना पड़ रहा है।

महोदया, जैसा कि आपको ज्ञात है कि कल हमने नियम 56 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, तथापि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसे अस्वीकृत कर दिया गया। उस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि वह चर्चा करने के हमेशा ही इच्छुक रहे हैं यदि इसे नियम 56 के अन्तर्गत के वजाय किसी अन्य रूप में लिया जाता है। आप भी इस संबंध में काफी कृपालु रही है कि इसे चर्चा के लिए लिया जाए।

कल ही मैंने आपको पत्र यह कहते हुए लिखा है कि हमने जायज कारणों के आधार पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना की है तथा यह इस प्रस्ताव के अधीन चर्चा करने हेतु मानदंड पूरा करता है। तथापि सहदुभाग्यपूर्ण है कि इसे सम्यक महत्व नहीं दिया गया।

इसलिए, यदि इस पर स्थगन प्रस्ताव के अधीन चर्चा नहीं की जा सकती है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर किसी अन्य रूप में चर्चा कराई जाए और हमारे उपनेता कै. अमरिन्द्र सिंह को महंगाई के मुद्दे पर चर्चा आरंभ करने की अनुमति दी जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि लोक सभा को इस पर चर्चा करनी चाहिए। पूरा देश देख रहा है कि इस मुद्दे पर संसद सदस्य क्या करने जा रहे हैं, वे इस मुद्दे का समाधान कैसे निकालेंगे और सरकार की प्रतिक्रिया इस संबंध में क्या होने जा रही है।

इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि या तो स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दें और इसे किसी दूसरे रूप में बंदल दें जैसा की आप चाहते हैं लेकिन इस पर चर्चा आज ही की जानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : आप जानते हैं कि एडजर्नमेंट मोशन को तो कंवर्ट नहीं किया जा सकता लेकिन आज नियम 193 के अधीन दोपहर को इसी विषय पर चर्चा शुरू होनी है और उस समय जरूर आपकी पार्टी के प्रमुख का प्रमुखत्व से कैसे नाम आ जाए, इस पर मैं जरूर ध्यान दूंगी।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदया, मैंने प्रश्न काल के निलम्बन के बारे में नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल का सस्पेसन नहीं हो सकता, ऐसा संस्पेशन होता नहीं है। अब प्रश्न काल शुरू करते हैं अब हम प्रश्न काल शुरू करते हैं प्रश्न सं. 21, श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : महोदया, मैंने आपको प्रश्न काल के स्थगन का नोटिस दिया है। एम्स जैसी संस्थाओं की स्थापना नहीं करके पूर्वोत्तर भारत के लोगों के साथ भारी अन्याय हो रहा है, झारखंड बिहार और बंगाल के उत्तरवर्ती भागों के साथ भी अन्याय हो रहा।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : ऐसे जब चाहें, उठकर नहीं बोल सकते। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

माननीय अध्यक्ष : मुझे खेद है, कृपया आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ऐसे क्वेश्चन ऑवर सस्पेंड नहीं होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप समझदार हैं। बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 21, श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान।

[अनुवाद]

कृषि पर कमजोर मानसून का प्रभाव

21. **श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान :**
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान देश में कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के संबंध में कमजोर मानसून/वर्षा की कमी के प्रभाव का आकलन किया गया है/आकलन करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस स्थिति का सामना करने के लिए कोई कार्य योजना/आकस्मिक योजना तैयार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार वर्षा की कमी का सामना करने के लिए विभिन्न तकनीकों के बारे में किसानों को शिक्षित करने, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने और जागरुक बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) भारत मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार वर्ष 2014 के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के लम्बी अवधि के औसत (एलपीए) 93% मॉडल त्रुटि ±4% रहने की संभावना है। मौसमीय वर्षा के ±8% की मॉडल त्रुटि के साथ उत्तर पश्चिम भारत में एलपीए के 85%, मध्य भारत में एलपीए का 94%, दक्षिणी प्रायद्वीप में एलपीए का 93% तथा पूर्वोत्तर भारत में एलपीए का 99% रहने की संभावना है। समूचे देश के लिए जुलाई माह में दीर्घावधि औसत (एलपीए) के 93% तथा अगस्त माह में 96% वर्षा होने की संभावना है। इसमें ±9% की मॉडल त्रुटि हो सकती है।

मानसून में देरी एवं धीमी प्रगति के कारण धान, दलहन, तिलहन और कपास की फसलों में बुआई में देरी हो सकती है। तथापि, अगस्त के प्रारंभ तक बुआई की संभावना से, खरीफ बुआई की कवरेज में मानसून की आगे प्रगति के साथ सुधार की उम्मीद है।

देश भर में 85 प्रमुख जलाशयों में भंडारण स्थिति पिछले 10 वर्षों के औसत से 112% है। यह जल अतिरिक्त सिंचाई के लिए भी उपलब्ध रहेगा, अगर वर्षा में कमी होती है।

केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल का भंडारण आदर्श मानक (बफर नार्म) से ज्यादा है और देश की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

मानसूनी वर्षा में कमी की वजह से उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से केन्द्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए) ने स्थान विशिष्ट उपायों के कार्यान्वयन हेतु 500 जिला आकस्मिकता योजनाएं तैयार कर ली हैं ताकि मानसून की शुरुआत में देरी और वर्षा की कमी की स्थितियों की संभावना में कृषि उत्पादन को बनाए रखा जा सके।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अल्पावधिक और सूखारोधी किस्मों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि आवश्यकता होने पर किसानों को उनकी आपूर्ति की जा सके। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि सूखे/वर्षा की कमी की स्थिति को न्यूनतम करने के लिए समुचित उपाय करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) तथा अन्य योजनाओं के तहत उपलब्ध निधियों की 10 प्रतिशत राशि भी अलग से रखी जाय।

राज्यों को जल संचयन का निर्माण करने, नहरों से गाद निकालकर सिंचाई अवसंरचना को बहाल करने, नलकूपों का कायाकल्प करने, खराब पम्पों को बदलने/उनकी मरम्मत करने और सिंचाई जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली की व्यवस्था करने की भी सलाह दी गई है।

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) और अन्य योजनाओं के तहत फील्ड कार्मिक एवं विस्तार कार्मिक किसानों को शिक्षित, प्रशिक्षित कर रहे हैं एवं विभिन्न तकनीकों के बारे में किसानों को जागरूक कर रहे हैं ताकि वर्षा की कमी से निपटा जा सके। किसानों को किसान एसएमएस पोर्टल, किसान कॉल सेंटर, आकाशवाणी के किसानवाणी कार्यक्रमों और दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से भी सलाह दी जा रही है।

किसानों को सलाह दी गई है कि वे वर्षा की कमी की स्थिति से निपटने के लिए मल्चिंग, अन्त: फसलन, मिश्रित फसलन, कम जल खपत वाली फसलों आदि सहित उचित कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देकर स्वस्थाने आद्रता संरक्षण, खेत पर जल संरक्षण, रिज फरों बुवाई जैसी तकनीकों को अपनाये।

[अनुवाद]

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान : देश में सूखा रोधी बीजों की किस्मों की कितनी आवश्यकता है? कृपया राज्यवार ब्यौरा दें। दूसरा यह कि वास्तविक रूप में वे कौन सी "आपात योजनाएं" हैं जिन्हें सीआरआईडीए द्वारा 500 जिलों के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से बनाया गया है?

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी आकस्मिक योजना तैयार की गई है, 500 जिलों के लिए हमने तैयार करके भेजा है और जो शेष जिले उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बचे थे, उसके कुछ आंकड़े उपलब्ध नहीं थे लेकिन वह भी कल प्राप्त हो चुके हैं और उसको भी अब शीघ्र भेजा दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय कृषि मंत्री ने अभी धान और दाल आदि की बुवाई में विलम्ब के कारण उसमें धीमी प्रगति का उल्लेख किया है। वह अगस्त के शुरू तक मिलने वाले लाभों का जिक्र कर रहे थे, मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार देश में कम वर्षा के बावजूद यह विश्वास के साथ यह कह सकती है कि समय के साथ यह औसत वर्षा होगी। वह ऐसा अनुमान कैसे लगा सकती है?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, हमारा विश्वास मौसम विज्ञान की जानकारी के आधार पर बनता है। प्रारंभ में अप्रैल महीने में जानकारी आई कि 95 प्रतिशत वर्षा होने की संभावना थी। जून महीने में जानकारी आई उसमें 93 प्रतिशत की संभावना आई थी। जैसा कि आपने बताया इसमें हमने क्षेत्रवाइज और स्टेटवाइज़ जानकारी दी है और जैसे-जैसे मौसम विभाग की जानकारी आएगी, उसी आधार पर संभावनाओं को आपके सामने रखेंगे।

[अनुवाद]

श्री एम.बी. राजेश : अध्यक्ष महोदया, एक सप्ताह के कमजोर मानसून के पूर्व अनुमान से देश में कृषि की स्थिति और भी बदतर होना चिंता का कारण है। यहां तक कि गत वर्ष खरीफ फसल के अन्तर्गत 70 लाख एकड़ की गिरावट रही है। कमजोर मानसून से असाधारण स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, देश में इस असाधारण स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार की ओर से असाधारण कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन अपने उत्तर में माननीय मंत्रीजी ने सरकार द्वारा किये जाने वाले सामान्य उपायों का उल्लेख किया है। इसलिए, आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार कृषि उत्पादन की संधारणीयता को बनाए रखने के लिए किसानों को अन्तर्राज्यीय ऋण देने की घोषणा करेगी।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, अभी सभी राज्य सरकारों के अधिकारियों से हमारे अधिकारियों ने राज्यों में जाकर बात की है और 18, 19 जून को सब राज्यों के अधिकारी आए थे, उनके साथ बैठक हुई है। जैसे स्थिति आगे बढ़ेगी हमने अन्य मंत्रालयों से भी सहयोग करके तैयारी करके रखी है। बिजली मंत्रालय से भी बात की है, योजना बनाई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और जो पेयजल की समस्या से संबंधित है, उनके साथ भी योजना बनाई है। राहत उपायों के लिए एसडीआरएफ के

रूप में राज्य सरकारों के पास निधि पहले से उपलब्ध है। सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए तीन और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए नौ के अनुपात में एसडीआरएफ में भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार योगदान देती है। अगर कोई विशेष स्थिति आती है, टीम जाती है उसका आकलन करती है और फिर उस प्रकार की सहायता देते हैं।

[अनुवाद]

श्री एम.बी. राजेश : महोदया, माननीय मंत्री जी ने अन्तर्राज्यीय ऋणों के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : मैंने आपको बताया है कि यहां से टीम जाती है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप बार-बार न बताएं। एक बार बता दिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रहलाद जोशी : महोदया, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ऐसी कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था माना जाता है जो मानसुन पर निर्भर करती है। क्या सरकार ने उस बादल आच्छादन की प्रक्रिया का अध्ययन करवा लिया है जिससे कृतिम वर्षा होती है? क्या सरकार को इस बारे में कोई रिपोर्ट मिल गई और क्या किसी राज्य सरकार ने इसका उपयोग किया है क्या इसे उपयोगी पाया गया?

मेरा दूसरा प्रश्न है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 85 प्रतिशत जलाशय सामान्य है। लेकिन कर्नाटक में लगभग सभी 12 जलाशय एक सप्ताह में खाली होने वाले हैं। चारे की कमी भी बनी हुई।

माननीय अध्यक्ष : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री प्रहलाद जोशी : राज्य विद्युत मंत्री ने कहा है कि राज्य को केवल भगवान ही बचा सकता है और राज्य सरकार सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने यह वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य निरीह हैं। पानी की भारी कमी है। श्रमिक गोवा जैसे अन्य राज्यों के गांवों में पलायन कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है। राज्य इस संबंध में बिलकुल भी कार्य नहीं कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को बादल **आच्छेदन** के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। क्या इससे संबंधित रिपोर्ट आई है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस संबंध में विचार कर रही है और इस पर कार्य कर रही है।

तीसरा प्रश्न मौसम आधारित बीमा के बारे में है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसे किसान हितैषी बना रही है।

श्री राधा मोहन सिंह : माननीय अध्यक्ष, इसे भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। माननीय सदस्य के ध्यान में होगा कि वर्ष 2009 में भी सूखा आया था तो उसे भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा गया था और आगे भी ऐसा किसी के मन में विचार नहीं आ सकता। इसके लिए हमने तैयारी की है और आपके साथ चर्चा भी की है और राज्यों के पास इसके लिए हमारा जो पहले भी आबंटन है, पहले भी लगातार हमारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन सूखे के अवसर पर हमने विशेष निर्देश दिया है कि क्या-क्या करना है और हम क्या कर सकते हैं, हमने उनके साथ बैठकर यह बात भी की है।

जहां तक कृषि बीमा योजना का सवाल है, माननीय महोदय के ध्यान में होगा कि 11वीं योजना के बाद जो कृषि बीमा योजना थी, 12वीं योजना के बाद जो गाइडलाइंस आई, उनमें कुछ परिवर्तन हुए और परिवर्तन के बाद तीन राज्यों गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने उसका विरोध किया। उसके कारण जो उस समय सरकार थी, रबी की बुआई में उसे स्थगित किया। फिर जब खरीफ की फसल की बुआई आई तो तीन और भी दूसरे राज्यों से यह विरोध आने लगा कि जो नई गाइडलाइंस हैं, इनमें किसानों पर ज्यादा प्रीमियम है, उसके बाद कुछ राज्यों ने नया शुरू कर दिया था और कुछ राज्यों ने पुराने की मांग की है। हमने एक आदेश जारी किया कि जिस राज्य को पुराना चलाना है, वह पुराना चलायें और जिसे नया चलाना है वह नया चलायें और अगले छह महीने के अंदर, कल ही हमने मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है कि सब बैठकर अपने विचार दीजिए और किसान के हित में जो स्थिति होगी, वह सबसे राय-मश्विरा करके बनाई जायेगी।

[अनुवाद]

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण : महोदया, हम सभी जानते हैं कि अब तक देश में वर्षा में 37 प्रतिशत से अधिक की कमी हुई है। देश में ऐसी स्थिति और भविष्य की स्थिति को देखते हुए, क्या सरकार ने कोई कदम उठाए है और वित्तीय संस्थाओं और बैकों को उन ऋणों के पुर्नगठन के संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं जिन्हें किसानों को दिया गया? किसानों ने फसलों के लिए धन लिया है और उनके ऋणों को पुनर्गठित किया जाना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बैकों और

वित्तीय सस्थाओं को ऐसा करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों पर दबाव को देखते हुए, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राज्यों को दी जाने की किसी वित्तीय सहायता के बारे में सोचा जा रहा है।

श्री कल्याण बनर्जी : यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। *[हिन्दी]* इस पर आधे घंटे की चर्चा करायी जाए।

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, अंतरमंत्रालयी केन्द्रीय टीम (आईएमसीटी) के आकलन, राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की उप समिति (एनसी-एनईसी) की संस्तुतियों तथा उच्च स्तरीय समिति द्वारा एससी और एनईसी की संस्तुतियों के विचार के आधार पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एसडीआरएफ के माध्यम से तत्काल राहत उपायों के लिए केन्द्रीय सहायता तथा एनडीआरएफ के तहत अतिरिक्त सहायता आबंटित तथा प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय : महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि केन्द्रीय शुल्क कृषि अनुसंधान संस्थान ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से 500 जिलों में स्थिति विशिष्ट हस्तक्षेप कार्यान्वित करने के लिए आपात योजना तैयार की है। हमारे देश में, सूखा न भी पड़े तो भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर्याप्त वर्षा नहीं होती। हमारे राज्य में बांकुरा और पुरुलिया जैसे क्षेत्र हैं जहां कभी भी सामान्य वर्षा नहीं होती है। इसलिए, वहां जो आवश्यक है वह है शुष्क कृषि का विकास। क्या मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछ सकता हूं कि वह जल संरक्षण के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? यहां इजराइल जैसे देश भी है जहां ड्रिप सिचाई, छिड़काव सिंचाई होती है और वहां जल भी संरक्षित किया जाता है। क्या हमारे यहां जल संरक्षण के लिए कोई राष्ट्रीय कांर्यक्रम है जिसके तहत शुष्क क्षेत्रों के उपयुक्त ढंग से सिंचाई की जा सके ताकि हम मानसून पर निर्भर न रहें?

मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिले उससे पहले महोदया, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। सामान्यत: हमारी सभा में यह प्रथा रही है कि यदि कोई सदस्य अंग्रेजी में प्रश्न पूछता है तो अंग्रेजी में उत्तर दिया जाता है और यदि हिन्दी में पूछता है तो हिन्दी में उत्तर मिलता है? (कृपया स्पष्ट करें)...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। आपको ट्रांसलेशन सुविधा उपलब्ध है। मंत्री जी, आप बोलिये।

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, जल संचयन की बहुत सारी योजनाएं देश में पहले से चल रही हैं। हमारी और भी नयी योजनाएं प्रारम्भ होंगी। जब बजट आयेगा, उसके बाद इस पर विस्तार से आपको जानकारी मिल जायेगी।

माननीय अध्यक्ष : मैं देख रही हूं कि बहुत से हाथ ऊपर उठ रहे हैं, यह महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन हमें और भी क्वेश्चन लेने हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं। आप चाहें तो माननीय सदस्य इस पर नोटिस दें, आधे घंटे की चर्चा भी दी जा सकती है और बाद में बजट में भी चर्चा हो सकती है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि

+

*22. **श्री बी.वी. नाईक** :
डॉ. ए. सम्पत :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उर्वरक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में उर्वरकों के मूल्यों में आने वाले उतार-चढ़ाव की निगरानी के लिए विद्यमान तंत्र क्या है;

(घ) क्या बुवाई मौसम के दौरान किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) किसानों को किफायती मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री अनन्तकुमार) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) किसानों को यूरिया 01.04.2010 से 5310 रु. प्रति मी. टन के सांविधिक मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मूल्य में नवम्बर, 2012 से 50 रु. प्रति मी. टन की मामूली सी वृद्धि की गई थी ताकि मोबाइल आधारित उर्वरक निगरानी प्रणाली (एमएफएमएस) में उर्वरकों की प्राप्ति की सूचना देने हेतु खुदरा विक्रेताओं के खर्च को पूरा किया जा सके। इसलिए अब एमआरपी 5360 रु. प्रति मी. टन है जिसमें घरेलू तौर पर उत्पादित यूरिया के लिए 1% केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और आयातित यूरिया पर 1% प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए स्थानीय कर (वैट आदि) शामिल नहीं हैं।

फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के संबंध में सरकार 01.04.2010 से पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति का कार्यान्वयन कर रही है। एनबीएस नीति के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर उसमें निहित पोषक-तत्व (एन.पी.के. और एस.) के आधार पर राजसहायता की एक नियत राशि उपलब्ध कराई जाती है। पीएण्डके उर्वरकों के मूल्य उर्वरक कंपनियों द्वारा युक्तिसंगत स्तर पर नियत किए जाते हैं।

हमारा देश पोटाशयुक्त क्षेत्र में 100% तक और तैयार उर्वरकों अथवा मध्यवर्तियों के रूप में फास्फेटयुक्त क्षेत्र में लगभग 90% तक आयात पर निर्भर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और इनकी कच्ची सामग्री/मध्यवर्तियों के मूल्यों में किसी प्रकार की वृद्धि और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का देश में पीएण्डके उर्वरकों के मूल्यों पर सीधा असर पड़ता है।

पीएण्डके उर्वरकों और इनकी कच्ची सामग्री/मध्यवर्तियों के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में नरमी आने से पीएण्डके उर्वरकों के मूल्य 2012-13 से स्थिर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान उर्वरक कंपनियों द्वारा तय किए गए विभिन्न राजसहायता प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों के तिमाही-वार एमआरपी संबंधी ब्यौरे संलग्न **अनुबंध-I** में दर्शाए गए हैं।

(ग) उर्वरकों के मूल्यों की निगरानी करने के लिए एनबीएस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय/कदम उठाए गए हैं:

(i) पीएण्डके उर्वरकों के मूल्यों की निगरानी वेब आधारित उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) के जरिए की जाती है।

(ii) उर्वरक कंपनियों को एफएमएस के अंतर्गत अपने उर्वरक उत्पादों के माह-वार एमआरपी आंकड़े प्रस्तुत करने होते हैं।

(iii) उर्वरक कंपनियों को 2012-13 से आगे छमाही आधार पर अपने उर्वरक उत्पादों के लागत आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(iv) पीएण्डके उर्वरकों के मूल्यों के संबंध में उपर्युक्त निगरानी प्रणाली इजाद करने के उद्देश्य से उर्वरक कंपनियों को निदेश दिया गया है कि वे एफएमएस में प्रत्येक राज्य के लिए लागू एमआरपी ही बैगों पर मुद्रित करवाएं।

(घ) सरकार रबी और खरीफ मौसम के दौरान किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराती है। इस संबंध में पिछले वर्षों और मौजूदा वर्ष जून, 2014 तक के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ङ) किसानों को राजसहायता प्राप्त रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से माह-वार मांग का आकलन किया जाता है और प्रक्षेपित किया जाता है।

(ii) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये माह-वार और राज्य-वार अनुमान के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों की उचित/पर्याप्त मात्रा आबंटित करता है और निम्नलिखित प्रणाली के माध्यम से उपलब्धता की निगरानी करता है:-

(iii) देश भर में सभी प्रमुख राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के संचलन की निगरानी एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली (www.urvarak.co.in), द्वारा की जा रही है जिसे उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) भी कहा जाता है।

(iv) राज्य सरकारों को अपने राज्य सांस्थानिक अभिकरणों, जैसे मार्कफेड इत्यादि, के माध्यम से रेलवे रैक की यथा-समय मांग प्रस्तुत करके आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए उर्वरक उत्पादकों और आयातकर्ताओं के साथ समन्वय करने की नियमित रूप से सलाह दी जाती है।

(v) उर्वरक विभाग (डीओएफ), कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), तथा रेल मंत्रालय द्वारा राज्य कृषि अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा बताये गए अनुसार उर्वरकों के प्रेषण में उपचारी कार्रवाई की जाती है।

अनुबंध-I

पोषक-तत्व आधारित राजसहायता व्यवस्था के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों द्वारा निर्धारित किए गए पीएण्डके उर्वरकों का उच्चतम अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) रु./मी. टन में

#	उर्वरक के ग्रेड	2011-12 (तिमाही-वार)				2012-13 (तिमाही-वार)				2013-14 (तिमाही-वार)				2014-15 (तिमाही वार)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	डीएपी : 18-46-0-0	12500	18200	20297	20000	24800	26500	26500	26500	26520	25000	24607	24607	24080
2.	एमएपी : 11-52-0-0		18200	20000	20000	20000	24200	24200	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	टीएसपी : 0-46-0-0	8057	8057	17000	17000	17000	लागू नहीं	लागू नहीं	17000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	एमओपी : 0-0-60-0	6064	11300	12040	12040	16695	23100	24000	18750	18638	17750	17750	17750	17892
5.	16-20-0-13	9645	14400	15300	15300	15300	18200	18200	17280	18200	17710	17510	17010	17940
6.	20-20-0-13	11400	14800	15800	15800	19000	24800	19176	24800	20490	19166	23500	23500	19710
7.	23-23-0-0	7445	7445			एनबीएस नीति से बाहर है								
8.	10-26-26-0	10910	16000	16633	16386	21900	22225	22225	22225	22213	22200	21160	21160	22260
9.	12-32-16-0	11313	16400	16500	16400	22300	23300	22500	24000	23300	23300	21475	21105	22580
10.	14-28-14-0		14950	17029	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
11.	14-35-14-0	11622	15148	17424	17600	17600	23300	23300	23300	23300	23300	21810	21810	23340
12.	15-15-15-0	8200	11000	11500	11500	13000	15600	15600	15600	15600	15150	15150	15150	16894
13.	एएस: 20.3-0-0-23	7600	11300	10306	10306	11013	11013	11013	11013	11106	11106	11184	11689	13020
14.	20-20-0-0	9861	14000	15500	18700	18700	24450	24450	18500	15561	15262	18000	18000	16910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.	28-28-0-0	11810	15740	18512	18700	24720	24720	23905	23905	23905	23410	21907	21908	23100
16.	17-17-17-0				17710	20427	20522	20572	20672	20672	22947	24013	23231	23231
17.	19-19-19-0				18093	19470	19470	19470	लागू नहीं	लागू नहीं	0	20915	20915	20915
18.	एसएसपी (0-16-0-11)*	3200		4000 से 6300			6500 से 7500			6200-9900	9270	10300	9270	9600
19.	16-16-16-0	7100	7100	15200	15200	15200					18000	18000	17000	17000
20.	डीएपी लाइट (16-44-0-0)	11760	17600	19500	19500	19500	24938	24938	24938	24938	23875	22900	22000	लागू नहीं
21.	15-15-15-09	9300	12900	15750	14851	15000	15000	15000	लागू नहीं	लागू नहीं	0		15670	16618
22.	24-24-0-0	9000	11550	14151	14297	14802	16223	16223	18857	18857	17896	17896	17896	19840
23.	13-33-0-6		16200	17400	17400	17400	17400	17400			एनबीएस नीति से बाहर है			
24.	एमएपी लाइट (11-44-0-0)		16000	18000	18000	18000	21500	21500						
25.	डीएपी लाइट-II (14-46-0-0)		14900	18690	18300	18300	24800	24800						

एमआरपी में कर शमिल नहीं हैं।

क्र.सं. 7, 23, 24, 25 में उल्लिखित उर्वरक ग्रेड वर्तमान में राजसहायता योजना के अंतर्गत नहीं हैं।

खाली स्थान/लागू नहीं का अर्थ है-बाजार में उपलब्ध नहीं/राजसहायता योजना के अंतर्गत नहीं।

अनुबंध-II

वर्ष 2013-14 और 2014-15 (जून, 2014 तक) के दौरान उर्वरकों की संचयी आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

(लाख मी. टन में)

राज्य	2013-14						2014-15 (जून 2014 तक)					
	यूरिया			पीएण्डके			यूरिया			पीण्डके		
	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	32.50	35.12	34.87	38.00	30.51	29.16	6.00	5.87	4.53	6.96	4.57	2.54
अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
असम	3.45	2.68	2.67	2.13	1.21	1.14	0.62	0.92	0.86	0.37	0.20	0.10
बिहार	21.50	18.77	18.71	10.54	7.05	6.72	3.15	4.22	3.60	1.65	1.31	0.55
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	7.00	6.43	6.34	6.06	3.99	3.75	2.45	2.26	1.90	1.78	1.74	1.10
दादरा और नागर हवेली	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.07	0.08	0.08	0.07	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
गोवा	0.05	0.04	0.04	0.11	0.06	0.06	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01
गुजरात	22.25	20.82	20.78	11.43	9.99	9.50	4.60	5.05	4.18	3.84	3.13	2.08
हरियाणा	19.50	18.55	18.45	4.40	3.49	3.42	3.90	4.14	3.59	0.93	0.40	0.27
हिमाचल प्रदेश	0.63	0.64	0.64	0.37	0.32	0.31	0.18	0.18	0.18	0.05	0.03	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जम्मू और कश्मीर	1.46	1.35	1.26	0.95	0.81	0.74	0.40	0.43	0.27	0.23	0.32	0.24
झारखंड	2.60	1.68	1.63	1.86	0.48	0.48	0.65	0.42	0.30	0.53	0.18	0.12
कर्नाटक	15.50	15.01	14.79	26.40	19.19	17.81	2.75	3.63	2.77	5.78	5.80	3.52
केरल	2.00	1.44	1.44	4.58	2.85	2.61	0.48	0.44	0.39	1.24	1.05	0.74
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	19.25	23.01	22.84	16.70	11.61	10.65	3.30	3.43	2.66	4.47	2.73	1.16
महाराष्ट्र	27.00	26.54	26.42	36.42	25.26	24.39	7.35	7.64	6.98	8.35	6.43	4.91
मणिपुर	0.40	0.18	0.18	0.15	0.00	0.00	0.12	0.10	0.10	0.05	0.00	0.00
मेघालय	0.11	0.05	0.05	0.10	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
मिज़ोरम	0.09	0.06	0.06	0.09	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.05	0.00	0.00
नागालैंड	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
ओडिशा	6.80	5.33	5.21	7.85	4.29	4.04	0.80	1.29	0.83	1.49	1.38	0.81
पुदुचेरी	0.27	0.22	0.22	0.28	0.12	0.12	0.06	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01
पंजाब	26.40	26.21	26.18	11.05	5.55	5.28	10.00	7.73	6.27	2.91	1.93	1.14
राजस्थान	18.00	18.50	18.45	7.48	5.23	5.04	2.30	2.82	2.40	1.00	1.37	1.01
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	10.50	9.12	9.11	14.84	9.82	9.35	1.69	1.84	1.77	2.46	1.43	1.11
त्रिपुरा	0.53	0.22	0.20	0.17	0.07	0.07	0.12	0.10	0.06	0.08	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	62.00	59.38	58.76	31.45	21.05	19.07	12.50	13.15	10.80	5.05	3.70	0.90
उत्तराखंड	2.50	2.80	2.76	0.94	0.63	0.57	0.75	0.74	0.69	0.39	0.13	0.08
पश्चिम बंगाल	14.50	12.50	12.39	17.87	11.97	11.34	1.75	2.69	2.05	1.37	2.30	1.25
योग	316.90	306.75	304.54	252.37	175.57	165.64	66.04	69.17	57.26	51.10	40.18	23.68

श्री बी. वी. नाईक : माननीय अध्यक्ष महोदया, दिनांक 10 जून, 2014 को द इंडियन एक्सप्रैस में आए एक समाचार के अनुसार सरकार उर्वरक राजसहायता की सीमा निर्धारित करने के लिए यूरिया मूल्य वृद्धि पर विचार कर रही है। समाचार में बताया गया है कि सरकार भारी राजसहायता लागत जिससे भार बढ़ रहा है, को कम करने के लिए किसानों द्वारा सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले उर्वरक यूरिया के मूल्य में न्यूनतम 10 प्रतिशत तक वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उपरोक्त के मद्देनज़र मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने यूरिया मूल्य वृद्धि को अंतिम रूप दे दिया है, यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्ष महोदया, मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने यूरिया उर्वरक के मूल्य में किसी वृद्धि का प्रस्ताव नहीं किया है। श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने यूरिया पर राजसहायता, देश के सभी किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है क्योंकि यूरिया की कोई कमी नहीं है।

महोदया, हमें 31 मिलियन टन यूरिया की आवश्यकता है। इसका घरेलू उत्पादन 22 मिलियन टन है, ओमान संयुक्त उद्यम से हमें दो मिलियन टन यूरिया मिलता है और हम शेष सात मिलियन टन यूरिया का आयात करते हैं। मैं सभा को भरोसा दिलाता हूं कि खरीफ और रबी के इस मौसम में पूरे देश के किसानों को राजसहायता दरों पर यूरिया की कोई कमी नहीं है।

श्री बी.वी. नाईक : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या डीएपी, पोटाश और कमपोस्ट जैसे पौष्टिक उर्वरकों पर अतिरिक्त राजसहायता प्रदान करने की कोई योजना है। मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा है क्योंकि बहुत से किसान यूरिया का अधिक उपयोग कर रहे हैं जिससे भूमि की उर्वरता में सुधार नहीं होता जबकि पौष्टिक उर्वरक, भूमि की उर्वरता तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए उपयोगी होते हैं। अत: क्या पौषक तत्व आधारित उर्वरकों पर अतिरिक्त राजसहायता प्रदान करने की सरकार की कोई योजना है?

श्री अनन्तकुमार : महोदया, भारत सरकार पोषक तत्व आधारित सभी उर्वरकों विशेषकर नाइट्रोजन, फासफोरस, पोटाश और सल्फेट उर्वरकों को पहले ही राजसहायता प्रदान कर रही है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि मृदा स्वास्थ्य के लिए उर्वरकों का अनुपात 4:2:1 होना चाहिए, परन्तु दुर्भाग्यवश आज यह अनुपात 8:2:1 है। इसका एक मात्र उपाय यही है कि हमें किसानों को शिक्षित करने की आवश्यकता है, जिससे वे सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग ही नहीं करें, परन्तु वे मृदा स्वास्थ्य के बारे में भी सोचें तथा जैविक खाद का उपयोग आरम्भ करें, जहां संतुलन बनाए रखा जा सकता है।

डॉ. ए. सम्पत : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से मुझे लगता है कि हमारे देश के उर्वरक बॉस्केट में वृद्धि हो रही है मांग बढ़ रही है और हम पूरे विश्व में उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। परन्तु साथ ही साथ, माननीय मंत्री महोदय ने यह सच्चाई भी बताई कि हमारा देश तैयार उर्वरक अथवा माध्यमिक संघटकों के रूप में पोटाश-क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक और फॉस्फेट क्षेत्र में लगभग 90 प्रतिशत आयात पर निर्भर है। इसका अर्थ यह हुआ कि आयात पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है।

मेरा प्रश्न यह है कि सरकार सरकारी क्षेत्र से उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय करेगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से केरल में फैक्ट, कोच्चि के यूरिया-अमोनिया परिसर की वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानना चाहता हूं।

श्री अनन्तकुमार : महोदया, यूरिया तथा गैर यूरिया उर्वरकों में उर्वरक क्षेत्र में आत्म-निर्भरता हेतु सरकार के लिए रास्ता केवल वही है कि हमें अन्य विभिन्न देशों में परिसंपत्तियां हासिल करने की आवश्यकता है। हम फॉस्फेट तथा पोटाश कच्ची सामग्री दोनों में आयात पर निर्भर हैं। इसलिए, भारत सरकार ने बहुत सी संयुक्त उद्यम परियोजनाएं चलाई हैं, हमने ओमान, सेनेगल, जॉर्डन, मोरक्को तथा यूनिशिया में संयुक्त उद्यम चलाए हैं। हम ईरान, रूस, टोगो और कनाडा में संयुक्त उद्यम चलाने जा रहे हैं। इसके बाद, मुझे लगता है कि हम इस संबंध में आत्म-निर्भरता के निकट होने जा रहे हैं।

दूसरे, फैक्ट कोच्चि के संबंध में, जोकि देश की सबसे बड़ी उर्वरक कंपनी है, मैं स्वयं उस कंपनी में गया था; रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में मैं सबसे पहले फैक्ट, कोच्चि गया था। मैं इस इकाई के पुनरुद्धार के एकमात्र इरादे से वहां गया था। हम पहले ही 990 करोड़ रुपए की पुनरुद्धार योजना बना चुके हैं; पुनरुद्धार योजना को परिचालित कर दिया गया है। मुझे आशा है कि पुनरुद्धार योजना लागू होगी।

योगी आदित्यनाथ : माननीय अध्यक्ष महोदया, जब खेती का समय होता है, तब किसानों के लिए उर्वरक गायब होता है, यह पिछले दस वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की गोरखपुर, सिंदरी, तालचर, रामागोण्डम तमाम ईकाइयां पिछले कई वर्षों से बंद हैं। बी. आई.एफ.आर. ने उन ईकाइयों को चलाने के लिए सरकार को निर्देश भी दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार इन ईकाइयों को चलाने के लिए क्या कर रही है, क्योंकि हम जो फर्टिलाइज़र आयात करते हैं, अगर उसका उत्पाद देश के अंदर ही होने लग जाएगा तो उसकी उपलब्धता और किसानों को सही दाम पर मिलना भी वह प्रारंभ हो जाएगा। इन ईकाइयों को चलाने के लिए सरकार क्या करने जा रही है?

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न दूसरे तारांकित प्रश्न पर है, परंतु फिर भी इस सवाल का जवाब देने का प्रयास मैं करूंगा। 1990 से गोरखपुर की फर्टिलाइज़र कंपनी बंद हुई है। इसलिए यदि इन सारी कंपनियों का हमको फिर से रिवाइवल करना होगा, तो जगदीशपुर से हल्दिया की जो पाइपलाइन बनेगी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, तब हम बरौनी के, सिंदरी के, हल्दिया के और दुर्गापुर के...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कृपया बीच में मत टोकिए। आप बोलते जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनन्तकुमार : मैडम, मैं जगदीशपुर से हल्दिया की पाइपलाइन के बारे में बात कर रहा हूं और इस पाइपलाइन के इर्द-गिर्द में जो फर्टिलाइज़र कम्पनियां हैं, उनको रिवाइव करने के बारे में हम सोच सकते हैं। इसलिए पाइपलाइन बिछाने के साथ फर्टिलाइज़र कम्पनीज़ को रिवाइव करने का प्लान केन्द्र सरकार के कंसीडरेशन में है।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भारत कृषि प्रधान देश है और जब खेती बेहतर होगी, किसानों के खेत में फसल लहलहाएगी तभी देश समृद्ध होगा।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि जो उर्वरक है, खाद है, उसका स्टोरेज हर एक राज्य में कितना किया गया है, नंबर एक। बिहार के बाबत क्या किया गया है? दूसरा, किसानों को जो खाद मिलता है तो उसकी कीमत यदि ढाई सौ-तीन सौ रुपये प्रति क्विंटल है, वहीं बाजार में किसानों को सात सौ-आठ सौ रुपये प्रति क्विंटल आंसू बहाते हुए लेना पड़ता है। उसके लिए भी उसको दर-दर की ठोकर खानी पड़ती है। इसलिए सरकार सुनिश्चित करे कि किसानों के आंखों में आंसू न बहे और सही रेट पर किसानों को खाद उपलब्ध हो, उसके लिए दिशा-निर्देश माननीय मंत्री जी देंगे और करेंगे। क्योंकि माननीय मंत्री जी बोल चुके हैं कि कृषि को हम आगे बढ़ाएंगे।

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्ष जी, जहां तक खाद के वितरण की जिम्मेदारी की बात है, वह प्रदेश सरकारों की है। इसलिए माननीय सदस्य को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि खाद और उर्वरक का उत्पादन करके प्रदेशों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। इसको मॉनीटरिंग करने के लिए वेब पेज फर्टिलाइज़र मॉनीटरिंग सिस्टम शुरू किया है। हम इसके द्वारा रोज़ाना मॉनीटरिंग करते हैं और हफ्ते में एक बार कृषि मंत्रालय में वीडियो कॉनफ्रेंसिंग करके हर प्रदेश के कृषि मंत्रालय से जो मांग होती है, उसकी आपूर्ति के लिए काम करते हैं। एज़न्शियल कमोडिटी एक्ट के तहत फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर निकालने की ज़िम्मेदारी है, लेकिन ज्युरीस्डिक्शन प्रदेश सरकारों का है, उसके हिसाब से, यानी वहां होल्डिंग नहीं होनी चाहिए और किसानों को खाद मिलनी चाहिए, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी प्रदेश सरकारों की है। लेकिन यहां से उत्पाद करके देश भर में खाद पहुंचाने की बात है तो मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से हाउस को और पूरे देश को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो यूरिया और नॉन यूरिया खाद का आवंटन करके भेजना चाहिए, वह हम भेज चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : धन्यवाद, महोदया/मैं सभा को यह आश्वासन देने के लिए माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि यूरिया की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी तथा फैक्ट का पुनरुद्धार किया जाएगा। भारत में 31 प्रमुख उर्वरक उत्पाद इकाइयों में केवल 10 इकाइयां ही मुनाफा कमा रही हैं। उन्हें घरेलू प्राकृतिक गैस 4.2 अमरीकी डॉलर की दर से मिल रही है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है कि क्या प्रमुख संयंत्र फैक्ट सहित जिसका आपने अभी-अभी उल्लेख किया, सभी कंपनियों को 4.2 अमरीकी डॉलर की दर से घरेलू प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जाएगी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन दे सकते हैं कि पिछली सरकार के समय से लंबित 990 करोड़ रुपये का पुनरुद्धार पैकेज समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा।

श्री अनन्तकुमार : महोदया, वहनीय दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने की मूल समस्या यह है कि उर्वरकों के उत्पादन हेतु कच्ची सामग्री अर्थात् गैस की आपूर्ति के लिए हम सीधे तौर पर आयात पर निर्भर हैं। वस्तुतः उर्वरक उत्पादन हेतु हमें 46 एमएमबीटीयू गैस की आवश्यकता होती है। परन्तु देश में केवल 31 एमएमबीटीयू गैस ही उपलब्ध है? इसलिए, हमें कोष 16 एमएमबीटीयू गैस का आयात करना पड़ेगा। माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि घरेलू गैस की कीमत 4.2 डॉलर है, परन्तु अंतर्राष्ट्रीय गैस 8.4 डॉलर से 23 डॉलर के बीच उपलब्ध है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : परन्तु, फैक्ट 15 डॉलर से 24 डॉलर की दर से गैस खरीद रहा है।

श्री अनन्तकुमार : वस्तुतः त्रावणकोर स्थित फैक्ट संयंत्र कोच्चि में पेट्रोनेट से गैस खरीद रहा है, जिसकी कीमत 23 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू है।

अतः मुझे लगता है कि हमें गैस की पूलिंग के बारे में सोचना चाहिए। गैस की पूलिंग ही नहीं, हमें कम से कम घरेलू गैस के संबंध में, गैसों के मूल्य की पूलिंग का प्रयास करने की भी जरूरत है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब थोड़ा कल्चर को सुदृढ़ करें।

[अनुवाद]

प्रश्न 23 — एडवोकेट जोएस जॉर्ज

कलाकारों को वित्तीय सहायता

***23. एडवोकेट जोएस जॉर्ज** : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रंगमंच और नाट्य-कला से जुड़े कलाकारों के लिए चलाई जा रही कल्याण योजनाओं सहित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन कलाकारों हेतु चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) देश में पारंपरिक नाट्य रंगमंचों के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृतिक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) संस्कृति मंत्रालय मंचकला अनुदान स्कीम, छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति स्कीम तथा कलाकार पेंशन और कल्याण निधि स्कीम नामक स्कीमें चलाता है जिसके अंतर्गत थिएटर एवं नाटक से जुड़े कलाकारों समेत रंगमंच कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के ब्यौरे संस्कृति मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् *www.indiaculture.nic.in* पर उपलब्ध हैं।

(ख) इन स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। तथापि, विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उपरोक्त स्कीमों के अंतर्गत वैयक्तिक कलाकारों/गैर-लाभ अर्जक सांस्कृतिक संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार) के ब्यौरे संलग्न अनुबंध-I, II और III में दिए गए हैं।

(ग) संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक स्वायतशासी निकाय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) पारंपरिक नाट्य रंगमंच के परिरक्षण एवं संवर्धन के लिए अनेक कदम उठा रहा है। इस उद्देश्य के लिए आउटरीच/विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत, स्थानीय रंगमंच समूहों के सहयोग से देशभर में निर्माणोन्मुख रंगमंच कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं तथा इन कार्यशालाओं के एक भाग के रूप में नाटकों का मंचन भी किया जाता है।

एनएसडी की संस्कार रंग टोली (टीआईई कंपनी) का ''बाल संगम'' नामक एक द्विवार्षिक कार्यक्रम भी है। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों समेत देश के विभिन्न भागों के इन कलाओं से जुड़े बच्चों द्वारा प्रस्तुत भारतीय मंचकला एवं पारंपरिक रंगमंच कलाओं पर विशेष जोर देना है। इसी तरह, द्विवार्षिक रूप से ''जश्न-ए-बचपन'' का भी आयोजन किया जाता है जिसमें बाल रंगमंच प्रस्तुतियों को पेश किया जाता है।

इसी प्रकार, समय-समय पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्वोत्तर रंगमंच महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य अन्य कला व्यवहारों के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के पारंपरिक रंगमंच कलारूपों को परिरक्षित और संवर्धित करने पर विशेष बल देना है।

इसके अलावा पाठ्यक्रमों परिचर्या के एक भाग के रूप में, एनएसडी के छात्र पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न भागों का भी दौरा करते हैं और इन क्षेत्रों में प्रचलित रंगमंच कलारूपों का मंचन करते हैं तथा शोध कार्य करते हैं जो अपने स्वरूप में बिल्कुल अलग होते हैं।

देश भर में विभिन्न कार्यशालाओं में छात्रों तथा प्रतिभागियों द्वारा तैयार नाटकों को एनएसडी द्वारा मंचित एवं प्रलेखित किया जाता है। प्रायः ये नाटक लोक एवं पारंपरिक कला रूपों पर आधारित होते हैं।

उपरोक्त के अलावा, एनएसडी भारत रंग महोत्सव का भी वार्षिक रूप से आयोजन करता है जो देश एवं विदेश से पारंपरिक रंगमंच प्रदर्शनों सहित रंगमंच प्रस्तुतियों को पेश करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र रंगमंच पुनरूद्धार स्कीम नामक एक स्कीम भी चलाते हैं। यह स्कीम स्टेज-शो तथा निर्माणोन्मुख कार्याशालाओं आदि समेत रंगमंच गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है।

अनुबंध-I

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ''मंचकला अनुदान स्कीम'' के अंतर्गत प्रदान किए गए वेतन एवं निर्माण अनुदान के राज्य-वार ब्यौरे

(आंकड़े लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य के नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		संगठनों की सं.	जारी राशि	संगठनों की सं.	जारी राशि	संगठनों की सं.	जारी राशि	संगठनों की सं.	जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	15.36	0	0	2	16.80	1	12.00
2.	आन्ध्र प्रदेश	13	86.87	23	110.99	23	71.10	7	40.24
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	7.11	2	3.00	14	20.92	1	1.50
4.	असम	18	55.78	23	68.83	52	83.41	14	27.83
5.	बिहार	27	111.57	42	142.49	75	184.94	16	53.38
6.	चंडीगढ़	5	30.57	9	64.075	6	24.18	3	32.40
7.	छत्तीसगढ़	2	63.6	0	0	3	6.43	0	0
8.	दिल्ली	110	487.35	135	559.065	172	565.33	40	106.57
9.	गोवा	1	5.52	1	5.52	2	5.91	3	10.10
10.	गुजरात	10	23.39	12	41.67	14	64.07	3	14.60
11.	हरियाणा	11	38.43	14	41.705	36	69.33	8	10.83
12.	हिमाचल प्रदेश	3	9.11	7	10.125	8	34.29	4	17.25
13.	जम्मू और कश्मीर	18	70.01	19	65.095	22	40.71	5	3.12
14.	झारखंड	0	0	4	4.875	6	17.05	2	3.20
15.	कर्नाटक	103	470.84	60	377.49	174	476.23	33	130.31
16.	केरल	26	136.6	36	193.96	51	60.73	10	52.50
17.	मध्य प्रदेश	29	114.27	43	194.377	57	169.96	10	14.61
18.	महाराष्ट्र	51	236.29	50	274.3	89	298.98	22	64.93
19.	मणिपुर	76	370.1	110	660.592	80	259.34	44	254.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	00
21.	मिज़ोरम	2	3.36	2	10.68	6	47.52	1	8.88
22.	नागालैंड	0	0	2	8.46	6	19.38	1	6.96
23.	ओडिशा	19	89.01	21	89.572	36	108.16	7	12.14
24.	पुदुचेरी	2	12.48	3	18.75	2	4.50	0	00
25.	पंजाब	3	15.03	4	13.65	8	30.24	3	25.72
26.	राजस्थान	10	41.22	26	73.775	36	143.94	6	15.70
27.	सिक्किम	0	0	1	1.50	0	0	0	00
28.	तमिलनाडु	21	87.81	20	75.487	42	161.26	6	19.18
29.	त्रिपुरा	0	0	2	3.00	6	72.32	2	3.27
30.	उत्तर प्रदेश	91	236.18	47	238.334	150	256.49	51	131.46
31.	उत्तराखंड	7	18.8	15	25.192	20	84.53	2	0.5
32.	पश्चिम बंगाल	297	862.49	287	990.633	347	912.72	73	247.66
	कुल योग	960	3,699.15	1020	4,368.19	1545	4,310.77	378	1,321.04

अनुबंध-II

विगत तीन वित्तीय वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान 'कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने संबंधी स्कीम' तथा 'विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने संबंधी स्कीम' के अंतर्गत रंगमंच एवं नाटक कलाकारों को प्रदान की गई राज्य-वार वित्तीय सहायता

अध्येतावृत्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	1440000	0	240000	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4.	असम	1440000	0	1680000	0

1	2	3	4	5	6
5.	बिहार	240000	0	480000	0
6.	चंडीगढ़	240000	0	240000	0
7.	छत्तीसगढ़	48000	0	0	0
8.	गोवा	0	0	0	0
9.	गुजरात	240000	0	0	0
10.	हरियाणा	0	0	0	0
11.	हिमाचल प्रदेश	0	0	240000	0
12.	जम्मू और कश्मीर	480000	0	960000	0
13.	झारखंड	0	0	480000	0
14.	कर्नाटक	1680000	0	240000	0
15.	केरल	960000	0	3600000	0
16.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0
17.	महाराष्ट्र	1440000	0	240000	0
18.	मणिपुर	1680000	0	480000	0
19.	मेघालय	0	0	0	0
20.	मिज़ोरम	0	0	0	0
21.	नागालैंड	0	0	240000	0
22.	दिल्ली	1920000	0	1440000	0
23.	ओडिशा	0	0	0	0
24.	पुदुचेरी	240000	0	480000	0
25.	पंजाब	0	0	480000	0
26.	राजस्थान	480000	0	0	0
27.	सिक्किम	0	0	0	0
28.	तमिलनाडु	480000	0	1200000	0

1	2	3	4	5	6
29.	तेलंगाना	0	0	0	0
30.	त्रिपुरा	0	0	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	720000	0	480000	0
32.	उत्तराखंड	0	0	0	0
33.	पश्चिम बंगाल	4800000	0	3360000	0
34.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
35.	दमन और दीव	0	0	0	0
36.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
	कुल	18960000	0	16560000	0

छात्रवृत्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	3,60,000/-	0	1,20,000/-	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4.	असम	4,80,000/-	0	4,80,000/-	0
5.	बिहार	2,40,000/-	0	10,80,000/-	0
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	1,20,000/-	0
8.	गोवा	0	0	2,40,000/-	0
9.	गुजरात	2,40,000/-	0	2,40,000/-	0
10.	हरियाणा	0	0	0	0
11.	हिमाचल प्रदेश	1,20,000/-	0	1,20,000/-	0
12.	जम्मू और कश्मीर	3,60,000/-	0	1,20,000/-	0

1	2	3	4	5	6
13.	झारखंड	0	0	1,20,000/-	0
14.	कर्नाटक	0	0	2,40,000/-	0
15.	केरल	6,00,000/-	0	2,40,000/-	0
16.	मध्य प्रदेश	4,80,000/-	0	9,60,000/-	0
17.	महाराष्ट्र	2,40,000/-	0	6,00,000/-	0
18.	मणिपुर	2,40,000/-	0	2,40,000/-	0
19.	मेघालय	0	0	0	0
20.	मिज़ोरम	0	0	0	0
21.	नागालैंड	0	0	0	0
22.	दिल्ली	1,20,000/-	0	7,20,000/-	0
23.	ओडिशा	1,20,000/-	0	2,40,000/-	0
24.	पुदुचेरी	0	0	0	0
25.	पंजाब	2,40,000/-	0	1,20,000/-	0
26.	राजस्थान	0	0	4,80,000/-	0
27.	सिक्किम	0	0	0	0
28.	तमिलनाडु	0	0	1,20,000/-	0
29.	तेलंगाना	0	0	0	0
30.	त्रिपुरा	0	0	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	3,60,000/-	0	4,80,000/-	0
32.	उत्तराखंड	1,20,000/-	0	0	0
33.	पश्चिम बंगाल	6,00,000/-	0	21,60,000/-	0
34.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
35.	दमन और दीव	0	0	0	0
36.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
	कुल	49,20,000/-	0	92,40,000/-	0

अनुबंध-III

दिनांक 30.06.2014 तक "कलाकार पेंशन स्कीम एवं कल्याण निधि" के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कलाकारों/आश्रितों के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	457
2.	असम	49
3.	बिहार	46
4.	दिल्ली	49
5.	गोवा	10
6.	गुजरात	6
7.	हरियाणा	31
8.	हिमाचल प्रदेश	6
9.	जम्मू और कश्मीर	2
10.	झारखंड	10
11.	कर्नाटक	713
12.	केरल	341
13.	मध्य प्रदेश	55
14.	महाराष्ट्र	866
15.	मणिपुर	142
16.	मेघालय	1
17.	मिज़ोरम	5
18.	नागालैंड	3
19.	ओडिशा	274
20.	पुदुचेरी	6
21.	पंजाब	3
22.	राजस्थान	10
23.	तमिलनाडु	251
24.	त्रिपुरा	1
25.	उत्तर प्रदेश	260
26.	उत्तराखंड	14
27.	पश्चिम बंगाल	87
	कुल	3698

"कलाकार पेंशन स्कीम एवं कल्याण निधि" के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

वर्ष	वित्तीय सहायता दी
2011-12	11.94
2012-13	15.22
2013-14	15.31
2014-15 (25.06.2014 की स्थिति के अनुसार)	5.67

एडवोकेट जोएस जॉर्ज : अध्यक्ष महोदया, लोक साहित्य को सुदृढ़ करने का उल्लेख किया गया है, लेकिन जनजातीय लोक साहित्य के संबंध में उसमें कोई उल्लेख नहीं है। मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या भारत में जनजातीय लोक साहित्य को सुदृढ़ करने के लिए विशिष्टि कोई कार्यक्रम है।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : महोदया, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जनजातीय लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। यह दो जनजातीय उत्सवों- एक शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल और दूसरा मुम्बई में को आयोजित कर रहा है, जिनमें देश भर से विभिन्न परम्परागत नाट्य रूपों के जनजातीय कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है। इसने इस पूरे घटनाक्रम का वृतचित तैयार किया है। *[हिन्दी]* ट्राइबल के लिए कल्चर विनिस्ट्री बहुत सारे कार्य करती है। आगे जैसा आपका सजेयन होगा, हम और भी कार्य करेंगे।

[अनुवाद]

एडवोकेट जोएस जॉर्ज : महोदया, प्रोफार्निंग आर्ट्स ग्रांट्स स्कीम' के माध्यम से अनुदानों के आवंटन में यही कमी हुई है। वर्ष 2012 में केरल के लिए आवंटित अनुदान 193 लाख था, लेकिन वर्ष 2013-14 में यह केवल 16 लाख था। मैं इस प्रोफार्मिंग आर्ट्स ग्रांट्स' स्कीम के तहत अनुदान में इतनी भारी कमी किए जाने का कारण जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदया, मैं यह कह सकता हूं कि परफॉर्मिंग आर्ट के ग्रांट के बारे में हमारे कल्चर मिनिस्ट्री में जो कुछ प्रोग्राम बनते हैं और ग्रांट में भी हम सबसे ज्यादा केरल को देते हैं।

आप ने कहा कि यहां सबसे कम मिला है। हमारे पास जो भी एप्लीकेशन आते हैं, उनमें मेरे ख्याल से हम ने ज्यादा से ज्यादा केरल को ग्रारांट दिए हैं। आपका फाइनैंस के बारे में कहना सही है। अभी जन-जागृति ज्यादा हो गयी है और लोग इस स्कीम की ओर आकृष्ट हुए हैं। इसमें ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री से, फाइनैंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा फंड इस स्कीम में देने की मांग करूंगा।

श्री थुपस्तान छेवांग : स्पीकर महोदय, मंत्री जी ने अपने क्वैश्चन के पार्ट-बी में यह कहा है कि जो भी अनुदान इस स्कीम के जरिए दी जाती है, डायरेक्टली स्टेट या यूनियन टेरिटरी को नहीं दिया जाता है। मैं मंत्री जी से पहले यह जानना चाहूंगा कि इसकी कार्य प्रणाली कैसी है? क्या डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को एप्रोच करते हैं या स्टेट के माध्यम से होता है?

दूसरा, मैं यह जानना चाहूंगा कि पार्ट-सी के उत्तर में एनएसडी के ज़रिए कल्चर को अनुदान देने की, उसको रिवाइव करने की जो भी कोशिश की जा रही है, वह पर्याप्त नहीं है। क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कोशिश करेंगे? जैसे अभी मेरे मित्र ने ट्राइबल एरियाज के बारे में क्वैश्चन उठाया, मैं जम्मू-कश्मीर को यहां खास तौर से मेन्शन करना चाहूंगा। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर में दो-तीन अंग हैं। वहां पर उनको प्रमोट करने की बहुत गुंजाइश है। उस बारे में मंत्री जी बताने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदया, हमारे बहुत से प्रोग्राम संगीत नाटक अकादमी से चलते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ही स्कीम को आगे ले जाती है। मुझे कहना है कि कुछ फंड मिलता है, कई स्कीम्स के माध्यम से जो स्कॉलरशिप मिलेगी या बाकी स्कीम्स होंगी, वह डायरेक्टली आर्टिस्ट जोनल सेंटर को एप्लाई करता है, वह सब कुछ बाद में नेशनल अकादमी में आता है। फिर यहां से वहां सिलेक्शन होता है और डायरेक्ट आर्टिस्ट को मिलता है। बाकी स्कीम में जो पैसा जाता है, थ्रु स्टेट गवर्नमेंट जाता है। माननीय सदस्य ने फाइनेंशियल के बारे में कहा है, जैसा मैंने अभी कहा कि यहां बहुत से फार्म्स आते हैं, हमारे पास जो फंड जो फंड होता है, उसी में हम कर लेते हैं। आगे कुछ अन्य स्कीमें आएंगी तो हम ज्यादा फंड के बारे में सोचेंगे।

श्री ताम्रध्वज साहू : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इसमें आपने जो एनेक्सचर थर्ड में उत्तर दिया है - आर्टिस्ट पेंशन स्कीम एंड वेलफेयर फंड। इसमें छत्तीसगढ़ का नाम नहीं है। क्या छत्तीसगढ़ के किसी कलाकार को पेंशन और स्कीम में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि छत्तीसगढ़ में भी काफी कलाकारों को पद्मभूषण, पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। आए-दिन समाचार-पत्रों में हमको पढ़ने को मिलता है कि उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, बीमार अस्पताल में पड़े हैं, भूख से मर रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से पूरे छत्तीसगढ़ के कलाकारों की सूची, संस्थाओं और समितियों की सूची मंगा कर ऐसे कलाकारों पेंशन स्कीम और उनके वेलफेयर के लिए निर्देश करेंगे और जानकारी देंगे?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने छत्तीसगढ़ के बारे में कहा है। हमारे यहां इस स्कीम के अंदर एप्लीकेशन नहीं आई थी, इसलिए मिला नहीं है। लेकिन वहां ऐसे जो आर्टिस्ट हैं, उनकी सूची प्राप्त होने के बाद हम उसे देखेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती शताब्दी राय : महोदया, पश्चिम बंगाल कला, थियेटर और नाट्य कला में अपनी-अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या माननीय मंत्री जी नेशनल जल ऑफ ड्रामा की कोलकाता में एक शाखा स्थापित करने पर विचार करेंगे जिसमें कि पूर्वी भारत में यह कला आगे बढ़ सके। *[हिन्दी]* इन्होंने अभी बोला है कि पेंशन के बारे में नाम देने से वे करेंगे। ये वेस्ट बंगाल के टैक्नीशियन एंड आर्टिस्ट के लिए भी कंसीडर करना है।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं, इन्होंने जो मांग की है, उस पर हम विचार करेंगे। आप अपना प्रपोज़ल कृपया भेज दीजिए। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, वे कलाकार हैं, उन्होंने चिन्ता की है। आप बैठ जाइए।

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहत हूं, सारा देश जानता है कि महाराष्ट्र कलाकारों की भूमि है, जहां ड्रामा आर्टिस्ट और तमाशा आर्टिस्ट होते हैं। तमाशा आर्टिस्ट के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पिछले कई दिनों से पेंशन अनुदान दिया जाता है...*(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने पूरी लाइफ कला के लिए अर्पित की है- जैसे तमाशा आर्टिस्ट और ड्रामा आर्टिस्ट। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई स्कीम आई, जिसके तहत तमाशा आर्टिस्ट के लिए अनुदान या पेंशन दी जाती है?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, जो हमारी स्कीम्स हैं- परफोर्मिंग आर्ट्स ग्रांट्स स्कीम, फेलोशिप स्कीम, स्कॉलरशिप स्कीम और आर्टिस्ट पेंशन स्कीम्स आदि हैं। इन स्कीमों के द्वारा आप यदि एप्लाई करेंगे तो आपको भी ये स्कीम्स मिलेंगीं।

माननीय अध्यक्ष : परफोर्मिंग में तमाशा भी आता है।

[हिन्दी]

मेगा फूड पार्क

***24. श्री अर्जुन राम मेघवाल :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मेगा फूड पार्क की स्थापना संबंधी उद्देश्य और मार्गनिर्देश क्या हैं और इन उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया है;

(ख) क्या सरकार को गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिए राज्यों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान परियोजना/राज्य-वार इस प्रयोजनार्थ आवंटित/जारी की गई निधियों सहित इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) मेगा खाद्य पार्क स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य हब एवं स्पोक मॉडल पर आधारित क्लस्टर दृष्टिकोण से खेत से लेकर बाजार तक मूल्य शृंखला समेत खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचना का सृजन करना है। इसमें प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों (सीपीसीज) तथा संग्रहण केन्द्रों (सीसीज) में खेत के निकट प्राथमिक प्रसंस्करण एवं भंडारण हेतु अवसंरचना तथा सामान्य सुविधाओं और केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र (सीपीसी) में सामर्थ्यकारी अवसंरचना जैसे सड़कें, बिजली, पानी तथा ईटीपी आदि सुविधाओं का सृजन शामिल है। ये प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र (पीपीसी) तथा संग्रहण केन्द्र (सीसी), केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्रों में अवस्थित प्रसंस्करण यूनिटों को कच्ची सामग्री की आपूर्ति के लिए एकत्रीकरण और भंडारण केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं।

(ख) और (ग) जी हां, महोदया। मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना के लिए राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों से पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ) स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के पश्चात् मंत्रालय द्वारा 30 मेगा खाद्य पार्क परियोजनाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है। इन 30 परियोजनाओं में से, 13 परियोजनाओं को अंतिम अनुमोदन दे दिया गया है और वे कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 13 परियोजनाओं को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार अंतिम अनुमोदन की शर्तों को पूरा करने में असफल रहने के कारण रद्द कर दिया गया है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य से आवंटित/जारी की गई निधियों सहित इन 30 परियोजनाओं के कार्यान्वयन का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-**II** में दिया गया है।

अनुबंध-I

मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना के लिए पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का राजस्थान सहित राज्य-वार ब्यौरा

कार्यान्वयन के दूसरे चरण के अंतर्गत प्राप्त अभिरुचि की अभिव्यक्तियां/प्रस्तावों की सूची

क्र. सं.	आवेदक का नाम	परियोजना का स्थान
	1	2
बिहार		
1.	केवेंटर फूड पार्क इन्फ्रा लि.	कहलगांव, जिला भागलपुर
2.	रुचि इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	दुर्गावती, भभुआ

1	2
3. जेवीएल मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	बसही, रोहतास
4. बिहार मेगा प्रोसेस्ड फूड पार्क प्रा.लि.	अररिया
5. प्रिस्टीन लॉजिस्टिक्स एण्ड इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	खगड़िया
मध्य प्रदेश	
1. रुचि सोया लिमिटेड	महेश्वर, खरगौन
2. जबलपुर मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	खैरी, जबलपुर
3. वशिष्ट होल्डिंग लिमिटेड एसपीवी-मध्य प्रदेश फूड पार्क प्रा.लि.	गांव-रोडिया, तालुका-भीकनगांव, जिला खरगौन
4. सेंट्रल इंडिया मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	कोढासाबरी, जिला-छिंदवाड़ा
5. सांवरिया मेगा फूड पार्क लि.	गांव-कीरतपुर, तालुका-इटारसी, होशंगाबाद।
6. मध्य प्रदेश मेगा प्रोसेस्ड फूड पार्क प्रा.लि.	गांव-बिलावली, तहसील/ जिला-देवास
7. छिंदवाड़ा मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	छिंदवाड़ा
त्रिपुरा	
1. सिकारिया इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	अगरतला के निकट
2. ट्यूब ग्लास कंटेनर्स लि., एसपीवी-त्रिपुरेश्वरी मेगा फूड पार्क्स लि., अभी निर्मित नहीं	उत्तर चम्पापुरा, पश्चिमी त्रिपुरा
हरियाण	
1. हरियाणा हर्बल एण्ड फूड पार्क प्रा.लि.	बकना, कुरुक्षेत्र

1	2
2. स्टार वन रीयलटर्स प्रा.लि.	नूँह, जिला-मेवात
3. हरियाणा मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	गांव-शकरपुरी, तहसील-फिरोजपुर झिरका, जिला-मेवात
गुजरात	
1. जफी फूड इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	गांव-बकरोल, जिला-अहमदाबाद
2. संतोषी मसाला प्रा.लि.	आनन्द
3. फणीधर मेगा फूड प्रा.लि.	वीरमगाम, अहमदाबाद
4. श्री एलटीसी एक्सपोर्ट इंडिया प्रा.लि. एसपीवी-कच्छ मेगा फूड पार्क अभी निर्मित नहीं	गांव-मौजे रातडिया, तालुका-मुंद्रा, जिला-कच्छ
5. महाकाली मेगा फूड पार्क	गांव-कयात, जूनीसेधावी नवीसेधावी ऑफ कादी डिस्ट्रिक्ट मेहसाणा
6. अनिल लिमिटेड एसपीवी-अनिल मेगा फूड पार्क प्रा.लि. अभी निर्मित नहीं	गांव-पलादी, तालुका-सेवली, जिला-वडोदरा
7. विनफ्रा ग्रीन प्रोजेक्टस प्रा. लि.	वरेथ, तालुका-मांडवी, सूरत
8. गुजरात मेगा प्रोसेस्ड फूड पार्क प्रा.लि.	सावली, वडोदरा
9. वाइब्रेंट मेगा फूड पार्क	जनाखली, तालुका-मांडवी, सूरत
राजस्थान	
1. राजस्थान मेगा फूड पार्क्स लि.	नारायणा, जिला-जयपुर
2. एआरएस इन्फ्राटेक लि.	जिला-भीलवाड़ा
3. मारवाड़ एग्रो मेगा फूड पार्क्स प्रा. लि.	दूनी, गांधीग्राम, जिला-टौंक
जम्मू और कश्मीर	
1. सिम्पलेक्स प्रोजेक्टस लि.	शादीपोरा, श्रीनगर
2. कश्मीर एग्रीफ्रेश फूड पार्क	लासीपुरा, जिला-पुलवामा, कश्मीर

1	2
केरल	
1. केरल स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन लि.	कोन्नि, जिला-पथनामथिट्टा
2. मालाबार मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	किनलूर, जिला-कोझिकोड
3. नेशनल इंटीग्रेटड मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	पालक्काड
ओडिशा	
1. सेंटर ऑफ एन्टरप्रिन्योरशिप डेवलमेंट, रीजनल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट	बड़चना, कटक
2. एमआईटीएस मेगा फूड पार्क लि.	रायगढ़
3. ओडिशा मेगा एग्रो फूड पार्क लि.	बंकी
छत्तीसगढ़	
1. रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	धमतरी जिल के तहसील कुरुध का बंजारी/बगौध गांव
2. सहारा इंटीग्रेटेड मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	गांव-बादोली, तालुका-राजपुर, जिला-सरगुजा
3. छत्तीसगढ़ एग्रो मेगा फूड पार्क्स प्रा.लि.	नया रायपुर
आन्ध्र प्रदेश	
1. गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क प्रा.लि.	टाडेपल्लीगुडेम, जिला वेस्ट गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश
2. आरेंज बायो इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर टैक्नोलोजीज प्रा.लि. (ओआरबीआईटी)	रघुनादपल्ली गांव व मंडल जिला वारंगल, आन्ध्र प्रदेश
3. अन्नपूर्णा इंटीग्रेटेड एग्री पार्क	चिंतालपदु, जिला-कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश
4. सत्यवेदु मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	गांव पलगंटा, तालुका-सत्यवेदु, जिला-चित्तूर, राज्य: आन्ध्र प्रदेश

1	2
5. स्मार्ट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन प्रा.लि.	गांव लक्कमपल्ली, नादीपेट मंडल, जिला-निजामाबाद राज्य-आन्ध्र प्रदेश
6. कांटीनेंटल मेगा फूड पार्क लि.	गांव-तिम्मापुर और कोथुर, जिला-महबूब नगर, राज्य-आन्ध्र प्रदेश
7. कारबन न्यूट्रल्स एनर्जी प्रा.लि.	जहीराबाद, मेडक, आन्ध्र प्रदेश
असम	
1. कामरूप ईको प्रा.लि.	गांव-बेलगुडी, जिला-कामरूप, असम
बिहार	
1. जेवीएल मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	गांव-जोराबरपुर, जिला-रोहतास, राज्य-बिहार
2. प्रिस्टीन लॉजिस्टिक्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	ब्लॉक मानसी जिला-खगड़िया, राज्य-बिहार
3. चम्पारण एग्री पार्क प्रा.लि.	बरिया, जिला-पूर्वी चम्पारण, बिहार
4. मम्स मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	गांव-चौगैन, तालुका-दुमरॉव, जिला बक्सर, बिहार
छत्तीसगढ़	
1. सिन्धु फार्म्स प्रा.लि.	गांव-बेमता, सरोरा, जिला-रायपुर
2. छत्तीसगढ़ एग्रो मेगा फूड पार्क लि.	गांव-खरोरा, जिला-रायपुर
3. उत्सव आर्गेनिक फूड पार्क प्रा.लि.	गांव-धनसूली और खतिया, तहसील तिल्दा, जिला-रायपुर
दिल्ली	
1. पवित्र भूमि प्रा.लि.	जीटी करनाल रोड, जिला-उत्तर पूर्व, राज्य-दिल्ली
2. व्यंजन विहार प्रा.लि.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति नहीं दिया गया।
गोवा	
1. पोलर फ्रेश प्रा.लि.	गांव-सिगांव, जिला-दक्षिणी गोवा, गोवा

1	2
गुजरात	
1. अदानी पोर्ट्स एण्ड एसईजैड लि.	मुन्द्रा, जिला-कच्छ, गुजरात
2. ब्रज मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	गांव-धोली, तालुका-धोलुका, जिला-अहमदाबाद गुजरात
3. रेनवो मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	गांव-सूरज, तालुक-कादी, जिला-मेहसाणा, राज्य-गुजरात
4. वाइब्रेंट केकेपी फूड एण्ड एग्रो पार्क प्रा.लि.	गांव-जंखल, तालुका-माण्डवी, जिला-सूरत, राज्य-गुजरात
5. फणीधर मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	गांव-मुंडेरडा नजदीक मेहसाणा, जिला-मेहसाणा, गुजरात
6. गुजरात एग्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर मेगा फूड पार्क	तालुका-मंगरौल, जिला-सूरत, राज्य-गुजरात
हरियाणा	
1. सोमा न्यू टाउंस (प्रा.) लि.	गांव-नतर, सिरसा
2. कांटीनेंटल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन (न्हावा सेवा) लि.	गांव-जत्तीपुर, जिला-पानीपत
3. स्टारवन रियल्टर्स प्रा.लि.	गांव-ताजपुर, जिला-मेवात, हरियाणा
4. इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लि.	गन्नौर टाउन, जिला-सोनीपत, हरियाणा
हिमाचल प्रदेश	
1. पोलियन मेगा फूड पार्क	गांव-पोलियन, जिला-ऊना, हिमाचल प्रदेश
2. हिमाचल इंटीग्रेटेड मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	गांव-दुलेहर, जिला-ऊना, हिमाचल प्रदेश
3. एचआईएम मेगा फूड पार्क	जिला-कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
4. ग्रेवाल एसोसिएट्स प्रा.लि.	नहीं दिया गया राज्य: हिमाचल प्रदेश
जम्मू और कश्मीर	
1. सिम्पलेक्स प्रोजेक्ट्स लि.	लासीपुरा, जिला पुलवामा, जम्मू और कश्मीर
2. ग्रीन्स फूड पार्क इंडिया प्रा. लि.	लासीपुरा, जिला पुलवामा, जम्मू और कश्मीर
3. कश्मीर मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	लासीपुरा, जिला पुलवामा, जम्मू और कश्मीर
4. जे एण्ड के मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	लीसीपुरा, जिला पुलवामा, जम्मू और कश्मीर
कर्नाटक	
1. फेवोरिच इन्फ्रा. प्रा.लि.	ग्राम पंचायत कलिंगनहल्ली जिला-मण्डया, कर्नाटक
केरल	
2. मालाबार मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	कुजूर त्रिसूर जिले का इरिंजलकुडा तालुका-केरल
मिज़ोरम	
1. मिज़ोरम मेगा फूड पार्क	खमरॉन, जिला-आइजोल, राज्य-मिज़ोरम
मध्य प्रदेश	
1. ट्रिडेंट कॉर्पोरेशन लि.	गांव-बरखेड़ी और खापखुर्द, तालुक-बुधनी, जिला-सिहोर, मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र	
1. देवप मेगा फूड पार्क	जिला-परभनी, राज्य-महाराष्ट्र
2. अमरावती इंटीग्रेटेड मेगा फूड पार्क	शिरपुर, जिला-अमरावती, महाराष्ट्र
3. गार्डन पिक फूड पार्क प्रा.लि.	उत्तरॉन, जलगांव, महाराष्ट्र
4. सिन्धुदुर्ग इंटीग्रेटेड कोस्टल फूड पार्क	तालुका-गवन, जिला-सिन्धुदुर्ग, राज्य-महाराष्ट्र
5. महाराष्ट्र मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	नैगांव सांघवी, जिला-सतारा, राज्य-महाराष्ट्र
6. सुयोजित मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	वड़गांव पिंगला, तालुका-सिन्नार, जिला-नासिक, महाराष्ट्र
7. सतारा मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	देगांव, जिला-सतारा, महाराष्ट्र
8. मजलगांव मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	मजलगांव, जिला-बीड, महाराष्ट्र

1	2
9. एसके एग्रो फूड टैक प्रा.लि.	गांव-कालेधोल, जिला-सतारा, महाराष्ट्र
10. टोरंटो फूड पार्क प्रा.लि.	तलसारी, जिला-थाणे, महाराष्ट्र
ओडिशा	
1. हूमा कोस्टल मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	मोजा रानीबोरो, तहसील-खालीकोट, जिला-गंजम, राज्य-ओडिशा
पुदुचेरी	
1. गोयंका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	गांव-अभिषेकपक्कम, जिला पुदुचेरी
पंजाब	
1. वर्ल्डवाइड फूड पार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	गांव-हमीरा, जिला-कपूरथला, पंजाब
2. सास्ता मेगा फूड पार्क लि.	रेल माजरा, जिला-नवाशहर, राज्य-पंजाब
राजस्थान	
1. ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	गांव-रूपनगढ़, जिला-अजमेर, राज्य-राजस्थान
2. राजस्थान मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	गांव नारायण, सांभर तहसील, राजस्थान

1	2
सिक्किम	
1. एम3 फूड पैराडाइज प्रा.लि.	गांव-सरमसा, पूर्वी जिला, सिक्किम
2. हिमालयन आर्गेनिक मेगा फूड पार्क लि.	मेल्ली, जिला-साउथ सिक्किम, राज्य सिक्किम
उत्तर प्रदेश	
1. यूपी मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	औरंगपुर, परगना-दनकौर, जिला-गौतमबुद्धनगर, एनसीआर
उत्तराखण्ड	
1. हिमालयन फूड पार्क प्रा.लि.	गांव मौहा खेरागंज, काशीपुर, जिला-उद्यम सिंह नगर, उत्तराखंड राज्य
पश्चिम बंगाल	
1. कान्कास्ट एक्जिम लि.	अमता, हावड़ा, पश्चिम बंगाल
2. दानकुनी प्रोजेक्ट्स लि.	दानकुनी, जिला-हुगली, पश्चिम बंगाल
3. बंगाल मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	गांव-राजगंज, जिला-जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल

अनुबंध-II

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राजस्थान समेत 30 अनुमोदित मेगा खाद्य पार्क परियोजनाओं के कार्यान्वयन की परियोजना/राज्य-वार स्थिति (30.06.2014 तक)

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	नाम	राज्य	परियोजना लागत	सैद्धान्तिक अनुमोदन की तिथि	अंतिम अनुमोदन की तिथि	अनुमोदित अनुदान की राशि	अनुदान की जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मैसर्स गोदावरी मेगा एक्वा पार्क प्रा.लि. पश्चिम गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	119.12	21.09.2012	16.12.2013	50.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	मैसर्स स्मार्ट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन प्रा.लि.	आन्ध्र प्रदेश	116.44	19.12.2013	"सैद्धान्तिक" अनुमोदन दे दिया गया है।		
3.	मैसर्स केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा. लि. भागलपुर, बिहार	बिहार	153.96	29.04.2011	30.11.2011	50.00	5.00
						30.06.2014 को आईएमएसी की बैठक में रद्द कर दिया गया।	
4.	मैसर्स प्रिस्टीन लॉजिस्टिक्स एण्ड इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा.लि. खगड़िया, बिहार	बिहार	142.98	21.09.2012	30.06.2014 को आईएमएसी की बैठक में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया।		
5.	मैसर्स जेवीएल मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	बिहार	114.22	19.12.2013	"सैद्धान्तिक" अनुमोदन दे दिया गया है।		
6.	मैसर्स इंडस बेस्ट मेगाफूड पार्क प्रा.लि. रायपुर, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	124.91	06.09.2012	04.06.2014	50.00	0.00
7.	मैसर्स रायपुर मेगा फूड पार्क लि. रायपुर, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	129.65	21.09.2012	04.06.2014	50.00	0.00
8.	मैसर्स अनिल मेगा फूड पार्क प्रा.लि., वड़ोदरा, गुजरात	गुजरात	141.70	29.04.2011	13.01.2012	50.00	5.00
						परियोजना से एसपीवी की वापसी के कारण रद्द कर दिया गया	
9.	गुजरात एग्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्क फूड पार्क, सूरत, गुजरात	गुजरात	108.30	21.09.2012	22.05.2014	50.00	0.00
10.	मैसर्स फणीधर मेगा फूड पार्क लि.	गुजरात	117.80	19.12.2013	"सैद्धान्तिक" अनुमोदन दे दिया गया है।		
11.	मैसर्स सोमा न्यू टाउंस (प्रा.)	हरियाणा	147.08	21.09.2012	परियोजना को दिए गए "सैद्धान्तिक" अनुमोदन को दिनांक 25.06.2013 की सूचना के तहत रद्द कर दिया गया है।		
12.	कांटीनेंटल वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन (न्हावा सेवा) लि.	हरियाणा	249.92	19.12.2013	परियोजना को दिए गए "सैद्धान्तिक" अनुमोदन को दिनांक 30.06.2014 को हुई आइएमएसी की बैठक में रद्द कर दिया गया है।		
13.	हिमाचल इंटीग्रेटेड मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	हिमाचल प्रदेश	81.45	19.12.2013	परियोजना को दिए गए "सैद्धान्तिक" अनुमोदन को दिनांक 30.06.2014 को हुई आईएमएसी की बैठक में रद्द कर दिया गया है।		
14.	मैसर्स पोलीयान मेगा फूड पार्क प्रा.लि. ऊना,	हिमाचल प्रदेश	97.63	21.09.2012	30.06.2014 को आईएमएसी की बैठक में "अंतिम" अनुमोदन प्रदान किया गया		

1	2	3	4	5	6	7	8
	हिमाचल प्रदेश						
15.	मैसर्स आरएफके ग्रीन्स फूड पार्क प्रा.लि. पुलवामा, जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू और कश्मीर	81.02	21.09.2012	19.02.2014	50.00	0.00
16.	मैसर्स इंडस मेगा फूड पार्क प्रा.लि. मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	127.70	10.10.2011	27.08.2012	50.00	30.00
17.	मैसर्स महाराष्ट्र मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	महाराष्ट्र	135.00	19.12.2013	परियोजना को दिए गए "सैद्धान्तिक" अनुमोदन को दिनांक 30.06.2014 को हुई आईएमएसी की बैठक में रद्द कर दिया गया है।		
18.	मैसर्स अमरावती इंटीग्रेटेड मेगा फूड पार्क	महाराष्ट्र	133.08	19.12.2013	परियोजना को दिए गए "सैद्धान्तिक" अनुमोदन को दिनांक 30.06.2014 को हुई आईएमएसी की बैठक में रद्द कर दिया गया है।		
19.	मैसर्स सुयोजित मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	महाराष्ट्र	142.95	19.12.2013	परियोजना को दिए गए "सैद्धान्तिक" अनुमोदन को दिनांक 30.06.2014 को हुई आईएमएसी की बैठक में रद्द कर दिया गया है।		
20.	मैसर्स सतारा मेगाफूड पार्क प्रा.लि. सतारा	महाराष्ट्र	132.26	21.09.2012	30.06.2014 को आईएमएसी की बैठक में "अंतिम" अनुमोदन प्रदान किया गया।		
21.	मैसर्स जोरम मेगा फूड पार्क प्रा.लि. (पूर्व मैसर्स मिजोरम मेगा फूड पार्क)	मिज़ोरम	71.91	19.12.2013	"सैद्धान्तिक" अनुमोदन दे दिया गया है।		
22.	मैसर्स हूमा कोस्टल मेगा फूड पार्क प्रा.लि. गंजम ओडिशा	ओडिशा	117.05	21.09.2012	दिनांक 30.03.2014 की सूचना के तहत "सैद्धान्तिक" अनुमोदन को रद्द कर दिया गया है।		
23.	मैसर्स एमआईटीएस मेगा फूड पार्क लि. रायगढ़, ओडिशा	ओडिशा	80.17	29.04.2011	16.04.2012	50.00	5.00
24.	मैसर्स चक्रनेमी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. अभिषेकपक्कम	पुदुचेरी	149.89	06.09.2012	दिनांक 29.05.2014 की सूचना द्वारा "सैद्धान्तिक" अनुमोदन को रद्द कर दिया गया है।		
25.	मैसर्स ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क प्रा.लि., अजमेर, राजस्थान	राजस्थान	113.11	21.09.2012	19.02.2014	50.00	0.00
26.	मैसर्स कंचनजंगा मेगा फूड पार्क लि., दक्षिण सिक्किम, सिक्किम	सिक्किम	80.37	21.09.2012	दिनांक 19.02.2014 की सूचना द्वारा "सैद्धान्तिक" अनुमोदन को रद्द कर दिया गया है।		

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	मैसर्स सिकारिया मेगा फूड पार्क प्रा.लि. अगरतला, त्रिपुरा	त्रिपुरा	87.45	29.04.2011	30.11.2011	50.00	20.79
28.	उत्तर प्रदेश मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	उत्तर प्रदेश	113.95	19.12.2013	परियोजना को दिए गए "सैद्धान्तिक" अनुमोदन को दिनांक 30.06.2014 को हुई आईएमएसी की बैठक में रद्द कर दिया गया है।		
29.	मैसर्स हिमालयन फूड पार्क प्रा.लि. ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड	124.52	21.09.2012	23.01.2014	50.00	0.00
30.	मैसर्स बंगाल फूड पार्क प्रा. लि., जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	113.9	21.09.2012	परियोजना को दिए गए "सैद्धान्तिक" अनुमोदन को दिनांक 19.02.2014 की सूचना के तहत रद्द कर दिया गया है।		

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न मैगा फूड पार्क की स्कीम से सम्बन्धित है। जो मंत्री जी ने जवाब दिया है, उसके अनुसार इनको पूरे 30 प्रपोजल तीन साल में प्राप्त हुए हैं और उन 30 प्रपोजल्स में से 13 प्रोजैक्ट्स इन्होंने सैंक्शन किये हैं और 13 प्रोजैक्ट्स ही इन्होंने रिजैक्ट किये हैं।

मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं और वहां पर जो भुजिया होती है, पूरे देश में जो बीकानेरी भुजिया के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मोठ है। उस मोठ के कारण वह बहुत फेमस हुई। क्लाइमेट भी उसमें एक इश्यू है। इन 30 प्रपोजल्स में बीकानेर का जो प्रपोजल है, उसका इसमें उल्लेख नहीं है। उसका कारण क्या रहा, क्यों नहीं उल्लेख है? मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, मैगा फूड पार्क में एक एस.पी.वी. नामक कंडीशन है। यह स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन 30 प्रपोजल्स प्राप्त हुए, 13 मंजूर हुए, 13 रिजैक्ट हुए, क्योंकि, इस स्कीम में क्लस्टर बेस्ड एप्रोच है। मेरा मंत्री जी से यह सवाल है कि जो कंडीशन्स लगाई गई हैं, उन कंडीशंस को ठीक करके सरलीकरण करने का विचार है क्या? ये फूड पार्क हम दस सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन 10 सालों में कोई ज्यादा फूड पार्क्स मंजूर हुए हैं, ऐसा नहीं है। अब नई सरकार आई है तो मंत्री जी से अपेक्षा है और प्रश्न है कि इसमें सरलीकरण करने का विचार है या नहीं?

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : मैडम, यह बिल्कुल सही है कि पिछले दस सालों में, जितने तीन सालों में खास तौर से मैगा फूड पार्क्स सैंक्शन हुए हैं, उनमें से जितने लगने चाहिए, वे पूरे नहीं लग सके, लेकिन इसके बहुत से अन्य कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि स्कीम में दिखाते हैं कि 50 एकड़ जमीन की जरूरत होती है, 50 एकड़ जमीन एक जगह में लेना बहुत मुश्किल होता है, उसमें समय लगता है। उसके बाद उस जमीन के लिए सी.एल.यू. स्टेट गवर्नमेंट से लेने में भी बहुत टाइम लग जाता है और सी.एल.यू. लेने के बाद जो आगे उस मैगा फूड पार्क में आइडिया है कि छोटे-छोटे और यूनिट्स लगें, जिससे छोटे किसानों को भी फायदा हो तो यह आगे जब सब-लीज़ करना होता है तो जब लैंड लीज़ पर ली जाती है तो सब-लीज़ का क्लाज़ नहीं होता। कई सारे ऐसे कारण हैं, जिनको देखा जा रहा है और उसमें जो सुधार किया जा सकता है, वह सुधार करने की कोशिश की जायेगी।

जहां तक एस.पी.वी. की इन्होंने बात की है। इसमें तीन-चार स्टेजेज़ होते हैं, सबसे पहले एक एक्सप्रैशन ऑफ इंटरैस्ट आता है, जब सरकार मैगा फूड पार्क्स सैंक्शन करती है तो एडवरटाइज़मेंट देती है, मंत्रालय एक्सप्रैशन ऑफ इंटरैस्ट इन्वाइट करता है कि कौन लगाना चाहता है। लोग अपने आप एप्लाई करते हैं। वे जब एप्लाई करते हैं तो एक कमेटी उसको चैक करती है, चैक करने के बाद एक और टैक्नीकल कमेटी उसे देखती है। उसके बाद तीसरी कमेटी देखती है और यह सब देखने के बाद वे सैंक्शन होते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है कि यह एस.पी.वी. की जो एक कंडीशन होती है, जिसमें आपके पास जमीन होनी चाहिए, सी.एल.यू. होना चाहिए, फाइनेंशियल आपका सारा अरेंजमेंट होना चाहिए, तब जाकर आपको सैंक्शन मिलती है। इसलिए यह एस.पी.वी. (स्पेशल परपज़ व्हीकल) है, ताकि लोग ग्राण्ट लेकर काम कर सकें। इसके मेन क्राइटीरिया में जमीन हो, पैसा हो, सारा कुछ टाइड-अप हो, उसके बाद ही एप्रूवल मिलती है।

जैसा ऑनरेबिल मैम्बर ने कहा कि इनके यहां बीकानेर में भुजिया का है तो मैं उम्मीद करती हूं कि वहां से जब नये प्रोजैक्ट्स सैंक्शन किए जाएंगे तो उसमें वे जरूर एप्लाई करें, मैं इसको देख रही हूं कि कारण क्या है कि सारे जितना इसको पोपुलर होना चाहिए, क्यों सारे नहीं लग

रहे हैं और स्कीम्स में बदलाव जो कर सकते हैं, जिस करके यह स्कीम आगे बढ़ सके, वह जरूर किया जायेगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि बीकानेरी भुजिया के लिए ये सैद्धान्तिक स्वीकृति अभी सदन में दे रही हैं। मेरा आपके माध्यम से दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न है कि जो ये एस.पी.वी. (स्पेशल परपज़ व्हीकल) है और उसके साथ जुड़ा हुआ स्टेक होल्डर है, जितने प्रोजैक्ट्स मंजूर भी हुए हैं तो मेरी जानकारी जो है, उसके मुताबिक मैं कह रहा हूं कि स्टेट गवर्नमेंट, एस.पी.वी. और स्टेक होल्डर्स, इन तीनों के बीच में कोआर्डीनेशन नहीं है।

एसपीवी वाले जब मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट मंजूर करके ले जाते हैं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट से भी संबंध अच्छे नहीं रखते हैं और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी भी कई ऐसी शिकायतें आती हैं कि एसपीवी वाला हमारा शोषण कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट, एसपीवी और स्टेक होल्डर्स इन तीनों के बीच में कोई कोआर्डिनेशन बैठाकर, अगर स्टेट गवर्नमेंट को ही एसपीवी बना दें या कुछ कंडीशन में सरलीकरण कर हैं तो यह स्कीम ज्यादा लाभान्वित हो सकती है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है।

श्री हरसिमरत कौर बादल : मंत्रालय की तरफ से एक लोकल ऑफिसर स्टेट लेवल पर एप्वाइंट किया जाता है, जो इसको आगे देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जैसे स्कीम पहले थी, उसमें यह प्रॉब्लम जरूर आती थी। इन्हीं को देखते हुए कई चेंजेज किये गये हैं, अभी नये मेगा फूड पार्क जो किये जायेंगे, जिसमें एक बड़ा चेंज यह किया गया है कि पहले जो कोआपरेटिव और स्टेट एजेंसीज थीं, उनको भी यह स्कीम फिट नहीं आती थी। अब उनके लिए एसपीवी की जरूरत नहीं होगी, जिससे डॉयरेक्टली कोआपरेटिव और स्टेट एजेंसीज भी कर सकती हैं और यह जो नोमिनेट किया जाता है, स्टेट लेवल पर जो ऑफिसर होता है, अक्सर वे कमिश्नर होते हैं, डिप्टी कलेक्टर्स होते हैं तो वे इस सारे को मानीटर करते हैं और उन्हीं का यह काम होता है। ये जो स्टेट के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, इसीलिए उनको उस कमेटी में डाला जाता है ताकि वे स्टेट लेवल पर फॉलोअप कर सकें।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : महोदया, हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में क्षमता बहुत है। आज भारत दूध के क्षेत्र में नम्बर वन उत्पादक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल के क्षेत्र में नम्बर दो और फूड ग्रेन्स के क्षेत्र में नम्बर तीन, लेकिन हमारी वेस्टेज करीब 40 प्रतिशत है। यह जो मेगा फूड पार्क स्कीम है, मेरा प्रश्न यह है कि मंत्री जी को और उन्होंने उल्लेख भी किया है कि कठिनाईयां हैं और यह वास्तविकता है जो मंत्री जी ने कहा, लेकिन कठिनाईयों का समाधान करने के लिए मंत्रालय और मंत्री जी की क्या सोच है? इसी के साथ जो एक प्रस्ताव रखा गया था कि जो कैपिटल कॉस्ट है, उसे पचास करोड़ से बढ़ाकर सौ करोड़ रखा जाए, उस पर सरकार की क्या सोच है और कितने लोगों को इसके आधार पर भविष्य में रोजगार मिल पाएगा? कृपया इस बारे में हमें सूचित करें।...*(व्यवधान)*

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : जो यह मेगा फूड पार्क की स्कीम है, जैसा इन्होंने वेस्टेज के बारे में कहा, पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग और टेक्नॉलाजी की एक स्टडी सिफेट ने की है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो पेरिशेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें तकरीबन 6.8 से लेकर 18 परसेंट तक वेस्टेज होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा फ्रूट और वेजिटेबल में होती है। एक कारण यह है कि फ्रूट प्रोसेसिंग में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में की प्रोसेसिंग सबसे कम है, इसमें कोई शक नहीं है, मिल्क की ज्यादा है, दूसरी चीजों की ज्यादा है। खास तौर से हमारे देश में लोगों के फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स की आदत है, प्रोसेस्ड फ्रूड्स की अभी इतनी आदत नहीं है। इस मेगा फूड पार्क का एक ही उद्देश्य था कि वेस्टेज को घटाने के लिए ये मेगा फूड पार्क बनाये जाएं। हब एंड स्पोक एक मॉडल होता है, जहां पर एक बड़ा प्रोसेसिंग सेंटर होता है और फॉर्म लेवल पर कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, उसके पास प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं, फिर ये सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स पर आते हैं। यह हब एंड स्पोक मॉडल इसीलिए है ताकि उसकी कवरेज चारो तरफ से हो सके, इसीलिए मेगा फूड पार्क को इनविजन किया गया था। जैसा पहले बताया कि इसकी जैसी सक्सेस रेट होनी चाहिए, वह नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से मुझे पूरी उम्मीद है कि यह सपोर्ट मिलेगा, वे चेंजेज लाने के लिए जिससे यह स्कीम आगे बढ़ सके।

[अनुवाद]

जहां तक माननीय सदस्य के इस सुझाव का संबंध है कि राजसहायता की राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये किया जाए, मैं यह कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्यवश, ऐसी परिस्थिति में वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं रह गई है कि हम जिन चीजों को करना चाहते है उन्हें ही करें। इसलिए, जब वित्तीय स्थिति सही जो जाएगी, मुझे विश्वास है कि हम इस पर गौर करेंगे। इसी बीच अन्य विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला : महोदया, अभी मंत्री जी ने कहा कि नये फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स देश के अंदर और खोले जाएंगे। मैं इतना ही पूछना चाहूंगा कि क्या हरियाणा प्रदेश में और हिसार लोक सभा क्षेत्र में भी कोई प्लांट सेट अप करने की कोई उम्मीद केन्द्र सरकार रखती है?

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : नए मेगा फूड पार्क्स के लिए अभी भी स्कीम 31 जुलाई तक ओपेन है। लोग अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ई.ओ.आई.) भेज सकते हैं। शायद, इसको एक्सटेंड करने के बारे में सोचा जा सकता है। यह अभी भी अवेलेबल है।

[अनुवाद]

श्रीमती कविता कलवकुंतला : महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के नंदीपेट मंडल में किसानों से लगभग 380 एकड़ भूमि पहले ही ली गई है, लेकिन पिछले 7 वर्षों में फूड पार्क का काम कभी भी शुरू नहीं हुआ है। मैं इसके पीछे के कारणें को जानना चाहती हूं। मैं समझती हूं कि अंतिम अनुमोदन प्राप्त होना अभी बाकी है। क्या अंतिम अनुमोदन दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्या यह भूमि किसानों को वापस की जाएगी?

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसके विभिन्न चरण हैं। उन मानदंडों के पूरे हो जाने के बाद अनुमोदन दिया जाता है। इसलिए, अंतिम अनुमोदन अभी भी लम्बित है, तो इसका तात्पर्य यह है कि या तो धनराशि जारी नहीं की गई है अथवा 50 एकड़ के यूनिट में भूमि नहीं मिली है। ज्योंही सभी विकल्प पूरे होते हैं मंजूरी दे दी जाती है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से आ गए हैं।

[अनुवाद]

सीमापार से घुसपैठ

***25. श्री निशिकान्त दुबे :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की विभिन्न सीमाओं से घुसपैठ की घटनाओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीमावर्ती राज्यों में कितने मामलों का पता चला, कितने घुसपैठियों को पकड़ा गया और कितनों को मार गिराया गया; और

(ग) सरकार द्वारा देश की सीमाओं पर घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सीमावर्ती राज्यों में गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान सूचित किए गए घुसपैठ के मामलों तथा गिरफ्तार किए गए और मारे गए घुसपैठियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(ग) सरकार ने अपने देश के साथ लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर घुसपैठ सहित सीमा-पार से अपराध को रोकने और वहां प्रभावी आधिपत्य रखने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनायी है। इस संबंध में उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:—

* गश्त नाका (सीमा पर घात) द्वारा सीमाओं की चौबीसों घंटे चौकसी और देश के साथ लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी चौकी स्थापित करके सीमा पर प्रभावी आधिपत्य। सीमा सुरक्षा बल के जल-विंग के जलयान/स्पीड बोट्स/फ्लोटिंग बार्डर आउट पोस्ट (सीमा चौकी) की मदद से देश के साथ लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित नदी वाले हिस्सों में गश्त लगाई जा रही है और वहां आधिपत्य रखा जा रहा है।

* बाड़ लगाना, गश्त वाले सड़कों का निर्माण, तेज रोशनी वाले उपकरण लगाना और अतिरिक्त सीमा चौकियों का निर्माण।

* उच्च-तकनीक वाले निगरानी उपकरण और बल वर्धक शामिल किए जा रहे हैं। दिन और रात्रि वाले दृश्य उपकरणों से पूरी तरह लैस अद्यतन चौकसी उपकरणों की खरीद के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सीमा पर आधिपत्य को और बढ़ाया जा सके।

* संबंधित देशों के अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकों, अर्थात कंपनी कमांडर स्तर की बैठक, कमांडेंट स्तर की बैठक, सेक्टर कमांडर स्तर की बैठक, फ्रंटियर स्तर की बैठक और महानिदेशक स्तर की वार्ता के दौरान सीमा पार से घुसपैठ के मामलों को उठाना।

* सीमा पर अवैध प्रवास/मानव तस्करी के संबंध में संवेदनशील सीमा चौकियों (बीओपी) की सुभेद्यता का मापांकन किया गया है। अतिरिक्त जनशक्ति की तैनाती, विशेष निगरानी उपकरणों, वाहनों एवं अन्य अवसंरचनात्मक सहायता के द्वारा पहचान की गई सीमा चौकियों को मजबूती प्रदान की गई है।

* आसूचना नेटवर्क का स्तरोन्नयन और एजेंसियों से समन्वय तथा सीमा पर विशेष अभियानों का आयोजन।

* अंतरराष्ट्रीय सीमा पर प्रभावी आधिपत्य कायम रखने के लिए जम्मू के साथ लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दो अतिरिक्त बटालियनें तैनात की गई हैं।

अनुबंध

सीमावर्ती राज्यों में गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान सूचित किए गए घुसपैठ के मामलों तथा गिरफ्तार किए गए और मारे गए घुसपैठियों की संख्या

सीमा	राज्य	2011			2012			2013			2014 (मई-जून तक)		
		मामले	गिरफ्तारी	मारे गए	मामले	गिरफ्तारी	मारे गए	मामले	गिरफ्तारी	मारे गए	मामले	गिरफ्तारी	मारे गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारत-बांग्लादेश	पश्चिम बंगाल	499	577	14	707	1028	24	1161	2815	17	496	1109	02
	असम		43	–		24	–		13	–		9	–
	मेघालय		81	–		168	–		138	–		29	–
	त्रिपुरा		92	03		166	01		96	–		48	–
	मिज़ोरम		42	–		06	–		01	–		05	–
	उप-योग		835	17		1392	25		3063	17		1200	02
भारत पाकिस्तान	जम्मू और कश्मीर	317	07	38	332	09	16	345	16	39	73	13	05
	पंजाब		42	06		54	12		30	10		13	07
	राजस्थान		23	04		19	02		13	02		04	–
	गुजरात		14	02		41	–		86	–		11	–
	उप-योग		86	50		123	30		145	51		41	12
भारत-नेपाल और भारत-भूटान	उत्तर प्रदेश	03	07	–	04	–	–	03	02	–	02	08	–
	उत्तराखंड		–	–		01	–		–	–		–	–
	बिहार		–	–		10	–		–	–		01	–
	असम		–	–		02	–		–	–		–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	सिक्किम		–	–		–	–		–	–		–	–
	पश्चिम बंगाल		–	–		–	–		01	–		–	–
	अरुणाचल प्रदेश		–	–		–	–		–	–		–	–
	उप-योग		07	–		13	–		03	–		09	–
भारत-चीन	उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश	06	01	–	02	–	–	02	–	–	01	–	–
	जम्मू और कश्मीर		–	–		–	–		03	–		–	–
	सिक्किम		–	–		–	–		–	–		–	–
	अरुणाचल प्रदेश		08	–		02	–		03	–		02	–
	उप-योग		09	–		02	–		06	–		02	–
भारत-म्यांमार	अरुणाचल प्रदेश	122	09	–	219	35	–	180	43	06	90	33	04
	नागालैंड		42	–		74	–		69	–		23	–
	मणिपुर		69	01		104	01		54	04		30	–
	मिज़ोरम		01	–		05	–		04	–		–	–
	उप-योग		121	01		218	01		170	10		86	04

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे : मैडम, पिछले दस साल से यह देश बनाना रिप्ब्लिक हो गया है। बंगलादेश के लोग आते हैं और हमारे सैनिकों का सर काट कर चले जाते हैं। पाकिस्तान के लोग आते हैं और सैनिकों का सर काट कर चले जाते हैं। जाली नोट का धंधा, ड्रग्स का धंधा, नेपाल का बॉर्डर खुला है, बंगलादेश से इंफिल्ट्रैशन हो रहा है। मैं जिस इलाके से चुन कर आया हूं, उस इलाके का पूरा का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो गया है। चाहे हम असम की बात करें, बिहार की बात करें, या बंगाल की बात करें, जम्मू-कश्मीर में कारगिल जैसी घटना हो जाती है, मुंबई में ताज जैसी घटना हो जाती है। कभी हमारे फ्लाइट का अपहरण हो जाता है। इस तरह की सिचुएशन में सरकार कभी यू.आई.डी. के माध्यम से बंगलादेशी इंफिल्ट्रैटर्स को यहां का नागरिक बनाने का प्रयास करती है, एन.पी.आर. धरा का धरा रह जाता है।

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री निशिकान्त दुबे : इस देश में चारों तरफ से इंफिल्ट्रैशन हो रहा है, चाहे वह चाइना के माध्यम से हो रहा हो, नक्सलिज्म हो, या टेररिज्म हो, इश्यू यह है,...*(व्यवधान)* चूंकि आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप इसको वोट बैंक के लिए कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* मैं इसे हिन्दू और मुस्लिम के तौर पर नहीं देख रहा हूं।...*(व्यवधान)* हमारे यहां जो रेहड़ी वाले, ड्राइवर, नौकर हैं, उनका रोजगार जा रहा है। ...*(व्यवधान)* आप बांगलादेशियों को वोट बैंक के लिए नागरिक बनाना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कल्याण बनर्जी : कौन बनाना चाहता है?... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : जी नहीं, यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे : मेरा सीधा सवाल यह है।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप लोग आपस में बात नहीं करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

श्री कल्याण बनर्जी : महोदया, वे इसका साम्प्रदायिकीकरण नहीं कर सकते। आप इसकी अनुमति नहीं दे सकती। कृपया इसकी अनुमति न दें...*(व्यवधान)* कृपया साम्प्रदायिकीकरण को बढ़ावा न दें। आप अध्यक्ष हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप सभी लोग समझिए कि प्रश्न पूछने वाले भी सक्षम हैं और उत्तर देने वाले भी सक्षम हैं। कृपया क्रॉस टाकिंग नहीं होनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : निशिकांत जी, आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री निशिकान्त दुबे : मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न यह है कि इंफिल्ट्रैशन की जो घटनाएं बढ़ती हैं, उनका कारण यह है कि कहीं आर्मी है, कहीं नेवी है, कहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम इसको देख रही है, कहीं एक्सटरनल अफेयर मिनिस्ट्री इसको देख रही है।...*(व्यवधान)* हम पोटा जैसा कानून इस इंफिल्ट्रैशन को कम

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करने के लिए लाये थे, इस टेररिज्म को कम करने के लिए लाये थे।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप अपना प्रश्न जल्दी पूछिए। क्या आप के पास प्रश्न नहीं है?

...*(व्यवधान)*

श्री निशिकान्त दुबे : क्या भारत सरकार इस इंफिल्ट्रैशन को कम करने के लिए पोटा जैसा कानून लाने के लिए दोबारा सोच रही है?...*(व्यवधान)*

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया,...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी : आप अध्यक्ष हैं...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मैं जानती हूं कि मैं अध्यक्ष हूं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मैं जानती हूं कि मैं अध्यक्ष हूं।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री के उत्तरों से पहले मुझे एक छोटा सा अनुरोध करना है। माननीय सदस्यों को माननीय अध्यक्ष की ओर इशारा नहीं करना चाहिये। माननीय सदस्यों को सम्मान दिखाना चाहिये। वे जो कुछ भी कहना चाहते है वे कह सकते हैं...*(व्यवधान)*।

माननीय अध्यक्ष : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। केवल मंत्री जी का उत्तर ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित होना चाहिये।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह पद्धति नहीं है। बैठिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : ऐसी कोई बात नहीं है, मैं देखूंगी।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह देश की इंटरनल सिक्युरिटी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।...*(व्यवधान)* दुनिया के दूसरे देशों से भारत में जो इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, उसके प्रति सरकार पूरी तरह सजग है।...*(व्यवधान)* साथ ही दूसरे देश और भारत, जिनके बार्डर हैं, उनकी प्रॉपर फैंसिंग की व्यवस्था कुछ पहले की गई थी। लेकिन मैं सदन को यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि बंगलादेश, पाकिस्तान, चाइना के साथ भारत का जो बार्डर है, उसकी लैन्थ कितनी है और कितनी फैंसिंग हो चुकी है। इंडो-बंगलादेश बार्डर जिससे रिलेटेड प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं उन्हें इसकी जानकारी देना चाहूंगा कि इंडो-बंगलादेश बार्डर की लैन्थ एप्रॉक्सीमेटली 4,096.7 किलोमीटर है। लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्युरिटी द्वारा फैंसिंग के लिए जो स्वीकृत है, वह एप्रॉक्सीमेटली 3,326.14 किलोमीटर है जिसमें से 2,823 किलोमीटर बार्डर की फैंसिंग हो चुकी है और केवल 501 किलोमीटर अभी तक सेफ बचा हुआ है जिसमें से 130 किलोमीटर पर प्रॉपर बार्डर फैंसिंग का काम चल रहा है। उसके साथ ही मेघालय से जुड़ा हुआ जो भाग है, उसमें मेघालय सरकार के साथ बातचीत करने के बाद उस पर भी जल्दी से जल्दी काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। जो सेफ बचा हुआ बार्डर है, वहां प्रॉपर फैंसिंग करने में कठिनाई आ रही है। वहां कठिनाई इसलिए आ रही है कि कहीं रेगिस्तान पड़ता है, कहीं कुछ बर्फीले पहाड़ हैं और कहीं पर रिवराइन, नदियां हैं, बड़े-बड़े नाले हैं, बड़े-बड़े तालाब हैं। इस कारण वहां फैंसिंग करने में कठिनाई हो रही है। लेकिन कौन इनफिल्ट्रेटर है, कौन भारत का नागरिक नहीं है, इसे भी आइडैंटीफाई करने के लिए हम लोगों ने एक मुकम्मल व्यवस्था की है।...*(व्यवधान)* स्वयं इसकी चिन्ता करते हुए हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें नेशनल पापुलेशन रजिस्टर तैयार करने वाली अथॉरिटी

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जिसे हम नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कहते हैं, वह ऑलरेडी इस्टैबलिश की जा चुकी है। इसकी और साथ ही यूआईडी दोनों की बैठक बुलाई गई और कहा कि दोनों संस्थाएं म्युचुअल कोआर्डिनेशन के आधार पर यह इंश्योर करें कि यहां टोटल पौपुलेशन कितनी है और इस पौपुलेशन में भारत के सिटिजन कितने हैं। प्रधान मंत्री जी ने इस बात पर भी बल दिया है कि इसमें बहुत लम्बा समय नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि दोनों डिपार्टमैंट बैठकर यह तय करें कि टाइम बाउंड, कितने वर्षों के अंदर इस काम को पूरा किया जा सकेगा। हम इसके माध्यम से जो भी नेशनल पौपुलेशन रजिस्टर तैयार करेंगे, उस माध्यम से इंश्योर कर सकेंगे कि कौन भारत का सिटिजन है, कौन भारत का सिटजन नहीं है।...*(व्यवधान)* जो भारत के सिटिजन हैं, हम उन्हें एक नेशनल आइडैंटिटी कार्ड भी जारी करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खेल

*26. **मोहम्मद फैज़ल :** क्या **कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 2015 में आयोजित होने वाले आगामी राष्ट्रीय खेलों संबंधी तैयारी की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त खेलों की तैयारी का कार्य निर्धारित कार्यक्रमानुसार संतोषजनक तरीके से चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खेलों के सुचारू रूप से आयोजन हेतु क्या सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं/मुहैया कराए जाने की संभावना है;

(घ) उक्त प्रयोजनार्थ अब तक स्वीकृत/जारी और उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार को राष्ट्रीय खेलों हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केरल से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानन्द सोनोवाल) : (क) से (ग) केरल राज्य द्वारा 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों की आयोजन समिति, केरल ने 35वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तारीखें 26 जून, 2014 को घोषित की है। 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 31 जनवरी से 14 फरवरी, 2015 तक किया जाएगा। केरल के 7 जिलों अर्थात् तिरूवनंतपुरम, कोल्लम, अलपूजा, एरनाकुलम, त्रिशूर, कोजीकोड और कन्नूर के 25 खेल स्थलों और अस्थायी ओवरलेज में 34 प्रतियोगिताएं और 2 डेमो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 16 स्टेडिया का नवीकरण और 9 नए स्टेडिया का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। स्टेडिया का नाम, प्रतियोगिता, निर्माण की प्रगति और पूरा होने के संभावित तारीख का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

मैनमकुलम, तिरूवनंतपुरम में 28 एकड़ भूमि में प्रीफैब तकनीक का इस्तेमाल करके एक खेलगांव की स्थापना की जा रही है जिसमें लगभग 5000 प्रतिभागियों और अधिकारियों को ठहराया जाएगा और अन्य केन्द्रों के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एक केन्द्रीकृत होटल/अपार्टमेंट टाइम की आवासीय सुविधा प्रदान की जाए।

केरल के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति 35वें राष्ट्रीय खेलों के सुचारू आयोजन के लिए योजना एवं कार्यक्रम बना रही है। प्रभावी निर्णय लेने के लिए 27 सदस्यों के साथ एक कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया है। केरल सरकार के मंत्रियों की अध्यक्षता में गठित 7 जिला स्तरीय स्थानीय आयोजन समितियां भी जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के समन्वय के लिए सक्रिय हैं।

निश्चित जिम्मेवारियों के साथ 22 राज्य-स्तरीय उप समितियां भी गठित की गई है। पहले चरण के अंतर्गत वरीयता प्राप्त उप समितियां अर्थात तकनीकी समिति, अवसंरचना एवं ओवरलेज, उपस्करों का आयात, आईसीटी, मार्केटिंग, प्रायोजकता आदि ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है और वे उन्हें दिए गए निश्चित कार्य को अंतिम रूप देने के पथ पर अग्रसर है। निश्चित कार्यों के लिए अन्य समितियां गठित की गई हैं और सफल आयोजन के लिए कार्य की योजना और कार्यान्वयन को संतोषजनक रूप से पूरा करने के लिए उन्हें अपेक्षित कार्यबल प्रदान कर दिया गया है।

(घ) योजना आयोग ने केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 30:07 की हिस्सेदारी की शर्त पर परियोजना के लिए 403.36 करोड़ रुपये अनुमोदित एवं संस्तुत किए हैं और केन्द्र के हिस्से के रूप में 121 करोड़ रुपए की कुल राशी की मंजूरी संस्तुत की है। यह राशि केरल सरकार को दो किस्तों में जारी की गई है।

केरल सरकार ने 201.68 करोड़ रुपये (403.36 करोड़ रुपये की परियोजना लागत का 50 प्रतिशत) की केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है। तथापि, योजना आयोग ने 30 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्से की सिफारिश की है। योजना आयोग ने कहा है कि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य श्रेणी के राज्य कुल परियोजना लागत का एकबारगी एसीए के रूप में 30 प्रतिशत अनुदान के पात्र हैं, परियोजना लागत का शेष 70 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। तदनुसार 35वें राष्ट्रीय खेलों के लिए एसीए 121 करोड़ रुपए होता है (403.36 करोड़ रुपऐ की परियोजना लागत का 30 प्रतिशत) और 121 करोड़ रुपए के एसीए की पूर्ण राशि केरल सरकार को जारी कर दी गई है।

केन्द्र के हिस्से के अलावा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल सचिवालय को 144.90 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी कर दी है। राष्ट्रीय खेलों से संबंधित सभी कार्य समापन के अंतिम चरण पर हैं।

(ङ) केरल सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता का कोई निश्चित प्रस्ताव इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

35वें राष्ट्रीय खेलों के लिए अवसंरचनात्मक परियोजनाए नवीकरण कार्य

क्र.सं.	स्थान	स्पर्धा	प्रदत्त सुविधाएं	कार्य की प्रगति	कार्य पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	तरणताल, पीराप्पनकोड, तिरूवनंतपुरम	जलक्रीड़ा	डाइविंग पूल सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर का तरणताल, गैलरी	मुख्य कार्य पूरा हो गया है अतिरिक्त कार्य चल रहे हैं	अगस्त, 2014
2.	यूनिवर्सिटी स्टेडियम, तिरूवनंतपुरम	एथलेटिक्स	सिविल/वैद्युत अनुरक्षण कार्य, फुटबाल टर्फ, फ्लड लाइट, लिफ्ट	नवीकरण कार्य पूरा हो गया है। फ्लड लाइट का कार्य चल रहा है।	अगस्त, 2014
3.	जिमी जार्ज इंडोर स्टेडियम, तिरूवनंतपुरम	जिमनास्टिक, हैंडबाल	सिविल/वैद्युत अनुरक्षण कार्य, वातानुकूलन, नया प्रशिक्षण केन्द्र, अकोस्टिक, बैठने की व्यवस्था, फ्लड लाइट, मैपक लकड़ी की फर्शबंदी	कार्य पूरा हो गया	-
4.	श्रीपदम स्टेडियम, एट्टिंगल	खो-खो और कबड्डी	सड़क, प्रतिधारक दीवार, वैद्युतिकरण	85% पूरा हो गया	जुलाई, 2014
5.	एग्रीकल्चरल कालेज इंडोर स्टेडियम, वेल्लयानी, तिरूवनंतपुरम	ताइक्वांडो एवं नेटबाल	सिविल/वैद्युत अनुरक्षण कार्य, छत, मैपल लकड़ी की फर्शबंदी, ऐरिना लाइटिंग	कार्य पूरा हो गया	-
6.	जी.वी. राजा इंडोर स्टेडियम, शंघुमुगम, तिरूवनंतपुरम	वुशु	छतबंदी, मैपल लकड़ी की फर्शबंदी, ऐरिना लाइटिंग	कार्य पूरा हो गया	-
7.	चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम,	साइकल पोलो	फुटबाल घास का टर्फ, निकास, फेंसिंग,		

1	2	3	4	5	6
	तिरूवनंतपुरम	एवं कलारिपयट्टू (डे मो)	सिंथेटिक ट्रैक, फ्लड लाइट	90% पूरा हो गया	सितम्बर, 2014
8.	एलएनसीपीई वेलोड्रोम, करियावट्टम, तिरूवनंतपुरम	साइक्लिंग	विद्यमान सतह का नवीकरण	भाखेप्रा द्वारा केलोनिवि के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है	अक्तूबर, 2014
9.	कारपोरेशन स्टेडियम, कोलम	रग्बी 7s	गैलरी, टर्फ, पहुंच सड़क	कार्य पूरा हो गया	-
10.	राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम, एरनाकुलम	बैडमिंटन, टेबल टेनिस	वातानुकूलन, अकूस्टिकस, एरिना लाइटिंग, छत	90% कार्य पूरा हो गया	जुलाई, 2014
11.	कारपोरेशन स्टेडियम, त्रिशूर	फूटबाल (महिला/पुरुष)	सिंथेटक फुटबाल टर्फ, गैलरी भवन, फेंसिंग	80% पूरा हो गया, शेष कार्य चल रहा है	सितम्बर, 2014
12.	वीकेएन मेनन इंडोर स्टेडियम, त्रिशूर	जूडो, भारोत्तोलन	तीन मंजिला ब्लॉक, छतबंदी, मैपल लकड़ी की फर्शबंदी, एरिना लाइटिंग, मैपल लकड़ी की फर्शबंदी, अकूस्टिकस	कार्य पूरा हो गया	-
13.	इंडोर स्टेडियम, श्रीप्रयार	मुक्केबाजी (पुरुष/महिला)	अकूस्टिकस, मैपल लकड़ी की फर्शबंदी	कार्य पूरा हो गया	-
14.	वीकेएन मेनन इंडोर स्टेडियम, कोजीकोड	वालीबाल महिला और पुरुष सेपक टाकरो	छत, स्टेयरकेस ब्लॉक, एरिना लाइटिंग, अकूस्टिकस	कार्य पूरा हो गया	-
15.	कारपोरेशन स्टेडियम, कोजीकोड	फुटबाल (महिला/पुरुष)	गैलरी, फुटबाल टर्फ	80% कार्य पूरा हो गया	अगस्त, 2014
16.	टेनिस क्लब, तिरूवनंतपुरम	टेनिस प्रैक्टिस कोर्ट	3 प्रैक्टिस कोर्ट	कार्य आरंभ कर दिया	अक्तूबर, 2014
			नए निर्माण		
17.	बहुउद्देशीय इंडोर हाल, कन्नूर	बास्केटबाल पुरुष और महिला कुश्ती	मैपल लकड़ी की फर्शबंदी वाला नया स्टेडियम, एरिना लाइटिंग, अकूस्टिकस	95% कार्य पूरा हो गया	अगस्त, 2014
18.	मेडिकल कालेज स्थित फुटबाल स्टेडियम, कोजीकोड	फुटबाल	गैलरी, फुटबाल घास का टर्फ, सिंथेटिक ट्रैक	90% कार्य पूरा हो गया	अगस्त, 2014

1	2	3	4	5	6
19.	लॉन बाउल कोर्ट, सीआईएएल, कोच्ची	लॉन बाउल	निकासी व्यवस्था युक्त नया कोर्ट	80% कार्य पूरा हो गया	अगस्त, 2014
20.	स्क्वैश कोर्ट, सीएसएन स्टेडियम, तिरूवनंतपुरम	स्क्वैश	तीन सिंगल कोर्ट और एक डबल कोर्ट	90% कार्य पूरा हो गया	अक्तूबर, 2014
21.	शूटिंग रेंज, वट्टियारकावू, तिरूवनंतपुरम	निशानेबाजी	50 मी., 25 मी., 10 मी. रेंज	70% कार्य पूरा हो गया	अक्तूबर, 2014
22.	नया हाकी स्टेडियम, कोल्लम	हाकी	एस्ट्रो टर्फ हाकी स्टेडियम और गैलरी	77% कार्य पूरा हो गया	सितम्बर, 2014
23.	टेनिस कॉम्पलेक्स, कुमारापुरम, तिरूवनंतपुरम	टेनिस	टेनिस कोर्ट, सुविधा भवन, गैलरी, फ्लड लाइट	30% कार्य पूरा हो गया	अक्तूबर, 2014
24.	ट्रैप और स्कीट आउटडोर गैलरी, शूटिंग रेंज, पुलिस अकादमी, त्रिशूर	शूटिंग ट्रैप और स्कीट	3 रेंज ट्रैप और स्कीट शूटिंग रेंज	कार्य आरंभ कर दिया	अक्तूबर, 2014
25.	ग्रीनफील्ड स्टेडियम, करियावट्टम	उदघाटन और समापन समारोह	अंतरराष्ट्रीय स्तर फुटबाल, क्रिकेट, फ्लडलिट स्टेडियम	प्रथम तल पूरा हो चुका है, द्वितीय तल का कार्य चल रहा है। कार्य केएसएफएल कम्पनी द्वारा किया जा रहा है।	दिसम्बर, 2014

अस्थायी ओवरलेज

क्र.सं.	स्पर्धा	स्थान
1	2	3
1.	तीरंदाजी	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, एरनाकुलम
2.	रोइंग	वेम्बानाद लेक, अलपूजा
3.	कैनोइंग एवं कयाकिंग	वेम्बानाद लेक, अलपूजा
4.	बोट रेस (डेमो)	वेम्बानाद लेक, अलपूजा
5.	फेन्सिंग	सीआईएएल, एरनाकुलम
6.	कराटे	सीआईएएल, एरनाकुलम
7.	थ्रीयाथालोन	कोवलम, बायपास
8.	याटिंग	मुनामबाम, एरनाकुलम
9.	बीच हैंडबाल	शंघुमुगम, तिरूवनंतपुरम
10.	बीच वालीबाल	कोजीकोड बीच

उपर्युक्त अस्थायी ओवेरलेज और स्टेडिया के लिए आवश्यक ओवरलेज को खेलों के आयोजन से दो महीने पूर्व पूरा कर दिया जाएगा।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

***27. श्री एंटो एन्टोनी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक विवरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही के महीनों के दौरान देश में खाद्यान्नों, दलहनों, खाद्य तेलों और प्याज सहित सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कीमतों में वृद्धि के कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक विवरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जी, हां। वस्तु-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि परिवहन लागत में बढ़ोतरी, बारिश कम होने की आशंका, आपूर्ति संबंधी बाधाएं और जमाखोरी एवं चोरबाजारी के कारण कृत्रिम कमी जैसे अनेक कारणों के चलते होती है।

(ग) खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में सुधार और मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा हाल में किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

* आलू के लिए 26.06.2014 से न्यूनतम निर्यात मूल्य 450 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन और प्याज के लिए 02.07.2014 से 500 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तय किया गया है।

* राज्यों को फलों और सब्जियों को एपीएमसी अधिनियम की सूची से हटाकर उनके मुक्त संचलन की अनुमति देने की सलाह दी गई है।

* सरकार ने उन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए 5 मिलियन टन अतिरिक्त चावल जारी करने का अनुमोदन कर दिया है जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं हुआ है।

* राज्य सरकारों को जमाखोरी और चोर-बाजारी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा चोर-बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 को कारगर तरीके से लागू करने की सलाह दी गई है।

* सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 03 जुलाई, 2014 से एक वर्ष की अवधि के लिए आलू और प्याज के संबंध में स्टॉक सीमाएं अधिरोपित कर दी हैं।

विवरण

अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्य

(रु./कि.ग्रा.)

क्र.सं.	वस्तु	जनवरी, 2014	जून, 2014
1.	चावल	27	28
2.	गेहूं	22	21
3.	चना दाल	50	47
4.	अरहर दाल	70	70
5.	उड़द दाल	64	71
6.	मूंग दाल	79	87
7.	मसूर दाल	59	65
8.	मूंगफली का तेल (पैक बंद)	122	119
9.	सरसों का तेल (पैक बंद)	99	97
10.	वनस्पति (पैक बंद)	75	76
11.	सोया तेल (पैक बंद)	85	84
12.	सूरज मुखी का तेल (पैक बंद)	97	95
13.	पॉम ऑयल (पैक बंद)	71	71
14.	आलू	18	22
15.	प्याज	22	21
16.	टमाटर	20	18

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

खाद्यान्नों की खरीद में गिरावट

*28. **श्री नलीन कुमार कटील** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों की खरीद का फसल-वार, और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्पादन में कमी के कारण वर्ष 2014-15 के दौरान खाद्यान्नों की खरीद में गिरावट आने की सम्भावना है और यदि हां, तो इस संबंध में लगाए गए अनुमानों और खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने हेतु बनाई गई आकस्मिक योजनाएं, यदि कोई हैं, का फसल-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू आवश्यकता को पूरा करने और मूल्यों पर नियंत्रण रखने हेतु केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खाद्यान्नों का वर्तमान स्टॉक कितना है तथा आगामी वर्ष के दौरान उनकी अनुमानित आवश्यकता कितनी होगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) पिछले दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में खरीदे गए खाद्यान्नों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2014-15 के उत्पादन का अभी अनुमान लगाना जल्दबाजी होगा। खाद्यान्नों की खरीद में कमी होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि आम तौर पर खरीद खाद्यान्नों की समग्र उत्पादन का 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के बीच रहती है। घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है।

(घ) दिनांक 01 जून, 2014 को 282.57 लाख टन चावल (76.2 लाख टन चावल के बराबर अन्मिल्ड धान) तथा 415.56 लाख टन गेहूं केन्द्रीय पूल में उपलब्ध था। खरीफ विपणन मौसम 2014-15 में खरीदे जाने वाले चावल की संभावित मात्रा को जोड़ते हुए वर्ष 2014-15 में खाद्यान्नों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टॉक का स्तर काफी अधिक होगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अन्य कल्याणकारी स्कीमों तथा अतिरिक्त आबंटन करने के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान 352.05 लाख टन चावल एवं 231.13 लाख टन गेहूं की आवश्यकता होगी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार खाद्यानों की खरीद

चावल की खरीद

(मात्रा लाख टन में)

राज्य	खरीफ विपणन मौसम*		
	2011-12	2012-13	2013-14$
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	75.42	64.86	74.61
असम	0.23	0.2	0.002
बिहार	15.34	13.03	8.28
छत्तीसगढ़	41.15	48.04	42.85

1	2	3	4
गुजरात	0.04	0.0008	0
हरियाणा	20.07	26.09	24.06
हिमाचल प्रदेश	0.05	0.00723	0
झारखंड	2.75	2.15	0.003
कर्नाटक	3.56	0.59	0
केरल	3.76	2.4	3.58
मध्य प्रदेश	6.35	8.98	10.52
महाराष्ट्र	1.78	1.92	1.58
ओडिशा	28.66	36.14	28.11
पंजाब	77.31	85.58	81.06
राजस्थान	0	0	0
तमिलनाडु	15.96	4.81	6.18
उत्तर प्रदेश	33.57	22.86	11.23
उत्तराखंड	3.78	4.97	4.53
पश्चिम बंगाल	20.41	17.66	10.09
अखिल भारत जोड़	350.41	340.44	306.85

$01.07.2014 के अनुसार स्थिति।

*खरीफ विपणन मौसम 1 अक्तूबर से शुरू होता है और 30 सितंबर को समाप्त होता है।

गेहूं की खरीद

(मात्रा लाख टन में)

राज्य	रबी विपणन मौसम*		
	2012-13	2013-14	2014-15$
1	2	3	4
पंजाब	128.34	108.97	116.41
हरियाणा	86.65	58.73	64.95

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	50.63	6.82	5.98
मध्य प्रदेश	84.93	63.55	70.94
बिहार	7.72	0	0
राजस्थान	19.64	12.68	21.58
उत्तराखंड	1.39	0.05	0.01
गुजरात	1.56	0	0
महाराष्ट्र	0.03	0	0
पश्चिम बंगाल	0.02	0.02	0
अखिल भारत जोड़	381.48	250.92	279.94

$01.07.2014 के अनुसार स्थिति।

*रबी विपणन मौसम 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है।

मोटे अनाज की खरीद

(मात्रा हजार टन में)

राज्य	खरीफ विपणन मौसम*		
	2011-12	2012-13	2013-14$
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	0	0	316
छत्तीसगढ़	1	0	2.5
हरियाणा	17	0	0
कर्नाटक	1	0	729
मध्य प्रदेश	17	8	86
महाराष्ट्र		64	95
अखिल भारत जोड़	36	72	1230

$01.07.2014 की स्थिति के अनुसार।

*खरीफ विपणन मौसम 1 अक्तूबर से शुरू होता है और 30 सितंबर को समाप्त होता है।

खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता

***29. श्रीमती के. मरगथम : क्या कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलकूद स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इससे कितने खिलाड़ी लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) देश में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानन्द सोनोवाल) : (क) जी, हां।

(ख) 'खेल' राज्य का विषय है। किसी खेल विधा के विकास और संवर्धन का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित खेल परिसंघों और राज्य सरकारों का है। भारत सरकार सम्मत दीर्घावधि विकास योजनाओं के अनुसार विदेशों में अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों/टीमों की भागीदारी, भारतीय और विदेशी कोचों के माध्यम से खिलाड़ियों/टीमों के प्रशिक्षण/कोचिंग, उपकरणों तथा उपभोज्य वस्तुओं की खरीद आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों की पूर्ति करती है। खिलाड़ियों की प्रतिभागिता को सरल तथा कारगर बनाने के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर श्रेणियों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के आयोजन के लिए 'प्राथमिकता' एवं 'सामान्य' श्रेणी की खेल विधाओं से संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों को 2.00 लाख रुपए की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 'अन्यों' की श्रेणी की खेल विधाओं के लिए यह सहायता जूनियर और सीनियर श्रेणियों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के आयोजन के लिए दी जाती है। खेल विधाओं कि सभी श्रेणियों के लिए जोनल चैम्पियनशिपों के आयोजन के लिए भी 1.00 लाख रुपए की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है। सीनियर श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तपर्धाओं के आयोजन के लिए अनिवार्य स्पर्धाओं यथा विश्व कम/राष्ट्रमंडल/एशियाई चैम्पियनशिप के लिए 'प्राथमिकता श्रेणी' की खेल विधाओं संबंधी राष्ट्रीय खेल परिसंघों को 10.00 लाख रुपए दिए जाते हैं और अन्य अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के आयोजन के लिए 6.00 लाख रुपए वित्तीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय खेल परिसंघों को जोनल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के आयोजन के लिए दी गई 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता को 'ए' श्रेणी के शहरों में प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी 1000 रुपए की दर से और अन्य शहरों में प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी 700 रुपए की दर से खिलाड़ियों के भोजन और आवास तथा परिवहन पर खर्च करना होता है। विदेशों में आयोजित स्पर्धाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राथमिकता एवं सामान्य श्रेणी की खेल विधाओं के लिए दी जाती है जिसमें हवाई यात्रा, चिकित्सा बीमा, स्थानीय परिवहन आदि की लागत शामिल है। इसके अलावा इन खेल विधाओं के खिलाड़ियों के लिए निम्नलिखित दरों पर भोजन/आवास सुविधा भी प्रदान की जाती है:-

(i) **जब भोजन और आवास सुविधा आयोजकों द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है:**

(भारत सरकार की दरों के अनुसार दैनिक भत्ता का 25 प्रतिशत)

(ii) **जब आयोजक भुगतान पर भोजन और आवास की व्यवस्था करते हैं:**

(आवास के लिए आयोजकों द्वारा जारी ब्रोशर में ट्वीन शेयर आवास के लिए उल्लिखित दर और भारत सरकार की दरों के अनुसार दैनिक भत्ता का 25 प्रतिशत)

(iii) **जब राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा स्वयं व्यवस्था करते हैं:**

(भोजन और आवास के लिए 75 अमेरिकन डॉलर की सीमा और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार दैनिक भत्ता।)

सरकार ने स्कूली बच्चों में फुटबाल और हॉकी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघ के रूप में क्रमशः सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्टस एजुकेशन सोसाइटी और जवाहरलाल नेहरू हाकी टूर्नामेंट सोसाइटी को भी मान्यता प्रदान की है। इन सोसाइटियों को स्कूल स्तर पर राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के आयोजन के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों के समतुल्य वित्तीय सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खेल परिसंघों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता।

(ग) सरकार देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है। राजीव गांधी खेल अभियान के अंतर्गत देश की सभी ग्रामीण ब्लॉक पंचायतों में 1.76 करोड़ रुपये प्रति

खेल परिसर की लागत से एकीकृत खेल परिसरों का निर्माण किया जाएगा और प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस) के अंतर्गत सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और सिंथेटिक हॉकी फील्ड बिछाने तथा बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण के लिए 4.5 करोड़ रुपये से लेकर 6.00 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय खेल विकास निधि के तहत विदेशों में अनुकूलन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त नि:शक्तजनों में खेलों के संवर्धन, खेलों में मानव संसाधन विकास, मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन, खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों और नकद पुरस्कारों की स्कीमें भी हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण विभिन्न संवर्धन स्कीमों को भी कार्यान्वित करता है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों को अनुभवी कोचों द्वारा वैज्ञानिक सहायता सहित प्रशिक्षण दिया जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय खेल परिसंघों को केन्द्रीय फंडिंग का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	परिसंघों के नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15* (जून, 2014 तक)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	भारतीय एथलेटिक परिसंघ, नई दिल्ली	790.00	81.04	1014.37		1885.41
2.	भारतीय तीरंदाजी संघ, नई दिल्ली	606.00	143.27	1000.57		1749.84
3.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ, चेन्नै	162.13	253.94	232.08	6.00	654.15
4.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, नई दिल्ली	1440.00	561.47	1960.68		3962.15
5.	अखिल भारतीय टेनिस संघ, नई दिल्ली	11.29	34.11	228.74	12.00	286.14
6.	भारतीय जूडो परिसंघ, नई दिल्ली	425.00	108.52	250.22	2.00	785.74
7.	भारतीय रोइंग परिसंघ सिकंदराबाद	319.00	52.25	361.52	1.00	733.77
8.	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ, नई दिल्ली	360.00	379.51	331.31	4.00	1074.82
9.	भारतीय तैराकी परिसंघ, अहमदाबाद	122.00	131.28	167.54		420.82
10.	भारतीय स्क्वैश रैकेट परिसंघ, चेन्नै	68.40	33.12	177.50		279.02
11.	भारतीय एमेच्योरे बाक्सिंग परिसंघ, नई दिल्ली	1531.00	238.71	1145.49		2915.20
12.	हॉकी (पु.) एवं हाकी (महिला) से संबंधित संगठन	1809.00	565.20	1268.19		3642.39
13.	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ, नई दिल्ली	567.00	229.35	530.22	1.00	1327.57
14.	भारतीय बैडमिंटन संघ	910.00	382.72	1106.35		2399.07

1	2	3	4	5	6	7
15.	भारतीय घुडसवारी परिसंघ, नई दिल्ली	0.00	23.37	27.46		50.83
16.	अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ	174.99	288.14	394.70		857.83
17.	भारतीय गोल्फ यूनियन, नई दिल्ली	23.53	70.76	106.46		200.75
18.	भारतीय कुश्ती परिसंघ, आईजी स्टेडियम, दिल्ली	983.00	692.04	1429.12		3104.16
19.	भारतीय यार्टिंग संघ, नई दिल्ली	255.00	51.66	142.75		449.41
20.	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ, जयपुर	121.00	11.44	74.00	16.00	222.44
21.	भारतीय वालीबाल परिसंघ, चेन्नै	84.68	153.38	310.65	1.50	550.21
22.	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ, जोधपुर	636.00	0.00	119.26		755.26
23.	भारतीय एमेच्योर हैण्डबाल परिसंघ, जम्मू व कश्मीर	78.70	46.33	146.18	3.50	274.71
24.	भारतीय बास्केटबाल परिसंघ, नई दिल्ली	227.89	40.23	227.62		495.74
25.	भारतीय फेंसिंग संघ, पटियाला	36.06	9.00	0.00		45.06
26.	भारतीय कयाकिंग व केनोइंग संघ, नई दिल्ली	185.72	64.64	182.27		432.63
27.	बधिरों हेतु अखिल भारतीय खेल परिषद, नई दिल्ली	75.82	59.07	87.49		222.38
28.	भारतीय पैराओलंपिक कमिटि, बंगलौर	13.38	175.46	143.40		332.24
29.	विशेष ओलंपिक भारत, नई दिल्ली	285.89	69.28	274.51	11.59	641.27
30.	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ, नई दिल्ली	10.96	7.83	30.57	2.25	51.61
31.	भारतीय एमेच्योर बेसबाल परिसंघ, नई दिल्ली	12.75	9.75	11.75		34.25
32.	भारतीय आत्या-पात्या परिसंघ, नागपुर	10.50	13.50	14.00	1.25	39.25
33.	भारतीय साइकल पोलो परिसंघ, नई दिल्ली	12.00	17.55	27.52		57.07
34.	भारतीय पावर लिफ्टिंग परिसंघ	0.00	3.50	10.25	5.25	19.00
35.	भारतीय खो-खो परिसंघ, कोलाकाता	16.50	16.50	3.00	6.75	42.75
36.	भारतीय कोर्फबाल परिसंघ, नई दिल्ली	2.50	0.00	0.00		2.50
37.	भारतीय सेपक टाकरों परिसंघ, नागपुर	12.00	12.00	64.60	1.00	89.60
38.	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ, नई दिल्ली	12.00	1.50	14.22		27.72
39.	भारतीय साफ्टबाल परिसंघ, इंदौर	11.75	21.00	15. 00		47.75
40.	भारतीय ताइक्वांडों परिसंघ, बंगलौर	490.00	28.05	332.13		850.18

1	2	3	4	5	6	7
41.	भारतीय टेनीक्वाइट परिसंघ, बंगलौर	15.25	14.00	15.70	2.00	46.95
42.	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ, गोरखपुर	8.50	0.00	28.50	2.00	39.00
43.	भारतीय रस्काकशी परिसंघ, नई दिल्ली	11.25	9.25	10.75	2.75	34.00
44.	भारतीय वुशू संघ, नई दिल्ली	90.56	75.28	158.60	6.25	330.69
45.	भारतीय बिलियडर्स एवं स्नूकर परिसंघ, कोलकाता	50.20	88.98	164.80	7.50	311.48
46.	भारतीय साइक्लिंग परिसंघ	0.00	58.34	309.83	5.00	373.17
47.	भारतीय एमेच्योर साफ्ट टेनिस परिसंघ	11.75	12.22	17.50		41.47
48.	भारतीय ब्रिज परिसंघ	0.00	4.50	5.22		9.72
49.	आइस हॉकी (एनएसपीओ), नई दिल्ली	0.00	1.00	0.50	2.00	3.50
50.	भारतीय स्कूल गेम्स परिसंघ, भोपाल	0.00	6.14	61.52		67.66
51.	भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, नई दिल्ली	39.54	284.44	0.00		323.98
52.	भा.खे.प्रा., जे.एन. स्टेडियम, नई दिल्ली	322.00	7387.77			7709.77
53.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एनएसपीओ)	160.89	8.09	186.01		354.99
54.	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	0.00	18.69	13.25	1.00	32.94
55.	भारतीय रोल बाल परिसंघ	0.00	0.00	4.51		4.51
56.	भारतीय जंप रोप परिसंघ	0.00	8.09	9.50	3.00	20.59
57.	भारतीय विंटर गेम्स परिसंघ	0.00	0.00	2.97		2.97
58.	सुबर्तो मुखर्जी एजुकेशन सोसाइटी			7.50		7.50
59.	जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट सोसाइटी			8.87		8.87
		13603.38	13057.26	14969.22	106.59	41736.45
	राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों और विदेशी कोचों के वेतन के लिए जारी निधि		5368.67	7822.06		

*अस्थायी

विदेशों द्वारा वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन

***30. श्री राजीव सातव :**

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत में देश में परमाणु संयंत्रों और कोलफील्ड्स के विरुद्ध आंदोलन चलाने में ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के कथित रूप से शामिल होने की आसूचना संबंधी जानकारी प्राप्त हुई है, जिन्हें विदेशों से धन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) ऐसी धनराशि प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई जांच कराने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) ऐसी सूचनाएं प्राप्त होने पर, संघों द्वारा दाखिल की गई वार्षिक विवरणियों और उन्हें दी गई प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर, कथित संघों के संबंध में प्रारंभिक छान-बीन की जाती है। इसके पश्चात्, विदेशी अभिदाय की प्राप्ति का पता लगाने और इसके उचित उपयोग का सत्यापन करने के लिए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 20 और 23 के तहत ऐसे संघों के रिकॉर्डों और खातों की जांच की जाती है।

जिन गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान सूचनाएं प्राप्त हुए थीं, उनमें तूतीकोरिन डायोसेसन एसोसिएशन, तूतीकोरिन, ईस्ट कोस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, थूथुकुडी, सेंटर फॉर प्रमोशन एंड सोसल कन्सर्न, मदुरै और ग्रीनपीस इंडिया, चेन्नई शामिल हैं।

रिकॉर्डों की जांच करने के पश्चात्, ऐसी संघ के विरुद्ध विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के गंभीर उल्लंघन का महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है, तो ऐसे संघ को विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से रोकने, उसके बैंक खातों पर रोक लगाने और एफसीआरए के तहत उनका पंजीकरण रद्द करने के अलावा इसकी आगे जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए मामले को सीबीआई/राज्य पुलिस को भेज दिया जाता है।

[हिन्दी]

बंद पड़े/रुग्ण उर्वरक संयंत्रों का पुनरुद्धार

*31. **योगी आदित्यनाथ :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कुल कितने संयंत्र/एकक चालू हैं;

(ख) देश में बंद पड़े/रुग्ण उर्वरक संयंत्रों/एककों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे संयंत्रों/एककों का पुनरुद्धार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनके पुनरुद्धार हेतु संयंत्र/एकक-वार अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री अनन्तकुमार) : (क) इस समय हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की कोई इकाई प्रचालन में नहीं है क्योंकि सभी तीनों इकाइयां नामतः बरौनी, दुर्गापुर और हल्दिया 2002 से बंद पड़ी हैं।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बंद/रुग्ण उर्वरक संयंत्रों/इकाइयों का ब्यौरा, कारणों सहित, इस प्रकार है:-

रुग्ण पीएसयू का नाम	इकाई/राज्य	बंदी/रुग्णता के कारण
1	2	3
फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल)	सिंदरी/झारखंड गोरखपुर/ उत्तर प्रदेश तलचर/ओडिशा रामागुंडम/आन्ध्र प्रदेश कोरबा/छत्तीसगढ़	तकनीकी और प्रचालनों की वित्तीय अव्यवहार्यता के कारण एफसीआईएल और एचएफसीएल की लगातार होती हुई हानि को देखते हुए सरकार ने एफसीआईएल और एचएफसीएल की सभी इकाइयों को 2002 में बंद करने का निर्णय लिया था।
हिंदुस्तान फर्टिलाजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल)	बरौनी/बिहार हल्दिया/पश्चिम बंगाल दुर्गापुर/पश्चिम बंगाल	
मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड (एमएफएल)	मणलि, चेन्नई/तमिलनाडु	सरकार द्वारा यूरिया मूल्य निर्धारण नीति में परिवर्तन करने से कंपनी के वित्तीय निष्पादन पर नकारात्मक असर पड़ा। यूरिया के लिए नई मूल्य निर्धारण-योजना

1	2	3
		(एनपीएस) 1.4.2003 से शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत लागत जमा आधार पर इकाई विशेष के प्रतिधारण मूल्य की गणना करने की पुरानी प्रणाली के स्थान पर समूह आधारित मानकीय लागत प्रणाली शुरू की गई थी। 1.4.2003 से एनपीएस शुरू करने से कंपनी पर हानिकारक प्रभाव पड़ा क्योंकि 1995 रु./मी.टन की अल्प वसूली होने लगी थी। इसके अलावा, मिश्रित उर्वरकों के लिए 1.4.2002 से लागू मूल्य रियायत योजना से इसके अग्रणी उत्पाद एनपीके 17-17-17 में 'एन' की लागत के लिए कंपनी की पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं हुई। इसके अलावा उत्पादों के दक्षता अनुपात भी संयंत्र के पुरानेपन के कारण कम थे इसलिए उत्पादन पर लागत अधिक आती थी और इष्टतम उत्पादन नहीं हो पाता था।
फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट)	कोच्चि/केरल	2002-03 से 2007-08 तक के दौरान मिश्रित उर्वरकों के लिए पहले वाली मूल्य रियायत योजना की विसंगतियों, 1994 में अमोनियम सल्फेट को नियंत्रणमुक्त करने और 2003 में यूरिया के लिए समूह मूल्य निर्धारण योजना शुरू करने के कारण फैक्ट का वित्तीय निष्पादन नकारात्मक हो गया और अव्यवहार्य आर्थिक स्थिति तथा अमोनिया का आयात करने के कंपनी के विकल्प पर प्रतिबंध लगने के कारण यूरिया उत्पादन बंद करना पड़ा।
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)	नामरूप/असम	बीवीएफसीएल कम क्षमता उपयोग और ऊर्जा खपत के कारण शुरू से ही वित्तीय हानि उठा रही है। पुरानी तकनीक, उपस्कर की विफलता और प्राकृतिक गैस की कमी के कारण संयंत्र अल्प निष्पादन कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जी हां, सरकार ने बंद/रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल)

वर्ष 2008 में, मंत्रिमंडल ने फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की इकाइयों के पुनरुद्धार को इस शर्त के आधार पर अनुमोदित किया था कि सरकार से वित्त-पोषण न लिया जाए और भारत सरकार के ऋण तथा ब्याज को यथापेक्षित बट्टे खाते में डालने पर विचार किया जाए बशर्ते कि माफी पर अंतिम निर्णय के लिए पूर्ण अनुबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं। इन बंद इकाइयों का पुनरुद्धार पीएसयू द्वारा नामांकन प्रक्रिया तथा निजी क्षेत्र द्वारा निविदा प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। यह निर्णय लिया गया कि एफसीआईएल की सिंदरी, तलचर और रामागुण्डम इकाइयों का नामांकन आधार पर पुनरुद्धार किया जाएगा जबकि एफसीआईएल की गोरखपुर और कोरबा इकाइयों तथा एचएफसीएल की दुर्गापुर, हल्दिया और बरौनी इकाइयों का पुनरुद्धार निविदा प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा।

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने अगस्त, 2011 में एफसीआईएल और एचएफसीएल की सभी इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए पुनर्गठन योजना के प्रारूप (डीआरएस) को अनुमोदित किया था। डीआरएस में तलचर इकाई के पुनरुद्धार की मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ), मैसर्स कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा मैसर्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) के परिसंघ द्वारा, रामागुण्डम इकाई का मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) तथा मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) के परिसंघ द्वारा तथा सिंदरी इकाई का मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा पुनरुद्धार की परिकल्पना की गई थी।

बाद में सीसीईए ने 2013 में अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार के ऋण और ब्याज को माफ करने के लिए अनुमोदन दिया ताकि एफसीआईएल सकारात्मक निवल मूल्य प्राप्त कर सके। इससे एफसीआईएल औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के दायरे से बाहर निकलने में समर्थ हो गई। एचएफसीएल इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए प्रस्ताव/कार्य योजना को एफसीआईएल इकाइयों का पुनरुद्धार कार्य सुचारू हो जाने के बाद शुरू किया जाएगा।

तलचर इकाई के लिए दो संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनियों की स्थापना करने का प्रस्ताव है अर्थात् पहली कंपनी गेल के साथ अपस्ट्रीम कोयला गैसीकरण खण्ड के लिए तथा दूसरी कंपनी जिसमें आरसीएफ, सीआईएल और एफसीआईएल शामिल हैं, अमोनिया-यूरिया, नाइट्रिक एसिड, अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र, ऑफ साइटों और उपयोगिताओं के डाउनस्ट्रीम खण्ड के लिए पीएसयू के परिसंघ अर्थात् सीआईएल, आरसीएफ, गेल और एफसीआईएल के बीच समझौता-ज्ञापन पर दिनांक 5.9.2013 को हस्ताक्षर किए गए हैं। गेल ने कोयला गैसीकरण तकनीक के चयन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी कर दी है। ईओआई प्रस्तुत करने की तारीख 31.07.2014 है।

रामागुण्डम परियोजना के लिए ईआईएल और एनएफएल के बीच जेवी करार और रियायत करार पर चर्चा की जा रही है और इन्हें 30 जुलाई, 2014 तक अपने-अपने निदेशक मंडलों से निष्कर्ष/अनुमोदन प्राप्त करना है। ईआईएल स्वयं परियोजना के लिए इंजीनियरिंग और परियोजना निर्माण कार्य हाथ में लेगी।

सिंदरी इकाई के लिए सेल-सिंदरी प्राजेक्ट्स लिमिटेड (एसएसपीएल), सेल के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को एफसीआईएल की सिंदरी इकाई का पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से नवंबर, 2011 में निगमित किया गया है। तथापि, इस्पात संयंत्र के लिए लगभग 3000 एकड़ इकट्ठी भूमि उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण इसमें ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। एफसीआईएल के पास सिंदरी में कुल 6652 एकड़ भूमि में से केवल 498 एकड़ (मौजूदा उर्वरक संयंत्र का क्षेत्र) अतिक्रमण-मुक्त इक्ट्ठी भूमि है जबकि सेल द्वारा प्रस्तावित सुविधाएं स्थापित करने के लिए 3247 एकड़ अतिक्रमण-मुक्त इकट्ठी भूमि की आवश्यकता है।

मद्रास फर्टिलाजर लिमिटेड :

सरकार निम्नलिखित राहतों की मांग करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) के साथ एक वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव ला रही है:

देनदारियों को बट्टे खाते डालना

i. 554.24 करोड़ रु. का बकाया ऋण (31 मार्च, 2014 के अनुसार)

ii. 345.30 करोड़ रु. का बकाया ब्याज और उस पर दंड ब्याज (31 मार्च, 2014 के अनुसार)

उदार और लचीली सरकारी नीति

i. प्राकृतिक गैस में परिवर्तित किए जाने तक एनपीएस चरण-III के अंतर्गत मूल्य निर्धारण व्यवस्था में विशेष छूट जारी रखना।

ii. प्राकृतिक गैस में परिवर्तित किए जाने तक एनबीएस के अंतर्गत नेफ्था आधारित कैप्टिव अमोनिया के जरिए 'एन' का स्रोतीकरण करने हेतु अतिरिक्त राजसहायता जारी रखना।

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)

सरकार ने बीवीएफसीएल के वित्तीय पुनर्गठन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) के समक्ष प्रस्ताव रखा था। बीआरपीएसई ने निम्नलिखित वित्तीय पुनर्गठन योजना की सिफारिश की है:

i. भारत सरकार के ऋण पर 31.03.2013 तक 566.20 करोड़ रुपये के कुल संचयी ब्याज को माफ करना।

ii. नामरूप-I के पुनरुद्धार हेतु लिए गए 21.96 करोड़ रुपये के ऋण को माफ करना, क्योंकि इस संयंत्र को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

iii. कंपनी को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण को ब्याज-मुक्त ऋण में परिवर्तित करना।

iv. कंपनी लाभ में चलने के पश्चात् 2013-14 से भारत सरकार का ऋण चुकाएगी।

v. नामरूप-III के लिए, परियोजना के पुनरुद्धार हेतु 31.03.2003 के बाद खर्च किए गए 79.62 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय को एनपीएस-III के अंतर्गत यूरिया की रियायत दर निकालते समय भारत सरकार द्वारा मान्यता दी जाए।

बोर्ड ने यह सिफारिश भी की कि उपर्युक्त वित्तीय पुनर्गठन योजना नए ब्राउन फील्ड संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव के भाग के रूप में होनी चाहिए ताकि एक पूर्व अनुबंधित व्यापक पुनरुद्धार योजना तैयार की जा सके।

बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर उपर्युक्त वित्तीय राहत मांगने और नामरूप में एक नया अमोनिया यूरिया परिसर स्थापित करने के लिए एक सीसीईए प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है।

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट)

सरकार ने फैक्ट के वित्तीय पुनर्गठन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) के समक्ष प्रस्ताव रखा था। बीआरपीएसई ने निम्नलिखित वित्तीय पुनर्गठन योजना की सिफारिश की है:

(क) निधियां जारी करना

i. अतिरिक्त बैंक उधारी का भुगतान करने के लिए 2 वर्ष की छूट अवधि के बाद 10 वर्ष में देय 300 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण की स्वीकृति का अनुमोदन।

ii. आपूर्तिकर्ताओं और एलआईसी को ग्रेच्युटी के कारण देय 250 करोड़ रुपये के अनुदान की स्वीकृति के लिए अनुमोदन।

(ख) भारत सरकार के ऋण और ब्याज को बट्टे खाते डालना

i. 31.03.2013 के अनुसार, 282.73 करोड़ रुपये के बकाया ऋण को बट्टे खाते डालने के लिए अनुमोदन।

i. 31.03.2013 के अनुसार, 159.17 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज को बट्टे खाते डालने हेतु अनुमोदन।

तद्नुसार, फैक्ट को उपर्युक्त वित्तीय राहत की स्वीकृति हेतु सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव जांच पड़ताल के अधीन है।

जेनेरिक औषधियों को बढ़ावा देना

***32. श्री हंसराज गंगाराम अहीर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापरक जेनेरिक औषधियों की बिक्री को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में जेनेरिक औषधियों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार औषधियों की बढ़ती कीमतों और भेषज कंपनियों द्वारा की जा रही मुनाफाखोरी को देखते हुए मूल्य नियंत्रण के अध्यधीन अनुसूचित औषधों की सूची में और औषधियों को शामिल करने का भी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा आम आदमी को वहनीय मूल्यों पर औषधियां मुहैया कराने हेतु अन्य क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार की नीति देश में वहनीय मूल्यों पर जेनरिक औषधियों को बढ़ावा देने की है। औषध विभाग ने जन औषधि स्टोरों (जेएएस) के माध्यम से वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए नवंबर, 2008 में जन औषधि स्कीम शुरू की है। औषध विभाग ने जन औषधि स्टोरों (जेएएस) के जरिए वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने हेतु नवंबर, 2008 में जन औषधि स्कीम शुरू की है। अब तक पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और त्रिपुरा राज्यों में 164 जेएएस खोले गए हैं। 87 जेएएस कार्य कर रहे हैं। इस स्कीम के कार्यान्वयन में आई कमियों को दूर करने के लिए अगस्त, 2013 में एक नई कारबार योजना अनुमोदित की गई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश में जेनरिक औषधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहा है और इस संबंध में अनेक उपाय किए हैं।

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 680 फार्मूलेशन पैकों को कवर करते हुए 348 दवाओं वाली राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम), 2011 प्रकाशित की है जिन्हें औषध विभाग द्वारा डीपीसीओ, 2013 के मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत शामिल किया गया है। 30 जून,

2014 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने डीपीसीओ, 2013 के अधीन 440 फार्मूलेशनों के उच्चतम मूल्य निर्धारित किए हैं और अधिसूचित दवाओं के मूल्यों में पर्याप्त कमी की गई है। एनएलईएम का संशोधन एक गतिशील प्रक्रिया है और जनहित में एनएलईएम में किसी भी औषधि को शामिल किया जा सकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनएलईएम, 2011 को संशोधित करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है जिसके लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश में जेनरिक औषधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहा है और इसके लिए अनेक उपाय किए हैं जो निम्नवत् हैं:

i. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में की गई मांगों के आधार पर नि:शुल्क जेनरिक/आवश्यक औषधियां प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। राज्यों को उनकी आवश्यक दवा सूची (ईडीएल), मानक उपचार दिशा निर्देश (एसटीजी), विवेकपूर्ण औषधि इस्तेमाल के संवर्धन प्रेस्क्रिप्शन आडिट आदि के अध्यधीन संसाधन आवंटन के 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त निधियों का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खरीद, गुणवत्ता आश्वासन, संभार तंत्र और आईटी की सुदृढ़ पद्धतियां स्थापित करने अथवा उनकी स्थापना के लिए सहमत होने के अध्यधीन नि:शुल्क औषधियां प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-मुफ्त औषधि सेवा के अंतर्गत राज्यों के वार्षिक आवंटन के भीतर पर्याप्त निधियां भी प्रदान की जाती हैं।

ii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केवल उपर्युक्त/जेनरिक नामों से औषधियों की बिक्री अथवा वितरण करने के लिए विनिर्माता को लाइसेंस प्रदान करने/उसका नवीनीकरण करने के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 33पी के अधीन दिनांक 1.10.2012 को सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निदेश जारी किए हैं।

iii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय डाक्टरों को अधिक से अधिक संभव सीमा तक जेनरिक दवाएं लिखने के लिए प्रोत्साहित करने/प्रेरित करने हेतु सभी केन्द्र सरकारी अस्पतालों, सीजीएचएस औषधालयों और राज्य सरकारों को समय-समय पर बार-बार परिपत्र/अनुदेश जारी कर रहा है।

[अनुवाद]

मृदा उर्वरा शक्ति कार्ड

*33. **श्री धनंजय महाडीक :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को जारी किए गए 'मृदा उर्वरा शक्ति कार्डों' के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और उनमें अंतर्विष्ट जानकारी का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा किसानों को जारी किए गए 'मृदा उर्वरा शक्ति कार्डों' की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकर का विचार पूरे देश में सभी किसानों को 'मृदा उर्वरा शक्ति कार्ड' प्रदान कराने हेतु एक व्यापक योजना शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में सभी किसानों को ऐसे कार्ड कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है?

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : (क) मृदा उर्वरा शक्ति कार्ड किसानों को विभिन्न फसलों की खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले पोषक तत्वों की उचित मात्रा की अनुशंसा करते हैं जो उनकी मृदाओं के भौतिक, रासायनिक एवं जीव विज्ञानीय स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। मृदा उर्वरा शक्ति कार्डों में मृदा संरचना, घनत्व, संरध्रता, अम्लता/लवणीयता, जैविक मात्रा, पोषक तत्व (प्राथमिक, द्वितीयक एवं सूक्ष्म) घटक आदि से संबंधित सूचना प्रदान की जाती है।

(ख) वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान किसानों को जारी किए गए मृदा उर्वरा शक्ति कार्ड की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) मृदा उर्वरता का नियमित अंतराल पर आकलन किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान अपनी फसलों में पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा का प्रयोग

करें। तदनुसार, मृदा उर्वरा शक्ति कार्ड का वितरण एक निरंतर प्रक्रिया है जो राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। केन्द्र सरकार किसानों को मृदा उर्वरा शक्ति कार्ड जारी करने के लिए मृदा जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारों ने मृदा जांच में कृषि विज्ञान के छात्र, गैर सरकारी संगठनों व निजी क्षेत्र की भागीदारी, मृदा उर्वरा शक्ति कार्ड जारी करने के लिए गांवों की औसत मृदा उर्वरता के निर्धारित जैसी नवाचारी प्रणालियां अपनाई हैं।

विवरण

2011-12, 2012-13 व 2013-14 के दौरान किसानों को जारी किए गए मृदा उर्वरा शक्ति कार्ड की राज्य-वार संख्या

(लाख रुपए में)

दक्षिण क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	4.17	5.28	2.69
कर्नाटक	1.54	1.69	1.69
केरल	1.66	1.74	1.24
तमिलनाडु	12.05	11.16	11.16
पुदुचेरी	0.04	0.02	0.02
दक्षिण क्षेत्र का योग	19.46	19.89	16.80
पश्चिम क्षेत्र			
गुजरात	12.18	9.51	9.98
मध्य प्रदेश	4.36	3.34	3.34
महाराष्ट्र	8.54	9.87	9.87
राजस्थान	3.77	3.13	3.21
छत्तीसगढ़	0.99	0.95	1.16
गोवा	0.12	0.18	0.18
पश्चिम क्षेत्र का योग	29.96	26.98	27.74
उत्तर क्षेत्र			
हरियाणा	3.59	4.43	2.36
पंजाब	2.88	1.16	1.16

1	2	3	4
उत्तराखंड	0.45	0.45	0.68
उत्तर प्रदेश	33.52	31.91	31.91
हिमाचल प्रदेश	1.25	1.22	1.21
जम्मू और कश्मीर	0.32	0.35	0.35
दिल्ली	0.01	0.0046	0.004
उत्तर क्षेत्र का योग	42.02	39.5246	37.674
पूर्व क्षेत्र			
बिहार	1.98	2.59	2.40
झारखण्ड	0.04	0.073	0.073
ओडिशा	1.49	2.19	2.54
पश्चिम बंगाल	0.00	0.42	0.42
पूर्व क्षेत्र का योग	3.51	5.273	5.433
पूर्वोत्तर क्षेत्र			
असम	0.61	0.61	0.61
त्रिपुरा	0.12	0.12	0.12
मणिपुर	0.25	0.25	0.25
मेघालय	0.10	0.08	0.08
नागालैंड	0.12	0.14	0.14
अरुणाचल प्रदेश	0.10	0.14	0.07
सिक्किम	0.11	0.18	0.18
मिज़ोरम	0.45	1.45	0.20
पूर्वोत्तर क्षेत्र का योग	1.86	2.97	1.65
सकल योग	96.81	94.6376	89.297 (पी)

(पी)-2013-14 के लिए अनंतिम।

पर्यटन को बढ़ावा देना

*34. **श्रीमती सुप्रिया सुले :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनसे कितने विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों की तुलना में भारत में विदेशी पर्यटकों की आवक काफी कम रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की योजना देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक सर्किट बनाने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने तथा पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा के अर्जन हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) वर्ष 2011, 2012 और 2013 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) की संख्या और भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय (एफईई) निम्नलिखित है:

वर्ष	एफटीए (मिलियन में)	एफईई (करोड़ रुपये में)#
2011	6·31	77,591
2012	6·58	94,487
2013	6·97	1,07,671

: अग्रिम अनुमान

(ख) वर्ष 2011, 2012 और 2013 के दौरान भारत, थाईलैंड और सिंगापुर में विदेशी/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आईटीए) की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	विदेशी/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (मिलियन में)		
	भारत	सिंगापुर	थाईलैंड
2011	6·31	13·17	19·23
2012	6·58	14·50	22·35
2013	6·97	15·57	26·55

स्रोत: यूएनडब्ल्यूटीओ कम्पेंडियम और सिंगापुर पर्यटन बोर्ड

भारत सहित किसी भी देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन और आउटबाउंड पर्यटकों हेतु जिम्मेवार कुछ कारक स्रोत और गंतव्य देशों की आर्थिक स्थिति, हवाई संपर्क, स्रोत देशों में जागरूकता की सीमा, प्रशिक्षित गाइडों की उपलब्धता, उचित मूल्य का होटल आवास, अच्छी पर्यटन अवसंरचना आदि हैं।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को उनके साथ परामर्श से प्रत्येक वर्ष की शुरूआत में प्राथमिकता प्रदत्त किए गए पर्यटन परिपथों के विकास हेतु निधियों की उपलब्धता, परस्पर-प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

भारत में विदेशी राष्ट्रिक की दो यात्राओं के बीच दो माह (60 दिनों) के अंतराल संबंधी प्रावधान हटा लिए गए हैं। आगमन पर पर्यटक वीज़ा (टीवीओए) प्राप्त करने वाले यात्रियों हेतु क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वीज़ा फीस की सुविधा शुरू की गई है।

भारत सरकार बारह देशों अर्थात् फिनलैंड, जापान, लक्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, दि फिलिपिन्स, लाओस, म्यांमार और दक्षिण कोरिया के नागरिकों को 'आगमन पर वीजा' (वीओए) सुविधा प्रदान कर रही है।

इसके अतिरिक्त, देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय अपने सतत कार्यकलापों के भाग के रूप में देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का संवर्धन करने और देश में विदेशी पर्यटक आगमन बढ़ाने के लिए इन्क्रेडिबल इंडिया ब्रांड-लाइन के तहत अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और आउटडोर मीडिया अभियानों को वार्षिक रूप से जारी करता है। इसके अतिरिक्त, भारत की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने और देश में पर्यटक आगमन बढ़ाने के उद्देश्य से विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों द्वारा महत्वपूर्ण और संभावित पर्यटक सृजक विदेशी बाजारों में अनेक संवर्धनात्मक गतिविधियां चलाई जाती हैं। इन संवर्धनात्मक गतिविधियों में यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, रोड शो, भारत परिचय सेमिनारों एवं कार्यशालाओं का आयोजन, भारतीय भोजन एवं सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन एवं समर्थन, ब्रोशरों का प्रकाशन, संयुक्त विज्ञापन और ब्रोशर समर्थन देना और मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के तहत देश की यात्रा करने के लिए मीडिया हस्तियों, टूर प्रचालकों और विचारकों को आमंत्रित करना शामिल हैं।

पर्यटक आगमन को बढ़ाने हेतु पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए अन्य प्रयासों में सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन का संवर्धन, विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों हेतु सुविधाओं में सुधार करना, पर्यटन अवसंरचना का

सृजन/उन्नयन, मार्गस्थ सुविधाएं, अंतिम छोर तक संपर्कता प्रदान करना, प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता को बढ़ाना आदि शामिल हैं।

कृषि मेले

***35. श्री प्रताप सिम्हा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड किसानों और अन्य हितधारकों के लाभ के लिए देश के विभिन्न भागों में 'कृषि मेलों' का आयोजन करता है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान आयोजित किए गए ऐसे मेलों का ब्यौरा क्या है और इनमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) किसानों को विभिन्न कृषि क्रियाकलापों के बारे में शिक्षित करने हेतु राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री अनन्तकुमार) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) किसानों के लाभ के लिए देश के विभिन्न भागों में कृषि मेलों का आयोजन करती है। इसके अलावा यह राज्य/जिला प्रशासनों द्वारा जिला/तालुका स्तर पर आयोजित विभिन्न कृषि प्रदर्शनियों में भाग लेती है।

(ख) पिछले एक वर्ष में, आरसीएफ ने विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और ओडिशा में 74 कृषि मेलों का आयोजन किया। ये मेले उर्वरकों के संतुलित उपयोग, मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्वों के उपयोग के लाभ और नई लागत प्रभावी कृषि तकनीकों के बारे में किसानों को भी शिक्षित करने और उनमें जागरूकता लाने में मददगार हुए।

(ग) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) किसानों एवं कृषि मजदूरों के लाभ के लिए थाल और नागपुर में दो अत्याधुनिक प्रशिक्षण संस्थानों में आवासीय और एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। आरसीएफ क्षेत्र प्रदर्शन भी करती है और मृदा परीक्षण अभियान चलाती है।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी अभिदान का उपयोग

***36. श्री के. सी. वेणुगोपाल : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उन गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों का राज्य और देश-वार ब्यौरा क्या है, जिन्हें विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत विदेशों से धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार को इन गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विदेशों से प्राप्त धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कुल कितने मामलों का पता चला और इन संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम में संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन संगठनों के क्रियाकलापों/कार्यों और धनराशि के उपयोग की निगरानी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) गत तीन वर्षों अर्थात 2010-11, 2011-12 और 2012-13 तथा चालू वर्ष 2013-14 के लिए विदेशी अभिदान प्राप्त करने की सूचना देने वाले एफसीआरए, 2010 के तहत पंजीकृत संघों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इनके देश-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां।

एफसीआरए के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायतों के आधार पर जांच के लिए अब तक सीबीआई को 24 मामले भेजे गए हैं और राज्य पुलिस को 10 मामले भेजे गए हैं, जैसाकि संलग्न विवरण-III और IV में दिया गया है। वर्ष 2011-12 में एफसीआरए के तहत पंजीकृत 4138 संघों का पंजीकरण वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान वार्षिक विवरणी जमा न करने के कारण रद्द किया गया था। ऐसे संघों की सूची गृह मंत्रालय की वेबसाइट के विदेशी प्रभाग के पब्लिक डोमेन पर डाल दी गई है। पंजीकरण रद्द किए गए गैर-सरकारी संगठनों की सूची संलग्न विवरण-V में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) सरकार विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 और इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में देश में गैर-सरकारी संगठनों सहित किसी भी 'व्यक्ति' द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसके उपयोग की निगरानी करती है।

एफसीआरए, 2010 में गैर-सरकारी संगठनों के लिए पंजीकरण अथवा पूर्व अनुमति के पश्चात् विदेशी निधियां प्राप्त करने का प्रावधान

है। पंजीकरण और पूर्व अनुमति प्रदान करने लिए गैर-सरकारी संगठनों के प्रत्येक आवेदन पर संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की सूचनाओं के आधार पर निर्णय लिया जाता है। विदेशी निधियां प्राप्त करने के लिए पंजीकृत अथवा पूर्व अनुमति प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों को खातों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इनकी छान-बीन की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, वहां वास्तविक जांच की जाती है। जांच दल के निर्णयों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाती है।

विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वाले संगठनों को वर्ष समाप्त होने से नौ महीने की अवधि के अंदर अर्थात् 31 दिसम्बर तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वार्षिक लेखा प्रस्तुत करना अपेक्षित है। ऐसे वार्षिक लेखे को चार्टर एकाउंटेंट द्वारा विधिवत लेखापरीक्षा किए गए निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होता है। एफसीआरए में बैंकों के साथ-साथ विदेशी अभिदाय के प्राप्तकर्ताओं द्वारा सूचना देने के तंत्र का प्रावधान है।

विवरण-I

ब्लॉक वर्ष 2010-2011 के लिए सूचित एफसी-6 रिटर्न की सूची

राज्य का नाम	सूचित किए गए	विदेशी राशि
1	2	3
दिल्ली	1462	20183602543.43
तमिलनाडु	3423	15587039932.12
आन्ध्र प्रदेश	2717	11790276861.61
कर्नाटक	1640	10020096972.34
महाराष्ट्र	2104	9154053856.78
केरल	1676	8814476926.80
पश्चिम बंगाल	2038	6520492200.02
गुजरात	1150	3638218255.15
उत्तर प्रदेश	1240	2574085731.69
ओडिशा	1324	2123693779.60
मध्य प्रदेश	468	1456495900.11
बिहार	840	1445952411.72
राजस्थान	437	1421131908.03
झारखंड	454	1346298948.52
हिमाचल प्रदेश	106	1287461006.70
उत्तराखंड	282	1167189949.35
पंजाब	125	872365819.62
असम	255	862707218.50
छत्तीसगढ़	230	572454881.60
मणिपुर	324	468343514.67
मेघालय	126	407067498.00
जम्मू और कश्मीर	94	385663066.33
पुदुचेरी	80	305260537.43
नागालैंड	97	238167723.61
हरियाणा	119	223019790.20
गोवा	101	187495646.10
चंडीगढ़	47	127863892.38
अरुणाचल प्रदेश	21	99654850.20
त्रिपुरा	24	74912841.64
सिक्किम	10	64160788.00
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12	62791088.24
मिज़ोरम	30	50044472.63
दादरा और नगर हवेली	11	16533876.00
दमन और दीव	1	294153.00
कुल	23068	103549368842.12

ब्लॉक वर्ष 2011-2012 के लिए सूचित एफसी-6 रिटर्न की सूची

राज्य का नाम	सूचित किए गए	विदेशी राशि
1	2	3
दिल्ली	1482	22857549759.55

1	2	3
तमिलनाडु	3341	17047614536.85
आन्ध्र प्रदेश	2528	12585226171.93
महाराष्ट्र	2060	11073931179.66
कर्नाटक	1657	11042804835.38
केरल	1650	10295170852.75
पश्चिम बंगाल	2065	7266616719.61
गुजरात	1075	3843249535.58
उत्तर प्रदेश	1234	2650107463.45
ओडिशा	1323	2402319412.16
बिहार	840	1813679652.75
मध्य प्रदेश	474	1547493703.80
राजस्थान	441	1451429543.89
झारखंड	456	1438156809.29
हिमाचल प्रदेश	112	1251812839.24
असम	259	1203745688.24
उत्तराखंड	284	1195623656.67
पंजाब	139	1025725793.89
छत्तीसगढ़	233	626915457.54
मेघालय	134	527808370.93
मणिपुर	284	462437772.05
पुदुचेरी	84	357661816.48
जम्मू और कश्मीर	102	341516269.06
नागालैंड	86	282647426.21
हरियाणा	116	249503501.25
गोवा	85	190400533.20
चंडीगढ़	51	128086723.17
सिक्किम	15	95724355.00
अरुणाचल प्रदेश	27	91117442.49
त्रिपुरा	28	79580347.23
मिज़ोरम	31	58644648.57
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12	49857830.33
दादरा और नगर हवेली	10	13268346.00
दमन और दीव	1	110000.55
कुल	22719	115547538994.75

ब्लॉक वर्ष 2012-2013 के लिए सूचित एफसी-6 रिटर्न की सूची

राज्य का नाम	सूचित किए गए	विदेशी राशि
1	2	3
दिल्ली	1128	22484351958.27
तमिलनाडु	2634	16262299271.37
आन्ध्र प्रदेश	1905	11484474883.72
कर्नाटक	1399	11280704720.66
महाराष्ट्र	1536	10392588574.72
केरल	1512	8496168307.74
पश्चिम बंगाल	1603	7051455096.71
गुजरात	819	3992864228.83
उत्तर प्रदेश	813	2194602111.33
ओडिशा	1009	215424636.59
हिमाचल प्रदेश	82	1729327113.28
मध्य प्रदेश	363	1660899947.66
बिहार	560	1396074037.66
राजस्थान	326	1377621857.62

1	2	3
झारखंड	392	1358665051.24
असम	210	1087784425.71
पंजाब	113	1055534383.17
उत्तराखंड	221	1048902522.05
छत्तीसगढ़	192	533275094.70
मेघालय	98	485423847.01
मणिपुर	210	435031134.13
नागालैंड	54	420135192.50
जम्मू और कश्मीर	79	304114891.80
पुदुचेरी	67	251413530.47
गोवा	57	179837817.85
चंडीगढ़	32	143401129.26
हरियाणा	87	133124549.08
त्रिपुरा	17	83692542.32
अरुणाचल प्रदेश	16	74002397.10
मिज़ोरम	22	42843790.31
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6	40352379.78
सिक्किम	10	34858494.16
दादरा और नगर हवेली	1	6905671.32
दमन और दीव	1	10000.00
कुल	17574	109638165589.67

ब्लॉक वर्ष: 2013-2014 के सूचित एफसी-6 रिटर्न की सूची (दिनांक 01.07.2014 के अनुसार सूचित)

राज्य का नाम	सूचित किए गए	विदेशी राशि
1	2	3
पश्चिम बंगाल	202	1344514949.83
आन्ध्र प्रदेश	198	535332512.72
तमिलनाडु	218	511670662.45
केरल	362	498001128.38
कर्नाटक	108	363186323.81
महाराष्ट्र	184	294873436.01
मध्य प्रदेश	54	249735061.58
ओडिशा	62	178973445.90
असम	27	156826878.48
नागालैंड	10	138914798.70
उत्तर प्रदेश	90	83940318.05
दिल्ली	48	75348970.26
गुजरात	65	63253597.06
बिहार	46	45230288.89
राजस्थान	24	31023480.26
जम्मू और कश्मीर	9	30803968.32
अरुणाचल प्रदेश	9	27411153.82
छत्तीसगढ़	10	24878929.70
झारखंड	29	23908091.69
उत्तराखंड	16	23592366.01
मणिपुर	7	22601342.84
त्रिपुरा	4	7014370.24
हिमाचल प्रदेश	6	6355461.00
मेघालय	7	6268454.91
सिक्किम	1	4985424.00
गोवा	2	477426.00
पंजाब	7	4760077.50

1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1204680.00
चंडीगढ़	1	1053016.73
हरियाणा	4	21238.00
पुदुचेरी	2	0.00
मिज़ोरम	2	0.00
कुल	1815	4760461853.14

विवरण-II

वर्ष 2010-2011 के दौरान देशवार प्राप्ति

क्र.सं.	देश	राशि
1	2	3
1.	संयुक्त राज्य अमेरिका	32656198869.98
2.	यूनाइटिड किंगडम	10660444911.32
3.	जर्मनी	10107389031.14
4.	इटली	4904038965.57
5.	नीदरलैंड	4691334796.04
6.	स्पेन	3519153234.52
7.	कनाडा	3000809597.59
8.	स्विटजरलैंड	2878594155.14
9.	फ्रांस	1914686978.51
10.	आस्ट्रेलिया	1596731147.27
11.	आस्ट्रिया	1326758920.89
12.	बेल्जियम	1111695821.65
13.	यूनाइटिड अरब अमीरात	1093307452.73
14.	स्वीडन	972024131.51
15.	अन्य (तिब्बत)	933110166.55
16.	मॉरिशस	728945630.97
17.	हांगकांग	553574809.47
18.	आयरलैंड	542676788.48
19.	डेनमार्क	526602776.94
20.	सिंगापुर	513863473.02
21.	नार्वे	504584590.10
22.	जापान	453210026.49
23.	कुवैत	370592054.82
24.	न्यूजीलैंड	346239198.96
25.	केन्या	306908353.94
26.	फिनलैंड	306881488.98
27.	लक्समबर्ग	227599479.56
28.	मलेशिया	201718063.77
29.	ताइवान	197582615.49
30.	नेपाल	189524831.36
31.	लिचटियन	185673102.75
32.	सउदी अरब	162045178.44
33.	चेक गणराज्य	158768837.66
34.	फिलीपीन	143260063.48
35.	स्वाजीलैंड	113552467.08
36.	दक्षिण अफ्रीका	110333072.88
37.	ओमान	106989106.03
38.	कतर	96027442.32
39.	दक्षिण कोरिया	93864829.36
40.	थाइलैंड	93809660.11
41.	आइसलैंड	73613552.36
42.	इंडोनेशिया	59114141.10
43.	पोलैंड	38202827.46

1	2	3
44.	माल्टा	37096272.39
45.	बोस्तवाना	36809824.87
46.	श्रीलंका	35692753.67
47.	सियरा लियोन	35390094.00
48.	मोनैको	34506804.51
49.	वेटीकन सिटी	33586919.16
50.	रूस	30463053.98
51.	ब्राजील	28607368.54
52.	त्रिनिदाद और टोबैगो	28095071.34
53.	चीन	27988483.61
54.	बहमास	27207767.35
55.	यमन	26869344.20
56.	बांग्लादेश	26834236.98
57.	बहरीन	26728694.91
58.	नाइजीरिया	26241778.26
59.	पुर्तगाल	24056669.18
60.	अफगानिस्तान	22192190.80
61.	जाम्बिया	19923457.00
62.	ग्रीस	18291697.27
63.	तंजानिया	17870915.35
64.	पाकिस्तान	17422463.66
65.	रोमानिया	16960495.80
66.	लीबिया	16244244.20
67.	इराक	16135212.11
68.	रीयूनियन आइसलैंड	16003628.45
69.	स्लोवेनिया	15402799.78

1	2	3
70.	सूरीनाम	14018414.00
71.	जिम्बाबवे	13948917.57
72.	स्लोवाकिया	13918759.15
73.	चिली	12421743.50
74.	क्रोएशिया	12155114.17
75.	मालागैसे (मैडागासकर)	10550666.02
76.	तुर्की	10452691.46
77.	सेनेगल	9508399.38
78.	मंगोलिया	9170716.77
79.	भूटान	8812138.00
80.	अर्जेटीना	8592205.23
81.	बुल्गारिया	7431819.81
82.	हंगरी	7334026.50
83.	इजराइल	5812436.27
84.	मेक्सिको	5711276.01
85.	पनामा	4874103.00
86.	कोलम्बिया	4637616.30
87.	लाओस	4559163.50
88.	लेबनान	4543669.91
89.	ईरान	4196425.50
90.	पेरु	4086077.49
91.	सेशेल्स	4063421.00
92.	फिजी	3954722.66
93.	इथोपिया	3887705.00
94.	घाना	3880931.95
95.	वियतनाम	3626556.21

1	2	3
96.	लुधियाना	3606362.73
97.	जोर्डन	3493670.01
98.	कम्बोडिया	3380820.79
99.	हर्जेगोविना	3327130.00
100.	युगांडा	3202269.64
101.	मिस्र	3094231.75
102.	बोस्निया	3042896.00
103.	केमैन आइलैंड	3026721.50
104.	म्यांमार	3008323.50
105.	मोजाम्बिक	2978335.00
106.	डोमिनका	2955931.00
107.	सूडान	2476787.00
108.	साइप्रस	2279974.78
109.	रवांडा	2024944.85
110.	कोस्टारिका	1801427.06
111.	उत्तर कोरिया	1381239.98
112.	मालदीव	1369559.40
113.	यूक्रेन	1116980.52
114.	बेलीज	1009561.76
115.	गांबिया	903600.00
116.	मलावी	870764.00
117.	पश्चिमी सोमाआ	838502.00
118.	बेलारुस	790920.71
119.	नामीबिया	697934.71
120.	जमैका	675923.00
121.	बेलिविया	666687.70

1	2	3
122.	पपुआ न्यू गुयेना	661583.00
123.	बारबाडोस	639932.00
124.	कांगो	506190.00
125.	कजाखस्तान	488567.52
126.	इक्वाडोर	468735.05
127.	कार्डिन मसल आइसलैंड	449500.00
128.	सैन मैरिनो	448467.00
129.	इस्टोनिया	433817.89
130.	फिलिस्तीन	387840.53
131.	ब्रुनेई	333091.95
132.	उरुग्वे	288523.49
133.	नीदरलैंड एंटीलेस	233773.53
134.	वेनेजुएला	228825.50
135.	केन्द्रीय अफ्रीका गणराज्य	184764.00
136.	आयवरी कोस्ट	183852.00
137.	लात्विया	180520.50
138.	मॉरीटाना	162894.00
139.	अंगोला	154415.00
140.	बेनिन	125000.00
141.	अल्जीरिया	118000.00
142.	मकाऊ	115730.00
143.	सीरिया	98746.00
144.	ग्रेनेडा	76109.00
145.	पैरागुवे	75492.00
146.	मोरक्को	67791.50
147.	ट्यूनीसिया	58595.00

1	2	3
148.	बुकिना फास्को	56058.00
149.	तुर्क और कैकस आइसलैंड	45060.00
150.	डिजीबूटी	40500.00
151.	ग्वाटेमाला	21100.00
152.	क्यूबा	18797.75
153.	अल सल्वाडोर	18000.00
154.	सेंट विंनसेट और द ग्रेनाडाइस	14444.00
155.	ताजिकिस्तान	12584.00
156.	गुयाना	11380.00
157.	लाइबेरिया	10500.00
158.	किर्गिस्तान	6140.00
159.	सेंट लुइस	5000.00
160.	न्यू क्लेडोनिया	4511.00
161.	कैमरुन	3380.00
162.	टोंगू	300.00
163.	उजबेकिस्तान	100.00
	कुल	89692268712.11

वर्ष 2011-2012 के दौरान देशवार प्राप्ति

क्र. सं.	देश	राशि
1	2	3
1.	संयुक्त राज्य अमेरिका	38389619183.28
2.	यूनाइटिड किंगडम	12196705072.42
3.	जर्मनी	10994923496.60
4.	इटली	5289525107.16
5.	नीदरलैंड	4183765280.64
6.	स्विटजरलैंड	3794210840.77
7.	स्पेन	3700088119.47
8.	कनाडा	3095581682.66
9.	आस्ट्रेलिया	2040987879.58
10.	फ्रांस	1872162215.76
11.	यूनाइटिड अरब अमीरात	1639650707.61
12.	आस्ट्रेलिया	1331473948.86
13.	बेल्जियम	1288059401.31
14.	स्वीडन	1283759807.62
15.	अन्य (तिब्बत)	990173953.96
16.	कुवैत	762253172.77
17.	सिंगापुर	749979741.16
18.	हांगकांग	741546855.67
19.	आयरलैंड	699584442.28
20.	जापान	603241872.54
21.	नार्वे	591928388.38
22.	डेनमार्क	507266647.03
23.	फिनलैंड	298796831.17
24.	न्यूजीलैंड	296171814.59
25.	मलेशिया	235029157.49
26.	लम्समबर्ग	232288935.57
27.	चेक गणराज्य	184407577.19
28.	ताइवान	181829844.73
29.	दक्षिण कोरिया	169511815.17
30.	दक्षिण अफ्रीका	149240905.81
31.	स्वाजीलैंड	148393996.29

1	2	3
32.	सउदी अरब	1418322004.96
33.	थाइलैंड	134882496.82
34.	केन्या	133822143.13
35.	फिलीपीन	13621853.76
36.	कतर	133541433.37
37.	ओमान	117505719.66
38.	इंडोनेशिया	82691768.35
39.	नेपाल	66288759.68
40.	यमन	63929931.81
41.	त्रिनिनाड और टोबैगो	63436462.05
42.	तंजानिया	62751483.22
43.	मॉरिशस	59873993.42
44.	पोलैंड	57872978.80
45.	चीन	56724144.37
46.	आइसलैंड	50263259.44
47.	वेटीकन सिटी	47422974.88
48.	बांग्लादेश	46881974.15
49.	रुस	40541426.77
50.	बहरीन	39809817.22
51.	बोस्तवाना	39528838.16
52.	श्रीलंका	34009159.89
53.	पुर्तगाल	32346785.72
54.	ब्राजील	31690486.61
55.	अफगानिस्तान	29706263.89
56.	माल्टा	29383309.12
57.	नाइजीरिया	28665403.51

1	2	3
58.	रीयूनियन आइसलैंड	28429609.51
59.	अर्जेंटीना	22071359.83
60.	बहमास	21147302.84
61.	स्लोवाकिया	20996459.90
62.	बुल्गारिया	20457977.24
63.	पनामा	18695747.26
64.	हंगरी	18067443.37
65.	चिली	17117702.44
66.	लिचटेंसटिन	14995243.53
67.	मोनैको	13496758.00
68.	क्रोएशिया	12618299.90
69.	जाम्बिया	10723596.53
70.	लेबनान	10475805.54
71.	मंगोलिया	9617357.75
72.	ग्रीस	9602637.08
73.	बुर्की	9335086.15
74.	स्लोवेनिया	7826069.81
75.	भूटान	7160586.01
76.	वेनेजुएला	7023073.21
77.	इथोपिया	6924892.36
78.	फिजी	6072467.57
79.	सेशेल्स	6048848.19
80.	मालागासे (मेडागासकर)	5009066.50
81.	जिम्बाबवे	4993851.35
82.	रोमानिया	4869370.49
83.	घाना	4805670.50

1	2	3
84.	बुरकिना फासो	4453936.00
85.	नीदरलैंड एंटालिस	4330009.41
86.	म्यांमार	4292339.00
87.	पाकिस्तान	4166770.65
88.	मैक्सिको	3995048.11
89.	कोलम्बिया	3855393.89
90.	बोस्निया	3716815.83
91.	यूक्रेन	3689702.26
92.	यूगांडा	3661524.66
93.	डोमेनिका	3582113.00
94.	इजराईल	3551032.20
95.	नामीबिया	3497007.33
96.	मालदीव	3433940.84
97.	साइप्रस	3394321.80
98.	पेरु	3220916.82
99.	वियतनाम	3167991.10
100.	ईरान	2877265.10
101.	बेलारुस	2617648.70
102.	कम्बोडिया	2520664.00
103.	मोरक्को	2436816.00
104.	लिथुआनिया	2425633.42
105.	रवांडा	2371835.00
106.	लाओस	2336861.73
107.	जोर्डन	2202854.88
108.	उत्तर कोरिया	1743325.87
109.	लाइबेरिया	1673488.20

1	2	3
110.	सूरीनाम	16674045.01
111.	कैकस आइसलैंड	1347743.90
112.	कजाकस्तान	1249986.26
113.	ब्रुनेई	1152105.66
114.	जमैका	1121727.00
115.	कांगो	1121188.88
116.	कैमैन आइसलैंड	1064975.00
117.	बेलीज	763280.00
118.	मिस्र	643434.90
119.	गुयाना	614351.75
120.	बारबाडोस	593035.50
121.	हर्जेगोविना	534188.00
122.	इस्टोनिया	487296.13
123.	लात्विया	477516.56
124.	मोजाम्बिक	472465.00
125.	मॉरीटीयाना	431376.51
126.	उरुगुवे	425866.73
127.	कोस्टारिका	380872.41
128.	सीरिया	370671.00
129.	पपुआ न्यू गुयाना	343967.00
130.	गुयाना	338485.31
131.	किर्गिस्तान	242592.00
132.	इराक	208345.00
133.	लीबिया	199434.20
134.	मालावी	158922.00
135.	सूडान	132127.00

1	2	3
136.	गाबिया	124268.00
137.	ग्वाटेमाला	123740.00
138.	ट्यूनीसिया	111028.21
139.	डिजीबूटी	100000.00
140.	उजेबिकिस्तान	95160.00
141.	इक्वाडोर	78441.00
142.	माली	63620.00
143.	कोमूरूस	59295.75
144.	पैरागुवे	58233.00
145.	आयवरी कोस्ट	55241.17
146.	ताजिकिस्तान	54735.28
147.	सेनेगल	52274.09
148.	कैमरुन	51255.05
149.	टोगो	50000.00
150.	लेस्तो	49299.99
151.	अल्जीरिया	44220.00
152.	पीलिस्तीन	36900.00
153.	बोलोविया	36761.60
154.	अंगोला	34092.00
155.	चांड	32778.80
156.	निगर	25775.00
157.	न्यू क्लेडोनिया	23560.00
158.	टोंगो	17216.00
159.	सेंट विंसेंट और द ग्रेनाडायस	16551.50
160.	बेनिन	11600.00
161.	कैप वर्डे आइसलैंड	9220.00
162.	मकाऊ	6800.00
163.	गैबन	3908.00
164.	सेंट्रल अफ्रीका गणराज्य	3360.00
165.	तुर्क और कैकस आइसलैंड	3200.00
	कुल	100820953640.11

वर्ष 2012-2013 के दौरान देश-वार प्राप्ति

क्रम सं.	देश	राशि
1	2	3
1.	सयुक्त राज्य अमेरिका	37721840019.56
2.	जर्मनी	10863080197.36
3.	यूनाइटिड किंगडम	10618631601.45
4.	इटली	4959374204.57
5.	नीदरलैंड	3793633772.37
6.	स्विटजरलैंड	3601677676.82
7.	स्पेन	3362154042.17
8.	कनाडा	3020981228.29
9.	आस्ट्रेलिया	2244853876.93
10.	फ्रांस	1749714456.94
11.	आस्ट्रिया	1140850942.55
12.	बेल्जियम	1098897401.86
13.	स्वीडन	1031456909.10
14.	यूनाइटिड अरब अमीरात	1006342445.11
15.	हांगकांग	875308472.48
16.	नार्वे	676880472.70
17.	सिंगापुर	634892567.66
18.	कुवैत	612018006.76
19.	आयरलैंड	533748500.55

1	2	3
20.	डेनमार्क	471398727.28
21.	जापान	444079546.18
22.	न्यूजीलैंड	330098291.90
23.	मलेशिया	290039891.18
24.	ताइवान	268052114.84
25.	फिनलैंड	265434648.67
26.	थाइलैंड	242581327.00
27.	फिलीपीन	215497602.15
28.	कतर	185325300.95
29.	स्वाजीलैंड	169720878.42
30.	दक्षिण कोरिया	166965832.80
31.	लक्समबर्ग	165003193.94
32.	चेक गणराज्य	144185177.44
33.	दक्षिण अफ्रीका	137012092.49
34.	ओमान	102235886.09
35.	यमन	92154580.19
36.	इंडोनेशिया	91879012.00
37.	नाइजीरिया	89087551.25
38.	लिचटेंसटिन	87223148.40
39.	सउदी अरब	86639126.10
40.	केन्या	84785068.85
41.	त्रिनिनाड और टोबैगो	76814891.28
42.	रूस	69878311.24
43.	तंजानिया	65674669.85
44.	चीन	65464932.98
45.	बोस्तवाना	58899842.93
46.	श्रीलंका	50374619.31
47.	पोलैंड	47610173.09
48.	रीयूनियन आइसलैंड	47397227.47
49.	अन्य (तिब्बत)	43971654.63
50.	आइसलैंड	40024801.02
51.	माल्टा	33568501.32
52.	बांग्लादेश	33382204.75
53.	ब्रुनेई	32149448.65
54.	नेपाल	30643220.32
55.	मॉरीशस	29084004.39
56.	बहरीन	27965607.64
57.	पुर्तगाल	25887169.27
58.	फिजी	21676924.38
59.	बहमास	21608407.96
60.	पाकिस्तान	21559192.74
61.	रोमानिया	21346820.74
62.	स्लोवाकिया	20812218.65
63.	कम्बोडिया	19912426.21
64.	जमैका	18957471.50
65.	ब्राजील	18712714.23
66.	अफगानिस्तान	16564568.23
67.	मोनैको	16471483.63
68.	मंगोलिया	15160137.67
69.	नीदरलैंड एंटालिस	13509595.04
70.	सूरीनाम	13440352.46
71.	अर्जेंटीना	13343030.03
72.	पनामा	12804538.07
73.	साइप्रस	12706395.30

1	2	3
74.	युगांडा	12581728.48
75.	म्यांमार	10750666.90
76.	वेटीकन सिटी	9192486.00
77.	बुल्गारिया	8492574.62
78.	क्रोएशिया	8243764.95
79.	सेशेल्स	7954757.23
80.	डोमिनीशिया	7566364.92
81.	चिली	7301001.59
82.	इथोपिया	6699355.18
83.	जिम्बाबवे	6200181.16
84.	तुर्की	6173918.08
85.	वियतनाम	6026900.63
86.	मालेगासे (मेडागासकर)	5641735.35
87.	ग्रीस	5466831.26
88.	मेक्सिको	5012464.79
89.	लेबनान	5000692.08
90.	जोर्डन	4660875.41
91.	इसराइल	4659279.06
92.	कोस्टारिका	3790521.14
93.	कोलम्बिया	3486902.59
94.	स्लोवेनिया	3393193.52
95.	घाना	3171724.00
96.	ग्वाटेमाला	2388881.60
97.	भूटान	2178781.00
98.	मोरक्को	21362310.00
99.	लाओस	2091045.43
100.	लुथियाना	2016111.07
101.	बेलारुस	1905698.78
102.	बोस्निया	1840389.36
103.	इस्टोनिया	1758615.41
104.	हंगरी	1613956.70
105.	मोजाम्बिक	1611887.00
106.	कांगो	1539993.00
107.	जाम्बिया	1534734.62
108.	रवांडा	1461103.15
109.	इरान	1443728.00
110.	कजाकस्तान	1374882.40
111.	बुरकिना फासो	1325397.00
112.	यूक्रेन	1293616.94
113.	मालावी	1147274.00
114.	डिजीबूटी	1016206.00
115.	गुयाना	909858.01
116.	वेनेजुएला	790911.64
117.	बारबाडोस	724116.20
118.	मिस्र	644575.00
119.	जांबिया	639998.86
120.	बिल्जे	632229.00
121.	मालदीव	628388.00
122.	पेरु	589474.30
123.	लात्विया	552224.33
124.	आयवरी कोस्ट	551261.23
125.	लीबिया	488809.00
126.	ऊरुग्वे	467251.75
127.	हर्जेगोविना	367450.00

1	2	3
128.	केन वर्ड आइसलैंड	359700.00
129.	कैमेन आइसलैंड	330176.00
130.	माली	281400.00
131.	टोंगो	272750.00
132.	वनुआतू	256715.00
133.	इराक	248200.00
134.	अजरबेजान	227868.98
135.	न्यू क्लोडेनिया	203160.00
136.	पपुआ न्यू गुयाना	180544.00
137.	पेरुगुवे	169933.60
138.	मकाऊ	162525.00
139.	सूडान	154592.00
140.	उत्तर कोरिया	117088.00
141.	उजबेकिस्तान	114871.38
142.	ग्रेनेडा	109500.00
143.	तुर्क और कैकस आइसलैंड	108581.00
144.	चांड	72240.00
145.	एंटीगुआ और बारबुडा	67375.00
146.	गुयाना	64723.40
147.	क्यूबा	56710.00
148.	सेनेगल	38124.00
149.	सेंट लुइस	32000.00
150.	इक्वाडोर	20390.40
151.	बुरांडी	18046.00
152.	लाइबेरिया	15000.00
153.	सोलोमोन आइसलैंड	11598.00
154.	ट्यूनीसिया	11200.00
155.	बेनिन	11027.00
156.	सेंट विंसेंट और द ग्रेनाडाइस	10907.00
157.	किर्गिस्तान	10632.02
158.	पश्चिमी सामोआ	8268.00
159.	अल सल्वाडोर	7012.10
160.	केन्द्रीय अफ्रीकन गणराज्य	3890.00
161.	ताजिकिस्तान	2875.80
162.	लेस्तो	2450.00
163.	फिलिस्तीन	1000.00
	कुल	94918009501.73

वर्ष 2013-14 के दौरान देश-वार प्राप्ति
(दिनांक 1.7.2014 तक सूचित)

क्रम सं.	देश	राशि
1	2	3
1.	संयुक्त राज्य अमेरिका	1643140002.32
2.	जर्मनी	868054103.88
3.	यूनाइटिड किंगडम	306978936.12
4.	इटली	274049437.93
5.	आस्ट्रेलिया	163122814.79
6.	कनाडा	155247729.68
7.	नीदरलैंड	135158122.85
8.	स्विटजरलैंड	66722354.19
9.	बेल्जियम	45916250.12
10.	फ्रांस	43926600.86
11.	जापान	434635158.68

1	2	3
12.	स्पेन	37809404.08
13.	आस्ट्रिया	32949223.14
14.	यूनाइटिड अरब अमीरात	28927951.23
15.	आयरलैंड	22657669.44
16.	डेनमार्क	19472269.79
17.	फिनलैंड	18888324.20
18.	तंजानिया	18413529.00
19.	कुवैत	17438164.08
20.	नार्वे	15728551.81
21.	मलेशिया	14995663.32
22.	चेक गणराज्य	14859608.04
23.	स्वीडन	12511862.63
24.	सिंगापुर	11313814.64
25.	न्यूजीलैंड	10660943.09
26.	हांगकांग	8685099.32
27.	ओमान	7154750.98
28.	यूगांडा	5247724.00
29.	स्वाजीलैंड	4150024.26
30.	सउदी अरब	3996739.82
31.	दक्षिण कोरिया	3446434.89
32.	लक्जमबर्ग	2522322.60
33.	बहरीन	2247607.00
34.	लिस्टेनिया	2127487.00
35.	केन्या	1931764.00
36.	थाइलैंड	1298394.45
37.	स्लोवानिया	1076305.46
38.	हंगरी	1047966.00
39.	फिलीपीन	1020198.82
40.	माल्टा	1011807.40
41.	मॉरीशस	1001471.11
42.	कतर	902894.50
43.	इंडोनेशिया	663829.70
44.	दक्षिण अफ्रीका	644592.40
45.	पालैंड	564127.85
46.	पुर्तगाल	527931.90
47.	नेपाल	517753.29
48.	ब्राजील	511383.58
49.	ताईवान	369392.85
50.	अर्जेंटीना	332962.41
51.	मेक्सिको	296628.15
52.	चीन	285973.06
53.	रूस	265157.00
54.	इसरायल	214063.30
55.	चिली	202973.45
56.	नाइजीरिया	178369.00
57.	आइसलैंड	165589.00
58.	ग्रीस	161170.00
59.	इक्वाडोर	156198.20
60.	भूटान	131500.00
61.	पपुआ न्यू गुयाना	121984.00
62.	यूक्रेन	99376.00
63.	क्रोएशिया	79902.30
64.	कजाकस्तान	69400.00
65.	घाना	66265.00

1	2	3
66.	तुर्की	58745.00
67.	बांग्लादेश	4000.00
68.	श्रीलंका	30062.00
69.	सेंट लुसिया	30000.00
70.	ऊरुगवे	24041.00
71.	वेनेजुएला	22245.00
72.	सेशेल्स	20000.00
73.	स्लोवाकिया	17445.00
74.	वियतनाम	16000.00
75.	लेबनान	14782.50
76.	मिस्र	12701.50
77.	म्यांमार	11000.00
78.	जांबिया	7500.00
79.	कोलम्बिया	7172.40
80.	ईरान	6905.00
81.	सेनेगल	6396.50
82.	इस्टोनिया	5835.00
83.	जमैका	5804.00
84.	किर्गिस्तान	4000.00
85.	उत्तर कोरिया	3550.00
86.	बुलगारिया	3000.00
87.	पाकिस्तान	2105.33
88.	त्रिनिनाड और टोबैगो	2000.00
89.	सूडान	1800.00
90.	लिथुएनिया	1000.00
91.	कोस्टारिका	608.50
	कुल	4078261059.69

विवरण-III

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों से संबंधित स्थिति की रिपोर्ट लंबित मामले

क्रम सं.	एसोसिएशन का नाम	स्थिति
1	2	3
1.	तमिलनाडु मुस्लिम मुनित्र कड़गम कोयम्बटूर, तमिलनाडु	1.54 करोड़ रुपये विदेशी अभिदाय पाप्त करने के संबंध में दिनांक 27.01.2004 को आरोप पत्र दायर किया गया। मामला विचारणाधीन है।
2.	रीच इन द नीलगिरीज, तमिलनाडु	59.52 लाख रुपये विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के संबंध में दिनांक 29.12.2007 को आरोप पत्र दायर किया गया। मामला विचारणाधीन है।
3.	अबुल कलाम आजाद इस्लामि अवेकनिंग सेंटर, नई दिल्ली	दिनांक 25.04.2006 को आरोप पत्र दायर किया गया। दिनांक 11.12.2006 को न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए। तथापि, दोनों अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में

1	2	3
		आरोपों को चुनौती दी है और उच्च न्यायालय ने कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
4.	ख्वाजा खुसल चैरीटेबल ट्रस्ट, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	विशेष मजिस्ट्रेट सीबीआई, गाजियाबाद के न्यायालय में दिनांक 19.1.2009 को आरोप पत्र दायर किया गया है।
5.	श्री अरविन्द खन्ना, पूर्व विधायक, पंजाब	अधिनियम के उल्लंघन में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के संबंध में दिनांक 14.12.2010 को आरोप पत्र दायर किया गया है। मामला विचारणाधीन है।
6.	अंजुमन हुसेमिया एजुकेशनल एसोसिएसन, हैदराबाद	दिनांक 30.04.2003 को आरोप पत्र दायर किया गया था। मामला विचारणाधीन है।
7.	प्रगति आरफन होम, वेस्ट गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश	दिनांक 17.01.2002 को आरोप पत्र दायर किया गया था। मामला विचारणाधीन है।
8.	अवेयर, आन्ध्र प्रदेश एंड प्राइवेट परसंस	दिनांक 31.12.2003 को आरोप पत्र दायर किया गया था। मामला आरोप-पूर्व स्थिति में है।
9.	विश्व धर्मायतन ट्रस्ट, नई दिल्ली	दिनांक 30.04.1998 को आरोप पत्र दायर किया गया था।
10.	श्री रत्नेश खंडेलवाल और 9 अन्य व्यक्ति, मुम्बई, महाराष्ट्र	दिनांक 22.05.1989 को आरोप पत्र दायर किया गया था। मामला आरोप-पूर्व स्थिति में है।
11.	श्री प्रकाश सी. भट्ट और 4 अन्य व्यक्ति, मुम्बई, महाराष्ट्र	दिनांक 19.12.1996 को आरोप पत्र दायर किया गया था। आरोप पत्र तय किए जाने के पश्चात गवाहों की जिरह के लिए मामला सूचीबद्ध किया गया है।
12.	हरपावत चैरीटेबल ट्रस्ट, उदयपुर, राजस्थान	मामले की जांच हेतु दिनांक 8.6.2011 को यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है।
13.	कोलकाता अरबन सर्विस, कोलकाता	मामले की जांच हेतु दिनांक 8.6.2011 को यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है।
14.	हेरीटेज फाउंडेशन, गांव बधवार, बाई पास रोड, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	मामले की जांच हेतु दिनांक 14.09.2011 को यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है।
15.	धे चेन चोखोर कगयुपा मोनैस्ट्री, क्लेमेंट टाउन, देहरादून	एसोसिएशन द्वारा बिना अनुमति के विदेशी अभिदाय प्राप्त करने और उसके उपयोग के संबंध में यह मामला दिनांक 13.09.2011 को सीबीआई को सौंप दिया गया है।
16.	अगापे हेल्पिंग मिन्स्ट्रीज, 80-24-4/1, जय श्री गार्डन, एवीए रोड, राजमुंद्री, पश्चिमी गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश	मामले की जांच हेतु दिनांक 28.09.2011 को यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई ने इस मामले को वापस गृह मंत्रालय में भेज दिया है।

1	2	3
17.	आईजीईपी फाउंडेशन, सी 3ए/86सी, जनकपुरी, नई दिल्ली	मामले का निपटान हो चुका है और सीबीआई न्यायालय में मामला बंद करने संबंधी रिपोर्ट दायर कर रही है।
18.	समस्त मुस्लिम खलीफा सुन्नतवाल जमात नवसारी, 1/1057, चार पुल रोड, नवसारी, गुजरात-396445	मामले की जांच हेतु दिनांक 28.11.2011 को यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है।
19.	इवेंजेलिकल लूथरेन चर्च इन मध्य प्रदेश लूथर भवन, पो. बा. नं. 30, छिंदवाड़ा-480001	मामले की जांच हेतु दिनांक 29.11.2011 को यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है।
20.	क्रिश्चियन आउटरीच सेंटर, रयादुपलम, काकीनाडा-5, आन्ध्र प्रदेश क्रिश्चियन आउटरीच मिनिस्ट्रीज प्रोपर्टीज ट्रस्ट, मकान नम्बर, 11-6-23, लक्ष्मीपुर, वारंगल, आन्ध्र प्रदेश क्रिश्चन आउटरिच मिनिस्ट्रीज, मकान नम्बर-11-6-23, लक्ष्मीपुर, वारंगल, आन्ध्र प्रदेश	इस संबंध में जांच हेतु दिनांक 03.02.2012 को यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है।
21.	तूतीकोरीन डाइओसिस एसोसिएशन, तूतीकोरीन	मामले की जांच हेतु दिनांक 07.02.2012 को यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई ने इस मामले को वापस गृह मंत्रालय में भेज दिया है। जुलाई, 2012 में सीसीए (गृह) की टीम द्वारा एसोसिएशन के लेखों का निरीक्षण किया गया था। सीसीए (गृह) से निरीक्षण संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। तूतीकोरीन डाइओसिस एसोसिएशन, तूतीकोरिन के संबंध में एफसीआरए पंजीकरण दिनांक 25.09. 2012 को 180 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है।
22.	रुरल अपलिफ्ट सेंटर, नागरकोयल	लेखा-संबंधी अनियमितता/निधियों को परिवर्तित किए जाने/दुरूपयोग की जांच हेतु दिनांक 25.06.2012 को यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। तथापि, सीबीआई ने इस मंत्रालय को सूचित किया है कि संघ के विरुद्ध की गई शिकायत की उन्होंने जांच की थी और उन्हें इस मामले में आगे जांच करने के लिए कोई औचित्य नहीं मिला है।
23.	पीआईएमएस मेडिकल एंड एजूकेशनल चैरीटबल सोसायटी, जालंधर, पंजाब	मामले की जांच हेतु यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है।
24.	इंडियन डेवलपमेंट ग्रुप (इंडिया चैप्टर) पो. बा. नं. 311, गांधी भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सीबीआई ने पूरी सूचना सहित संदर्भ प्रस्तुत करने के लिए गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है।

विवरण-IV

राज्य पुलिस को सौंपे गए मामले

क्रम सं.	एसोसिएशन का नाम	स्थिति
1	2	3
1.	राजस्थान हारवेस्ट मिनिस्ट्रीज, डोर नं. 4/56, अरुल ईलम 5 क्रॉस स्ट्रीट, शांति नगर, पल्लयमकोट्टई, तिरूनेलवेली, तमिलनाडु-627002/ डोर नम्बर, 15सी, वर्ल्ड जिम के सामने, रतनाडा सब्जी मंडी, जयपुर, राजस्थान-342011	यह मामला पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, राजस्थान को भेजा गया है जिसकी प्रति पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस, तमिलनाडु को भेजी गई है।
2.	मत्स्यगंधी महिला वेलफेयर एसोसिएशन, अप्पू घर फिशरमैन कॉलोनी, विशाखापट्टनम (यू), आन्ध्र प्रदेश	यह मामला दिनांक 16.11.2011 को प्रधान सचिव (गृह) आन्ध्र प्रदेश को भेजा गया है।
3.	मदरसा जमियाद रावतूल-ए-हात, पोरबंदर, बाईपास रोड, न्यू माइक्रो टाउन, जिला मंगरोल, जूनागढ़-362225, गुजरात	यह मामला दिनांक 28.11.2011 को सचिव (गृह) गुजरात को भेजा गया है।
4.	माउंट व्यू अकादमी, मदुरई और रीच इंटरनेशनल एजूकेशन एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, कोडीमंगलम, मदुरई, तमिलनाडु	यह मामला दिनांक 05.12.2011 को प्रधान सचिव (गृह) तमिलनाडु को भेजा गया है।
5.	भारतीय कैटल रिसोर्स डेवलपमेंट, नई दिल्ली	विदेशी अभिदाय के दुर्विनियोजन के संबंध में एसोसिएशन पर मुकदमा चलाने के लिए यह मामला मूलतः दिनांक 11.07.2011 को सीबीआई को सौंपा गया था। यह मामला सीबीआई द्वारा लौटा दिया गया था। तत्पश्चात् यह मामला दिनांक 9.1.2012 को पुलिस आयुक्त, दिल्ली को भेजा गया है।
6.	गुड विज़न, कन्याकुमारी	यह मामला दिनांक 07.02.2012 को प्रधान सचिव (गृह) तमिलनाडु को भेजा गया है।
7.	ट्रस्ट फॉर रूरल अपलिफ्ट एंड एजूकेशन, तिरूनेलवेली	यह मामला दिनांक 07.02.2012 को प्रधान सचिव (गृह) तमिलनाडु को भेजा गया है।
8.	एआईडी इंडिया, चेन्नई, तमिलनाडु	दांडिक मामला दायर करने के लिए यह मामला दिनांक 26.06.2012 को पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु को भेजा गया है।
9.	साकेर, नागरकोयल, तमिलनाडु	दांडिक मामला दायर करने के लिए यह मामला दिनांक 28.06.2012 को पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु को भेजा गया है।
10.	सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ सोशल कन्सर्न, तमिलनाडु	यह मामला जुलाई, 2012 में अपर पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु को भेजा गया था।

विवरण-V

एफसीआरए द्वारा रद्द किए राज्यवार गैर-सरकारी संगठन

क्रम सं.	राज्य	गैर सरकारी संगठनों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	670
2.	अरुणाचल प्रदेश	6
3.	असम	4
4.	बिहार	20
5.	चंडीगढ़	6
6.	छत्तीसगढ़	7
7.	दादरा और नगर हवेली	1
8.	दिल्ली	299
9.	गोवा	10
10.	गुजरात	158
11.	हरियाणा	21
12.	हिमाचल प्रदेश	23
13.	जम्मू और कश्मीर	5
14.	झारखंड	9
15.	कर्नाटक	296
16.	केरल	450
17.	मध्य प्रदेश	92
18.	महाराष्ट्र	352
19.	मणिपुर	128
20.	मेघालय	9
21.	मिज़ोरम	2
22.	नागालैंड	35
23.	ओडिशा	160
24.	पुदुचेरी	6
25.	पंजाब	7
26.	राजस्थान	110
27.	तमिलाडु	794
28.	उत्तर प्रदेश	72
29.	उत्तराखंड	2
30.	पश्चिम बंगाल	384
	कुल	4138

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी

***37. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या उपभोक्ता ममाले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले लाभार्थियों की सूची भेजने का आग्रह किया है ताकि इसे तेजी से लागू किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है तथा राज्य-वार कितने लाभार्थियों की पहचान की गई है और किन-किन राज्यों में इसे पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है;

(ग) क्या सरकार उन राज्यों के लिए समय-सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है, जो यह सूची अभी तक भेज नहीं पाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन किया गया है अथवा इसका आकलन किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 दिनांक 05.07.2013 से प्रभावी हो गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अन्तर्गत राजसहायता प्राप्त (सब्सिडाइज्ड)

खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र परिवारों की पहचान हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिकतम 365 दिनों का समय देने का प्रावधान है। चूंकि कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस कार्य को पूरा किया जाना है, अतः उनसे पहचान संबंधी कार्य और अन्य तैयारी संबंधी उपाय शीघ्र पूरे करने के बाद अगले तीन माह के भीतर इस अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

अभी तक 10 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र ने इस अधिनियम के अंतर्गत कवर करने के लिए लाभार्थियों की पहचान का कार्य पूर्ण करने की सूचना दी है और इस अधिनियम के अंतर्गत उन्हें खाद्यान्नों का आबंटन शुरू कर दिया गया है। इनमें से 6 राज्यों में इस अधिनियम के अन्तर्गत उल्लिखित कवरेज के अनुसार पहचान कार्य पूरे किए जाने की सूचना मिली है और शेष 5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहचान कार्य आंशिक रूप से सम्पन्न किया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड ने भी इस अधिनियम के अन्तर्गत लाभार्थियों की पूर्ण पहचान के आधार पर खाद्यान्नों के आबंटन की मांग की है। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चिन्हित लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इस अधिनियम की कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा नियमित आधार पर की जाती है और आवश्यकतानुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं।

विवरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहचान किए गए लाभार्थी

(दिनांक 04.07.2014 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अधिनियम के अंतर्गत जनसंख्या का कुल कवरेज	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचनानुसार कवरेज के लिए चिह्नित व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
पहचान पूर्ण कर ली गई है			
1.	छत्तीसगढ़	200.77	200.77
2.	हरियाणा	126.49	126.49
3.	कर्नाटक	401.93	401.93
4.	महाराष्ट्र	700.17	700.16
5.	पंजाब	141.45	141.44
6.	राजस्थान	446.62	446.62
7.	उत्तराखंड	61.94	61.94
पहचान का कार्य आंशिक रूप से किया गया है			
1.	बिहार	871.16	760.63
2.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	72.78	32.00
3.	हिमाचल प्रदेश	36.82	26.78
4.	मध्य प्रदेश	546.42	480.00
5.	चंडीगढ़	4.96	1.98

कृषि क्षेत्र में विकास

*38. **प्रो. सौगत राय :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत कुछ वर्षों से देश में कृषि क्षेत्र की विकास दर में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में गिरावट के क्या कारण चिन्हित किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश में कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में खाद्य सुरक्षा हेतु कृषि क्षेत्र का सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : (क) और (ख) कृषि (कृषि, पशुधन, वन एवं मात्स्यिकी उप क्षेत्रों सहित) की वृद्धि दर 9वी योजना (2002-07) के दौरान 2.5 प्रतिशत तथा 10वीं योजना (2007-12) के दौरान 2.4 प्रतिशत से सुधर कर 11वीं योजना के दौरान

4.1 प्रतिशत तक हो गई है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी अद्यतन अनुमानों के अनुसार, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों (कृषि, पशुधन, वन एवं मात्स्यिकी उप क्षेत्रों सहित) की वृद्धि दर 2012-13 के दौरान 1.4 प्रतिशत तथा 2013-14 के दौरान 4.7 प्रतिशत है।

इसके अलावा, खाद्यान्नों की उत्पादकता 2002-03 में 1535 कि.ग्रा./हैक्टेयर से बढ़कर 2013-14 में 2095 कि.ग्रा./हैक्ट. हो गई है तथा खाद्यान्नों का उत्पादन 2002-03 में 174.8 मिलियन टन से बढ़कर 2013-14 में 264.2 मिलियन टन हो गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने तथा खाद्य सुरक्षा की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए फार्म क्षेत्र के सतत् विकास को सुनिश्चित करने के संबंध में अनेक उपाय किए हैं, यथा पूंजी निवेश में बढ़ोत्तरी करना, खेती करने के तरीके में सुधार लाना, ग्रामीण अंत:संरचना तथा ऋण, प्रौद्योगिकी एवं अन्य आदानों की डिलीवरी, और बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) के माध्यम से फार्म उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करना, उच्चतर स्तर के प्रापण एवं प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों की व्यवस्था आदि। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विकेंद्रीकृत तरीके से विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है जिसमें राज्य सरकारों को उनकी विशिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उचित परियोजनाओं को बनाने एवं क्रियान्वित करने हेतु नम्यता प्रदान की गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाना

***39. श्री सुल्तान अहमद : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ और सुचारू बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या विभिन्न पक्षों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सार्वभौमिकरण की मांग की गई है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) देश में खाद्यान्नों की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता कितनी है और इनका वर्तमान स्टॉक कितना है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भण्डारण, ढुलाई और अन्य कारणों से खाद्यान्नों की राज्य-वार कुल कितनी मात्रा में क्षति हुई और ढुलाई तथा चोरी के कारण होने वाले नुकसान को समाप्त करने/उसे न्यूनतम करने के लिए क्या उपाए किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुचारू बनाना लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आपूर्ति को जारी रखने, खाद्यान्नों की उपलब्धता तथा वितरण सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 अधिसूचित किया है। सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों को सुदृढ़ करने के लिए इसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकृत करने संबंधी एक योजना स्कीम भी शुरू की है। 5 जुलाई, 2013 से प्रभावी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा उत्तरोत्तर कार्यान्वित करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुछ सुधार भी निर्धारित किए हैं।

(ख) समाज के विशेषकर गरीब वर्गों को लक्षित करने की दृष्टि से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली वर्ष 1997 में आरम्भ की गई थी। यद्यपि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवरेज को सार्वभौमिक (सभी लोगों के लिए) करने संबंधी अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं, फिर भी ऐसा करने से गरीब वर्ग पर दिया जाने वाले विशेष महत्व में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त, खरीद के वर्तमान स्तर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक करने के लिए अपेक्षित खाद्यान्नों की आवश्यकता को पूरा कर पाना व्यावहारिक नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत खाद्यान्नों की राज्य-वार आवश्यकता तथा 16 जून, 2014 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की स्टॉक-स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

(घ) खाद्यान्नों की अधिकतम मात्रा की खरीद को देखते हुए, खाद्यान्नों के भंडारण, ढुलाई आदि के दौरान कुछ मात्रा की क्षति होना स्वाभाविक है। पिछले 3 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में मई, 2014 तक भंडारण, ढुलाई के दौरान क्षतिग्रस्त खाद्यान्न तथा भारतीय खाद्य निगम के पास क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II, III और IV में दिया गया है। भंडारण एवं ढुलाई के दौरान होने वाली क्षति को कम करने तथा खाद्यान्नों की क्षति को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राज्यवार खाद्यान्नों की वार्षिक अनुमानित आवश्यकता तथा केन्द्रीय पूल में 16.06.2014 की स्थिति के अनुसार स्टॉक की स्थिति

(लाख मिट्रिक टन में)

क्र. सं.	खाद्यान्नों की आवश्यकता राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	मात्रा	कुल केन्द्रीय पूल स्टॉक चावल	गेहूं	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	32.10	43.54	1.90	45.44
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.89	0.15	0.00	0.15
3.	असम	16.95	1.52	0.45	1.97
4.	बिहार	55.27	0.78	1.96	2.74
5.	छत्तीसगढ़	12.91	8.26	0.25	8.51
6.	एनसीटी, दिल्ली	5.73	0.12	2.63	2.75
7.	गोवा	0.59	-	-	-
8.	गुजरात	23.95	1.13	5.78	6.91
9.	हरियाणा	7.95	9.72	77.55	87.27
10.	हिमाचल प्रदेश	5.08	0.05	0.20	0.25
11.	जम्मू और कश्मीर	7.51	0.68	0.56	1.24
12.	झारखंड	16.96	1.13	0.00	1.13
13.	कर्नाटक	25.56	4.80	2.05	6.85
14.	केरल	14.25	4.12	1.00	5.12
15.	मध्य प्रदेश	34.68	1.79	82.14	83.93(*)
16.	महाराष्ट्र	45.02	7.17	7.63	14.80
17.	मणिपुर	1.58	0.13	0.01	0.14
18.	मेघालय	1.76	0.14	0.02	0.16
19.	मिज़ोरम	0.66	0.16	0.02	0.18

1	2	3	4	5	6
20.	नागालैंड	1.38	0.22	0.07	0.29
21.	ओडिशा	21.09	7.85	2.40	10.25
22.	पंजाब	8.70	85.35	159.03	244.38
23.	राजस्थान	27.92	0.19	27.21	27.40
24.	सिक्किम	0.44	-	-	-
25.	तमिलनाडु	36.78	9.11	4.29	13.40
26.	त्रिपुरा	2.71	0.13	0.05	0.18
27.	उत्तर प्रदेश	96.15	10.55	18.94	29.49
28.	उत्तराखंड	5.03	1.76	0.55	2.31
29.	पश्चिम बंगाल	38.49	4.71	4.34	9.05
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.16	-	-	-
31.	चंडीगढ़	0.31	-	-	-
32.	दादरा और नगर हवेली	0.15	-	-	-
33.	दमन और दीव	0.07	-	-	-
34.	लक्षद्वीप	0.05	-	-	-
35.	पुदुचेरी	0.50	-	-	-
36.	(**) मंडियों में पड़ा गेहूं	-	0.00	3.61	3.61
37.	ढुलाई मार्ग में स्टॉक	-	3.47	3.82	7.29
	भारत	549.35	208.73	408.46	617.19

तेलंगाना राज्य सहित

नोट :

(*)01 जून, 2014 को मध्य प्रदेश की राज्य एजेंसियों के पास स्टॉक (गेहूं को छोड़कर)

(**)पंजाब (एफसीआई-0.00 लाख टन, राज्य सरकार 00.11 लाख टन) हरियाणा (एफसीआई 0.00 लाख टन, राज्य सरकार-0.90 लाख टन), राजस्थान (एफसीआई-0.5 लाख टन, राज्य सरकार-1.08 लाख टन)

1. ढुलाई संबंधी आंकड़े अनुमानित है तथा 01 जून, 2014 को दर्शाए गए आंकड़े

2. एफसीआई/राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध में चावल में अनमिल्ड धान शामिल नहीं होता है।

3. एफसीआई एवं राज्य एजेंसियों के पास अनमिल्ड धान की कुल मात्रा-103.24 लाख टन (एफसीआई 0.02 लाख टन, राज्य एजेंसियां 103.22 लाख टन), सीएमआर जिसकी गणना 67 प्रतिशत -69.17 लाख टन के अनुपात में की जाती है।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान मई, 2014 तक भंडारण

(मैट्रिक टन में)

अंचल	क्षेत्र	2014-15 (मई, 14 तक अनंतिम) क्षतिग्रस्त मात्रा	2013-14 (अनंतिम) क्षतिग्रस्त मात्रा	2012-13 (लेखा परीक्षित) क्षतिग्रस्त मात्रा	2011-12 (लेखा परीक्षित) क्षतिग्रस्त मात्रा
1	2	3	4	5	6
उत्तर	पंजाब	11028	84026	84853	82724
	हरियाणा	1239	6027	13581	5648
	उत्तर प्रदेश	3001	14209	14013	7846
	उत्तराखंड	59	737	1323	1154
	राजस्थान	-2865	-9679	-9957	-8683
	जम्मू और कश्मीर	32	182	214	102
	दिल्ली	55	1577	1207	311
	हिमाचल प्रदेश	-16	-83	-81	-96
	कुल	12533	96996	105152	89006
पश्चिम	महाराष्ट्र	2065	11435	15015	15686
	गुजरात	681	27	3342	3272
	मध्य प्रदेश	-1660	-39035	-2402	-11243
	छत्तीसगढ़	1678	8636	15859	34128
	कुल	2765	-18937	31813	41843
दक्षिण	आन्ध्र प्रदेश	1380	27500	31458	27225
	कर्नाटक	713	6380	5284	3539
	तमिलनाडु	1104	8284	7868	4816
	केरल	163	1227	1772	421
	कुल	3360	43391	46381	36001

1	2	3	4	5	6
पूर्व	पश्चिम बंगाल	1091	9631	15304	8994
	ओडिशा	557	6143	5683	3403
	बिहार	1140	3904	8336	17911
	झारखंड	351	2020	2311	2479
	कुल	3139	21698	31634	32787
उत्तर-पूर्व	एनईएफ शिलोंग	113	956	705	557
	असम	413	2668	3580	4027
	एनएण्डएम नागालैंड	37	171	1106	453
	अरुणाचल प्रदेश	18	129	122	86
	मणिपुर	1	0	0	0
	कुल	582	3924	5513	5123
	कुल जोड़	22379	147072	220494	204760

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान मई, 2014 तक मार्गस्थ क्षति

(लाख टन में)

अंचल	क्षेत्र	2014-15 (मई, 14 तक अनंतिम) क्षतिग्रस्त मात्रा	2013-14 (अनंतिम) क्षतिग्रस्त मात्रा	2012-13 (लेखा परीक्षित) क्षतिग्रस्त मात्रा	2011-12 (लेखा परीक्षित) क्षतिग्रस्त मात्रा
1	2	3	4	5	6
उत्तर	पंजाब	7401	0	1599	188
	हरियाणा	0	0	216	146
	उत्तर प्रदेश	3075	23084	9849	17823
	उत्तराखंड	171	1045	641	826
	राजस्थान	99	1709	882	2867
	जम्मू और कश्मीर	476	4224	2738	4345
	दिल्ली	295	2521	1117	1688

1	2	3	4	5	6
	हिमाचल प्रदेश	0	0	95	33
	कुल	11517	32583	17137	27916
पश्चिम	महाराष्ट्र	6060	26485	27981	24923
	गुजरात	2264	14267	13501	10501
	मध्य प्रदेश	467	19	498	2010
	छत्तीसगढ़	171	1404	1915	2051
	कुल	8962	42175	43896	39485
दक्षिण	आन्ध्र प्रदेश	1206	12040	8911	5427
	कर्नाटक	1344	17633	14798	14121
	तमिलनाडु	2860	17869	19236	13584
	केरल	1166	7101	7289	5832
	कुल	6576	54643	50234	38964
पूर्व	पश्चिम बंगाल	4327	14452	14880	16797
	ओडिशा	1066	3454	4629	5025
	बिहार	884	15720	12205	10208
	झारखंड	1601	6733	8818	9882
	कुल	7878	40359	40532	41912
उत्तर-पूर्व	एनईएफ शिलोंग	1016	5944	22276	15031
	असम	0	28386	32868	26855
	एनएण्डएम नागालैंड	381	2363	5006	4806
	अरुणाचल प्रदेश	0	0	190	1510
	मणिपुर	229	0	0	0
	कुल	1397	36693	60340	48202
	कुल जोड़	36330	206453	212139	196479

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में 31 मई, 2014 तक एफसीआई के पास क्षतिग्रस्त/ उपयोग न करने योग्य स्टॉक का क्षेत्रवार ब्यौरा

(लाख टन में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (31.05.2014 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	0	997.3	3909.408	690
2.	झारखंड	29	3.43	622.092	0
3.	ओडिशा	36	1	1084.79	0
4.	पश्चिम बंगाल	477	45	12539.85	81.01
5.	असम	442	51.54	180.738	0
6.	पूर्वोत्तर फ्रंटियर (एनईएफ)	0	195	1827.768	0
7.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	3.3	0
8.	नागालैंड और मणिपुर	0	0	32.258	0
9.	दिल्ली	10.9	39.86	34.328	0
10.	हरियाणा	0	148.04	0	0
11.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
12.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
13.	पंजाब	37	123	72.631	37.425
14.	राजस्थान	30	120.83	13.019	0
15.	उत्तर प्रदेश	258	18.3	1109.572	0
16.	उत्तराखंड	72	221	90.21	3.339
17.	आन्ध्र प्रदेश	4.33	24.72	475.509	49.747
18.	केरल	200	0	355	0
19.	कर्नाटक	0	141.76	45.636	692.431
20.	तमिलनाडु	29	749.66	293.786	108.854
21.	गुजरात	226	195	443.958	81.765

1	2	3	4	5	6
22.	महाराष्ट्र	1473	61	1234.1	0
23.	मध्य प्रदेश	0	3.02	76.942	0
24.	छत्तीसगढ़	13.78	8.98	250.749	0
	कुल	3338.01	3148.44	24695.455	1744.571

विवरण-V

भंडारण एवं ढुलाई में होने वाली क्षति को कम करने के लिए उठाए गए कदम

(i) गोदामों/परिसरों की चारहदीवारी में कंटीले तारों की फैंसिंग, स्ट्रीट लाइट लगाना तथा शेड को ठीक प्रकार से बंद करना।

(ii) भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य एजेंसियों जैसे होम गार्ड, डीजीआर स्पोंसर्ड एजेंसी तथा विशेष पुलिस अधिकारी जैसे सुरक्षा स्टाफ को स्टॉकों की सुरक्षा के लिए तैनात करना।

(iii) जोखिम पूर्ण क्षेत्रों में जोखिम वाले डिपों/गोदामों में राज्य सशस्त्र बल तैनात करना।

(iv) किसी भी प्रकार की सुरक्षा में चूक का पता लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर डिपों की सुरक्षा जांच एवं औचक निरीक्षण किया जाता है।

(v) जहां कहीं पर भी चोरी की जानकारी प्राप्त होती है वहां पर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दायर की जाती है। इसके अलावा भय पैदा करने के उद्देश्य से हानि की वसूली सहित विभागीय कार्रवाई भी की जाती है।

(vi) डिपों का निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती की जाती है।

(vii) होने वाली हानियों की क्षेत्र प्रबंधक/महाप्रबंधक (रीजन)/कार्यकारी निदेशक (अंचल) के साथ होने वाली समीक्षा बैठकों के दौरान समीक्षा की जाती है।

खाद्यान्नों के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक भंडारण तथा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

खाद्यान्नों के केन्द्रीय पूल स्टॉक को व्यवस्थित ढंग से रखने उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने तथा हानि से बचाने के लिए भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित एहतियाती एवं सुधारात्मक उपाय अनिवार्य रूप से करने होते हैं।

(i) सभी गोदामों का निर्माण मानदण्डों के अनुसार किया जाता है।

(ii) खाद्यान्नों का भंडारण पद्धतियों की उचित वैज्ञानिक संहिता अपना कर किया जाता है।

(iii) लकड़ी की क्रेटों, बांस की चटाइयों, पॉलीथिन की चद्दरों जैसी पर्याप्त डनेज सामग्री का उपयोग फर्श से नमी आने को रोकने के लिए किया जाता है।

(iv) सभी गोदामों में फ्यूमिगेशन कवर, नॉइलाइन की रस्सियां, जाल का प्रयोग और भंडारित अनाज को कीड़े-मकोड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक प्रदान किए जाते हैं।

(v) भंडारित अनाज को कीटों को संक्रमण से बचाने के लिए गोदामों में रोग निरोधी (कीटनाशकों का छिड़काव) और रोगहर (फ्यूमीगेशन) उपचार नियमित रूप से और समय से किए जाते हैं।

(vi) ढके हुए गोदामों और कैप भंडार दोनों में चूहों के नियंत्रण के प्रभावी उपाय किए जाते हैं।

(vii) कवर तथा प्लिंथ (कैप) में खाद्यान्नों का भंडारण एलीवेटेड प्लिंथ में किया जाता है और डनेज सामग्री के रूप में लकड़ी के क्रेट इस्तेमाल किए जाते हैं। चट्टों को विशेष

रूप से बनाए गए कम घनत्व वाले काले रंग के पोलीथीन वाटर प्रूफ कवर से उचित ढंग से ढका जाता है और उन्हें नाइलॉन की रस्सियों/जाल से बांधा जाता है।

(viii) वरिष्ठ अधिकारियों सहित योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा स्टाक/गोदामों के नियमित आवधिक निरीक्षण किये जाते हैं।

(ix) 'प्रथम आमद प्रथम निर्गम' सिद्धांत का यथा संभव सीमा तक पालन किया जाता है ताकि गोदामों में खाद्यान्नों का लंबी अवधि तक भंडारण से बचा जा सके।

(x) खाद्यान्नों के संचलन ढुलाई के लिए केवल ढकी हुई वैगन इस्तेमाल की जाती हैं ताकि मार्गस्थ-क्षति से बचा जा सके।

[हिन्दी]

खेलों में ग्रामीण युवाओं की भागीदारी

*40. **श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण युवाओं को इनडोर/आउटडोर खेल खेलने और उन्हें राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान सहित अनेक योजनाएं क्रियान्विनाधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न इनडोर/आउटडोर खेलों में राज्य-वार कितने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है; और

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानन्द सोनोवाल) : (क) से (ग) खेल विभाग के तत्वाधान के अंतर्गत केवल एक स्कीम अर्थात् पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) वर्ष 2008-09 से तथा वर्ष 2013-14 तक कार्यान्वित की जा रही थी जिसका उद्देश्य विशेष रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना था। पायका स्कीम को अब आशोधित और संशोधित कर दिया गया है तथा इसे राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) का नाम दिया गया है। आरजीकेए स्कीम का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

पायका स्कीम में केवल खेल-सुविधाओं के प्रबंधन और सामान्य प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए क्रीड़ाश्रियों (अवैतनिक खेल प्रशिक्षक) की सेवाओं के उपयोग का प्रावधान किया गया था। क्रीड़ाश्रियों के पास युवाओं को किसी इंडोर/आउटडोर खेल में विशिष्ट प्रशिक्षण देने की सुविधाएं नहीं थी तथा वे केवल खेल मैदानों के उपयोग में ही मददगार हो सकते थे। आरजीकेए स्कीम में प्रत्येक ब्लॉक स्तर के खेल परिसर में (कार्यरत शारीरिक शिक्षा अध्यापकों में से) लगाए गए तीन खेल प्रशिक्षक विभिन्न आउटडोर और इंडोर खेल विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

पायका स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2013-14 तक अनुमोदित खेल-मैदानों की संख्या, विकसित किए गए खेल-मैदानों की संख्या तथा वार्षिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आरजीकेए के अंतर्गत प्रतियोगिताओं का आयोजन अभी किया जाना है।

विवरण-I

आरजीकेए स्कीम का ब्यौरा

आरजीकेए स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास मंत्रालय की नान-लेप्सेबल सेंट्रल पूल आफ रिसोर्सिस (एनएलसीपीआर-सेंट्रल), योजना आयोग की लेफ्ट विंग उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) स्कीम और पंचायती राज मंत्रालय की पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) की निधियों की समाभिरूपता के माध्यम से प्रत्येक ब्लॉक में आउटडोर और इंडोर खेलों के लिए एक खेल परिसर का निर्माण करने का प्रस्ताव है। ग्राम खेल मैदानों का विकास एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत किया जाना है।

वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं अर्थात् ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं, महिला खेल प्रतियोगिताएं, पूर्वोत्तर खेलों और विशेष क्षेत्र खेलों (एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों के लिए) राष्ट्रीय स्तर पर आरजीकेए के अंतर्गत आयोजित की जाएंगी। उक्त प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए अनुदान राशि में भी वृद्धि की गई है।

विवरण-II

2008-09 से 2013-14 की अवधि के लिए पायका स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित/शामिल ग्राम/ब्लॉक पंचायतों में 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार खेल मैदानों के विकास की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	पायका स्कीम के अंतर्गत गांव/ब्लॉक पंचायतें			विकसित खेल मैदानों की संख्या
		ग्राम पंचायतों की संख्या	ब्लॉक पंचायतों की संख्या	कुल	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	6570	339	6909	6909
2.	अरूणाचल प्रदेश	1420	128	1548	1161
3.	असम	999	66	1065	355
4.	बिहार	847	53	900	-
5.	छत्तीसगढ़	2946	42	2988	691
6.	गोवा	19	4	23	23
7.	गुजरात	1975	44	2019	922
8.	हरियाणा	2476	48	2524	2524
9.	हिमाचल प्रदेश	1685	42	1727	1727
10.	जम्मू और कश्मीर	413	14	427	427
11.	झारखंड	403	21	424	424
12.	कर्नाटक	2825	90	2915	2332
13.	केरल	400	60	460	230
14.	मध्य प्रदेश	6912	93	7005	4670
15.	महाराष्ट्र	5441	70	5511	5511

1	2	3	4	5	6
16.	मणिपुर	79	4	83	83
17.	मेघालय	249	24	273	273
18.	मिज़ोरम	817	26	843	590
19.	नागालैंड	1098	52	1140	690
20.	ओडिशा	3115	155	3270	3270
21.	पंजाब	3699	42	3741	3727
22.	राजस्थान	1786	49	1835	893
23.	सिक्किम	166	95	261	261
24.	तमिलनाडु	1261	38	1299	649
25.	त्रिपुरा	1040	44	1084	648
26.	उत्तर प्रदेश	13080	246	13326	9860
27.	उत्तरखंड	3761	46	3807	2279
28.	पश्चिम बंगाल	335	33	368	368
	संघ राज्य क्षेत्र				
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	60	6	66	-
30.	दमन और दीव	14		14	-
31.	लक्षद्वीप	2	9	11	-
32.	पुदुचेरी	50	5	55	-
	कुल	65943	1988	67931	51497

विवरण-III

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा वर्ष 2013-14 के दौरान पायका स्कीम के अंतर्गत आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2008-09 प्रतिभागियों की संख्या			2009-10 प्रतिभागियों की संख्या			2010-11 प्रतिभागियों की संख्या			2011-12 प्रतिभागियों की संख्या			2012-13 प्रतिभागियों की संख्या			2013-14 प्रतिभागियों की संख्या		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	78081	56016	134097	78153	57058	135211	339848	318971	658819	188692	136711	325403	811517	686325	1497842	114	229	343
2.	अरूणाचल प्रदेश	17412	11898	29310	27232	19600	46832	1638	1170	2808	12588	9622	22210	75	49	124	-	-	0
3.	असम	96429	43471	139900	13	8	21	9724	5488	15212	76359	46208	122567	103	118	221	-	-	0
4.	बिहार	87	56	143	105	56	161	105738	65428	171166	-	-	0		90	90	0	72	72
5.	छत्तीसगढ़	85	49	134	52834	36051	88885	60102	40298	100400	64649	83101	147750	42080	72924	115004	19401	56211	75612
6.	गोवा	92	64	156	-	-	0	1743	1542	3285	-	-	0	2966	5917	8883	0	34	34
7.	गुजरात	95	69	164	87507	66852	154359	7523	5791	13314	-	-	0	103	173	276	98404	101497	199901
8.	हरियाणा	97	70	167	43657	32570	76227	90129	81865	171994	55462	65739	121201	68002	80307	148309	61370	73102	134472
9.	हिमाचल प्रदेश	2771	2369	5140	13314	8015	21329	19120	26095	45215	24000	23159	47159	17424	22215	39639	16735	21245	37980
10.	जम्मू और कश्मीर	-	-	0	-	-	0	53850	6634	60484	45231	9,003	54234	33974	7975	41949	-	-	0
11.	झारखंड	80	60	140	-	-	0	8709	6348	15057	-	-	0	36773	36604	71377	99	100	199
12.	कर्नाटक	97	71	168	65933	47651	113584	90884	109802	200686	82443	122044	204487	38554	126760	215314	109538	163520	273058
13.	केरल	82	67	149	56177	19310	75487	41623	23277	64900	60209	31643	91852	51270	29966	81236	47528	29604	77132
14.	मध्य प्रदेश	93	66	159	98570	49733	148303	117471	89111	206582	109426	95274	204700	110197	100886	211083	91798	88116	179914
15.	महाराष्ट्र	95	71	166	119509	86240	205749	181062	141011	322073	130860	123891	254751	136263	122146	258414	158446	158836	317282
16.	मणिपुर	-	-	0	93	97	190	4745	2912	7657	-	-	0	184	283	467	12823	15805	28628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17.	मेघालय	-	-	0	-	-	0	18871	16715	35586	-	-	0	22514	21492	44006	-	-	0
18.	मिज़ोरम	11836	8156	19992	13624	8134	21758	26473	21489	47962	13239	7.771	21010	21587	17631	39218	16339	15626	31965
19.	नागालैंड	-	-	0	14892	7361	22253	4943	23478	28421	-	-	0	86	53	139	8	0	8
20.	ओडिशा	37479	26888	64367	37514	27382	64896	122030	121510	243540	-	-	0	115536	130896	246.432	39	39804	39843
21.	पंजाब	85993	33425	120418	72303	43181	115484	82411	55594	138005	68655	49925	118580	2620	14749	17369	2728	4263	6991
22.	राजस्थान	-	-	0	82237	62254	144491	67581	30994	98575	-	-	0	88922	71052	159974	-	-	0
23.	सिक्किम	-	-	0	8370	7198	15568	1542	955	2497	30139	25950	56089	31	21	52	-	-	0
24.	तमिलनाडु	97	71	168	246336	150899	397235	392306	398490	790796	157202	98830	256032	189071	178618	367689	124771	134790	259561
25.	त्रिपुरा	10098	6761	16859	9415	6101	15516	13800	18664	32464	9710	16825	26535	14698	25659	40357	18525	28417	46942
26.	उत्तर प्रदेश	130163	59422	189585	190299	112409	302708	398733	180957	579690	347261	210921	558182	296894	182844	479738	135700	80110	215810
27.	उत्तरखंड	-	-	0	9774	6949	16723	78762	67063	145825	126935	33771	160706	33364	40166	73530	38439	49134	87573
28.	पश्चिम बंगाल	42	44	86	47124	18649	65773	66737	25589	92326	39350	19135	58485	36671	17549	54220	308	580	888
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	0	-	-	0	148	148	296	-	-	0	-	-	0	-	-	0
30.	चंडीगढ़	-	-	0	-	-	0	827	541	1368	-	-	0	-	-	0	0	7	7
31.	दादरा और नगर हवेली	-	-	0	-	-	0	623	503	1126	-	-	0	8	5	13	-	-	0
32.	दमन और दीव	-	-	0	-	-	0	810	123	933	-	-	0	-	-	0	-	-	0
33.	दिल्ली	25	26	51	117	84	201	455	3626	8183			0	91	188	279	2818	4307	7123
34.	पुदुचेरी	-	-	0	-	-	0	2437	1651	4088	-	-	0	-	-	0	-	-	0
	कुल	472329	249190	721519	1375102	873842	2248944	2417500	1893833	4311333	1642410	1209523	2851933	2221583	1991661	4213244	055931	1065409	2021340

[अनुवाद]

पी.डी.एस. वस्तुओं की कीमतें

67. **कुमारी शोभा कारान्दलाजे** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के प्रयोजनार्थ चावल, चीनी और गेहूं के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसक क्या कारण हैं;

(ग) क्या इनके मूल्यों में वृद्धि करने से पहले राज्य सरकारों को विश्वास में लिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन वस्तुओं की खरीद, संभलाई और परिवहन की लागत का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) चावल और गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चीनी का निर्गम मूल्य वर्ष 2002 से अपरिवर्तित रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में चावल और गेहूं की खरीद की लागत, हैंडलिंग और परिवहन शुल्क का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रुपए प्रति क्विंटल)

	2011-12		2012-13		2013-14	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
खरीद की लागत (अधिग्रहण लागत)	1862.20	1354.86	2017.59	1482.76	2270.32	1616.33
हैंडलिंग प्रभार	49.13	49.13	51.03	51.03	58.45	58.48
परिवहन प्रभार	75.73	83.18	91.27	107.30	132.14	119.78

चीनी क्षेत्र के विनियंत्रण से पूर्व चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी का भाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश भर में एक समान खुदरा मूल्य पर विरतण के लिए लेवी चीनी के रूप में मांगा जाता था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जनता को लिए वितरित करने के लिए केन्द्र सरकार केन्द्रीय पूल में चीनी का स्टाक नहीं रखती थी। प्रत्यक्ष आवंटी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के मामले में राज्यों द्वारा और भारतीय खाद्य निगम प्रचालित राज्यों के मामले में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चीनी सीधे चीनी मिलों से उठाई जाती थी। केन्द्र सरकार ने 2012-13 चीनी मौसम से उत्पादित चीनी के लिए चीनी मिलों पर लेवी दायित्व लगाने का तंत्र समाप्त कर दिया है। दिनांक 01.06.2013 से एक नई योजना लागू की गई है, जिसके अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खुले बाजार से चीनी की खरीद करने की एक पारदर्शी प्रणाली की तैयार करने की सलाह दी गई है। भारत सरकार उन राज्यों को सब्सिडी प्रदान करेगी जो निर्धारित खुदरा निर्गम मूल्य जारी रखते हैं और इसकी प्रतिपूर्ति आवंटनों के मौजूदा स्तर की मात्रा तक सीमित रहेगी।

[हिन्दी]

रूग्ण डेयरी सहकारिताओं का पुनरूज्जीवन

*68. **श्री देवजी एम. पटेल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में रूग्ण डेयरी सहकारिताओं/ दुग्ध यूनियनों को पुनरूज्जीवित करने के लिए कोई योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष

के दौरान डेयरी सहकारिता/यूनियन-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) भारत सरकार ने राजस्थान में रूग्ण डेयरी सहकारिताओं/दुग्ध संघों के पुनरूद्धार के लिए कोई योजना कार्यान्वित नहीं की है।

(ख) उपर्युक्त उत्तर (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 'सहकारिताओं को सहायता' योजना के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा रूग्ण डेयरी सहकारिता संघों/संगठनों के पुनरूद्धार के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता को (50% भारत सरकार का अंशदान) दर्शाता हुआ राज्य वार और दुग्ध संघवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह योजना चालू वित्त वर्ष 2014-15 से 'राष्ट्रीय गोपशु प्रजनन और डेयरी विकास' में मिला दी गई है जिसके लिए संसद द्वारा चालू बजट सत्र के दौरान अनुसूचित बजट का अनुमोदन किया जायेगा।

विवरण

सहकारिताओं को सहायता योजना के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा रूग्ण डेयरी सहकारिता संघों/संगठनों के पुरूद्धार के लिए प्रदान की गई राज्य वार और दुग्ध संघ वार वित्तीय सहायता (50 प्रतिशत भारत सरकार का अंशदान)

(लाख रुपये में)

	राज्य/दुग्ध संगठन का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15*
1	2	3	4	5	6
1.	**उत्तर प्रदेश**				
i.	बुलंद शहर दुग्ध संघ	0	84.00	45.00	0
ii.	मुजफ्फर नगर दुग्ध संघ	0	106.24	0	0
	उपकुल योग-1	0	190.24	45.00	0
2.	**महाराष्ट्र**				
i.	नासिक दुग्ध संघ	48.10	81.90	0	0
	उपकुल योग-2	48.10	81.90	0	0
3.	**पंजाब**				
i.	अमृतसर दुग्ध संघ	150.00	0	125.00	0
ii.	जालंधर दुग्ध संघ	36.38	0	0	0
iii.	भठिंडा दुग्ध संघ	155.00	0	0	0
iv.	गुरदासपुर दुग्ध संघ	180.86	225.00	50.00	0
v.	संगरूर दुग्ध संघ	250.00	0	200.00	0
	उप-कुल योग-3	772.24	225.00	375.00	0

1	2	3	4	5	6
4.	**तमिलनाडु**				
i.	डिंडीगुल दुग्ध संघ	38.00	28.5	0	0
ii.	कांचीपुरम-तिरूवल्लौर दुग्ध संघ	20.09	0	75.00	0
iii.	थंजावुर दुग्ध संघ	21.57	96.36	0	0
	उप कुल योग-4	76.66	124.86	75.00	0
	कुल योग (उप 1+2+3+4)	900.0	622.00	495.00	0

*'सहकारिताओं को सहायता' योजना को नई योजना राष्ट्रीय गोपशु प्रजनन और डेयरी विकास (एनपीबीडीडी) में समाहित कर दिया गया है।

उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों का विकास

69. श्री सुनील कुमार सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवाद और उग्रवाद की समस्या अभी भी देश के विभिन्न हिस्सों में विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पहचान किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में नक्सल और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों और योजनाओं को लागू किए जाने के लिए कोई योजना बनाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो झारखंड के चतरा जिले सहित इस संबंध में बनाई गई मुख्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) जी, हां। देश के दस राज्य अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल अलग-अलग मात्रा में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य माने जाते हैं। इन राज्यों में से, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार राज्यों को गंभीर रूप से प्रभावित माना जाता है; पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना को आंशिक रूप से प्रभावित माना जाता है; उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मामूली रूप से प्रभावित माना जाता है। सीपीआई (माओवादी), जो देश में सबसे बडा माओवादी संगठन है, देश में हिंसा की अधिकांश घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। सीपीआई (माओवादी) कैडर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के तीन स्थानों (ट्राई-जंक्शन) पर भी लूटमार कर रहे हैं और क्षेत्र में अपने अड्डे स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं। सीपीआई (माओवादी) दल अपनी सैन्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य विद्रोही समूहों के साथ संबंध बनाने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर में संगठनात्मक आधार बनाने का प्रयास कर रहा है। हिंसा प्रभावित जिलों (2013) और 2014 (जून, 2014 तक) की सूची संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ग) और (घ) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए योजना आयोग द्वारा कार्यान्वित की जा रही अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही सड़क आवश्यकता योजना (आरआरपी-I) ऐसी दो विकासात्मक योजनाएं हैं जो विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों पर बल देती है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, जो सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं के सृजन पर बल देती है, को पहले वर्ष 2010-11 तक एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा था। दिनांक 01.08.2013 को सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए एसीए के रूप में आईएपी को जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस योजना जिसमें आरंभ में 60 जिले शामिल थे, में अब 10 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के 76 जिलों सहित 88 जिले शामिल हैं। झारखंड का चतरा जिला उन जिलों में से एक है जो आरंभ से ही इस योजना में शामिल है। इस योजना के तहत प्रति जिला प्रति वर्ष निधियों का आबंटन वर्ष 2010-11 में 25.00 करोड़ रुपये और बाद के वर्षों में 30.00 करोड़ रुपये था। इस योजना के तहत, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों में आरंभ की गई 1,37,733 परियोजनाओं में से, अब तक 1,07,145 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं और अब तक केन्द्र द्वारा जारी कुल 7,299.00 करोड़ रुपये की धनराशि में से 6,561.36 करोड़ रुपये का व्यय किए जाने की सूचना है।

वर्ष 2009-10 से झारखंड के चतरा जिले सहित वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में कार्यान्वित की जा रही आरआरपी-I में 7,300.00 करोड़ रुपये का अनुमानित लागत से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 8 ज़िलों में 5,477 कि.मी. सड़क का विकास करने की परिकल्पना की गई है। इसमें से, दिनांक 31.05.2014 की स्थिति के अनुसार 3,075 कि.मी. की कुल लंबाई पूर्ण कर ली गई है और 3,933.00 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। आरआरपी-I के तहत कार्य को मार्च, 2015 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

विवरण-I

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की सूची

2013

क्र.सं.	राज्य	जिला	दुर्घटना	मौत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	28	7
2.	बिहार	अरवल	4	0
3.		ओरंगाबाद	38	25
4.		बेगूसराय	1	1
5.		भोजपुर	1	0
6.		पूर्वी चम्पारन	3	1
7.		गया	45	19
8.		गोपालगंज	2	2
9.		जमुई	36	8
10.		जेहानाबाद	2	0
11.		लखीसराय	6	3
12.		मुंगेर	4	3
13.		मुजफ्फरपुर	19	4
14.		नालंदा	1	0
15.		पटना	2	1
16.		रोहतास	1	0
17.		सारण	2	0
18.		शिवहर	3	0

1	2	3	4	5
19.		सीतामढ़ी	2	1
20.		वैशाली	5	1
21.	छत्तीसगढ़	बलौद	3	0
22.		बस्तर	18	33
23.		बीजापुर	76	25
24.		दांतेवाड़ा	60	10
25.		धमतरी	2	1
26.		गरियाबंध	9	0
27.		जशपुर	4	0
28.		कांकेर	32	9
29.		कोंडागांव	14	6
30.		कोरीया	1	0
31.		नाराणपुर	35	6
32.		रायगढ़	1	1
33.		राजनंदगांव	17	1
34.		सुकमा	69	19
35.	झारखंड	बोकारो	15	0
36.		छतरा	38	3
37.		देवघर	1	0
38.		धनबाद	4	0
39.		दुमका	2	6
40.		पूर्वी सिंहभूम	8	1
41.		गढ़वा	8	4
42.		गिरिडीह	17	5
43.		गोड्डा	2	0
44.		गुमला	42	32

1	2	3	4	5
45.		हजारीबाग	8	0
46.		जमतरा	1	0
47.		खूंटी	49	34
48.		लातेहर	55	18
49.		लोहारडागा	15	1
50.		पाकुर	1	0
51.		पलामू	50	4
52.		रामगढ़	6	0
53.		रांची	14	10
54.		सरायकेला-खरसवान	5	3
55.		सिमडेगा	21	17
56.		पश्चिम सिंहभूम	25	14
57.	कर्नाटक	चिकमंगलूर	3	0
58.		दक्षिण कन्नड़	1	0
59.	केरल	कोजीकोड	1	0
60.		मलहपुरम	2	0
61.	मध्य प्रदेश	बालाघाट	1	0
62.	महाराष्ट्र	गढ़चिरौली	68	18
63.		गोंदिया	3	1
64.	ओडिशा	बारगढ़	5	0
65.		बोलनगिर	11	0
66.		गजपति	3	0
67.		कालाहांडी	3	0
68.		कंधमाल	1	0
69		कोरापुट	26	12
70.		मालकानगिरी	36	19

1	2	3	4	5
71.		न्यूपाडा	7	4
72.		रायगढ़	4	0
73.		सुवर्णपुर	1	0
74		सुंदरगढ़	1	0
	तेलंगाना	खम्माम	8	4
	पश्चिम बंगाल	पश्चिमी मिदनापुर	1	0
		कुल	1136	397

विवरण-II

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की सूची (अनंतिम)

(01 जनवरी - 30 जून, 2014)

क्र.सं.	राज्य	जिला	दुर्घटना	मौत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	प्रकाशम	1	0
2.		विशाखापत्तनम	10	0
3.	बिहार	अरवल	5	0
4.		औरंगाबाद	9	3
5.		बांगा	2	0
6.		पूर्वी चम्पारन	2	0
7.		गया	28	3
8.		जमुई	25	9
9.		खगड़िया	2	2
10.		लखीसराय	4	1
11.		मुंगेर	4	2
12.		मुजफ्फरपुर	8	2

1	2	3	4	5
13.		नावादा	4	0
14.		सारण	2	0
15.		वैशाली	1	0
16.	छत्तीसगढ़	बलरामपुर	1	0
17.		बस्तर	6	8
18.		बीजापुर	50	23
19.		दांतेवाड़ा	13	8
20.		गरियाबंध	3	0
21.		कांकेर	19	2
22.		कोंडागांव	6	3
23.		नाराणपुर	19	2
24.		राजनंदगांव	11	1
25.		सुकमा	47	24
26.	झारखंड	बोकारो	9	0
27.		छतरा	7	1
28.		धनबाद	1	0
29.		दुमका	2	9
30.		पूर्वी सिंहभूम	6	0
31.		गढ़वा	3	1
32.		गिरिडीह	28	3
33.		गुमला	16	7
34.		हजारीबाग	11	1
35.		खूंटी	24	5
36		कोडरमा	5	0

1	2	3	4	5
37.		लातेहर	27	2
38.		लोहारडगा	6	0
39.		पलामू	25	1
40.		रामगढ़	4	0
41.		रांची	3	1
42.		सिमडेगा	5	4
43.		पश्चिम सिंहभूम	13	11
44.	केरल	वायनाड	1	0
45.	मध्य प्रदेश	बालाघाट	2	0
46.	महाराष्ट्र	गढ़चिरौली	42	22
47.		गोंदिया	2	0
48.	ओडिशा	अंगुल	1	0
49.		बारगढ़	5	0
50.		बौध	1	0
51.		गंजम	1	0
52.		कंधमाल	1	0
53.		कोरापुट	14	6
54.		मलकानगिरी	32	6
55.		न्यूपाडा	2	0
56.		रायगढ़	5	1
57.		सम्बलपुर	2	0
58.		सुंदरगढ़	1	0
59.	तेलंगाना	खम्माम	8	4
		कुल	597	179

[अनुवाद]

कृषि भूमि में कमी

70. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दिन-प्रतिदिन कृषि भूमि कम होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कृषि भूमि में आई कमी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में कम हो रही कृषि भूमि को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) अद्यतन उपलब्ध भू उपयोग सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार, गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए क्षेत्र में अंतरण होने के कारण देश में कृषि भूमि 2008-09 के दौरान 182.5 मिलियन हैक्टेयर से मामूली सी घटकर 2011-12 के दौरान 182.0 मिलियन हैक्टेयर तक हो गई है।

(ग) 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान कृषि भूमि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार, भूमि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, अतः, राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वे कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए अंतरण को रोकने के संबंध में उपयुक्त उपाय करें। राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 (एनपीएफ 2007) के अंतर्गत, राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे औद्योगिक एवं निर्माण क्रियाकलापों सहित गैर-कृषि विकास क्रियाकलापों के लिए गैर-कृषि योग्य भूमि, अम्लीय प्रभावित भूमि आदि जैसी कम जैविकीय क्षमता वाले भूमि को निर्धारित करें। राष्ट्रीय पुनर्वास एवं बंदोबस्त नीति, 2007 (एनआरआरपी, 2007) में यह सिफारिश की गई है कि जहां तक संभव हो, परियोजनाओं को बंजर भूमि, गैर-उन्नत भूमि व गैर-सिंचित भूमि पर स्थापित किया जाए। परियोजनाओं में गैर-कृषि उपयोग के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण को न्यूनतम रखा जाए तथा बहु-फसलीकृत भूमि को हर संभव टाला जाए। सिंचाई युक्त भूमि का अधिग्रहण, यदि इसे टाला नहीं जा सकता है तो न्यूनतम पर रखा जाए।

विवरण

2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान कृषि भूमि के राज्य-वार ब्यौरे

('000 हैक्टेयर)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	15928	15921	15821	15894
अरूणाचल प्रदेश	422	424	424	424
असम	3211	3211	3211	3217
बिहार	6620	6601	6591	6588
छत्तीसगढ़	5581	5570	5580	5557
गोवा	197	197	197	197
गुजरात	12661	12661	12661	12661

1	2	3	4	5
हरियाणा	3728	3730	3681	3698
हिमाचल प्रदेश	822	817	817	817
जम्मू और कश्मीर	1044	1058	1061	1063
झारखंड	4289	4288	4288	4288
कर्नाटक	12892	12891	12849	12850
केरल	2305	2303	2295	2274
मध्य प्रदेश	17322	17298	17307	17284
महाराष्ट्र	21149	21130	21121	21125
मणिपुर	243	240	355	372
मेघालय	1053	1052	1052	1056
मिज़ोरम	348	415	414	389
नागालैंड	659	671	673	686
ओडिशा	7126	6898	6866	6749
पंजाब	4215	4206	4202	4250
राजस्थान	25578	25569	25565	25555
सिक्किम	98	98	98	98
तमिलनाडु	8146	8131	8132	8129
त्रिपुरा	278	277	277	277
उत्तराखंड	1547	1548	1547	1546
उत्तर प्रदेश	19166	19148	19126	19099
पश्चिम बंगाल	5689	5684	5666	5697
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27	28	28	28
चंडीगढ़	2	2	2	2
दादरा और नगर हवेली	24	24	24	24

1	2	3	4	5
दमन और दीव	4	4	4	4
दिल्ली	54	53	53	53
लक्षद्वीप	3	2	2	2
पुदुचेरी	30	30	30	30
अखिल भारत	182459	182179	182018	181983

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय।

सब्जियों की कीमतों में वृद्धि

71. **श्री धनंजय महाडीक :**
श्री राजीव सातव :
डॉ. ए. सम्पत :
श्री एम.बी. राजेश :
श्री पी.के. बिजू :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान पूरे देश में सब्जियों, फलों, दूध तथा अन्य कृषि वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्याज के निर्यात को कम करने के लिए प्याज के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य लागू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कमजोर मानसून की संभावना से इस वर्ष भी सब्जियों तथा अन्य कृषि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) (आधार वर्ष 2004-05 –100) का संकलन अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है। जनवरी, 2014-मई, 2014 के दौरान सब्जियों, फलों, दूध तथा अन्य चुनिंदा कृषि वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक नीचे दिए गए हैं।

वस्तु	जनवरी, 2014	फरवरी, 2014	मार्च, 2014	अप्रैल, 2014	मई, 2014
1	2	3	4	5	6
अनाज	229.9	230.9	231.1	230.6	230.1
चावल	230.0	231.5	232.1	234.1	237.8
गेहूं	220.2	220.9	218.1	212.9	208.1
दलहनें	226.9	224.2	227.7	231.4	233.4
सब्जियां	216.8	197.6	198.4	219.4	234.1
आलू	198.6	171.3	192.6	227.2	270.9

1	2	3	4	5	6
प्याज	341.6	273.9	243.6	240.4	260.9
फल	202.4	206.1	216.6	230.7	234.5
दूध	225.7	229.1	230.1	230.5	233.6
तिलहनें	202.2	203.0	207.0	211.3	217.3

जैसा कि ऊपर बताया गया है, सूचकांकों में प्रवृत्ति के आधार पर फल एवं दूध के मूल्य प्रवृत्तियों में जनवरी, 2014 से मई, 2014 तक अनुकूल रूप से वृद्धि हुई है तथा सब्जियों एवं दलहनों की मूल्य प्रवृत्तियों में मार्च, 2014 से वृद्धि हुई है। अनाजों के मूल्य सूचकांक में अप्रैल-मई 2014 के दौरान मामूली सी गिरावट हुई है।

फलों एवं सब्जियों सहित कुछ कृषि जिन्सों के मूल्य में वृद्धि विभिन्न कारणों से हो सकती है जैसे मांग एवं आपूर्ति के बीच असमानता, मौसमी घटकें, प्रतिकूल मौसम स्थिति आदान लागतों में वृद्धि आदि।

(ग) और (घ) सरकार ने प्याज के लिए 17.06.2014 से अमेरिकी डॉलर 300 प्रति टन तक का न्यूनतम निर्यात मूल्य लागू किया है तथा आगे 02.07.2014 से इसमें 500 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक की वृद्धि की गई है।

(ङ) और (च) कृषि फसलों के उत्पादन तथा इनके मूल्य, मानसून मौसम के दौरान देश में हो रही सकल वर्षा की स्थिति से प्रभावित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के वर्तमान पूर्वानुमान के अनुसार चालू मानसून के दौरान देश में सकल वर्षा 7 प्रतिशत तक कम होने की संभावना है।

कम वर्षा स्थिति के कारण होने वाली किसी भी घटना का सामना करने के लिए, सरकार ने 500 कृषि जिलों के लिए फसल आपदा योजना का विकास किया है। किसी भी संभाव्य सूखा स्थिति का सामना करने के लिए राज्यों द्वारा उचित सूखा कमी उपायों को प्रारंभ किया जा रहा है यथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत जल हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण, नमी संरक्षण के लिए कृषि संबंधी व्यवसायों को बढ़ावा देना, कम जल उपयोग वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देना, नहरों की डीसिल्टिंग करके सिंचाई अंतसंरचना को पुन: स्थापित करना, ट्यूबवेलों को बढ़ावा देना, खराब पंपों को बदलना/मरम्मत करना।

[हिन्दी]

नक्सल विरोधी उपाय

72. **श्री हंसराज गंगाराम अहीर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बढ़ रहे नक्सली हमलों को देखते हुए सरकार का विचार नक्सलवाद का सामना करने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) की सहायता लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरास क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी सहायता के ब्यौरों को प्रकट नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड को वित्तीय सहायता

73. **एडवोकेट जोएस जॉर्ज** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल सहित देश में फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड (एफ.ए.सी.टी.) इकाइयों को पुनरुज्जीवित करने के लिए कोई वित्तीय सहायता पैकेज प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि जारी कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चंद) : (क) और (ख) फैक्ट की संचित हानि और निवल मूल्य में कमी को देखते हुए सार्वजनिक उद्यम पुनर्संरचना बोर्ड (बीआरपीएसई) द्वारा दिसम्बर, 2013 में एक वित्तीय पुनर्संरचना पैकेज की सिफारिश की गई थी। बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर, फैक्ट को वित्तीय राहत की संस्वीकृति हेतु आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) से अनुमोदन लेने हेतु एक प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया। हालांकि केन्द्र में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय ने नए सिरे से अन्तर्मंत्रालयीन विचार-विमर्श करने का परामर्श दिया है।

(ग) और (घ) पूर्वोल्लेखित प्रस्ताव पर सीसीईए के अनुमोदन के पश्चात् ही निधियां जारी की जा सकती हैं।

राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम

74. **श्री एंटो एन्टोनी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एन.सी.आई.पी.) नामक योजना का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को एन.सी.आई.पी. योजना के अंतर्गत नारियल पॉम बीमा योजना (सी.पी.आई.एस.) के कार्यान्वयन के लिए केरल सरकार से निवेदन/फीडबैक प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी) की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- राजसहायता के प्रावधान के साथ बीमांकित प्रीमियम दरें प्रभारित की जाती हैं, जिसे केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 आधार पर वहन किया जाता है;
- दावों की पूरी देयता कार्यान्वयक बीमा कंपनियों पर है;
- यह ऋणी किसानों के अनिवार्य तथा गैर ऋणी किसानों के लिए वैकल्पिक है;
- तटीय क्षेत्रों में चक्रवात के कारण बुआई पूर्व/रोकी गई बुवाई तथा फसल कटाई पश्चात् हानियों के लिए जोखिम कवरेज;
- ऐसे क्षेत्रों जहां कम से कम 50 प्रतिशत फसल उपज हानि हुई हो, में तत्काल राहत के रूप में संभावित दावों के 25 प्रतिशत अग्रिम तक आन अकाउंट भुगतान;
- थ्रेसहोल्ड उपज की गणना के लिए और अधिक कुशल आधार;
- पहले के 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत के बजाय 80 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत के 2 उच्च क्षतिपूर्ति स्तर;
- बीमा के यूनिट क्षेत्र को ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर तक लाना।

(ग) और (घ) नारियल पाम बीमा स्कीम (सीपीआईएस) को पायलट आधार पर वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया था। उत्पादकों से प्रोत्साहक प्रतिक्रिया तथा संबंधित राज्यों से सकारात्मक फीड बैक के आधार पर स्कीम को केरल सहित सभी नारियल उत्पादक राज्यों में वर्ष 2013-14 से एनसीआईपी के भाग के रूप में पूरी तरह से जारी रखा गया है।

मात्स्यिकी हार्बर के लिए आबंटन

75. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केरल में क्यूलडों और थलई स्थित मात्स्यिकी हाबर हेतु सरकार द्वारा किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार सरकार का इस संबंध में अतिरिक्त निधियों हेतु केरल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग (डीएडी एंड एफ), कृषि मंत्रालय ने 2013-14 के दौरान समुद्री मात्स्यिकी अवसंरचना तथा पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 50% केन्द्रीय सहायता के साथ किलांदे (कोलियांदी) तथा थलाई में मत्स्यन बंदरगाहों के निर्माण संबंधी केरल सरकार के संशोधित प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	मत्स्यन बंदरगाह का नाम	जिला	संशोधित प्रस्ताव को अनुमोदित करने की स्थिति	संशोधित प्रस्ताव की लागत	टिप्पणियां
1.	कोयिलांदी	कोजाईकोड	4.3.2014	6399.00	3545 लाख रुपए की कुल लागत के साथ इस मत्स्यन बंदरगाह संबंधी मूल प्रस्ताव को दिसम्बर, 2005 में अनुमोदित कर दिया गया।
2.	थलाई	कन्नूर	4.3.2014	3479.50	1925.74 लाख रुपए की कुल लागत के साथ इस मत्स्यन बंदरगाह संबंधी मूल प्रस्ताव को फरवरी, 2007 में अनुमोदित कर दिया गया।

पशुपालन विभाग ने कालिंदे में मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण के लिए दिसम्बर, 2005 से मार्च, 2012 की अवधि के दौरान केरल सरकार को अभी तक 6 किस्तों में 1772.50 लाख रुपए की राशि जारी की है। इसी प्रकार पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ने कुन्नूर जिले के थलाई में मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण के लिए मार्च, 2007 से जुलाई, 2010 की अवधि के दौरान राज्य सरकार को 4 किस्तों में 850 लाख रुपये जारी कर दिए हैं। इन दो मत्स्यन बंदरगाह परियोजनाओं के लिए पिछले दो वित्तीय वर्षों (2012-13 तथा 2013-14) के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। केरल सरकार ने पशुपालन, डेयरी तथा मात्स्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय से कोयिलांदी तथा थलाई के संबंध में क्रमश: 1427 लाख रुपए तथा 889.75 लाख रुपये का शेष केन्द्रीय हिस्सा जारी करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार को निधियां वर्तमान वित्तीय वर्ष (2014-15) के दौरान इस योजना को जारी रखने संबंधी अनुमोदन तथा निधियों की उपलब्धता की शर्त पर जारी होंगी।

उर्वरकों की उत्पादन लागत

76. डॉ. ए. सम्पत : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों की उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए अर्थोपाय तलाशने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उर्वरकों की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चंद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यूरिया सरकार द्वारा सांविधिक रूप से नियत अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर बेचा जाता है। वर्तमान में 1 नवम्बर, 2012 से यह 5360 रुपये प्रति मी. टन (बिक्री कर एवं लगाए गए अन्य स्थानीय करों समेत) है।

जहां तक फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों का संबंध है, सरकार 1 अप्रैल, 2010 से पोषण आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति कार्यान्वित कर रही है। एनबीएस नीति के तहत, राजसहायता प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर उनके पोषक (एनपीके और एस) घटक के अनुसार वार्षिक आधार पर निश्चित राजसहायता की एक नियत राशि उपलब्ध कराई जाती है। तैयार उर्वरकों के मूल्य और इनकी कच्ची सामग्री के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, इनवेंटरी स्टॉक, उर्वरकों के घरेलू मूल्य, विद्यमान विनिमय दर इत्यादि जैसे सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विशिष्ट वित्तीय वर्ष की एनबीएस दरें निश्चित की जाती हैं।

हमारा देश तैयार उर्वरकों अथवा मध्यवर्तियों के रूप में पोटाशयुक्त क्षेत्र में 100% तक और फास्फेटयुक्त क्षेत्र में 90% तक आयात पर निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और इसकी कच्ची सामग्री/मध्यवर्तियों

के मूल्य में किसी भी प्रकार की वृद्धि और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से देश में पीएण्डके उर्वरकों के मूल्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

पीएण्डके उर्वरकों और इसकी कच्ची सामग्री/मध्यवर्तियों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य नरम पड़ने पर पीएण्डके उर्वरकों के मूल्य 2012-13 के बाद कम हो गए।

ऑनलाइन विपणन

77. **श्री नलीन कुमार कटील : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से बेचे जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता के संबंध में कोई रिपोर्ट/शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की कुप्रथा पर रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई आरम्भ की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में ऑनलाइन कारोबार को विनियमित करने और इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लाने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) से (घ) उपभोक्ताओं द्वारा किए जाने वाले सभी व्यापारिक लेन-देन, चाहे वह ऑनलाइन हो अथवा अन्यथा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत आते हैं और शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों के समाधान के लिए विभिन्न उपभोक्ता मंचों अर्थात् जिला उपभोक्ता मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग से सम्पर्क कर सकते हैं। तथापि, ऑनलाइन व्यापार से सम्बन्धित शिकायतों का समाधान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत कोई अलग तन्त्र नहीं है।

चीनी का निर्यात

78. **श्री बी.वी. नाईक : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में कितने मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ;

(ख) वर्तमान में किन-किन देशों को चीनी का निर्यात किया जा रहा है और तत्संबंधी मात्रा कितनी है;

(ग) क्या इस निर्यात के कारण चीनी की कीमतों में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बढ़ी कीमतों को किस प्रकार नियंत्रित किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) गत तीन चीनी मौसमों और चालू मौसम 2013-14 के दौरान 31 मई, 2014 तक देश में उत्पादित चीनी की प्रमात्रा नीचे दी गई है:

चीनी मौसम (अक्तूबर-सितंबर)	चीनी उत्पादन (लाख मी. टन में प्रमात्रा)
2010-11	243.50
2011-12	263.43
2012-13 (अनंतिम)	251.83
2013-14 (31 मई, 2014 तक) (अनंतिम)	242.27

स्रोत: शर्करा निदेशालय।

(ख) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस), कोलकाता द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार चालू चीनी मौसम 2013-14 के दौरान (मार्च, 2014 तक) देश-वार चीनी के निर्यात के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) चीनी के मूल्य घरेलू बाजार में विभिन्न घटकों जैसे कच्चे माल की लागत, परिवर्तन लागत, उत्पादन, घरेलू मांग और आपूर्ति की स्थिति, बाजार के रुझानों और अंतर्राष्ट्रीय चीनी मूल्यों के रूझानों इत्यादि पर निर्भर करते हैं। इसलिए केवल एक घटक के प्रभाव को दर्शा पाना संभव नहीं है। अभी घरेलू बाजार में चीनी के मूल्य स्थिर हैं।

विवरण

चालू चीनी मौसम 2013-14 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान मार्च, 2014 तक निर्यात की गई चीनी की देश-वार प्रमात्रा

क्र. सं.	देश	निर्यात की गई चीनी की प्रमात्रा (मी. टन में)
1	2	3
1.	बहराईन आईएस	5601

1	2	3
2.	बंगलादेश पीआर	25200
3.	भूटान	1691
4.	कनाडा	1872
5.	चीन पी आरपी	9711
6.	क्रोएशिया	1523
7.	डिजबोटी	31426
8.	इथियोपिया	17499
9.	घाना	1459
10.	ईरान	365880
11.	इराक़	19808
12.	इज़रायल	2063
13.	जोर्डन	48361
14.	केन्या	29694
15.	कुवैत	12488
16.	लीबिया	30000
17.	मैडागास्कर	5770
18.	मलेशिया	10802
19.	मालदीव	3808
20.	मोज़ाम्बिक	6815
21.	म्यांमार	21034
22.	नेपाल	6174
23.	ओमान	62577
24.	कतर	3438
25.	रूस	1563
26.	रंवाडा	7770
27.	समोआ	1760
28.	सउदी अरब	65916
29.	सिंगापुर	12444
30.	सोमालिया	127077
31.	दक्षिण अफ्रीका	8691
32.	श्रीलंका डीएसआर	224391
33.	सूडान	242654
34.	सीरिया	4215
35.	तन्जानिया	83328
36.	टोगो	1950
37.	ट्यूनिशिया	1508
38.	टर्की	25243
39.	संयुक्त अरब अमीरात	141388
40.	संयुक्त राज्य अमेरिका	5851
41.	युगांडा	9254
42.	वियतनाम एसओसी गणराज्य	6189
43.	यमन गणराज्य	42665
44.	ज़िम्बाबवे	3484
45.	अन्य	11805
	कुल	1753840

खरीद नीति

79. श्री प्रताप सिम्हा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो दर्जन से भी अधिक वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के बावजूद भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के माध्यम से गेहूं, धान और चावल की ही खरीद पर केन्द्रित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या खरीद नीति चावल तथा गेहूं के उत्पादन को ही प्रोत्साहित करती है जिसके लिए देश में पर्याप्त बफर स्टॉक है तथा यह दाल तथा तिलहनों सहित अन्य वस्तुओं की कीमत पर होता है जिनका बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) से (घ) यह सच है कि सरकार दो दर्जन से अधिक कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है और भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के जरिए गेहूं और धान की खरीद अन्य जिंसों की तुलना में अधिक की जाती है। तथापि, सरकार गेहूं और चावल की तुलना में मोटे अनाज, दलहन और तिलहन फसलों के किसानों को मूल्य समर्थन पर ज्यादा जोर दे रही है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्ष 2008-09 से 2014-15 के दौरान जहां धान (सामान्य) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 850/- रुपए प्रति क्विंटल (जमा 50/- रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस) से बढ़कर 1360/- रुपए प्रति क्विंटल, तथा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1080/- रुपए प्रति क्विंटल (जमा 50/- रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस) से बढ़कर 1400/- रुपए प्रति क्विंटल हो गया है, वहीं इसी अवधि के दौरान ज्वार जैसे मोटे अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अधिक वृद्धि हुई है, अर्थात हाइब्रिड किस्म के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 840/- रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 1530/- रुपए प्रति क्विंटल और मलडंडी किस्म के लिए 860/- रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 1550/- रुपये प्रति क्विंटल तथा रागी के लिए 915/- रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 1550/- रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इसी प्रकार सरकार ने इसी अवधि के दौरान दालों जैसे खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी वृद्धि की है जैसा कि अरहर के मामले में 2000/- रुपये प्रति क्विंटल से 4350/- रुपए प्रति क्विंटल, मूंग में 2520/- रुपए प्रति क्विंटल से 4600/- रुपए प्रति क्विंटल, उड़द में 520/- रुपए प्रति क्विंटल से 4350/- रुपए प्रति क्विंटल, चने में 1730/- रुपए प्रति क्विंटल से 3000/- प्रति क्विंटल और मसूर में 1870/- रुपए प्रति क्विंटल से 2950/- रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि स्पष्ट है। इसी अवधि में तिलहन जिंसों के मामले में भी काफी वृद्धि की गई है, जैसे कि मूंगफली में 2100/- रुपए प्रति क्विंटल से 4000/- रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमूखी बीज में 2215/- रुपए प्रति क्विंटल से 3750/- रुपए प्रति क्विंटल, तिल में 2700/- रुपए प्रति क्विंटल से 4600/- रुपये प्रति क्विंटल से 1830/- रुपये प्रति क्विंटल 3050/- रुपये प्रति क्विंटल और मिलिंग कोपरा में 3660/- रुपये प्रति क्विंटल से 5100/- रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि से स्पष्ट है। हाल ही के वर्षों के दौरान सरकार ने इन जिंसों का अधिक उत्पादन करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अनेक कदम उठाए हैं। जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग हेतु कृषि अवसंरचना के निर्माण, विभिन्न परिस्थितियों के लिए उपयुक्त फसल संरक्षण प्रौद्योगिकियों, स्थान विशिष्ट किस्मों/हाइब्रिड तथा प्रौद्योगिकियों के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

सब्जी उत्पाद का बर्बाद होना

80. श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री देवजी एम. पटेल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि तीस प्रतिशत सब्जियां खेतों से मुख्य और गौण बाजारों को पहुंचाने की प्रक्रिया में बर्बाद हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का बर्बादी को रोकने के लिए देश में शीतागार श्रृंखलाएं और प्रसंस्करण केन्द्र और फसल पकाने वाले चैम्बरों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने किसानों को उत्पादन बाजार दर और मौसम की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयारी की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) परिवहन के दौरान सब्जी उत्पाद की बर्बादी का विवरण उपलब्ध नहीं है तथापि केन्द्रीय फसलोपरान्त अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीएचईटी) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा 2012 में प्रकाशित अध्ययन में सब्जी की फसलोपरान्त हानि 6.8% से 12.5% के बीच रहने का अनुमान किया गया था। हानि का अनुमान विभिन्न स्तरों जैसे खेत प्रचालन, फार्म भंडारण, शीत भंडारण, थोक तथा खुदरा भंडारण एवं प्रसंस्करण प्रश्चात भंडारण पर लगाया गया था।

(ग) सरकार शीत भंडारों, प्रसंस्करण इकाईयों, पैक हाउसों, पूर्व शीतलन इकाईयों, नियंत्रित तापमान भंडारण, रीफर वेन की स्थापना

तथा पकाई कक्षों की स्थापना सहित फसलोपरान्त अवसंरचना के निर्माण के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न ऋण संबद्ध सहायता कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) स्कीम के तहत व्यवसायियों, सहकारिताओं, तथा कम्पनियों को इन गतिविधियों के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत की 35% तथा पहाड़ी क्षेत्रों में परियोजना लागत की 50% ऋण संबद्ध पार्श्वांत राजसहायता उपलब्ध है। इसके अलावा खेत से उपभोक्ता को समेकित शीत शृंखला तथा प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदाने करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमएफपीआई) स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है। कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय भी निर्यात गतिविधियों से संबंधित शीत शृंखला की लागत के लिए सहायता प्रदान करता है।

(घ) और (ङ) उत्पादन, मंडी पहुंच कीमत तथा मौसम स्थितियों के बारे में सूचना एगमार्कनेट तथा विभाग के किसान पोर्टल पर उलब्ध कार्रवाई की जा रही है। सूचना का प्रसार प्रिंट तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा भी किया जाता है।

[अनुवाद]

किसानों द्वारा आत्महत्या किया जाना

81. श्री एम. बी. राजेश : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्याएं की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाए किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की "भारत में दुर्घटनावश मृत्यु एवं आत्महत्याएं" रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 और 2013 के दौरान खेती/कृषि में स्व-रोजगार व्यक्तियों द्वारा क्रमशः कुल 13,754 तथा 11,772 आत्महत्याएं की गईं, जो कि आत्महत्या की घटती प्रवृति को दर्शाती है। उपर्युक्त अवधि के दौरान खेती/कृषि में स्व-रोजगार व्यक्तियों द्वारा की गई आत्महत्याओं की राज्य/संघ राज्य शासित क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। वर्तमान वर्ष अर्थात् 2014 के दौरान किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं से संबंधित आंकड़े को एनसीआरबी द्वारा वर्ष 2015 में प्रकाशित किया जाएगा।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार आत्महत्याओं के कारणों में पारिवारिक समस्याएं, बीमारी, नशे की लत/आदत, बेरोजगारी, सम्पत्ति विवाद, दिवालियापन अथवा आर्थिक स्थिति में अचानक परिवर्तन, गरीबी व्यावसायिक/कैरियर की समस्या, प्रेम संबंधी मामले, दरिद्रता/नपुंसकता, शादी रद्द होना/न होना, दहेज विवाद, सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट, अज्ञात कारण आदि शामिल हैं।

कृषि संबंधी कारणों से किसानों की आत्महत्या के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ ऋण ग्रस्तता, फसल असफलता, सूखा, सामाजिक-आर्थिक और व्यक्तिगत कारण शामिल हैं।

(ग) हालांकि कृषि राज्य का विषय है, भारत सरकार ने निवेश में बढ़ोतरी करके, कृषि पद्धतियों ग्रामीण अवसंरचना, विस्तार, विपणन, आदि में सुधार करके कृषि क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए तथाा सतत् आधार पर कृषक समुदाय की स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकारों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप समुचित परियोजना बनाने तथा उनका कार्यान्वयन करने में लचीलेपन के साथ विकेन्द्रीकृत तरीके से विभिन्न कार्यक्रम/स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। सरकार का मुख्य बल फार्म आय में विस्तार, गैर फार्म आय अवसरों के सृजन, वर्षा सिंचित कृषि की उत्पादकता में सुधार, संरक्षी सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्रों की कवरेज को बढ़ाने तथा समुचित पश्च एवं अग्र सम्पर्कों की स्थापना किए जाने पर है। सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए अन्य उपायों में —कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र की ओर संस्थागत ऋण प्रवाह में वृद्धि, ऋण माफी/राहत, फसल ऋणों पर ब्याज छूट, अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने के लिए पुनरूद्धार पैकेज आदि शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 2012-13 के दौरान खेती/कृषि में स्व-रोजगार व्यक्तियों द्वारा की गई आत्महत्याओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012	2013
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2572	2014

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	37
3.	असम	344	305
4.	बिहार	68	127
5.	छत्तीसगढ़	4	0
6.	गोवा	1	1
7.	गुजरात	564	582
8.	हरियाणा	276	374
9.	हिमाचल प्रदेश	29	33
10.	जम्मू और कश्मीर	10	18
11.	झारखंड	119	142
12.	कर्नाटक	1875	1403
13.	केरल	1081	972
14.	मध्य प्रदेश	1172	1090
15.	महाराष्ट्र	3786	3146
16.	मणिपुर	0	1
17.	मेघालय	10	5
18.	मिज़ोरम	10	6
19.	नागालैंड	9	2
20.	ओडिशा	146	150
21.	पंजाब	75	83
22.	राजस्थान	270	292
23.	सिक्किम	19	35
24.	तमिलनाडु	499	105
25.	त्रिपुरा	18	56
26.	उत्तर प्रदेश	745	750
27.	उत्तराखंड	14	15
28.	पश्चिम बंगाल	एनआर	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	5
30.	चंडीगढ़	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	6	15
32.	दमन और दीव	0	0
33.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	21	8
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0
	कुल (अखिल भारत)	13754	11772

स्रोत: भारत में दुर्घटनावश मृत्यु एवं आत्महत्याएं, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

एनआर- वर्ष 2012 के लिए उपर्युक्त वर्गीकरण हेतु पश्चिम बंगाल ने डाटा उपलब्ध नहीं कराया।

[हिन्दी]

अरबी खजूर के पेड़ लगाना जाना

82. श्री देवजी एम. पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में अरबी खजूर के पेड़ लगाए जाने के संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एक हैक्टेयर क्षेत्र में लगाए जाने वाले संभावित पौधों की संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है?

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके लिए प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता कितनी है और इससे किसानों को कितना लाभ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत राजस्थान सरकार राज्य में खजूर रोपण को बढ़ावा दे रही हैं।

वर्तमान में निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार राज्य में दो परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है:–

(i) जैसलमेर और बीकानेर जिलों में सरकारी फार्म में खजूर के बगान लगाना।

(ii) राज्य के 12 जिलों में किसानों के खेतों पर खजूर के बगान लगाना।

(ग) और (घ) केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर ने एक हैक्टेयर क्षेत्र में लगाए जाने वाले पौधों की संभावित संख्या संस्तुत की है जिसमें किसानों के खेतों पर प्रति हैक्टेयर भूमि पर 160 पौधे लगाने की सिफारिश की गई है।

(ङ) राजस्थान राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार परियोजना के अंतर्गत, अधिकतम 10 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए पौधों की लागत की 90 प्रतिशत की सीमा तक वित्तीय सहायता दी जाती है।

खजूर उच्च मूल्य फसल हैं और वर्तमान में आयात के माध्यम से इसकी मांग पूरी की जा रही है।

[अनुवाद]

आतंकवादियों की घुसपैठ

83. मोहम्मद फैज़ल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के तटीय क्षेत्रों से आतंकवादियों की संभावित घुसपैठ के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरसा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) जी, हां। गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न माध्यमों से कुछ जानकारियां मिली हैं जिनसे विभिन्न आतंकवादी समूहों द्वारा तटीय क्षेत्रों से देश में घुसपैठ करके हमला करने की योजनाओं का पता चलता है। इन खतरों की निष्प्रभावी करने के लिए ये सभी सूचनाएं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने हेतु संबंधित बलों/एजेंन्सियों के साथ साझा की गई हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा

84. श्री के. सी. वेणुगोपाल : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वार कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और विगत तीन वर्षों मे प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का योजना और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सकरार ने 'लघु पर्यटन स्थल' के विकास के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी योजना और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) कला एवं शिल्प, हथकरघा, वस्त्र, प्राकृतिक वातावरण आदि में मूलभूत क्षमता वाले गांवों में ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के मुख्य उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय की एक ग्रामीण पर्यटन योजना है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके द्वारा पहचाने गए प्रत्येक स्थल के अवसंरचना विकास के लिए 50.00 लाख रु. और क्षमता निर्माण के लिए 20.00 लाख रुपये तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रत्येक के दौरान स्वीकृत राशि और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) पर्यटन मंत्रालय की इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्वीकृत, निर्मुक्त और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा

वर्ष 2011-12 : (लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	स्वीकृत ग्रामीण पर्यटन स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	62.54	50.04	62.54	2

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.88	68.81	36.42	2
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0
4.	असम	0.00	0.00	0.00	0
5.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0
6.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0
7.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0
9.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0
10.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0
11.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0
12.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0
13.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0
15.	जम्मू और कश्मीर	266.19	212.95	246.88	5
16.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0
17.	केरल	0.00	0.00	0.00	0
18.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0
19.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0
20.	महाराष्ट्र	17.29	13.83	0.00	1
21.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0
22.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0
23.	मिज़ोरम	50.00	40.00	5.00	1
24.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0
25.	नागालैंड	268.44	233.60	233.60	8
26.	ओडिशा	20.00	16.00	0.00	1

1	2	3	4	5	6
27.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0
28.	पंजाब	15.93	12.74	4.75	1
29.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0
30.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0
31.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0
32.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0
33.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0
34.	उत्तराखंड	17.00	13.60	0.00	1
35.	पश्चिम बंगाल	70.00	56.00	0.00	2
	कुल	873.27	717.57	589.19	24

वर्ष 2012-13: (लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	स्वीकृत ग्रामीण पर्यटन स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	16.00	0.00	1
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0
4.	असम	0.00	0.00	0.00	0
5.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0
6.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0
7.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0
9.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0
10.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0

1	2	3	4	5	6
11.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0
12.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0
13.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0
15.	जम्मू और कश्मीर	51.00	40.80	17.00	3
16.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0
17.	केरल	0.00	0.00	0.00	0
18.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0
19.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0
20.	महाराष्ट्र	49.08	39.26	30.0	1
21.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0
22.	मेघालय	50.00	40.00	0.00	1
23.	मिज़ोरम	62.70	50.16	0.00	2
24.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0
25.	नागालैंड	203.34	40.67	0.00	6
26.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0
27.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0
28.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0
29.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0
30.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0
31.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0
32.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0
33.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0
34.	उत्तराखंड	0.17	0.03	0.03	1

1	2	3	4	5	6
35.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0
	कुल	436.29	226.92	47.03	15

वर्ष 2013-14:

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	स्वीकृत ग्रामीण पर्यटन स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0
4.	असम	0.00	0.00	0.00	0
5.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0
6.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0
7.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0
9.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0
10.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0
11.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0
12.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0
13.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0
15.	जम्मू और कश्मीर	9.28	7.10	0.00	15
16.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0
17.	केरल	0.00	0.00	0.00	0
18.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0

1	2	3	4	5	6
19.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0
20.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0
21.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0
22.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0
23.	मिज़ोरम	0.00	0.00	0.00	0
24.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0
25.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0
26.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0
27.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0
28.	पंजाब	0.16	0.13	0.05	1
29.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0
30.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0
31.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0
32.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	1
33.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0
34.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0
35.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0
	कुल	9.44	7.23	0.05	17

वर्ष 2014-15 : (लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	स्वीकृत ग्रामीण पर्यटन स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0

1	2	3	4	5	6
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0
4.	असम	0.00	0.00	0.00	0
5.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0
6.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0
7.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0
9.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0
10.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0
11.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0
12.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0
13.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0
15.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0
16.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0
17.	केरल	0.00	0.00	0.00	0
18.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0
19.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0
20.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0
21.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0
22.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0
23.	मिज़ोरम	0.00	0.00	0.00	0
24.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0
25.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0
26.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0

1	2	3	4	5	6
27.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0
28.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0
29.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0
30.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0
31.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0
32.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0
33.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0
34.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0
35.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0
	कुल	0.00	0.00	0.00	0

खेल प्रोत्साहन योजना

85. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या **कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार/भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में जारी किए गए एवं उपयोग किए गए अनुदानों का स्कीम एवं कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में नई/अतिरिक्त स्कीमों/कार्यक्रमों को शुरू करने सहित देश में खेल और खेल सुविधाओं की दशा में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे व्यापक उपायों का ब्यौरा क्या है?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानन्द सोनोवाल) : (क) भारत सरकार देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्कीमों को कार्यान्वित कर रही इनमें राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) शामिल है जिसके अंतर्गत देश में प्रत्येक ग्रामीण ब्लॉक पंचायत में 1.76 करोड़ रुपये प्रति खेल परिसर की लागत से एकीकृत खेल परिसरों का निर्माण किया जाएगा और प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस) के अंतर्गत सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और सिंथेटिक हॉकी फील्ड बिछाने तथा बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण के लिए 4.5 करोड़ रुपये से लेकर 6.00 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त नि:शक्तजनों में खेलों के संवर्धन, खेलों में मानव संसाधन विकास, मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन, खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों और नकद पुरस्कारों की स्कीमें भी हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण विभिन्न संवर्धन स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों को अनुभवी कोचों द्वारा वैज्ञानिक सहायता सहित प्रशिक्षण दिया जाता है। इन स्कीमों में राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी), सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी), भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी), विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी), उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) और आओ और खेलों स्कीम शामिल हैं।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राज्य संघ राज्यक्षेत्र-वार खर्च का विवरण नहीं रखा जाता। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान

विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को प्रदत्त कुल निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

2011-2012	-	235.90 करोड़ रुपये
2012-2013	-	245.00 करोड़ रुपये
2013-2014	-	276.00 करोड़ रुपये
2014-2015 (जून, 2014 तक)	-	2,71,70,000/-

(ख) भारत सरकार देश में खेलों और खेल सुविधाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए व्यापक उपाय कर रही है। इस प्रयोजन के लिए सरकार विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है जिसका ब्यौरा पैरा (क) के उत्तर में दिया गया है। राजीव गांधी खेल अभियान और खेलों में मानव संसाधन विकास स्कीम का शुभारंभ हाल ही में किया गया है।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण

86. **श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान :** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन विरासत स्थलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इन योजनाओं के अन्तर्गत लाकर लाभान्वित किया गया है;

(ग) क्या भारत को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा संबंधी अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है और इसके पेरिस स्थित यूनेस्को के मुख्यालय के नौवें-सत्र में भाग लेने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे सत्र से देश को किस प्रकार के लाभ होने की संभावना है; और

(ङ) देश में इन विरासत स्थलों का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाये गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार देश में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने हेतु विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित करती है। इन स्कीमों में वे विरासत स्थल शामिल नहीं हैं, जिनकी देख-रेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा पृथक रूप से की जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत को 2014-2018 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अन्त: सरकारी समिति के लिए निर्वाचित किया गया है और यह यूनेस्को के नौवें सत्र में भाग लेगा।

उपर्युक्त समिति में शामिल होने से, यह आशा की जाती है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु देश की विशिष्ट अपेक्षाओं और चिंताओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाया जा सकता है। इससे अन्य बातों के साथ-साथ संस्कृति में भारतीय हित विषयक मुद्दों पर जागरूकता में वृद्धि एवं अन्य राजकीय पक्षों के साथ खुली वार्ता हो सकती है। इसके अलावा, भारत हमारी राष्ट्रीय/स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप अधिक उपयुक्त अन्तरराष्ट्रीय सांस्कृतिक नीतियों को तैयार करने में एक अधिक अग्रसक्रिय भूमिका निभा सकता है।

(ङ) एएसआई के अधीन संरक्षित स्मारकों/स्थलों को पुरातत्वीय मानकों, संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, आवश्यकता के आधार पर ढांचागत मरम्मत कार्य के माध्यम से संरक्षित, परिरक्षित और अनुरक्षित किया जाता है। ये केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल परिरक्षण की अच्छी स्थिति में हैं। केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण, रख-रखाव तथा आस-पास के परिवेश के विकास कार्य के अलावा, केन्द्रीय संरक्षिता स्मारकों/स्थलों में पर्यटक संबंधी सुख-सुविधाएं (यथा-पेयजल, शौचालय खंड, विक्लांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं, पथ सांस्कृतिक सूचना पट्ट/पहचान सूचक, वाहन पार्किंग, अमानती सामानघर आदि) उपलब्ध कराना नियमित कार्यकलाप हैं, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रारंभ किया जाता है।

[हिन्दी]

नि:शक्त व्यक्तियों हेतु रैम्पों का निर्माण

87. **श्री अर्जुन राम मेघवाल :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की सभी सार्वजनिक इमारतों/स्थानों में नि:शक्त व्यक्तियों हेतु अवरोध मुक्त प्रवेश प्रदान करने के लिए राज्यों को सहायतार्थ अनुदान के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में रैम्पों के निर्माण के लिए राज्यों को कोई अनुदेश/निर्देश जारी किए हैं ताकि नि:शक्त व्यक्तियों को कार्यालय के भीतर आवाजाही में आसानी हो सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे पूरा करने हेतु प्रस्तावित समय अनुसूची क्या है; और

(ङ) राज्यों के विरुद्ध इस मामले में गैर-अनुपालन के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) और (ख) ही हां, विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के लिए योजना के अर्न्तगत, मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को महत्वपूर्ण सरकारी भवनों (राज्य सचिवालय, अन्य महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय कार्यालय, कलेक्ट्रेटस राज्य विश्वविद्यालय भवन/परिसर/मैडिकल कॉलेज और मंडल मुख्यालय में मुख्य अस्पताल, अन्य महत्वपूर्ण सरकारी भवन) में विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों को संरक्षण और अधिकारों की पूर्ण भागीदारिता) अधिनियम, 1995 (पीडब्ल्यूडी एक्ट) की धारा 46 के अनुसार अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इसमें रैम्पस, रेल्स, लिफ्टस, व्हील चेयर का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों हेतु अनुकूल प्रसाधन, ब्रेल साइनेज और बोलने वाले संकेतक, टैक्टाइल फ्लोरिंग आदि शामिल हैं।

(ग) विकलांग व्यक्ति अधिनियम की धारा 44,45,46 परिवहन, सड़कों पर और निर्मित वातावरण में विकलांग व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने से संबंधित है। सभी संस्थापन, संबंधित सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा विकलांग व्यक्ति अधिनियम की इन धाराओं का अनुपालन, उनकी आर्थिक क्षमता के भीतर विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान पहुंच प्रदान करने हेतु कुछ उपाय किए जाने, जो भेदभाव रहित विधि से हो, अनिवार्य है। यह मंत्रालय और साथ ही विकलांग व्यक्तियों हेतु मुख्य आयुक्त द्वारा समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से विकलांग व्यक्तियों को बाधामुक्त पहुंच प्रदान करवाने जिसमें कार्यालय के भीतर आसान आवागमन हेतु सुविधाएं शामिल हो, प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।

(घ) विकलांग व्यक्तियों हेतु मुख्य आयुक्त द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के मुख्य सचिवों को दिनांक 14.01.2012 के पत्र द्वारा पहुंच हेतु मानकों और दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए ठोस तथा समयवतबद्ध कदम उठाने के लिए लिखा गया है।

सीसीपीडी कार्यालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों/अधिकारियों के साथ जब भी विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच हेतु सुविधाओं की उपलब्धता में कमी को ध्यान में लाया जाता है, इस मामलों को उठाया जाता है।

संबंधित राज्यों के विकलांग व्यक्तियों हेतु आयुक्तों से भी अपनी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र को प्रशासन के साथ अनुवर्ती कार्यवाही करवाने का अनुरोध किया जाता है।

(ङ) इस मामले में अनुपालन न करने के लिए कार्यवाही संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य क्षेत्र में आती है। इस संबंध में सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश भेज दिये गये हैं।

[अनुवाद]

मृदा की उर्वरता

88. **श्री निशिकान्त दुबे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में मृदा की उर्वरता का आकलन और निगरानी के लिए विद्यमान तंत्र क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में झारखंड सहित सभी राज्यों में मृदा की घटती उर्वरता को रोकने के लिए कोई योजना/परियोजनाएं प्रारंभ की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार फसल उत्पादकता में उर्वरकों के

संतुलित प्रयोग के संबंध में किसानों को प्रशिक्षित/शिक्षित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा कौन-सी योजनाएं चलाई जा रही हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) दीर्घावधिक उर्वरक प्रयोगों पर अपनी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) प्रमुख फसलन पद्धतियों के तहत देश के विभिन्न मृदा प्रकारों पर उपयोग किए जा रहे विभिन्न एनपीके उर्वरक उपचार मिश्रणों के तहत मृदा उर्वरता में परिवर्तनों को मूल्यांकन व मॉनिटरन कर रही है। ये सब नियत स्थान (फिक्सड साइट) प्रयोग हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2008-09 के दौरान राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता परियोजना (अब जिसे वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन घटक में मिला दिया गया है) शुरू की गई ताकि झारखंड सहित सभी राज्यों में मृदा स्वास्थ्य एवं उत्पादकता में सुधार करने के लिए उर्वरकों के मृदा जांच आधारित संतुलित व विवेकसंगत उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

परियोजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के लिए 8 नई स्थायी मृदा जांच प्रयोगशालाओं (एसटीएल), 3 नई चल मृदा जांच प्रयोगशालाओं (एसटीएल), एक नई उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना, 8 स्थायी एसटीएल का सुदृढ़ीकरण, एसटीएल कर्मचारियों के लिए 8 प्रशिक्षण, 8 किसान प्रशिक्षण, 8 फील्ड प्रदर्शन तथा 80 फ्रंटलाइन फील्ड प्रदर्शन के लिए वर्ष 2009-10 तथा वर्ष 2013-14 के दौरान 512.41 लाख रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है।

(घ) और (ङ) फसल उत्पादकता में उर्वरकों के संतुलित उपयोग के विषय में किसानों को प्रशिक्षित व शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) घटक के तहत 20 सहभागियों के लिए 10,000 रु. प्रति प्रशिक्षण की दर से फील्ड प्रदर्शन तथा 20,000 रुपये प्रति प्रदर्शन की दर से फ्रंटलाइन फील्ड प्रदर्शन सहित किसानों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के तहत वर्ष 2013-14 तक 934 किसान प्रशिक्षण, 1109 फील्ड प्रदर्शन तथा 707 फ्रंटलाइन फील्ड प्रदर्शन संस्वीकृत किए गए हैं।

उपर्युक्त के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समय-समय पर प्रशिक्षणों/फ्रंटलाइन प्रदर्शनों (एफएलडी) के माध्यम से संतुलित व समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों को शिक्षित भी करती है।

खाद्यान्न उत्पादन

89. **श्रीमती के. मरगथम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो अनाज और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में कृषि क्षेत्र के विकास और खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) देश में खाद्यान्नों का उत्पादन 2010-11 में 244.49 मिलियन टन से बढ़कर 2011-12 में 259.29 मिलियन टन हो गया था। 2012-13 के दौरान देश के कुछ भागों में विलम्ब/कम वर्षा के कारण 257.13 मिलियन टन तक मामूली सी गिरावट के बाद, 2013-14 के दौरान (तीसरे अग्रिम अनुमान) खाद्यान्नों के उत्पादन में 264.38 मिलियन टन के एक रिकार्ड स्तर तक बढ़ोत्तरी हुई है। 2011-12 से 2013-14 के दौरान खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) देश में कृषि क्षेत्र को विकसित करने तथा खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से, भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से अनेक फसल विकास योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम-चावल, गेहूं, मोटे अनाज एवं दलहन), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के उप-घटक के रूप में पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति लाना (बीजीआरईआई)।

विवरण

2011-12 से 2013-14 के दौरान मुख्य खाद्यान्न फसलों का राज्य-वार उत्पादन

उत्पादन ('000 टन)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	चावल						गेहूं						मोटे अनाज					
				विगत वर्षों की तुलना में वृद्धि/कमी						विगत वर्षों की तुलना में वृद्धि/कमी						विगत वर्षों की तुलना में वृद्धि/कमी		
	2011-12	2012-13	2013-14*	2011-12	2012-13	2013-14*	2011-12	2012-13	2013-14*	2011-12	2012-13	2013-14*	2011-12	2012-13	2013-14*	2011-12	2012-13	2013-14*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
आन्ध्र प्रदेश	12895.0	11510.0	13436.2	-1523.0	-1385.0	1926.2	11.0	10.0	8.0	-2.0	-1.0	-2.0	4227.1	5519.5	5420.5	-216.9	1292.4	-99.0
अरुणाचल प्रदेश	255.0	263.0	#	21.0	8.0	-	6.5	4.4	#	0.6	-2.1	-	90.5	91.6	#	5.8	1.1	-
असम	4516.3	5128.5	4970.6	-220.4	612.2	-157.9	60.3	44.2	49.7	7.5	-16.1	5.5	18.2	23.5	19.8	1.2	5.3	-3.7
बिहार	7162.6	7529.3	5212.1	4060.5	366.7	-2317.2	4725.0	5357.2	5322.9	627.4	632.2	-34.3	1648.3	2510.3	1575.6	163.8	862.1	-934.7
छत्तीसगढ़	6028.4	6608.8	6716.4	-130.6	580.4	107.6	133.1	141.3	106.1	6.3	8.2	-35.2	209.9	244.7	260.7	-22.0	34.8	16.0
गोवा	121.8	122.8	#	6.8	1.1	-	एनजी	एनजी	एनजी	-	-	-	0.1	0.1	#	0.0	-0.1	-
गुजरात	1790.0	1541.0	1916.0	293.4	-249.0	375.0	4072.0	2944.0	3650.4	52.5	-1128.0	706.4	2232.3	1999.0	2331.2	129.7	-233.3	332.2
हरियाणा	3759.0	3976.0	3998.0	287.0	217.0	22.0	12685.7	11117.0	11460.0	1055.7	-1568.7	343.0	1387.0	1003.0	1038.0	18.0	-384.0	35.0
हिमाचल प्रदेश	131.6	125.3	132.5	2.7	-6.4	7.2	595.8	608.6	567.8	49.3	12.8	-40.8	752.1	700.8	715.1	47.9	-51.3	14.3
जम्मू और कश्मीर	544.7	818.1	552.7	37.0	273.4	-265.4	500.3	462.4	472.2	54.0	-37.9	9.8	528.1	537.3	508.9	-22.8	9.2	-28.4
झारखंड	3130.6	3164.9	2741.1	2020.6	34.3	-423.8	302.6	319.5	347.4	144.2	16.8	28.0	330.1	463.8	489.8	51.6	133.7	26.0
कर्नाटक	3955.0	3364.0	3521.0	-233.0	-591.0	157.0	193.0	179.0	151.0	-86.0	-14.0	-28.0	6813.0	6061.0	6393.5	-1032.3	-752.0	332.5
केरल	569.0	508.3	499.7	46.3	-60.7	-8.6	एनजी	एनजी	एनजी	-	-	-	0.6	0.3	0.3	-0.8	-0.3	0.0
मध्य प्रदेश	2227.3	2775.0	2780.7	455.2	547.7	5.8	11538.5	13133.4	13927.7	3911.4	1594.9	794.3	2467.1	2616.2	2433.4	300.5	149.1	-182.8
महाराष्ट्र	2841.0	3057.0	2915.0	145.0	216.0	-142.0	1313.0	1181.0	1669.0	-988.0	-132.0	488.0	6122.0	4429.3	6586.1	-1201.6	-1692.7	2156.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
मणिपुर		591.0	257.6	#	69.3	-333.4	-	5.4	6.0	#	0.1	0.6	-	45.9	44.7	#	4.3	-1.1	-
मेघालय		216.5	232.0	#	9.5	15.5	-	0.6	0.7	#	-0.1	0.1	-	28.3	28.7	#	0.7	0.4	-
मिज़ोरम		54.3	30.5	#	7.1	-23.8	-	एनजी	एनजी	एनजी	-	-	-	8.4	8.0	#	-5.2	-0.4	-
नागालैंड		382.4	405.2	#	1.0	22.8	-	5.4	5.9	#	0.0	0.5	-	144.0	145.9	#	-1.1	1.9	-
ओडिशा		5807.0	7295.5	7389.7	-1020.7	1488.4	94.3	2.4	2.0	2.3	-1.8	-0.4	0.3	259.4	287.0	320.7	-101.1	27.6	33.6
पंजाब		10542.0	11374.0	10997.5	-295.0	832.0	-376.5	17280.1	16591.0	16159.5	808.1	-689.1	-431.5	552.0	525.0	569.0	14.0	-27.0	44.0
राजस्थान		253.4	222.5	312.6	-12.2	-30.9	90.1	9319.6	9275.5	9780.6	2105.1	-44.1	505.1	7464.7	6912.9	6346.8	-627.8	-551.8	-566.2
सिक्किम		20.9	21.3	#	-0.1	0.5	-	2.7	0.6	#	-0.1	-2.1	-	73.8	78.3	#	-1.0	4.5	-
तमिलनाडु		7458.7	4049.9	5520.5	1666.3	-3408.8	1470.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2323.8	1333.0	2864.3	767.3	-990.8	1531.3
त्रिपुरा		718.3	713.2	#	15.8	-5.1	-	0.5	1.3	#	-0.1	0.8	-	5.1	4.7	#	1.0	-0.4	-
उत्तर प्रदेश		14022.0	14416.0	14628.0	2030.0	394.0	212.0	30292.6	30301.9	30318.3	291.6	9.3	16.3	3566.0	3695.5	3603.3	348.4	129.5	-92.2
उत्तराखंड		594.0	579.8	583.0	43.6	-14.2	3.2	878.0	858.2	834.0	0.0	-19.8	-24.2	331.0	338.4	299.0	-4.0	7.4	-39.4
पश्चिम बंगाल		14605.8	15023.7	15290.0	1559.9	417.9	266.3	872.9	895.9	938.0	-1.5	23.0	42.1	376.4	434.6	490.9	6.0	58.2	56.3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		24.0	21.5	#	0.1	-2.5	-	एनजी	एनजी	एनजी	-	-	-	0.3	0.2	#	-0.1	-0.1	-
दादरा और नगर हवेली		18.6	27.4	#	-2.3	8.8	-	0.3	0.3	#	0.0	0.0	-	1.8	1.8	#	-0.9	0.0	-
दिल्ली		19.8	19.7	#	0.1	-0.1	-	84.8	65.3	#	-26.2	-19.5	-	6.7	4.7	#	-5.3	-2.0	-
दमन और दीव		एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	-	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	-	0.0	0.4	#	एनजी	एनजी	-
पुदुचेरी		42.1	46.5	#	-9.9	4.4	-	एनजी	एनजी	एनजी	-	-	-	0.1	0.2	#	0.0	0.0	-
*अन्य		एनए	एनए	2174.0	एनए	एनए	-	एनए	एनए	84.4	एनए	एनए	-	एनए	एनए	409.2	एनए	एनए	-
अखिल भारत		105301.0	105231.6	106287.2	9331.0	-69.4	1055.6	94882.1	93506.5	95849.2	8008.1	-1375.6	2342.7	42014.0	40044.2	42676.3	-1383.1	-1969.8	2632.1

*15.05.2014 के अनुसार तीसरा अग्रिम अनुमान, #अन्य में शामिल, एनजी : उगाया नहीं, एनए : लागू नहीं

—जारी

2011-12 से 2013-14 के दौरान मुख्य खाद्यान्न फसलों का राज्य-वार उत्पादन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तूर						चना					
				विगत वर्षों की तुलना में वृद्धि/कमी						विगत वर्षों की तुलना में वृद्धि/कमी		
	2011-12	2012-13	2013-14*	2011-12	2012-13	2013-14*	2011-12	2012-13	2013-14*	2011-12	2012-13	2013-14*
आंध्र प्रदेश	146.0	251.0	242.0	-119.0	105.0	-9.0	520.0	762.0	759.0	-200.0	242.0	-3.0
अरुणाचल प्रदेश	0.6	0.5	#	0.1	-0.1	-	एनजी	एनजी	एनजी	-	-	-
असम	4.1	4.9	4.8	-1.0	0.9	-0.1	0.9	1.0	0.9	0.0	0.1	-0.1
बिहार	33.5	47.1	49.1	-3.0	13.6	2.0	76.8	86.2	76.6	16.5	9.4	-9.6
छत्तीसगढ़	23.4	32.3	30.3	-0.8	8.9	-2.0	240.4	285.2	285.2	-1.1	44.8	0.0
गोवा	एनजी	एनजी	एनजी	-	-	-	एनजी	एनजी	एनजी	-	-	-
गुजरात	257.0	270.0	288.0	-16.0	13.0	18.0	273.0	168.2	284.0	73.0	-104.8	115.8
हरियाणा	20.0	16.4	10.0	-7.0	-3.6	-6.4	72.0	53.0	105.0	-38.0	-19.0	52.0
हिमाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.5	0.1	-0.2	0.0
जम्मू और कश्मीर	एनजी	एनजी	एनजी	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
झारखण्ड	103.0	202.4	216.6	31.8	99.4	14.2	136.0	162.3	153.9	62.5	26.3	-8.4
कर्नाटक	354.0	366.3	627.0	-175.0	12.3	260.7	468.1	623.0	546.0	-162.9	154.9	-77.0
केरल	2.5	1.9	0.8	-0.4	-0.7	-1.1	एनजी	एनजी	0.4	-	-	-
मध्य प्रदेश	334.2	351.0	463.0	169.7	16.8	112.0	3290.3	3812.4	3817.0	603.7	522.1	4.6
महाराष्ट्र	871.0	966.0	973.0	-105.0	95.0	7.0	815.0	854.0	1671.0	-485.0	39.0	817.0
मणिपुर	एनजी	एनजी	एनजी	-	-	-	-	0.6	#	0.0	0.6	-
मेघालय	0.6	0.9	#	0.0	0.3	-	0.4	0.3	#	0.1	0.0	-
मिजोरम	एनजी	एनजी	एनजी	-	-	-	एनजी	एनजी	एनजी	-	-	-
नागालैंड	2.2	2.6	#	0.0	0.4	-	0.5	0.6	#	0.0	0.1	-
ओडिशा	115.4	128.5	127.8	-8.6	13.1	-0.7	29.8	31.9	36.2	-2.9	2.1	4.3
पंजाब	3.0	2.8	2.9	-0.9	-0.2	0.1	2.0	2.8	5.0	-0.7	0.8	2.2
राजस्थान	12.7	14.8	9.4	-3.5	2.1	-5.4	1061.1	1277.4	1546.1	-539.6	216.3	268.8
सिक्किम	एनजी	एनजी	एनजी	-	-	-	एनजी	एनजी	एनजी	-	-	-
तमिलनाडु	31.3	31.1	58.6	7.6	-0.2	27.4	5.5	4.5	5.7	0.6	-1.0	1.2
त्रिपुरा	1.2	1.1	#	0.3	-0.1	-	0.1	0.1	#	-0.1	0.0	-
उत्तर प्रदेश	334.0	325.0	267.0	25.0	-9.0	-58.0	684.0	676.0	592.0	154.0	-8.0	-84.0
उत्तराखंड	2.0	2.4	3.0	0.8	0.4	0.6	1.0	0.4	1.0	0.6	-0.6	0.6
पश्चिम बंगाल	0.5	2.1	2.4	-1.7	1.5	0.3	24.4	29.6	37.8	0.7	5.1	8.3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.1	0.0	#	0.1	0.0	-	एनजी	एनजी	एनजी	-	-	-
दादरा और नगर हवेली	1.2	1.1	#	-0.4	-0.2	-	0.1	0.2	#	-0.3	0.0	-
दिल्ली	0.6	0.5	#	-0.1	-0.1	-	0.1	0.1	#	0.0	0.0	-
दमन और दीव	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	-	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी	-
पुदुचेरी	एनजी	एनजी	एनजी	-	-	-	एनजी	एनजी	एनजी	-	-	-
अन्य	एनए	एनए	6.7	एनए	एनए	-	एनए	एनए	2.0	एनए	एनए	-
अखिल भारत	2654.1	3022.7	3382.2	-207.1	368.6	359.5	7702.3	8832.5	9925.3	-518.8	1130.2	1092.8

*तीसरा अग्रिम अनुमान।

उत्पादन ('000 टन)

कुल दलहन						कुल खाद्यान्न					
			विगत वर्षों की तुलना में वृद्धि/कमी						विगत वर्षों की तुलना में वृद्धि/कमी		
2011-12	2012-13	2013-14*	2011-12	2012-13	2013-14*	2011-12	2012-13	2013-14*	2011-12	2012-13	2013-14*
1230.0	1623.0	1394.0	-210.0	393.0	-229.0	18363.1	18662.5	20258.8	-1951.9	299.4	1596.3
10.5	10.6	#	1.4	0.1	-	362.5	369.6	#	28.8	7.1	-
68.6	84.4	79.5	-1.6	15.9	-4.9	4663 3	5280.6	5119.6	-213.2	617.3	-161.0
511.3	542.8	515.5	-26.4	31.4	-27.3	14047.2	15939.6	12626.1	4825.3	1892.4	-3313.5
499.1	648.7	635.5	-38.4	149.6	-13.2	6870.5	7643.6	7718.7	-184.7	773.1	75.1
8.3	9.0	#	0.3	0.7	-	130.2	131.8	#	7.1	1.7	-
780.0	572.2	794.0	57.0	-207.8	221.8	8874.3	7056.2	8691.6	532.7	-1818.1	1635.4
127.0	130.4	197.0	-31.5	3.4	66.6	17958.7	16226.4	16693.0	1329.2	-1732.3	-466.6
30.8	46.1	36.0	-10.8	15.3	-10.1	1510.3	1480.7	1451.3	89.2	-29.6	-29.4
13.2	14.2	16.2	-3.5	1.0	2.0	1586.3	1831.9	1550.1	64.7	245.6	-281.8
412.0	609.3	551.7	82.4	197.3	-57.6	4175.3	4557.5	4130.0	2298.7	382.1	-427.5
1134.1	1259.3	1450.0	-430.9	125.2	190.7	12095.1	10863.3	11515.5	-1782.1	-1231.8	652.2
2.5	3.2	3.9	-0.4	0.7	0.7	572.1	511.8	503.9	45.0	-60.3	-7.9
4161.9	5165.9	5093.6	775.7	1004.0	-72.3	20394.8	23690.4	24235.4	5442.7	3295.6	545.0
2268.0	2306.0	3183.0	-831.8	38.0	877.0	12544.0	10973.3	14353.1	-2876.4	-1570.7	3379.8
26.9	28.4	#	2.6	1.5	-	669.1	336.7	#	76.4	-332.4	-
3.7	3.7	#	0.0	0.0	-	249.1	265.0	#	10.0	16.0	-
5.3	3.3	#	-0.7	-2.0	-	68.0	41.8	#	1.1	-26.2	-
34.7	43.6	#	-1.8	9.0	-	566.5	600.6	#	-1.8	34.2	-
343.4	424.4	412.4	-83.5	81.0	-12.0	6412.3	8008.8	8125.1	-1207.0	1596.6	116.3
15.0	53.0	19.9	-4.3	38.0	-33.1	28389.1	28543.0	27745.9	522.8	153.9	-797.1
2432.1	1956.8	2354.6	-827.6	-475.3	397.8	19469.7	18367.7	18794.5	637.5	-1102.0	426.8
5.9	5.8	#	-6.0	0.0	-	103.2	106.0	#	-7.1	2.8	-
369.3	209.9	369.3	123.3	-159.4	159.4	10151.8	5592.8	8754.1	2556.9	-4559.0	3161.3
6.0	6.0	#	0.8	0.0	-	729.9	725.2	#	17.5	-4.7	-
2403.0	2332.0	2042.0	366.0	-71.0	-290.0	50283.6	50745.4	50591.6	3036.0	461.8	-153.8
49.0	51.3	57.0	-3.1	2.3	5.8	1852.0	1827.7	1773.0	36.5	-24.3	-54.7
130.6	192.3	246.0	-45.5	61.6	53.7	15985.7	16546.5	16964.9	1518.9	560.6	418.5
1.0	0.7	#	-0.2	-0.3	-	25.3	22.4	#	-0.2	-2.9	-
4.0	5.0	#	-2.1	1.0	-	24.6	34.4	#	-5.3	9.8	-
0.7	0.7	#	-0.1	0.0	-	112.0	90.3	#	-31.5	-21.7	-
0.0	0.0	#	एनजी	एनजी	-	3.3	3.8	#	एनजी	एनजी	-
1.0	0.8	#	-0.3	-0.2	-	43.2	47.5	#	-10.2	4.3	-
एनए	एनए	117.0	एनए	एनए	-	एनए	एनए	2784.4	एनए	एनए	-
17088.9	18342.5	19567.9	-1152.0	1253.5	1225.4	259286.0	257124.7	264380.5	14804.0	-2161.3	7256.7

उपभोक्ता अधिकार आयोग

90. श्री राजीव सातव :

श्री धनंजय महाडीक :

क्या **उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार प्रहरी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तर्ज पर उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण हेतु कोई आयोग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त आयोग को शिकायत लेने और स्व: प्रेरणा संज्ञेय से मामलों की जांच और दोषियों को अभियोजित करने की कार्यकारी शक्तियां प्राप्त होंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आयोग हेतु तैयार विस्तृत ढांचा और विचारार्थ विषय क्या है; और

(ङ) इस आयोग को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) से (ङ) ऐसे किसी आयोग का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

आईडीपीएल इकाइयों का पुनरूद्धार

91. योगी आदित्यनाथ : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में कार्यरत भारतीय औषधि और भेषज लिमिटेड (आईडीपीएल) का ब्यौरा क्या है;

(ख) बीमार घोषित या बीमार घोषित किए जाने की प्रक्रिया में आईडीपीएल इकाइयों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में इन इकाइयों के यथाशीघ्र पुनरूद्धार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) देश में इन प्रत्येक इकाइयों हेतु घोषित पुनरूद्धार पैकेज क्या हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप इन प्रत्येक इकाइयों के पुनरूद्धार में क्या प्रगति हुई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चन्द) : (क) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. की ऋषिकेश (उत्तराखंड) और गुड़गांव (हरियाणा) स्थित इकाइयां काम कर रही हैं, जबकि हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) स्थित इकाई पुन: शुरू की जा रही है। आईडीपीएल और ओडिशा सरकार के एक संयुक्त क्षेत्र उपक्रम ओडिशा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (ओडीसीएल), भुवनेश्वर को बीआईएफआर द्वारा बंद करने का आदेश दिया गया है, यह मामला ओडिशा उच्च न्यायालय में लंबित है। वर्तमान में ओडीसीएल काम कर रहा है और पिछले 4 वर्षों से लाभ अर्जित कर रहा है।

(ख) चेन्नई में अवस्थित आईडीपीएल और इसकी सहायक कंपनी आईडीपीएल (तमिलनाडु) रूग्ण है।

(ग) से (ङ) इस कंपनी के लिए प्रथम पुनरूद्धार पैकेज बीआईएफआर द्वारा 10 फरवरी, 1994 को तैयार और अनुमोदित किया गया था। रूग्ण सीपीएसयू की पुनरूद्धार प्रक्रिया के अनुसार आईडीपीएल के द्वितीय पुनरूद्धार का मामला बीआईएफआर को भेजा गया था। बीआईएफआर ने दिनांक 23.1.1996 को आईडीबीआई को एक प्रचालन एजेंसी (ओए) के रूप में नियुक्त किया और आईडीबीआई को आईडीपीएल से संबंधित मसौदा पुनर्वास स्कीम प्रस्तुत करने का निदेश दिया। आईडीबीआई [मसौदा पुनर्वास स्कीम (डीआरएस) की प्रचालन एजेंसी] ने दिनांक 9.1.2014 को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को डीआरएस सौंप दी। बीआईएफआर ने दिनांक 31.3.2014 को आईडीबीआई को एक पूर्णरूप से टाईट-अप डीआरएस प्रस्तुत करने के निदेश जारी किए हैं जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है। यह पुनरूद्धार प्रस्ताव इकाईवार अलग-अलग नहीं है! आईडीपीएल और इसकी इकाइयों के पुनरूद्धार हेतु आगे की कार्रवाई बीआईएसआर के निदेशों पर की जाएगी।

[अनुवाद]

उपनियमों की अधिसूचना एक साथ जारी किया जाना

92. श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में संरक्षित/ऐतिहासिक स्मारकों/स्थलों का ब्यौरा क्या है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इनके संरक्षण, परिरक्षण और अनुरक्षण पर अनुमानित वार्षिक व्यय कितना है;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने दिल्ली में बेगमपुरी मस्जिद, बिजाई मंडल और सराय शाहजी हेतु विरासत उपनियमों की अधिूसचना एक साथ जारी करना प्रस्तावित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) का कोई प्रस्ताव किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे पर एमएमए द्वारा क्या विचार अपनाया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा दिल्ली में इन स्मारकों की शीघ्र अधिसूचना एक साथ जारी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपद येसो नायक) : (क) देश में राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित स्मारकों/स्थलों का ब्यौरा (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार) संलग्न विवरण-I में दिया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों/स्थलों के संरक्षण, परिरक्षण और अनुरक्षण पर हुए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली में स्थित बेगमपुरी मस्जिद, बिजय मंडल और सराय शाहजी के लिए विरासत उप-नियमों संबंधी समूह अधिसूचना का प्रस्ताव नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के समक्ष विरासत उप-नियमों की समूह अधिसूचना का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इन्टैक ने केवल बेगमपुरी मस्जिद के संबंध में मसौदा विरासत उप-नियम तैयार किए हैं और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए हैं।

इस मसौदे को अभी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना शेष है।

(ङ) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम 2010 की धारा 20ङ(1) के अनुसार प्रत्येक संरक्षित स्मारक और संरक्षित क्षेत्र के संबंध में विरासत उप-नियम बनाए जाएंगे। समूह अधिसूचना तैयार करने की कोई गुजाइश नहीं है।

विवरण-I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार के अधीन केन्द्रीय संरक्षित समारक/स्थलों का सार

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्मारकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	137
2.	अरुणाचल प्रदेश	03
3.	असम	55
4.	बिहार	70
5.	छत्तीसगढ़	47
6.	दमन और दीव (संघ राज्यक्षेत्र)	12
7.	गोवा	21
8.	गुजरात	202
9.	हरियाणा	90
10.	हिमाचल प्रदेश	40
11.	जम्मू और कश्मीर	69
12.	झारखंड	12
13.	कर्नाटक	507
14.	केरल	26
15.	मध्य प्रदेश	292
16.	महाराष्ट्र	285
17.	मणिपुर	01
18.	मेघालय	08
19.	मिजोरम	01
20.	नागालैंड	04

1	2	3
21.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	174
22.	ओडिशा	78
23.	पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	07
24.	पंजाब	33
25.	राजस्थान	162
26.	सिक्किम	03

1	2	3
27.	तमिलनाडु	413
28.	त्रिपुरा	08
29.	उत्तर प्रदेश	743
30.	उत्तराखंड	42
31.	पश्चिम बंगाल	134
	कुल योग	3679

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों के संरक्षण पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार किया गया व्यय

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	मंडल/शाखा	व्यय 2011-2012	व्यय 2012-2013	व्यय 2013-14
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	544.49	737.49	957.97
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मंडल	1208.00	1047.49	944.99
3.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	310.70	494.00	493.00
4.	महाराष्ट्र	मुंबई मंडल	359.00	414.99	415.00
5.	कर्नाटक	बंगलौर मंडल	1041.00	1131.00	1253.00
6.	कर्नाटक	धारवाड़ मंडल	943.98	793.00	993.79
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	607.90	708.50	716.99
8.	ओडिशा	भुवनेश्वर मंडल	289.98	455.22	280.00
9.	पश्चिमी बंगाल, सिक्किम	कोलकाता मंडल	433.08	378.75	448.18
10.	तमिलनाडु, पुदुचेरी	चेन्नई मंडल	530.00	500.03	845.00
11.	पंजाब, हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	529.99	685.92	795.92
12.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	62.81	105.00	155.86
13.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	927.39	1100.98	1300.19

1	2	3	4	5	6
14.	गोवा	गोवा मंडल	110.00	107.99	144.50
15.	सिक्किम के अलावा पूर्वोत्तर राज्य	गुवाहाटी मंडल	213.32	207.25	147.24
16.	राजस्थान	जयपुर मंडल	445.49	435.00	521.48
17.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	640.00	890.00	1068.43
18.	बिहार और उत्तर प्रदेश (भाग)	पटना मंडल	383.96	275.04	263.00
19.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल	270.00	243.80	260.00
20.	जम्मू और कश्मीर	लघु मंडल, लेह	85.00	67.00	116.83
21.	केरल	त्रिशूर मंडल	301.50	406.00	455.00
22.	गुजरात, दमन और दीव	वडोदरा मंडल	574.97	459.99	655.00
23.	उत्तराखंड	देहरादून मंडल	139.99	107.49	210.49
24.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	303.58	405.00	468.40
25.	झारखंड	रांची मंडल	62.58	53.57	69.00
		रसायनिक परिरक्षण (अखिल भारतीय)	556.39	527.67	510.85
		बागवानी कार्यकलाप (अखिल भारतीय)	1514.78	2122.85	2446.05
		योग	13389.88	14861.02	16936.16

कुक्कुट और डेयरी उद्योग

93. **प्रो. सौगत राय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशभर में कुक्कुट और डेयरी उद्योगके अंतर्गत उत्पादन में अवरूद्धता विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उद्योगों के आधुनिकीकरण हेतु अद्यतन वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) देश में कुक्कुट उत्पादों और दुग्ध एवं उसके सह-उत्पादों की वर्तमान मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में कुक्कुट उत्पादन तथा दुग्ध एवं उसके सह-उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) सरकार के पास ऐसे किसी अध्ययन अथवा रिपोर्टों की उपलब्धता संबंधी जानकारी नहीं है जो यह दर्शाती हो कि देश में कुक्कुट तथा डेयरी उद्योग में अवरूद्धता है। तथापि, वर्ष 2012-13 के लिए दूध, अंडे तथा कुक्कुट मीट का अनुमानित उत्पादन क्रमशः 1,32,420.59 हजार मीट्रिक टन, 69,730.72 मिलियन संख्या तथा 2,681.60 हजार मीट्रिक टन है। 2011-12 के दौरान दूध, अंडे तथा कुक्कुट मीट उत्पादन संबंधी अनुमान क्रमशः 1,27,904 हजार मीट्रिक टन, 66,450 मिलियन संख्या तथा 2,483 हजार मीट्रिक टन था और यह उत्पादन वृद्धि दर्शाता है।

(ग) भारत सरकार ने 16 मार्च, 2012 को एक केंद्रीय सेक्टर की योजना के रूप में 2011-12 से 2016-17 तक छह वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण-I (एनडीपी-I) प्रारंभ की है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

i. दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि करने में सहायता करना ताकि दूध की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दूध उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

ii. ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों की संगठित दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र तक और अधिक पहुंच बनाने में सहायता करना।

उपयुक्त नीति तथा विनियामक उपायों द्वारा समर्थित तकनीकी आदानों की व्यवस्था में संकेंद्रित वैज्ञानिक तथा सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं को अपनाकर इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

इसी प्रकार, 2014-15 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन प्रारंभ किया गया जो आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने के वित्तीय सहायता प्रदान करता है और पशुपालन सेक्टर के लिए संकेंद्रित विस्तार सहायता प्रदान करता है।

इसके अलावा, केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन और प्रशिक्षण संस्थान, हैस्सरघट्टा, आईसीएआर संस्थान तथा साथ ही अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (एआईसीआरपी) के केंद्र/नेटवर्क/बीज परियोजनाएं विभिन्न पणधारियों तथा उद्यमियों के लिए पशुपालन के वैज्ञानिक उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं।

(घ) योजना आयोग द्वारा किए गए एक आकलन के अनुसार 2020-21 तक दूध की घरेलू मांग 172.20 मिलियन टन होने की आशा है। राष्ट्रीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन सामान्यत: दूध तथा दुग्ध उत्पादों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। साथ ही, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद प्रति व्यक्ति प्रति दिन 3 अंडों की सिफारिश करता है। तथापि, मौलिक पशुपालन सांख्यिकीय, 2013 के अनुसार प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता 55 अंडे प्रति वर्ष है।

(ङ) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग देश में दूध तथा अंडा उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है; नामत: राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन तथा डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण-I, डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण।

साथ ही, भारत सरकार दूध के लिए गोपशुओं तथा भैंसों की उत्पादकता बढ़ाने तथा मीट और अंडे के लिए कुक्कुटों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने केंद्रीय गोपशु विकास संगठन तथा केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन के द्वारा गुणवत्तापूर्ण जर्मप्लाज़्म प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार, आईसीएआर देश भर में एआईसीआरपी/नेटवर्क/बीज परियोजनाएं संचालित कर रहा है, नामत: गोपशु संबंधी एआईसीआरपी, भैंस सुधार पर नेटवर्क परियोजना, कुक्कुट प्रजनन तथा कुक्कुट बीज परियोजना संबंधी एआईसीआरपी/इन परियोजनाओं के अंतर्गत सरकारी एजेंसियों द्वारा गोपशु (संकर फ्रीज़वाल, साहीवाल, कंकरेज, गिर), भैंस (मुर्रा, नीली रावी, सुरती), पांडारपुरी, जाफ़राबादी, स्वैम्प, भदावरी) के वीर्य के रूप में गुणवत्तापूर्ण जर्मप्लाज़्म और किसानों को हैचिंग, अंडे, चूज़े तथा (लेअर/ब्रायलरके विभिन्न स्ट्रेन तथा घरेलू कुक्कुट स्ट्रेन) पेरेन्टल स्टॉक में सुधार, उत्पादन तथा उसकी व्यवस्था की जा रही है।

खाद्यान्न-भण्डार

94. **कुमारी शोभा कारान्दलाजे : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान चावल, गेहूं और अरहर सहित अन्य दालों के उत्पादन, प्रापण और भण्डारण का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान खाद्यान्न भण्डारण हेतु भण्डारगृहों की कमी पाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खाद्यान्न हेतु पर्याप्त भण्डारण स्थान सृजित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य नीतियां बनाई गई हैं; और

(घ) क्या सरकार का खाद्यान्न-भण्डारण हेतु निजी भण्डारगृहों का निर्माण करने के लिए निजी उद्यमियों, विशेषकर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) विगत 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान चावल और गेहूं के उत्पादन तथा खरीद का ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है। विगत 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष दिनांक 1 अप्रैल तथा 1 जून, 2014 की स्थिति के अनुसार चावल तथा गेहूं के स्टॉक का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। विगत 3 वर्षों के दौरान उत्पादन तथा खरीद (नेफेड द्वारा मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत) एवं अरहर सहित दालों के वर्तमान स्टॉक का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी हां। केवल वर्ष 2012 के दौरान रबी विपणन मौसम में भंडारण क्षमता में कमी देखी गई थी। रबी विपणन मौसम के दौरान केंद्रीय पूल अधिकतम स्टॉक प्रति वर्ष 01 जून को में उपलब्ध होता है। विगत 3 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान दिनांक 1 जून की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास केंद्रीय पूल स्टॉक के लिए कुल उपलब्ध भंडारण क्षमता (स्वयं की तथा किराए की) तथा केंद्रीय पूल में स्टॉक की स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(आंकड़े लाख मी. टन में)

की स्थिति के अनुसार	भारतीय खाद्य निगम के पास भंडारण क्षमता	राज्य एजेंसियों के पास भंडारण क्षमता	कुल भंडारण क्षमता	स्टॉक की स्थिति
01.16.11	316.10	291.32	607.42	581.94
01.06.12	350.07	341.35	691.42	729.59
01.06.13	397.02	354.28	751.30	676.59
01.06.14	383.05	375.47	758.52	622.31

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि केवल वर्ष 2012 के दौरान, जब रिकार्ड खरीद स्टॉक कुल भंडारण क्षमता से अधिक था। वर्ष 2011, 2013 तथा 2014 में भंडारण क्षमता की कोई कमी नहीं थी।

भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम निजी उद्यमियों, केंद्रीय भंडारण निगम तथा राज्य भंडारण निगमों के माध्यम से निजी गोदामों के निर्माण के लिए निजी उद्यमी गारण्टी स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराए पर लेने के लिए निजी उद्यमियों, केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगमों तथा राज्य की अन्य एजेंसियों द्वारा भंडारण क्षमता का निर्माण किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत 19 राज्यों में गोदामों के निर्माण के लिए 203.76 लाख टन क्षमता अनुमोदित की गई है। 120.30 लाख टन क्षमता का कार्य पूरा कर लिया गया है। विगत 5 वर्षों के दौरान निजी उद्यमी गारण्टी स्कीम के अंतर्गत पूरी की गई क्षमता का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	पूरी की गई क्षमता (लाख मी. टन में)
2010-11	2.00
2011-12	26.17
2012-13	41.75
2013-14	50.11
2014-15 (दिनांक 30.06.2014 तक)	0.27
कुल	120.30

पूर्वोत्तर राज्यों तथा अन्य कुछ राज्यों में भी योजना स्कीम के माध्यम से गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। विगत 3 वर्षों के दौरान योजना स्कीम के अंतर्गत पूरी की गई क्षमता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	पूरी की गई क्षमता	
2011-12	मणिपुर	- 4590 टन
	हिमाचल प्रदेश	- 3340 टन
	लक्षद्वीप	-2500 टन
	झारखंड	- 825 टन
	जोड़	**11255 टन**
2012-13	मणिपुर	- 2910 टन
	हिमाचल प्रदेश	- 1670 टन
	जोड़	**-4570 टन**
2013-14	अरुणाचल प्रदेश	- 2500 टन
	ओडिशा	- 10000 टन
	केरल	- 22500 टन
सकल जोड़		- 38325 टन

साइलोज के रूप में भंडारण क्षमता का आधुनिकीकरण: आधुनिक साइलो के रूप में भी 20 लाख टन नई भंडारण क्षमता का निर्माण किया जा रहा है।

(घ) भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम की निजी उद्यमी गारण्टी स्कीम के अंतर्गत निजी उद्यमियों की भागीदारी से भंडारण क्षमता में वृद्धि की जा रही है। निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाला कोई भी इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन कर सकता है:-

(क) व्यक्ति;

(ख) भागीदारी फर्म (पंजीकृत/अपंजीकृत);

(ग) कंपनी अथवा ट्रस्ट।

विवरण-I

चावल का राज्य-वार उत्पादन/खरीद

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	खरीफ विपणन मौसम 2010-11		खरीफ विपणन मौसम 2011-12		खरीफ विपणन मौसम 2012-13		खरीफ विपणन मौसम 2013-14	
		उत्पादन	खरीद	उत्पादन	खरीद	उत्पादन	खरीद	उत्पादन*	उत्पादन (2.7.14) की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	144.18	96.09	128.95	75.48	115.1	64.86	147.39	74.98
2.	असम	47.12	0.16	45.16	0.23	51.28	0.2	63.92	0.00
3.	बिहार	31.02	8.83	71.62	15.34	75.29	13.03	91	8.28
4.	छत्तीसगढ़	61.59	37.46	60.28	41.15	66.08	48.04	74.98	42.86
5.	गुजरात	14.97	0	17.9	0.04	15.41	0.00	0	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	1.14	0	1.31	0.01	1.23	0.01	1.33	0.00
7.	हरियाणा	34.72	16.87	37.59	20.07	39.76	26.09	39	24.06
8.	जम्मू और कश्मीर	2.87	0.07	5.44	0.09	8.18	0.02	0	0.00
9.	झारखंड	11.1	0	31.3	2.75	31.64	2.15	48.11	0.00
10.	कर्नाटक	41.88	1.8	39.55	3.56	33.66	0.59	0	0.00
11.	केरल	5.23	2.63	5.69	3.76	5.08	2.4	6	3.59
12.	मध्य प्रदेश	17.72	5.16	22.27	6.35	27.75	8.98	28.45	10.52
13.	महाराष्ट्र	26.96	3.08	28.41	1.9	30.6	1.92	27.51	1.58
14.	ओडिशा	68.28	24.65	58.07	28.66	72.95	36.15	95.77	28.11
15.	पंजाब	108.37	86.35	115.42	77.31	113.74	85.58	110	81.06
16.	राजस्थान	2.66	0	2.53	0	2.22	0	2.83	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	तमिलनाडु	57.92	15.43	74.58	15.96	40.5	4.81	78	6.18
18.	उत्तर प्रदेश	119.92	25.54	140.22	33.57	144.16	22.86	153.02	11.25
19.	उत्तराखंड	5.5	4.22	5.94	3.78	5.79	4.97	5.55	4.54
20.	पश्चिम बंगाल	130.46	13.1	146.05	20.41	150.24	17.66	149.62	10.34
21.	अन्य	26.19	14.82	0.18	21.74	0.12	0	0.11	
	कुल	959.8	341.44	1053.1	350.6	1052.4	340.44	1122.48	307.46

*दिनांक 31 जुलाई, 2013 को आयोजित बैठक में राज्य खाद्य सचिवों द्वारा दिए गए अनुसार राज्यवार अनंतिम अनुमान।

विवरण-II

गेहूं का राज्य-वार उत्पादन/खरीद

(आंकड़े लाख मीट्रिक टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रबी विपणन मौसम 2011-12		रबी विपणन मौसम 2012-13		रबी विपणन मौसम 2013-14		रबी विपणन मौसम 2014-15	
		उत्पादन	खरीद	उत्पादन	खरीद	उत्पादन	खरीद	उत्पादन*	उत्पादन (2.7.2014 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	-	0.00
2.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	-	0.00
3.	बिहार	40.98	5.56	47.87	7.72	53.57	0.00	54.79	0.00
4.	छत्तीसगढ़	1.28	0.00	1.28	0.00	1.41	0.00	-	0.00
5.	गुजरात	40.20	1.05	41.00	1.56	29.44	0.00	35.38	0.00
6.	हरियाणा	116.30	69.28	126.84	86.65	111.17	58.73	117.29	64.95
7.	हिमाचल प्रदेश	5.90	0.00	5.90	0.00	6.08	0.00	-	0.00
8.	जम्मू और कश्मीर	4.06	0.00	4.06	0.00	4.62	0.00	-	0.00
9.	झारखंड	3.35	0.00	3.35	0.00	3.19	0.00	-	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	कर्नाटक	1.94	0.00	1.94	0.00	1.79	0.00	–	0.00
11.	मध्य प्रदेश	76.27	49.65	105.80	84.93	131.33	63.55	138.77	70.94
12.	महाराष्ट्र	23.01	0.00	13.13	0.00	11.81	0.00	16.32	0.00
13.	ओडिशा	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	–	0.00
14.	पंजाब	164.72	109.58	172.06	128.36	165.91	108.97	160.06	116.41
15.	राजस्थान	72.15	13.03	93.19	19.64	92.75	12.68	102.25	21.59
16.	उत्तर प्रदेश	300.01	34.61	302.93	50.63	303.01	6.83	294.95	5.99
17.	उत्तराखंड	8.78	0.42	8.74	1.39	8.58	0.05	9.08	0.01
18.	पश्चिम बंगाल	8.74	0.00	8.84	0.00	8.95	0.02	9.24	0.00
19.	अन्य	1.04	0.17	11.87	0.62	0.89	0.09	17.9	0.05
	जोड़	868.74	283.35	948.81	381.50	935.06	250.92	956.03	279.94

*उत्पादन संबंधी आंकड़े 17.02.2014 को आयोजित खाद्य सचिवों की बैठक के दौरान दिए गए अनुसार।

विवरण-III

भारतीय खाद्य निगम : मुख्यालय : नई दिल्ली : योजना एवं अनुसंधान प्रभाग

दिनांक 01.06.2014 को केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की कुल स्टॉक

(आंकड़े लाख मीट्रिक टन में)

क्षेत्र	भा.खा.नि. का स्टॉक			राज्य एजेंसियों का स्टॉक			केन्द्रीय पूल में कुल खाद्यान्न		
	चावल	गेहूं	योग	चावल	गेहूं	योग	चावल	गेहूं	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिहार	0.75	2.16	2.91	0.00	0.00	0.00	0.75	2.16	2.91
झारखंड	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	1.11
ओडिशा	2.65	2.34	4.99	3.80	0.00	3.80	6.45	2.34	8.79
पश्चिम बंगाल	1.00	4.46	5.46	3.46	0.00	3.46	4.46	4.46	8.92
पूर्व अंचल का योग	5.51	8.96	14.47	7.26	0.00	7.26	12.77	8.96	21.73
असम	1.51	0.69	2.20	0.00	0.00	0.00	1.51	0.69	2.20
अरुणाचल प्रदेश	0.13	0.01	0.14	0.00	0.00	0.00	0.13	0.01	0.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
त्रिपुरा	0.10	0.06	0.16	0.00	0.00	0.00	0.10	0.06	0.16
मिजोरम	0.14	0.02	0.16	0.00	0.00	0.00	0.14	0.02	0.16
मेघालय	0.14	0.02	0.16	0.00	0.00	0.00	0.14	0.02	0.16
मणिपुर	0.10	0.03	0.13	0.00	0.00	0.00	0.10	0.03	0.13
नागालैंड	0.22	0.07	0.29	0.00	0.00	0.00	0.22	0.07	0.29
पूर्वोत्तर अंचल का योग	2.34	0.90	3.24	0.00	0.00	0.00	2.34	0.90	3.24
दिल्ली	0.12	2.59	2.71	0.00	0.00	0.00	0.12	2.59	2.71
हरियाणा	10.75	37.00	47.75	0.00	41.94	41.94	10.75	78.94	89.69
हिमाचल प्रदेश	0.06	0.19	0.25	0.00	0.00	0.00	0.06	0.19	0.25
जम्मू और कश्मीर	0.69	0.55	1.24	0.00	0.00	0.00	0.69	0.55	1.24
पंजाब	87.56	32.04	119.60	0.00	129.49	129.49	87.56	161.53	249.09
राजस्थान	0.18	24.35	24.53	0.00	0.76	0.76	0.18	25.11	25.29
उत्तर प्रदेश	10.55	18.18	28.73	0.00	0.00	0.00	10.55	18.18	28.73
उत्तराखंड	0.93	0.52	1.45	0.67	0.00	0.67	1.60	0.52	2.12
उत्तर अंचल का योग	110.84	115.42	226.26	0.67	172.19	172.86	111.51	287.61	399.12
आन्ध्र प्रदेश	24.95	1.75	26.70	15.93	0.00	15.93	40.88	1.75	42.63
कर्नाटक	4.21	1.85	6.06	0.00	0.00	0.00	4.21	1.85	6.06
केरल	2.66	1.06	3.72	1.45	0.00	1.45	4.11	1.06	5.17
तमिलनाडु	4.19	4.38	8.57	4.73	0.00	4.73	8.92	4.38	13.30
दक्षिण अंचल का योग	36.01	9.04	45.05	22.11	0.00	22.11	58.12	9.04	67.16
गुजरात	1.07	5.84	6.91	0.00	0.00	0.00	1.07	5.84	6.91
महाराष्ट्र	6.78	7.77	14.55	0.00	0.00	0.00	6.78	7.77	14.55
मध्य प्रदेश	0.17	2.36	2.53	1.63	80.33	81.96	1.80	82.69	84.49
छत्तीसगढ़	4.67	0.27	4.94	3.92	0.00	3.92	8.59	0.27	8.86
पश्चिम अंचल का योग	12.69	16.24	28.93	5.55	80.33	85.88	18.24	96.57	114.81
योग	167.39	150.56	317.95	35.59	252.52	288.11	202.98	403.08	606.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(*) मंडियों में पड़ा गेहूं	0.00	0.75	0.75	0.00	8.21	8.21	0.00	8.96	8.96
परिचालन में स्टॉक	3.47	3.82	7.29	0.00	0.00	0.00	3.47	3.82	7.29
योग (अखिल भारत)	170.86	155.13	325.99	35.59	260.73	296.32	206.45	415.86	622.31

(*) पंजाब (एफसीआई-0.04 लाख टन; राज्य सरकार - 2.36 लाख टन), हरियाणा (एफसीआई - 0.00 लाख टन); राज्य सरकार - 2.79 लाख टन); राजस्थान (एफसीआई - 0.71 लाख टन; राज्य सरकार - 1.99 लाख टन), मध्य प्रदेश (एफसीआई - 0.00 लाख टन; राज्य सरकार - 1.07 लाख टन)

1. मार्गस्थ संबंधी आंकड़े अनुमानित हैं।
2. चावल में एफसीआई/राज्य एजेंसियों के पास चावल के रूप में मिलिंग न किया गया धान शामिल नहीं है।
3. एफसीआई तथा राज्य एजेंसियों के पास मिलिंग न किए गए धान की मात्रा = 113.61 लाख टन (एफसीआई 0.02 लाख टन; राज्य एजेंसियां 113.59 लाख टन), कस्टम मिल्ड चावल जो धान से चावल की प्राप्ति का 67% अनुपात लेते हुए निकाला नहीं जा सका = 76.12 लाख टन।

भारतीय खाद्य निगम : मुख्यालय : नई दिल्ली : योजना एवं अनुसंधान प्रभाग

दिनांक 01.04.2014 को केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का कुल स्टॉक

(आँकड़े लाख मीट्रिक टन में)

राज्य	भा.खा.नि. का स्टॉक			राज्य एजेंसियों का स्टॉक			केन्द्रीय पूल में कुल खाद्यान्न		
	चावल	गेहूं	योग	चावल	गेहूं	योग	चावल	गेहूं	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिहार	1.90	2.72	4.62	0.00	0.00	0.00	1.90	2.72	4.62
झारखंड	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	1.06
ओडिशा	1.89	1.24	3.13	4.90	0.00	4.90	6.79	1.24	8.03
पश्चिमी बंगाल	0.66	2.20	2.86	3.55	0.00	3.55	4.21	2.20	6.41
पूर्व अंचल का योग	5.51	6.16	11.67	8.45	0.00	8.45	13.96	6.16	20.12
असम	1.44	0.30	1.74	0.00	0.00	0.00	1.44	0.30	1.74
अरुणाचल प्रदेश	0.13	0.01	0.14	0.00	0.00	0.00	0.13	0.01	0.14
त्रिपुरा	0.15	0.01	0.16	0.00	0.00	0.00	0.15	0.01	0.16
मिजोरम	0.10	0.01	0.11	0.00	0.00	0.00	0.10	0.01	0.11
मेघालय	0.12	0.01	0.13	0.00	0.00	0.00	0.12	0.01	0.13
मणिपुर	0.13	0.01	0.14	0.00	0.00	0.00	0.13	0.01	0.14
नागालैंड	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24
पूर्वोत्तर अंचल का योग	2.31	0.35	2.66	0.00	0.00	0.00	2.31	0.35	2.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिल्ली	0.18	1.29	1.47	0.00	0.00	0.00	0.18	1.29	1.47
हरियाणा	13.86	9.53	23.39	0.00	19.87	19.87	13.86	29.40	43.26
हिमाचल प्रदेश	0.08	0.21	0.29	0.00	0.00	0.00	0.08	0.21	0.29
जम्मू और कश्मीर	0.87	0.34	1.21	0.00	0.00	0.00	0.87	0.34	1.21
पंजाब	86.41	15.41	101.82	0.00	54.67	54.67	86.41	70.08	156.49
राजस्थान	0.14	12.86	13.00	0.00	0.00	0.00	0.14	12.86	13.00
उत्तर प्रदेश	13.72	13.30	27.02	0.00	0.00	0.00	13.72	13.30	27.02
उत्तराखंड	1.21	0.37	1.58	0.77	0.00	0.77	1.98	0.37	2.35
उत्तर अंचल का योग	116.47	53.31	169.78	0.77	74.54	75.31	117.24	127.85	245.09
आंध्र प्रदेश	17.82	1.03	18.85	11.83	0.00	11.83	29.65	1.03	30.68
कर्नाटक	4.24	1.23	5.47	0.00	0.00	0.00	4.24	1.23	5.47
केरल	2.40	0.93	3.33	1.17	0.00	1.17	3.57	0.93	4.50
तमिलनाडु	4.55	3.49	8.04	4.79	0.00	4.79	9.34	3.49	12.83
दक्षिण अंचल का योग	29.01	6.68	35.69	17.79	0.00	17.79	46.80	6.68	53.48
गुजरात	1.05	4.49	5.54	0.00	0.00	0.00	1.05	4.49	5.54
महाराष्ट्र	6.70	6.46	13.16	0.00	0.00	0.00	6.70	6.46	13.16
मध्य प्रदेश	0.17	0.99	1.16	0.41	20.29	20.70	0.58	21.28	21.86
छत्तीसगढ़	5.29	0.28	5.57	5.73	0.00	5.73	11.02	0.28	11.30
पश्चिम अंचल का योग	13.21	12.22	25.43	6.14	20.29	26.43	19.35	32.51	51.86
योग	166.51	78.72	245.23	33.15	94.83	127.98	199.66	173.55	373.21
परिचालन में स्टॉक	3.12	4.79	7.91	0.00	0.00	0.00	3.12	4.79	7.91
योग (अखिल भारत)	169.63	83.51	253.14	33.15	94.83	127.98	202.78	178.34	381.12

नोट:

1. मार्गस्थ संबंधी आंकड़े अनुमानित हैं।
2. चावल में एफसीआई/राज्य एजेंसियों के पास चावल के रूप में मिलिंग न किया गया धान शामिल नहीं है।
3. एफसीआई तथा राज्य एजेंसियों के पास मिलिंग न किए गए धान की कुल मात्रा = 153.35 लाख टन (एफसीआई 0.09 लाख टन; राज्य एजेंसियां 153.26 लाख टन), कस्टम मिल्ड चावल जो धान से चावल की प्राप्ति का 67% अनुपात लेते हुए निकाला नहीं जा सका = 102.74 लाख टन।

दिनांक 01.04.2013 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का कुल स्टॉक

(आँकड़े लाख मीट्रिक टन में)

राज्य	भा.खा.नि. का स्टॉक			राज्य एजेंसियों का स्टॉक			केन्द्रीय पूल का कुल स्टॉक		
	चावल	गेहूं	योग	चावल	गेहूं	योग	चावल	गेहूं	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिहार	1.57	1.54	3.11	15.13	2.17	17.30	16.70	3.71	20.41
झारखंड	0.76	0.04	0.80	1.58	0.00	1.58	2.34	0.04	2.38
ओडिशा	2.50	2.02	4.52	24.35	0.00	24.35	26.85	2.02	28.87
पश्चिम बंगाल	2.36	2.96	5.32	3.13	0.00	3.13	5.49	2.96	8.45
पूर्वी अंचल जोड़	7.19	6.56	13.75	44.19	2.17	46.36	51.38	8.73	60.11
असम	1.48	0.34	1.82	0.00	0.00	0.00	1.48	0.34	1.82
अरुणाचल प्रदेश	0.13	0.01	0.14	0.00	0.00	0.00	0.13	0.01	0.14
त्रिपुरा	0.38	0.01	0.39	0.00	0.00	0.00	0.38	0.01	0.39
मिज़ोरम	0.10	0.02	0.12	0.00	0.00	0.00	0.10	0.02	0.12
मेघालय	0.20	0.03	0.23	0.00	0.00	0.00	0.20	0.03	0.23
मणिपुर	0.23	0.03	0.26	0.00	0.00	0.00	0.23	0.03	0.26
नागालैंड	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34
पूर्वोत्तर अंचल जोड़	2.86	0.44	3.30	0.00	0.00	0.00	2.86	0.44	3.30
दिल्ली	0.38	1.26	1.64	0.00	0.00	0.00	0.38	1.26	1.64
हरियाणा	14.93	11.47	26.40	9.81	52.05	61.86	24.74	63.52	88.26
हिमाचल प्रदेश	0.04	0.17	0.21	0.00	0.00	0.00	0.04	0.17	0.21
जम्मू और कश्मीर	0.46	0.18	0.64	0.00	0.00	0.00	0.46	0.18	0.64
पंजाब	78.73	8.77	87.50	37.36	85.17	122.53	116.09	93.94	210.03
राजस्थान	0.23	16.17	16.40	0.00	0.00	0.00	0.23	16.17	16.40
उत्तर प्रदेश	18.26	10.82	29.08	3.03	0.00	3.03	21.29	10.82	32.11
उत्तराखंड	1.41	0.34	1.75	0.76	0.00	0.76	2.17	0.34	2.51
उत्तर अंचल जोड़	114.43	49.18	163.61	50.96	137.22	188.18	165.39	186.40	351.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	35.08	1.85	36.93	10.02	0.00	10.02	45.10	1.85	46.95
कर्नाटक	5.27	2.59	7.86	0.77	0.00	0.77	6.04	2.59	8.63
केरल	1.78	0.99	2.77	0.56	0.00	0.56	2.34	0.99	3.33
तमिलनाडु	6.78	1.94	8.72	9.46	0.00	9.46	16.24	1.94	18.18
दक्षिण अंचल जोड़	48.91	7.37	56.28	20.81	0.00	20.81	69.72	7.37	77.09
गुजरात	0.80	6.20	7.00	0.00	0.00	0.00	0.80	6.20	7.00
महाराष्ट्र	5.27	12.36	17.63	2.54	0.00	2.54	7.81	12.36	20.17
मध्य प्रदेश	0.19	2.92	3.11	10.32	14.37	24.69	10.51	17.29	27.80
छत्तीसगढ़	4.15	0.51	4.66	37.94	0.00	37.94	42.09	0.51	42.60
पश्चिम अंचल जोड़	10.41	21.99	32.40	50.80	14.37	65.17	61.21	36.36	97.57
कुल	183.81	85.54	269.35	166.76	153.76	320.52	350.57	239.30	589.87
मार्गस्थ स्टॉक	4.11	2.77	6.88	0.00	0.00	0.00	4.11	2.77	6.88
मंडियों में पड़ा गेहूं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (अखिल भारत)	187.92	88.31	276.23	166.76	153.76	320.52	354.68	242.07	596.75

1. एफसीआई तथा राज्य एजेंसियों के पास मिलिंग न किए गए धान को भी कॉलम 2 और 5 में चावल के रूप में दर्शाया गया है।
(कुल धान 204.72 लाख टन; एफसीआई 0.31 लाख टन; राज्य एजेंसियां.204.41 लाख टन)

दिनांक 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का कुल स्टॉक

(आंकड़े लाख मीट्रिक टन में)

राज्य	भा.खा.नि. के पास स्टॉक			राज्य एजेंसियों के पास स्टॉक			केन्द्रीय पूल का कुल स्टॉक		
	चावल	गेहूं	योग	चावल	गेहूं	योग	चावल	गेहूं	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिहार	2.52	0.83	3.35	11.25	0.86	12.11	13.77	1.69	15.46
झारखंड	1.11	0.11	1.22	0.00	0.00	0.00	1.11	0.11	1.22
ओडिशा	2.52	1.45	3.97	16.52	0.00	16.52	19.04	1.45	20.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पश्चिम बंगाल	3.09	3.75	6.84	3.61	0.00	3.61	6.70	3.75	10.45
पूर्वी अंचल जोड़	9.24	6.14	15.38	31.38	0.86	32.24	40.62	7.00	47.62
असम	1.35	0.31	1.66	0.00	0.00	0.00	1.35	0.31	1.66
अरुणाचल प्रदेश	0.03	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.04
त्रिपुरा	0.20	0.05	0.25	0.00	0.00	0.00	0.20	0.05	0.25
मिज़ोरम	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
मेघालय	0.14	0.01	0.15	0.00	0.00	0.00	0.14	0.01	0.15
मणिपुर	0.11	0.02	0.13	0.00	0.00	0.00	0.11	0.02	0.13
नागालैंड	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
पूर्वोत्तर अंचल जोड़	2.13	0.40	2.53	0.00	0.00	0.00	2.13	0.40	2.53
दिल्ली	0.27	1.85	2.12	0.00	0.00	0.00	0.27	1.85	2.12
हरियाणा	14.74	8.18	22.92	3.74	42.31	46.05	18.48	50.49	68.97
हिमाचल प्रदेश	0.04	0.09	0.13	0.00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.13
जम्मू और कश्मीर	0.42	0.31	0.73	0.00	0.00	0.00	0.42	0.31	0.73
पंजाब	66.78	3.76	70.54	39.63	61.25	100.88	106.41	65.01	171.42
राजस्थान	0.37	18.99	19.36	0.00	0.00	0.00	0.37	18.99	19.36
उत्तर प्रदेश	21.67	15.20	36.87	3.83	0.00	3.83	25.50	15.20	40.70
उत्तराखंड	1.28	0.46	1.74	0.76	0.00	0.76	2.04	0.46	2.50
उत्तरी अंचल जोड़	105.57	48.84	154.41	47.96	103.56	151.52	153.53	152.40	305.93
आंध्र प्रदेश	48.63	0.95	49.58	4.14	0.00	4.14	52.77	0.95	53.72
कर्नाटक	7.21	1.31	8.52	2.99	0.00	2.99	10.20	1.31	11.51
केरल	3.41	0.67	4.08	1.47	0.00	1.47	4.88	0.67	5.55
तमिलनाडु	8.16	1.02	9.18	11.83	0.00	11.83	19.99	1.02	21.01
दक्षिण अंचल जोड़	67.41	3.95	71.36	20.43	0.00	20.43	87.84	3.95	91.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गुजरात	1.43	4.25	5.68	0.00	0.07	0.07	1.43	4.32	5.75
महाराष्ट्र	7.40	8.06	15.46	2.36	0.00	2.36	9.76	8.06	17.82
मध्य प्रदेश	0.47	2.87	3.34	6.93	16.37	23.30	7.40	19.24	26.64
छत्तीसगढ़	8.91	0.52	9.43	18.79	0.00	18.79	27.70	0.52	28.22
पश्चिम अंचल जोड़	18.21	15.70	33.91	28.08	16.44	44.52	46.29	32.14	78.43
कुल	202.57	75.03	277.60	127.85	120.86	248.71	330.42	195.89	526.31
मार्गस्थ स्टॉक	3.08	3.63	6.71	0.00	0.00	0.00	3.08	3.63	6.71
मंडियों में पड़ा गेहूं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (अखिल भारत)	205.65	78.66	284.31	127.85	120.86	248.71	333.50	199.52	533.02

1. एफसीआई तथा राज्य एजेंसियों के पास मिलिंग न किए गए धान को भी कॉलम 2 और 5 में चावल के रूप में दर्शाया गया है।
(कुल धान 159.02 लाख टन; एफसीआई 1.13 लाख टन; राज्य एजेंसियां 157.89 लाख टन)

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में दालों का उत्पादन और नेफेड द्वारा अरहर सहित उनकी खरीद निम्नानुसार है:-

क. भारत सरकार द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान दालों का उत्पादन निम्नानुसार है:

(लाख टन में)

क्र.सं.	जिंस	वर्ष		
		2011-12	2012-13	2013-14
1.	अरहर	26.5	30.20	33.80
2.	चना	77.00	88.30	99.30
3.	उड़द	17.70	19.00	15.00
4.	मूंग	16.30	11.90	14.00
5.	अन्य खरीफ दालें	9.30	6.20	6.70
6.	अन्य रबी दालें	24.00	27.30	26.90
	कुल	170.80	182.90	195.70

*तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार।

ख. पिछले तीन वर्षों के दौरान नेफेड द्वारा दालों की राज्यवार खरीद निम्ननुसार है:

वर्ष	व्यवसाय की प्रकृति	जिंस	राज्य	मात्रा
1	2	3	4	5
2011-12	पीएसएस	उड़द खरीफ 2011	राजस्थान	1.568
2012-13	पीएसएस	उड़द खरीफ 2012	महाराष्ट्र	32490.122
			झारखंड	103.583
			गुजरात	443.040
			मध्य प्रदेश	3252.891
			उत्तर प्रदेश	15001.075
			राजस्थान	8408.506
			पश्चिम बंगाल	2016.147
			आंध्र प्रदेश	8269.143
			कर्नाटक	9871.900
			कुल	79856.407
	पीएसएस	तूर खरीफ 2012	महाराष्ट्र	8991.996
			मध्य प्रदेश	66.000
			आंध्र प्रदेश	6946.839
			कुल	16004.835
2013-14	पीएसएस	तूर खरीफ 2013	महाराष्ट्र	23180
		(31.3.2014 तक खरीद)	आंध्र प्रदेश	21679.75
			कुल	44859.75
		चना रबी 2014	कर्नाटक	5953
		(31.3.2014 तक खरीद)	महाराष्ट्र	5617
			आंध्र प्रदेश	21679.75
			कुल	38266
2014-15	पीएसएस (30.06.2014 तक)	तूर 2014-15	महाराष्ट्र	1542

1	2	3	4	5
चना रबी*			महाराष्ट्र	5617
			कर्नाटक	8155
			मध्य प्रदेश	37714.56
			महाराष्ट्र	25410.4
			आंध्र प्रदेश	19651.78
			राजस्थान	179478.2
			गुजरात	3730
			कर्नाटक	8155
			उत्तर प्रदेश	2378
			कुल	276517.94

* चूंकि, अधिकांश राज्यों में प्रचालन अभी समाप्त हुआ है, इसलिए भांडागारों में जिंसों के एफएक्यू जमा स्टॉक में परिवर्तन के अध्यधीन अंतिम मात्रा में परिवर्तन हो सकता है।

ग. 4.07.2014 की स्थिति के अनुसार पीएसएस के तहत दालों के शेष स्टाक की स्थिति

क्र. सं.	जिंस	मात्रा टन में	न्यूनतम समर्थन मूल्य करोड़ रुपए में
1.	उड़द	20430	87.85
2.	तूर	56049	236.59
3.	चना	314785.50	975.83

[हिन्दी]

ए.पी.एम.सी. अधिनियम का कार्यान्वयन

95. श्री हंसराज गंगाराम अहीर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के कृषि मंत्रियों की समिति ने कृषि उपज विपणन समिति (ए.पी.एम.सी.) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कोई सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर ए.पी.एम.सी. अधिनियम में संगत संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) विपणन सुधारों पर कृषि मंत्रालय द्वारा गठित कृषि विपणन की प्रभारी राज्य मंत्रियों की एक समिति ने सरकार को 2 जुलाई, 2013 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने देश में कृषि विपणन क्षेत्र में सुधारों की अनुशंसा की जिसमें मॉडल अधिनियम की तर्ज पर राज्य कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम के सुधार शामिल हैं।

समिति द्वारा की गई सिफारिशों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) कृषि विपणन राज्यों का विषय होने के कारण कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम में प्रासंगिक सुधार करना राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की जिम्मेदारी है।

विवरण

क. कृषि मंडियों का सुधार

(i) राज्यों का मॉडल अधिनियम के अनुरूप अपने-अपने ए.पी.एम.सी. अधिनियमों में संशोधन करना चाहिए और सुधार करने वाले राज्य भी नियमों को अधिसूचित करें तथा वे इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें। छोटे और सीमान्त किसान इन सुधारों का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए राज्य एवं स्वयं सहायता समूहों कृषक/वस्तुहित समूहों आदि के गठन को बढ़ावा दें;

(ii) व्यापारियों/कमीशन एजेंटों को लाइसेंस देने की मौजूदा प्रणाली को पंजीकरण की आधुनिक और प्रगतिशील प्रणाली के साथ प्रतिस्थापित किया जाए जिसमें पंजीकरण के लिए खुला और पारदर्शी मापदंड हो;

(iii) संशोधित ए.पी.एम.सी. अधिनियम और नियमों में आधारिक संरचना के सहत विकास के लिए प्राइवेट होलसेल व टर्मिनल मार्किट्स मार्किट कॉम्पलैक्स की स्थापना के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। सुधारित राज्य अपने-अपने राज्यों में विभिन्न स्थानों पर टर्मिनल मार्किट काम्पलैक्स के निर्माण के लिए आगे आएं, ताकि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेज की सुविधाएं कृषकों तथा अन्य शामिल उद्यमियों को उपलब्ध कराई जा सकें;

(iv) प्रक्रिया को सरल बनाने तथा देश में होलसेल व टर्मिनल मार्किट काम्पलैक्स के निर्माण में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्य मार्किट (हब) और कैलेक्शन सेंटर (स्पोक्स) के लिए एक एकीकृत एकल पंजीकरण व्यवस्था होनी चाहिए। कैलेक्शन सेंटरों को अधिनियम के तहत सबयार्ड समझा जाए ताकि उन्हें एकीकृत पंजीकरण प्रणाली की सुविधा प्रदान की जा सके;

(v) कैलेक्शन सेंटरों सहित निजी होलसेल मार्किट्स के लिए एकीकृत एकल पंजीकरण की वैधता अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसे 10 वर्ष के लिए अथवा इससे भी अधिक अवधि तक के लिए करना वांछनीय है। देश में मंडी आधारित संरचना के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए निजी कृषि मंडियों को लैंड सीलिंग पर छूट दी जानी चाहिए;

(vi) व्यावसायिकों के लिए यह जरूरी है कि वे मौजूदा मंडियों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करें। इसके लिए या तो संवर्ग के बाहर से मार्किट कमेटी का सी.ई.ओ. नियुक्त किया जा सकता है अथवा मौजूदा कार्मिक को भी कृषि उपज मंडी समितियों (ए.पी.एम.सी.) के कुशलतापूर्वक प्रबंधन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है;

(vii) मंडी प्रचालन के लिए एक स्वतंत्र विनियामक की आवश्यकता है। इसके लिए विनियामक के रूप में विपणन निदेशक के पद को प्रचालक सेवा प्रदाता के रूप में राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक के पद से अलग किया जाए और विपणन निदेशक द्वारा वेतन और भत्ते राज्य कृषि विपणन बोर्ड से आहरित न किए जाएं। इस तरह, सेवा प्रदाता और विनियामक की भूमिका स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाए;

(viii) प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा व्यापारियों/मंडी पदाधिकारियों के पंजीकरण के लिए शॉप की अनिवार्य आवश्यकता के प्रावधानों को हटा लिया जाए;

(ix) निजी मंडियों को मौजूदा ए.पी.एम.सी. के बराबर माना जाए और पंजीकरण/लाइसेंसिंग के लिए सरल प्रक्रिया होनी चाहिए। सिक्योरिटी और बैंक गारंटी की शर्त तर्कसंगत होनी चाहिए ताकि उद्यमी को देश में आवश्यकता आधारित मंडी आधारिक संरचना विकसित करने में आसानी हो। निजी मंडी की स्थापना के लिए न्यूनतम पैरामीटर निर्धारित किए जाएं जिससे किसी भी मंडी क्षेत्र के किसान अपनी उपज को बेचने के लिए आगे आ सकें। निजी मंडियों से वसूल किया जाने वाला विकास शुल्क ए.पी.एम.सी. के बराबर होना चाहिए और यह शुल्क संबंधित राज्य सरकार/ विपणन बोर्ड के पास जमा कराया जाए जिसे मंडी के बाहरी क्षेत्र में आधारिक संरचना के विकास पर खर्च किया जाए;

(x) राज्यों में मंडियों को पूर्णत: विनियमनमुक्त करने से वास्तव में कारोबार की लागतें घटने की बजाए बढ़ गई हैं और इससे निजी क्षेत्र से निवेश आकृष्ट करने में कोई मदद नहीं मिली है। अत: एक विकासात्मक विनियमन के साथ उपयुक्त विधिक और संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है ताकि कृषि मंडियों द्वारा व्यवस्थित ढंग से कार्य किया जा सके और ऐसे राज्यों में आधारिक संरचना के विकास के लिए निवेश को आकर्षित किया जा सके।

ख. विपणन आधारित संरचना के विकास में निवेश को बढ़ावा

(xi) निवेश को बढ़ावा देने तथा किसानों को बेहतर सेवाएं देने के लिए अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत वास्तविक सेवा प्रदाताओं और काला बाजारियों/जमाखोरों के बीच विभेद करने की आवश्यकता है;

(xii) एकीकृत राष्ट्रीय मंडी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि उपज के भंडारण और आवागमन पर एक स्थाई और दीर्घकालिक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। यह सिफारिश की जाती है कि व्यापार के हित में तथा दीर्घाकालिक निवेश के लिए संविदा कृषि प्रायोजकों और प्रत्यक्ष विपणन लाइसेंसधारियों को छह माह तक उनकी आवश्यकता की स्टॉक सीमा से छूट प्रदान की जाए;

(xiii) उपज की बर्बादी को कम करने, विपणन आधारित संरचना के विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देने तथा जल्दी खराब होने वाली कृषि उद्यान उपज का समूचे देश में निर्विघ्न आवागमन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा फलों और सब्जियों पर लगाया जाने वाला मंडी शुल्क छोड़ देना चाहिए और भारत सरकार भी इस कारण राज्यों की प्रारंभिक अवधि में होने वाले राजस्व नुकसान की प्रतिपूर्ति करने पर विचार कर सकती है;

(xiv) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत विपणन आधारिक संरचना के क्षेत्र में किए जाने वाले निवेश को सुधारिक राज्यों में राज्य के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किए जाने वाले व्यय के न्यूनतम 10-15% तक बढ़ाया जाए। विपणन आधारिक संरचना में निजी निवेश ए.पी.एम.सी. से बाहर की विपणन आधारिक संरचना में भी करने को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाएं;

(xv) निजी क्षेत्र के निवेश को विपणन आधारिक संरचना विकास की परियोजनाओं में बढ़ाने के उद्देश्य से लम्बी अवधि वाली परियोजनाओं में इस तरह के निवेशों के लिए सब्सिडी/वायबिलिटी गैप फंडिंग उपलब्ध कराने की आवश्यकता है और इन परियोजनाओं को "आधारिक संरचना परियोजना" माना जाए ताकि उनके विकास के लिए एफ.डी.आई. और ई.सी.बी. को आकर्षित किया जा सके;

(xvi) राज्यों द्वारा आधारिक संरचना के विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को बढ़ावा दिया जाए और निजी मंडी क्षेत्र के भीतर होने वाले व्यापारिक क्रिया-कलापों पर मंडी शुल्क से छूट प्रदान की जाए। तथापि राज्य, सामान्य ढांचागत सुविधाओं जैसे कि राज्यों/ए.पी.एम.सी. द्वारा सृजित किन्हीं सुविधाओं के उपयोग के लिए ग्रामीण सड़कों को जोड़ना, आदि के विकास के लिए न्यूनतम यूजर प्रभार लगा सकते हैं, लेकिन यह प्रभार अधिमानत: व्यापारिक उपज के मूल्य के 0.5% से अधिक नहीं होगा। राज्य सरकारों को मंडी और विपणन आधारिक संरचना के विकास के लिए निजी क्षेत्रों तथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली परियोजनाओं का भी पता लगाना चाहिए;

(xvii) पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्रों में विपणन आधारिक संरचना की आवश्यकता देश के शेष भाग की तुलना में अलग है। भारत सरकार को उनके क्षेत्र में विपणन आधारिक संरचना के विकास के लिए 'कार्पस फंड' बनाना चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक पृथक कृषि विपणन रणनीति अपनाई जाए।

ग. मंडी शुल्क/कमीशन प्रभारों को युक्तिसंगत बनाना

(xviii) ग्रामीण विकास निधि, सामाजिक विकास निधि और खरीद कर आदि सहित मंडी शुल्क/उपकर उपज के मूल्य का अधिकतम 2% होना चाहिए तथा कमीशन प्रभार खाद्यान्नों/तिलहनों के मामले में 2% और फलों और सब्जियों के मामले में 4% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(xix) मंडी शुल्क को कृषि जिन्सों के लेन-देन के लिए उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं और आधारिक संरचना के साथ जोड़ा जाना आवश्यक है। यदि कोई प्रत्यक्ष विपणन उद्यमी किसानों को न्यूनतम विनिर्दिष्ट ढांचागत सुविधा उपलब्ध कराता है तो संबंधित राज्य/ए.पी.एम.सी. द्वारा ऐसे प्रत्यक्ष विपणन दर लगने वाले मंडी शुल्क को हटा लेना चाहिए;

(xx) यदि किसी व्यक्ति ने उस राज्य में जहां उनसे कृषि उपज खरीदी है, मंडी शुल्क अदा कर दिया है और तब तक वह उसी उपज को प्रोसेसिंग के लिए किसी अन्य राज्य में लाता है तो उससे कोई मंडी शुल्क नहीं लिया जाए;

(xxi) मंडी शुल्क केवल प्रारंभिक कृषि उपज पर लगाया जाए न कि द्वितीय चरण की कृषि उपज (संसाधित कृषि उपज), जैसे कि बेसन, मैदा और घी आदि पर। लेकिन यूजर प्रभार ढांचागत सुविधा और सेवाओं के उपयोग के आधार पर लगाए जा सकते हैं।

घ. संविदा कृषि

(xxii) संविदाकार पक्षकारों को प्रोत्साहित करने तथा पंजीकरण प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने के लिए:

(क) संविदा कृषि के रजिस्ट्रेशन के लिए जिला स्तरीय प्राधिकरण स्थापित किए जाएं और इसके लिए कोई मंडी शुल्क न वसूला जाए। संविदा कृषि के अधीन रजिस्ट्रेशन/विवाद निपटान के लिए ए.पी. एम.सी. को अथॉरिटी न बनाया जाए; और

(ख) विवादों का निपटान 15 दिन के भीतर किया जाए और अपील के लिए डिक्रिटल राशि, संविदा कृषि के अधीन खरीदी जाने वाली सामग्री के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अपील का निपटारा 15 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। यदि किसानों को उनकी फसल के प्रापण के दिन भी भुगतान कर दिया जाता है तो प्राइवेट प्रायोजक/आपरेटर से साल्वेन्सी सर्टिफिकेट/बैंक गारंटी नहीं ली जानी चाहिए।

(xxiii) राज्यों में संविदा कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए छोटे-छोटे और सीमान्त किसानों के समूहों/संघों या उनकी कम्पनी/सोसायटी को बढ़ावा देना चाहिए। अन्य देशों द्वारा अपनाए जा रहे सफल मॉडलों का अध्ययन करके संविदा कृषि का सफल टेम्पलेट तैयार किया जाना चाहिए;

ङ. बैरियर फ्री मंडियां

(xxiv) मुक्त व्यापार को सुगम बनाने के लिए राज्यों में ट्रेडर्स/मंडी कर्मियों के लिए सिंगल विंडो यूनिफाइड सिंगल रजिस्ट्रेशन का प्रावधान होना चाहिए।

(xxv) बैरियर फ्री नेशनल मार्किट की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, मंडी शुल्क/अधिभार किसान और ट्रेडर के मध्य होने वाले केवल पहले लेन-देन पर लगाया जाना चाहिए और ट्रेडर से ट्रेडर/उपभोक्ता के मध्य होने वाली बिक्री पर, राज्य के द्वारा प्रदान की गई सर्विस के लिए केवल सर्विस चार्ज लगाया जाना चाहिए और बाद में लेन-देन पर कोई मंडी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए;

(xxvi) कुछ राज्यों में, मंडी शुल्क की रिकवरी के लिए चेक-गेट बनाए गए हैं, जो कृषि जिन्सों के निर्बाध परिवहन में बाधा बनते हैं और शीघ्र खराब होने वाली जिन्सों यथा फल और सब्जियों की बर्बादी का कारण बनते हैं। राज्यों को ऐसे बैरियर यदि हों, तो उन्हें हटाने के लिए पहल करनी चाहिए;

(xxvii) राज्यों को ऐसा डाक्यूमेंट नोटिफाई करना चाहिए जिससे यह साबित हो जाए कि उत्पादक-विक्रेता किसान है ताकि चेक पोस्टें/बैरियरों पर उसके माल को रोका न जाए;

(xxviii) प्रारंभ में, प्रस्तावित कृषि उपज इंटर-स्टेट ट्रेड एंड कामर्स (विकास और विनियमन) बिल को शीघ्र खराब होने वाली जिन्सों के लिए लागू किया जाना चाहिए और उसके अनुभव के आधार पर उससे अन्य जिन्सों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए।

च. मंडी सूचना सिस्टम

(xxix) किसानों के लाभ के लिए राज्यों में विनियमित मंडियों में लगाए गए मार्किट एगमार्कनेट नोडों में समुचित और निर्मित डाटा एन्ट्री सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएं;

(xxx) कृषि उपज का ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन सुनिश्चित करने के लिए और उपज का सर्वाधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए मंडी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है और यह कार्य कम से कम जिला स्तर पर होना चाहिए।

छ. श्रेणीकरण और मानकीकरण

(xxxi) कृषि उपज की गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्त करने में किसानों की मदद के लिए आवश्यक है कि उपज की बिक्री से पहले उसका श्रेणीकरण किया जाये। राज्यों को चाहिए कि वे अपने राज्य की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि उपज (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 के अधीन उत्पादक स्तर पर श्रेणीकरण मानक तैयार करने के लिए आवश्यक इनपुट यथा - जिन्स का नाम और गुणवत्ता पैरामीटर विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डी.एम.आई.) को उपलब्ध कराएं;

(xxxii) कृषि उपज के श्रेणीकरण और परीक्षण को बढ़ावा देने के लिये, राज्यों से अपेक्षा है कि वे श्रेणीकरण कार्य को पूरा करने के लिए मंडी में प्रशिक्षित कार्मिकों से युक्त श्रेणीकरण यूनिटें स्थापित करने की दिशा में पहल करें और ऐसी निजी प्रयोगशालाओं को बढ़ावा दें जहां यूजर चार्ज आधार पर कृषि उपज का परीक्षण किया जा सके।

ज. अन्य सिफारिशें

(xxxiii) समिति की "अंतिम रिपोर्ट" भारत सरकार को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत की जाए कि रिपोर्ट पर विचार के लिए संघ के कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कृषि विपणन पर राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाए।

(xxxiv) किसान समूहों को गठन करना ताकि उनकी मोल-भाव करने की क्षमता में वृद्धि हो और उन्हें फसल का अच्छा मूल्य प्राप्त हो और इसी प्रकार से प्रत्यक्ष विपणन कृषि उपज को किसानों से लेकर सीधे उपभोक्ताओं और प्रोफेसरों तक पहुंचाकर फूड सप्लाई चेन को छोटा करना; और

(xxxv) केन्द्र सरकार को अपनी आयात-निर्यात नीति को ठोस कारगर बनाना होगा क्योंकि नीति में अचानक स्विच ऑन और स्विच ऑफ किए जाने से किसानों को नुकसान होता है।

टिप्पणी: हरियाणा राज्य के माननीय सदस्य का विचार था कि हरियाणा में पहले से ही पर्याप्त विपणन आधारित संरचना उपलब्ध है, अत: राज्य में निजी मंडियां लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद, इस विषय में निर्णय लेने से पूर्व हरियाणा, अन्य राज्यों में निजी मंडियों के सफल वर्किंग मॉडल को परखना चाहेगा।

[अनुवाद]

देशी नस्लों की गायों का संरक्षण

96. श्री एंटो एन्टोनी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में देशी नस्ल की/संकर गायों के संबंध में कोई रिकार्ड है;

(ख) यदि हां, तो इनकी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है और इनकी नस्लों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार केरल की वेचुर नस्ल की गाय सहित अन्य देशी नस्लों की गायों को संरक्षित करने के लिए किसी योजना को कार्यान्वित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) जी हां, पंजीकृत देशी नस्लों का रिकार्ड राष्ट्रीय पशु जेनेटिक संसाधन ब्यूरो द्वारा रखा जाता है।

(ख) देशी नस्लों, का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उनकी संख्या सहित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार केरल की गाय की नस्ल सहित देशी नस्लों के विकास और संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए निम्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

(1) राष्ट्रीय गोपशु प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम

(2) राष्ट्रीय डेयरी योजना-I

विवरण

गायों की देशी नस्लें और उनकी जनसंख्या

क्र. सं.	नस्ल	प्रजनन क्षेत्र	नवीनतम पशुधन आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या
1	2	3	4
1.	गिर	गुजरात	21,26421
2.	राठी	राजस्थान	9,24,057
3.	लाल सिंधी	संगठित फार्मों पर	5,50,272
4.	साहीवाल	पंजाब	4,57,177
6.	गाओलाओ	महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश	2,22,566
7.	हरियाणा	हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश	26,00,111
8.	कंकरेज	गुजरात और राजस्थान	38,84,457
9.	कृष्णा घाटी	कर्नाटक	2,314
10.	मेवाती	राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश	75,427
11.	ओंगोल	आंध्र प्रदेश	2,57,661
12.	थारपरकर	राजस्थान	5,57,621
13.	अमृत महल	कर्नाटक	96,021
14.	बारगुर	तमिलनाडु	20,879
15.	बाचौर	बिहार	4,54,103
16.	बिंझारपुरी	ओडिशा	29,749
17	डांगी	महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश	3,03630
18	घुमसुरी	ओडिशा	82,117

1	2	3	4
19.	हल्लीकर	कर्नाटक	21,91,486
20.	कंगायम	तमिलनाडु	3,14,817
21.	केनकथा	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	1,79,987
22.	खेरीगढ़	उत्तर प्रदेश	1,71,414
23.	खेरीआर	ओडिशा	–
24.	खिल्लारी	महाराष्ट्र	14,19,735
25.	मालवी	मध्य प्रदेश और राजस्थान	15,15,753
26.	नागौरी	राजस्थान	8,37,334
27.	निमारी	मध्य प्रदेश	3,09,237
28.	मोटू	ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आन्ध्र प्रदेश	7,00,908
29.	पोन्वार	उत्तर प्रदेश	24,072
30.	लाल कंधारी	महाराष्ट्र	1,76,621
31.	सीरी	सिक्किम और पश्चिम बंगाल	61,750
32.	अम्बलाचेयरी	तमिलनाडु	2,17,960
33.	वेचुर	केरल	160
34.	पुंगनूर	आन्ध्र प्रदेश	733
35.	मलनाद गिद्दा	कर्नाटक	12,82,121
36.	कोसाली	छत्तीसगढ़	–
37.	पुलीकुलम	तमिलनाडु	–

ईख की उपलब्धता

97. डॉ. ए. सम्पत :
श्री पी.के. बीजू :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी उद्योग की आवश्यकताओं व चीनी की मांग को पूरा करने के लिए ईख की पर्याप्त उपलब्धता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चीनी कारखानों को इसकी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि किसानों को उनकी उपज के बदले लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या किसान एक समान ईख मूल्य-नीति की मांग कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा मई, 2014 में जारी तीसरे अग्रिम अनुमानों में वर्तमान चीनी मौसम में गन्ना उत्पादन 348.38 मिलियन टन अनुमानित है जो देश में चीनी उद्योग की आवश्यकताओं तथा चीनी की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, प्रत्येक मिल के लिए गन्ने की उपलब्धता संबंधित राज्य में गन्ने के उत्पादन के आधार पर राज्य-दर-राज्य भिन्न हो सकती है। केन्द्र सरकार गन्ने का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए चीनी विकास निधि से रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करती है ताकि मिलों को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

(ख) केन्द्र सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट/शिकायत नहीं मिली है कि वर्तमान चीनी मौसम के दौरान देश में गन्ना उत्पादकों को अपनी उपज के लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है। तथापि, समय-समय पर गन्ने के मूल्य की राशि बकाया रहती है। केन्द्र सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य निर्धारित करती है। इस प्रकार निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों से परामर्श के पश्चात् निर्धारित किया जाता है। उचित एवं लाभकारी मूल्य गन्ने का एक बेंचमार्क गारंटीकृत मूल्य है जिससे कम मूल्य पर कोई चीनी मिल गन्ना उत्पादकों से गन्ना नहीं खरीद सकती है। इसके अलावा, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में गन्ना किसानों को उनके द्वारा चीनी मिलों को की गई गन्ने की आपूर्ति के लिए गन्ना मूल्यों का यथासमय भुगतान करने हेतु आवश्यक प्रावधान भी हैं तथा गन्ना मूल्य बकाया के भुगतान से संबंधित

प्रावधान भी राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित किए गए एवं सौंपे गए हैं, जिनके पास आवश्यक फील्ड कार्यालय हैं।

(ग) गन्ना क्षेत्र के विनियमन के संबंध में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित समिति ने सरकार को अक्तूबर, 2012 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि गन्ना मूल्य श्रृंखला में अर्जित राजस्वों/मूल्यों का किसानों तथा मिल मालिकों के बीच निष्पक्ष तथा एकसमान तरीके से विभाजन किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार ने समिति की राजस्व विभाजन के फॉर्मूले से संबंधित सिफारिश को अपनाने तथा कार्यान्वित करने का निर्णय लेने के लिए इसे राज्य सरकारों को भेज दिया है, जैसा वे उचित समझें।

उर्वरकों की आपूर्ति

98. श्री नलीन कुमार कटील : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक सहित अन्य राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि किसानों को आवश्यक उर्वरक सब्सिडीयुक्त-दर पर मिल सकें तथा उन उर्वरक उत्पादकों एवं आपूर्तिकर्ताओं के नाम क्या हैं जिनसे इन उर्वरकों का प्रापण किया जाता है;

(घ) सरकार देश के किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित करती है;

(ङ) क्या सरकार का कतिपय उर्वरकों पर दी जा रही सब्सिडी कम करने/समाप्त करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चन्द) : (क) और (ख) जी, हां। जैसा कि खरीफ 2014 (अप्रैल 2014 से जून 2014) के लिए उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री को दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं जहां सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्याप्त उपलब्धता है।

(ग) किसी भी राज्य को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। हालांकि सरकार राज्यों/कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा अनुमानित आवश्यकता के अनुसार राजसहायता प्राप्त रसायनिक उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराती है। जहां तक कर्नाटक राज्य का संबंध है उर्वरक विनिर्माताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं के नाम की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) किसानों के लिए राजसहायता प्राप्त रसायनिक उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(1) कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) राज्य सरकारों के परामर्श से प्रत्येक फसल मौसम में शुरू होने से पहले माह-वार मांग का आकलन और अनुमान लगाता है।

(2) कृषि और सहकारिता विभाग की ओर से प्रस्तुत किये गये माह-वार अनुमान के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों की उचित/पर्याप्त मात्रा आबंटित करता है तथा निम्नलिखित प्रणाली के माध्यम से उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है:

(i) सभी प्रमुख राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के संचलन की निगरानी एवं ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली (www.urvarak.co.in) द्वारा, जिसे उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) भी कहा जाता है, देश भर में की जा रही है।

(ii) राज्य सरकारों को अपने राज्य सांस्थानिक अभिकरणों, जैसे मार्कफेड इत्यादि, के माध्यम से रेलवे रैक की यथा-समय मांग प्रस्तुत करके आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए उर्वरक उत्पादकों और आयातकर्ताओं के साथ समन्वय करने की नियमित रूप से सलाह दी जाती है।

(iii) उर्वरक विभाग (डीओएफ), कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), तथा रेल मंत्रालय द्वारा राज्य कृषि अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा बताये गए अनुसार उर्वरकों के प्रेषण के लिए उपचारी कार्रवाई की जाती है।

(iv) उर्वरक की आवश्यकता और स्वदेशी उपलब्धता के बीच अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है।

(ङ) और (च) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

खरीफ 2014 मौसम (अप्रैल से जून) के दौरान उर्वरकों की संचयी आवश्यकता, मासिक योजना, उपलब्धता एवं बिक्री

(आंकड़े लाख मी.टन में)

राज्य	यूरिया				डीएपी				एमओपी				एनपीके			
	आवश्यकता	मासिक	उपलबधता	बिक्री	आवश्यकता	मासिक	उपलबधता	बिक्री	आवश्यकता	मासिक	उपलबधता	बिक्री	आवश्यकता	मासिक	उपलबधता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	2.51	8.70	4.43	3.41	0.84	3.23	0.58	0.31	0.58	1.22	0.31	0.13	2.26	6.84	2.58	1.33
अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	0.62	0.90	0.94	0.89	0.09	0.19	0.08	0.04	0.26	0.43	0.09	0.05	0.02	0.06	0.03	0.02
बिहार	3.15	5.12	4.30	3.84	0.75	1.81	0.52	0.23	0.28	0.72	0.24	0.11	0.62	0.92	0.55	0.24
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	2.45	3.33	2.45	2.30	1.02	2.20	1.17	0.96	0.25	0.63	0.31	0.19	0.51	1.13	0.36	0.28
दादरा और नगर हवेली	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
गोवा	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00
गुजरात	4.60	4.70	5.12	4.72	1.85	2.68	1.28	0.97	0.33	0.78	0.32	0.25	1.66	2.06	1.54	1.37
हरियाणा	3.90	4.46	4.24	4.05	0.75	2.33	0.13	0.11	0.08	0.41	0.17	0.16	0.10	0.11	0.10	0.06
हिमाचल प्रदेश	0.18	0.24	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.05	0.12	0.03	0.03
जम्मू और कश्मीर	0.40	0.62	0.46	0.40	0.20	0.51	0.26	0.21	0.03	0.11	0.06	0.05	0.00	0.02	0.01	0.01

झारखंड	0.65	0.89	0.47	0.36	0.25	0.41	0.09	0.06	0.05	0.12	0.00	0.00	0.23	0.30	0.09	0.09
कर्नाटक	2.75	4.81	3.64	3.28	2.17	4.04	1.89	1.42	0.71	1.91	0.79	0.59	2.90	5.53	3.30	2.29
केरल	0.48	0.65	0.44	0.42	0.08	0.30	0.14	0.09	0.42	0.74	0.37	0.34	0.74	0.98	0.56	0.37
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	3.30	3.70	3.62	3.23	2.75	4.95	1.95	1.38	0.46	0.83	0.31	0.15	1.26	1.36	0.53	0.35
महाराष्ट्र	7.35	8.38	7.74	7.44	2.45	4.09	1.45	1.39	0.98	2.24	1.38	1.15	4.91	7.48	3.89	3.41
मणिपुर	0.12	0.15	0.10	0.10	0.02	0.03	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00
मेघालय	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
मिज़ोरम	0.04	0.05	0.01	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नागालैंड	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
ओडिशा	0.80	1.86	1.36	1.04	0.47	1.07	0.48	0.31	0.31	0.60	0.26	0.20	0.70	1.76	0.72	0.47
पुदुचेरी	0.06	0.09	0.04	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.13	0.01	0.01
पंजाब	10.00	9.13	7.89	7.66	2.60	3.39	1.68	1.39	0.14	0.54	0.20	0.12	0.17	0.24	0.05	0.04
राजस्थान	2.30	2.82	2.82	2.74	0.62	2.12	1.22	1.13	0.05	0.14	0.03	0.01	0.33	0.34	0.12	0.11
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	1.69	2.64	1.87	1.85	0.51	1.06	0.25	0.18	0.65	0.94	0.45	0.44	1.30	1.81	0.85	0.64
तेलंगाना	3.49	0.00	1.62	1.69	1.16	1.16	0.24	0.26	0.32	0.00	0.06	0.04	1.80	0.00	0.84	0.87
त्रिपुरा	0.12	0.13	0.10	0.08	0.01	0.03	0.00	0.00	0.05	0.09	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	12.50	13.86	13.63	11.80	2.80	5.55	2.73	0.61	0.35	0.97	0.24	0.15	1.90	1.96	0.73	0.38
उत्तराखंड	0.75	0.95	0.78	0.76	0.14	0.22	0.04	0.03	0.03	0.05	0.00	0.00	0.22	0.15	0.09	0.06
पश्चिम बंगाल	1.75	3.31	2.76	2.25	0.36	1.44	0.48	0.33	0.29	1.23	0.33	0.18	0.72	3.21	1.52	0.88
योग	66.04	81.61	71.07	64.55	21.96	41.81	16.70	11.44	6.68	14.81	5.93	4.31	22.46	36.66	18.48	13.28

विवरण-II

कर्नाटक राज्य के लिए उर्वरक विनिर्माताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं का नाम

1. कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड, हजीरा (कृभको)
2. मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मंगलौर (एमसीएफएल)
3. नागार्जुन फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड, काकिनाडा
4. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ), थाल और ट्राम्बे
5. साऊर्थन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज को-ऑपरेटिव लिमिटेड, चेन्नई (स्पिक)
6. जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गोवा
7. कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, काकिनाडा (सीआईएल)
8. इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (इफ्को)
9. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जीएसएफसी)
10. हिंडल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दहेज
11. पारादीप फोफाटेज लिमिटेड (पीपीएल)
12. ग्रीन स्टार, तूतीकोरिन
13. इंडियन पोटाश लिमिटेड
14. हिन्दुस्तान पुल्वेरसिंग मिल्स, दिल्ली (एचपीएम)
15. दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स को-ऑपरेटिव लिमिटेड, तलोजा
16. फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन (फैक्ट)

पुलिसकर्मियों की कमी

99. श्री बी.वी. नाईक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पुलिसकर्मियों और भारतीय पुलिस सेवा के (भा.पु.से.) अधिकारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा कर्नाटक सहित रैंक-वार एवं राज्य-वार पुलिसकर्मियों और आईपीएस अधिकारियों की पृथक्-पृथक् विद्यमान संख्या और आवश्यकता कितनी है;

(ग) पुलिसकर्मियों और आईपीएस के अधिकारियों के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों और आईपीएस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने और नियमित प्रशिक्षण तथा प्रबंधन के माध्यम से पुलिस अधिकारियों का कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) देश में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों की कमी है। दिनांक 01.01.2014 की स्थिति के अनुसार आईपीएस अधिकारियों के रिक्त पदों की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। आईपीएस से भिन्न पुलिसकर्मियों के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राज्य का विषय होने के कारण इस संबंध में केन्द्रीय स्तर पर सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) आईपीएस अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए आईपीएस (प्रत्यक्ष भर्ती) के बैच-आकार को बढ़ाकर सीएसई, 2005 में 88 से 103, सीएसई, 2008 में 130 और सीएसई, 2009 से 150 कर दिया गया है। सरकार ने वार्षिक रूप से 80 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आईपीएस की भर्ती की वैकल्पिक पद्धति अर्थात् सीमित प्रतियोगिता परीक्षा भी आरंभ की है। उपर्युक्त के अलावा, राज्य पुलिस सेवा से पदोन्नति करके भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज किया गया है।

(घ) जहां तक आईपीएस अधिकारियों का संबंध है, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद आईपीएस परिवीक्षार्थियों के लिए बेसिक फाउण्डेशन कोर्स आयोजित करता है। अकादमी द्वारा विभिन्न स्तरों के आईपीएस अधिकारियों के लिए विशेष रणनीति पाठ्यक्रम, वरिष्ठ प्रबंधन पाठ्यक्रम और सेवाकालीन (मिड कैरियर) प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। राज्य पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण संबंधित राज्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दिया जाता है।

विवरण

दिनांक 01.01.2014 की स्थिति के अनुसार आई.पी.एस. अधिकारियों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत संख्या	तैनात	रिक्त पद
1.	आंध्र प्रदेश	258	207	51
2.	एजीएमयूटी	295	220	75
3.	असम-मेघालय	188	155	33
4.	बिहार	231	193	38
5.	छत्तीसगढ़	103	81	22
6.	गुजरात	195	155	40
7.	हरियाणा	137	109	28
8.	हिमाचल प्रदेश	89	68	21
9.	जम्मू और कश्मीर	147	102	45
10.	झारखंड	135	107	28
11.	कर्नाटक	205	144	61
12.	केरल	163	121	42
13.	मध्य प्रदेश	291	243	48
14.	महाराष्ट्र	302	230	72
15.	मणिपुर	89	62	27
16.	नागालैंड	70	43	27
17.	ओडिशा	188	105	83
18.	पंजाब	172	140	32
19.	राजस्थान	205	183	22
20.	सिक्किम	32	30	02
21.	तमिलनाडु	263	211	52
22.	त्रिपुरा	65	51	14
23.	उत्तर प्रदेश	489	384	105
24.	उत्तराखंड	69	58	11
25.	पश्चिम बंगाल	347	251	96
	2013 बैच के परिवीक्षाधीन आईपीएस अधिकारी		145	-145
		4728	3798	930

यूरिया क्षेत्र के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना

100. **श्री प्रताप सिम्हा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यूरिया क्षेत्र के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना (एन.पी.एस.-III) शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) एन.पी.एस.-III की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) एन.पी.एस.-III के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चन्द) : (क) से (घ) लागत वर्ष 2002-03 के स्तर पर नियत लागत स्थिर करने के कारण विद्यमान यूरिया इकाइयों से कम वसूली के मुद्दे से निपटने के उद्देश्य से सरकार ने 2 अप्रैल, 2014 को विद्यमान यूरिया इकाइयों के लिए आशोधित एनपीएस-III अधिूचित की है। नीति अधिसूचना जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित की जाएगी। नीति के अनुसार कुछ संशोधनों के साथ एनपीएस-III के अनुसार यूरिया इकाइयों की रियायत दरों की गणना को जारी रखना है। उक्त नीति के अनुसार विद्यमान यूरिया इकाइयों को अधिकतम अतिरिक्त नियत लागत (चार घटकों यथा वेतन एवं मजदूरी, ठेका मजदूर, विक्रय खर्च और मरम्मत एवं रखरखाव में वृद्धि के कारण) 350/मी.टन अथवा वर्ष 2002-03 की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान नियत लागत के उपरोक्त चार घटकों में वास्तविक वृद्धि, जो भी कम हो अदा की जाएगी। हालांकि केएससीएल और बीवीएफसीएल-II इकाइयों के संदर्भ में जहां वर्ष 2002-03 अथवा 2012-13 के लिए चार घटकों के लागत आंकड़े उपलब्ध नहीं है वहां 521 रुपये/मी.टन के अतिरिक्त नवीनतम वर्ष के लिए प्रमाणित लागत आंकड़ों के अनुसार इन चार घटकों में वास्तविक वृद्धि (2002-03 के दौरान आंका गया उद्योग औसत) 350 रु/मी.टन की अधिकतम सीमा तक अनुमत होगी।

नीति के अनुसार पूर्वोक्त अतिरिक्त नियत लागत को ध्यान में रखते हुए 2300 रु/मी.टन की न्यूनतम नियत लागत अथवा 2012-13 के दौरान लागू वास्तविक नियत लागत जो भी कम हो, का अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। यह सभी यूरिया इकाइयों के उपलब्ध कराए गए वर्ष 2012-13 के प्रमाणित नियत लागत इकाइयों पर निर्भर होगा। इसके अलावा गैस में परिवर्तित और 30 वर्ष से ज्यादा पुरानी दक्ष इकाइयों को संरक्षण देने के उद्देश्य से नीति में इन इकाइयों के लिए 150/मी.टन की विशेष क्षतिपूर्ति के अनुदान का भी प्रावधान है।

खाद्यान्न का भंडार

101. **श्री एम.बी. राजेश : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास खाद्य पदार्थों के बढ़ते हुए मूल्यों के संकट से निपटने के लिए खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्य पदार्थों की महंगाई की चुनौती से निपटने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा जारी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या उपाय अपनाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) और (ख) दिनांक 16.6.2014 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टॉक की स्थिति 617.19 लाख टन थी जिसमें 208.73 लाख टन चावल तथा 408.46 लाख टन गेहूं शामिल था। खाद्यान्नों का वर्तमान स्तर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत आबंटन के मौजूदा स्तर पर खाद्यान्नों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) से (ङ) वर्तमान वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 16.45 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न जारी किए हैं। इसके अलावा, सरकार ने बीपीएल तथा एपीएल परिवारों को वितरण के लिए 50 लाख टन चावल जारी करने का भी अनुमोदन किया है। इसके अलावा, वर्तमान वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदा, त्यौहार आदि के लिए 6.06 लाख टन की अतिरिक्त मात्रा भी जारी की गई है। इस प्रकार, वर्तमान वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं के लिए वहनीय मूल्यों पर खाद्यान्न सुनिश्चित करने हेतु सामान्य लक्षित

सार्वजनिक वितरण प्रणाली आबंटन के अतिरिक्त पर्याप्त आबंटन किया गया है।

महिला बटालियनें

102. मोहम्मद फैज़ल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय शस्त्र पुलिस बलों में महिला बटालियनों/आरक्षित बटालियनों की स्थापना हेतु अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा ऐसी बटालियनों की स्थापना के लिए बल-वार एवं राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार किन स्थानों की पहचान की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) फिलहाल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक प्रस्ताव, जिसमें केन्द्रीय पुलिस बल द्वारा 2 स्वीकृत सामान्य ड्यूटी (जी डी) बटालियनों के स्थान पर दो महिला बटालियनों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, के अतिरिक्त किसी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी ए पी एस) का महिला/रिजर्व बटालियनें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उक्त प्रस्ताव की जांच की गई है और सरकार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को वर्ष 2015-16 और.2016-17 के दौरान स्थापित किए जाने के लिए स्वीकृत 2 सामान्य ड्यूटी बटालियनों को सम्बद्ध पद्धति (अटैच्ड पैटर्न) के आधार पर दो महिला बटालियनों में परिवर्तित करने के लिए दिनांक 11.3.2014 को "सैद्धांतिक" अनुमोदन की सूचना दे दी है।

असंरक्षित स्मारक

103. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में असंरक्षित दाय स्मारकों, स्थलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में असंरक्षित दाय स्थलों/स्मारकों के रख-रखाव हेतु निधियां प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को कर्नाटक से दाय स्थलों के संरक्षण हेतु निधियां आबंटित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश में राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण, परिरक्षण और अनुरक्षण करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश में असंरक्षित स्मारकों से संबंधित किसी भी आंकड़े का रख-रखाव नहीं करता है।

(ख) और (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 100 वर्षों से कम पुराने असंरक्षित स्मारकों के लिए वित्तीय सहायता स्कीम पर कार्य कर रहा है जिसके तहत ऐतिहासिक/सांस्कृतिक मूल्य वाले उन स्मारकों, स्थलों या अवशेषों के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत करने हेतु आवेदनों पर विचार किया जाता है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या राज्य पुरातत्व विभागों द्वारा संरक्षित नहीं हैं। यह वित्तीय सहायता राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों, जैसा भी मामला हो, की अनुशंसाओं पर अनुदान के रूप में स्वैच्छिक संस्थाओं को दी जाती है। किसी विशेष स्थान पर स्थित कोई एक स्मारक मात्र एक बार ही अनुदान के लिए योग्य होता है। प्रत्येक स्थिति में अनुदान की राशि अनुमोदित अनुमान या 5.00 लाख रुपए, जो भी कम हो, तक सीमित होती है। तथापि, विशेष मामलों में, संस्कृति मंत्रालय 10 लाख रुपए तक की राशि के अनुदान की स्वीकृति दे सकता है। उपर्युक्त स्कीम के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान असंरक्षित विरासत, ढांचों/स्मारकों के अनुरक्षण हेतु प्रदत्त निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान असंरक्षित विरासत, ढांचों/स्मारकों के अनुरक्षण के लिए प्रदत्त निधि

(लाख रुपए में)

क्रम.सं.	परियोजना का नाम	राशि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
	2011-12 और 2012-13		
	शून्य		
	2013-14		
1.	अध्यक्ष, द बुद्धिस्ट खंफा ट्रायबल एसोसिएशन, भुंटोर, जिला कुल्लु (हिमाचल प्रदेश) के अनुग्रह पर भुंटोर, जिला कुल्लु, हिमाचल प्रदेश में डोलमा लखांग गोम्फा जिसे स्थानीय रूप से तारा मंदिर के रूप में जाना जाता है, का अनुरक्षण/परिरक्षण	5.00	हिमाचल प्रदेश
2.	अध्यक्ष, द बुद्धिस्ट गोम्फा जिसे स्थानीय रूप से लिंग गायसर ग्याफो के नाम से जाना जाता है, चांग्सेन बुद्धिस्ट जन-जातीय एसोसिएशन, थेला, पोस्ट बजौरा, जिला, कुल्लु हिमाचल प्रदेश के अनुग्रह पर बुद्धिस्ट गोम्पा, जिसे स्थानीय रूप से लिंग गायसर, ग्याफो के नाम से जाना जाता है, चांगसेन बुद्धिस्ट जनजातीय एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश का संरक्षण कार्य।	5.00	हिमाचल प्रदेश
	कुल	10.00	
	2014-15		
	शून्य		

बागवानी को बढ़ावा देना

104. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा देश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा हाल ही में प्रदर्शनी-सह-किसान-बैठक का आयोजन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड बागवानी के प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन करता है:

I. बागवानी फसलों के उत्पादन और फसलोपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास;

II. शीत भण्डारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण और बागवानी उत्पादों के भण्डारण के लिए पूंजी निवेश राजसहायता;

III. बागवानी के प्रोत्साहन के लिए प्रौद्योगिकी विकास और स्थानांतरण;

IV. बागवानी फसलों के लिए विपणन सूचना सेवा।

(ख) वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न स्कीमों

नामत: (i) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (ii) पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (iii) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और (iv) शहरी क्लस्टर के लिए सब्जी पहल (वीआईयूसी) के अंतर्गत बागवानी के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I से IV में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी हां, दिनांक 10.03.2014और 03.06.2014 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा दो प्रदर्शन-सह-किसान बैठकों का आयोजन किया गया है। इन बैठकों का उद्देश्य किसानों तथा बागवानी विशेषज्ञों और खरीददारों के बीच परस्पर वार्ता की सुविधा प्रदान करना था।

विवरण-I

वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के लिए राज्य-वार वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (02/07/2014 तक)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	9270.00	8734.00	9106.00	5468.00
बिहार	2000.00	3506.00	2000.00	0.00
छत्तीसगढ़	8500.00	9136.00	9062.00	5488.00
गोवा	200.00	125.00	400.00	0.00
गुजरात	9278.00	10013.00	11900.00	5247.00
हरियाणा	7623.00	9062.00	9344.00	4545.00
झारखंड	4216.00	4781.00	5004.00	2969.00
कर्नाटक	9971.00	11304.00	6974.00	0.00
केरल	5345.00	3500.00	3000.00	0.00
मध्य प्रदेश	5500.00	3009.00	7500.00	3223.00
महाराष्ट्र	9375.00	12787.00	67460.00	5000.00
ओडिशा	4673.00	6580.00	8410.00	4675.00
पंजाब	4674.00	5790.00	5819.00	2850.00
राजस्थान	4000.00	4120.00	6250.00	2767.00
तमिलनाडु	6200.00	5600.00	9287.00	3036.00
तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	5100.00	3236.00	3500.00	2232.00
पश्चिमी बंगाल	2550.00	1900.00	800.00	0.00

1	2	3	4	5
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
पुदुचेरी	64.00	46.00	75.00	0.00
कुल	98539.00	103229.00	165891.00	47500.00

विवरण-II

वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) के लिए राज्य-वार वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (02.07.2014 तक)
अरुणाचल प्रदेश	4363.65	4741.76	4660.66	2376.50
असम	25.00	3748.76	4800.00	0.00
मणिपुर	4650.00	4893.00	5800.06	2417.18
मेघालय	3444.50	2900.00	4000.00	0.00
मिजोरम	3835.15	4310.00	4800.00	0.00
नागालैंड	4555.00	4355.00	4745.00	0.00
सिक्किम	4250.66	4289.30	4936.04	2450.00
त्रिपुरा	3950.00	4480.00	5614.31	2700.00
जम्मू और कश्मीर	3357.50	1825.00	2943.16	0.00
हिमाचल प्रदेश	3531.21	2755.41	2618.59	0.00
उत्तराखंड	3000.00	1023.35	3000.00	1550.80
कुल	38962.67	39321.58	47917.82	11494.48

विवरण-III

वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) के लिए राज्यवार वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (30.06.2014 तक)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	823.87	246.95	330.48	1.06

1	2	3	4	5
बिहार	108.47	184.90	102.06	6.00
छत्तीसगढ़	106.19	158.87	320.14	105.40
दिल्ली	155.57	118.49	344.69	35.24
गुजरात	800.46	647.58	1039.39	31.21
हरियाणा	16.14	472.84	2636.71	393.68
कर्नाटक	898.08	908.49	2450.70	311.14
केरल	114.97	98.12	136.07	0.00
मध्य प्रदेश	83.71	271.76	371.47	12.83
महाराष्ट्र	2009.25	1727.51	5842.03	1338.10
ओडिशा	53.84	195.76	328.32	139.32
पंजाब	867.69	508.33	765.04	260.18
राजस्थान	213.51	320.40	996.97	64.96
तमिलनाडु	629.92	803.13	1261.83	584.20
उत्तर प्रदेश	2956.58	3885.08	6070.59	350.22
पश्चिम बंगाल	82.58	76.60	54.15	16.86
झारखंड	18.13	19.34	0.57	0.50
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
चंडीगढ़	0.17	0.00	1.10	25.86
हिमाचल प्रदेश	169.62	110.41	999.00	22.10
जम्मू और कश्मीर	89.20	94.64	228.61	48.36
उत्तराखंड	250.07	141.86	372.74	47.54
असम	66.80	15.02	358.79	1.33
त्रिपुरा	6.00	7.61	168.87	0.00

1	2	3	4	5
नागालैंड	6.72	10.11	2.93	0.00
मिजोरम	15.17	0.00	0.00	0.00
मेघालय	1.50	0.00	31.28	0.00
अरुणाचल प्रदेश	18.23	167.44	13.38	0.00
मणिपुर	121.50	34.50	0.00	0.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	1.33
कुल	10683.94	11225.74	25227.91	3797.42

विवरण-IV

2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 वीआईयूसी के लिए राज्यवार वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (30.06.2014 तक)
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	1700.00	1700.00	1700.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	350.00	175.00	200.00	0.00
3	असम	1200.00	1200.00	600.00	0.00
4	बिहार	1200.00	600.00	600.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	1200.00	1200.00	600.00	5.00
6	दिल्ली	000.00	95.00	0.00	0.00
7	गोवा	175.00	0.00	50.00	1.50
8	गुजरात	1200.00	600.00	300.00	0.00
9	हरियाणा	1200.00	1200.00	600.00	0.00
10	हिमाचल प्रदेश	1200.00	600.00	600.00	0.00

1	2	3	4	5	6
11	जम्मू और कश्मीर जम्मू प्रभाग	600.00	600.00	448.00	0.00
12	जम्मू और कश्मीर श्रीनगर प्रभाग	600.00	600.00	300.00	0.00
13	झारखंड	1200.00	600.00	450.00	0.00
14	कर्नाटक	1700.00	850.00	900.00	0.00
15	केरल	1200.00	93.00	600.00	0.00
16	मध्य प्रदेश	1200.00	1200.00	850.00	0.00
17	मणिपुर	350.00	175.00	100.00	0.00
18	महाराष्ट्र	1700.00	1700.00	100.00	7.50
19	मेघालय	350.00	0.00	125.00	0.00
20	मिज़ोरम	175.00	350.00	125.00	0.00
21	नागालैंड	350.00	350.00	1200.00	0.00
22	ओडिशा	1200.00	1200.00	300.00	0.00
23	पंजाब	1200.00	600.00	900.00	0.00
24	राजस्थान	1200.00	1200.00	215.00	0.00
25	सिक्किम	350.00	175.00	00.00	0.00
26	तमिलनाडु	1700.00	1700.00	215.00	2.50
27	त्रिपुरा	350.00	350.00	00.00	0.00
28	उत्तराखंड	1200.00	0.00	150.00	0.00
29	उत्तर प्रदेश	1200.00	150.00	218.00	4.00
30	पश्चिम बंगाल	1700.00	0.00	165.00	6.00
	कुल	29071.00*	19263.00	12611.00	26.50

*इसमें डी.पी. + एनआईआरडी + मॉनीटरिंग के लिए 121.00 लाख रुपए शामिल है।

स्पाइस रूट हेरिटेज प्रोजेक्ट

105. एडवोकेट जोएस जॉर्ज : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यू.एन.डब्ल्यू.टी.ओ.) की सहायता से विभिन्न देशों से जोड़ने वाला 'स्पाइस रूट हेरिटेज प्रोजेक्ट' विकसित करने के लिए केरल की राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार मुजिरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट (एमएचपी) को प्रस्तावित स्पाइस रूट से जोड़ने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2010-11 में केरल में कोडंगल्लूर के ऐतिहासिक और पुरातत्वीय महत्व के स्थानों को जोड़ने वाले मुजिरिस हेरिटेज सर्किट के विकास के लिए केरल राज्य सरकार को 4052.83 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय उष्ट्र और अश्व अनुसंधान केन्द्र

106. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीय उष्ट्र और अश्व अनुसंधान केन्द्रों (एनआरसी) तथा क्षेत्रीय स्टेशनों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) गत वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इन स्टेशनों द्वारा आबंटित, खर्च किए गए धन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले वर्ष में राजस्थान में उष्ट्रों और अन्य राज्यों में अश्वों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में उष्ट्रों और अश्वों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र (एनआरसी) की उपलब्धियां:-

- मेवाड़ी, बीकानेरी, कच्छ और जैसलमेरी जैसे ऊंटों की अलग-अलग नस्लों के दूध उत्पादन क्षमता ने यह स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि मेवाड़ी और कच्छ नस्लें दूधारू क्षमता वाली हैं और दूध उत्पादन के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है।
- विभिन्न ऊंट रोगों के सीरो-सर्वेक्षण और निगरानी अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि ऊंटों को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक सामान्य रोगों में मेंज के बाद ट्राईपैनोसोसिस (सुररा) है।
- स्थानीय उपलब्ध आहार संसाधनों को शामिल करके सम्पूर्ण आहार संयोजन विकसित किया है और उसका परीक्षण किया गया है और इसे सभी उम्र के ऊंटों को खिलाया जा संकता है और इसे चारे की कमी के दौरान भी खिलाया जा सकता है।

राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र (एनआरसी) की उपलब्धियां:

- अश्व रोग का सर्वेक्षण और निगरानी की गई।
- देशी आइसोलेट के उपयोग द्वारा ईएचवी-1 के विरुद्ध सब यूनिट टीका के रूप में ग्लाइकोप्रोटीन डी के यूकेरिओटिक एक्सप्रेन का मूल्यांकन।
- रीकॉमबीनेंट बीटा-अल्फा ECG आधारित नैदानिक ELISA विकसित करके उसका मूल्यांकन किया गया।
- अलग-अलग पोलीमर्स का इस्तेमाल करते हुए ट्राइपेनोसाईडल ड्रग, क्विनापाइरेमिन सल्फेट के दो सूक्ष्म संयोजनों का प्रभावोत्पादकता और विषाक्ता के लिए संश्लेषण, लक्षणवर्णन और आकलन करना।

- अश्वों के आहार, स्वास्थ्य और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में किसानों में जागरूकता के लिए सालभर विस्तार गतिविधियां आयोजित की गईं।

(ख) **राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान (एनआरसी) केन्द्र:**

वर्ष	आबंटन (लाख रुपए में)		उपयोग (लाख रुपए में)	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
2013-14	260.00	689.24	259.65	656.46
2014-15	300.00	628.00	28.07 (आज तक)	212.23 (आज तक)

राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान (एनआरसी) केन्द्र:

वर्ष	आबंटन (लाख रुपए में)		उपयोग (लाख रुपए में)	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
2013-14	740.56	988.82	732.92	988.22
2014-15	1000.00	887.00	88.87 (आज तक)	302.03 (आज तक)

(ग) जी, हां।

(घ) डीएएचडी एण्ड एफ, भारत सरकार द्वारा भारतीय पशुधन गणना के माध्यम से ऊंट और घोड़ों की संख्या के आकलन हेतु पांच वर्ष में एक बार गणना की जाती है।

देश में घोड़े और पोनी (ट्टटू) की संख्या वर्ष 2003 में 7,51,000 और राजस्थान में 25,000 थी जो वर्ष 2007 में घटकर 6,11,000 हो गई और यद्यपि वर्ष 2007 में राजस्थान में कोई कमी नहीं पाई गई।

वर्ष 2003 में देश में ऊंटों की संख्या 6,32,000 थी और राजस्थान में 4,98,000 थी जो 2007 में घटकर 5,17,000 तथा राजस्थान में 2007 में 4,22,000 हो गई।

इन पशुओं की संख्या में गिरावट का कारण कृषि कार्यों और परिवहन में इनका कम इस्तेमाल है।

(ङ) भारत सरकार ने "संकटग्रस्त नस्लों का संरक्षण" नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना (सीएसएस) उन पशुओं के लिए कार्यान्वित की थी जिनकी संख्या अपने संबंधित प्रजनन क्षेत्रों में 10,000 से कम थी। इस योजना के तहत 2002-03 से 2013-14 के दौरान ऊंट और घोड़ों की निम्नलिखित परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई:-

1. ऊंट-गुजरात में कच्छी ऊंट का संरक्षण, वर्ष 2013-14 तक 126 लाख रु. की राशि जारी की गई।

2. लद्दाख (जम्मू एवं कश्मीर) में दोहरे कुबड़ वाले ऊंट के संरक्षण के लिए वर्ष 2006-07 तक 55.02 लाख रु. की राशि जारी की गई।

3. अरुणाचल प्रदेश में भूटिया पोनी के संरक्षण के लिए वर्ष 2009-10 तक 89.39 लाख रु. की राशि जारी की गई।

4. हिमाचल प्रदेश में स्पीति पोनी के संरक्षण के लिए वर्ष 2009-10 तक 79 लाख रु. की राशि जारी की गई।

5. मणिपुर में मणिपुरी पोनी के संरक्षण के लिए वर्ष 2004-05 तक 77 लाख रु. की राशि जारी की गई।

6. राजस्थान में मारवाड़ी घोड़े के संरक्षण के लिए वर्ष 2002-03 तक 42 लाख रु. की राशि जारी की गई।

[अनुवाद]

कृषि विस्तार कार्यक्रमों के अंतर्गत जनशक्ति की कमी

107. श्री निशिकान्त दुबे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कृषि विस्तार कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों के अंतर्गत कृषक समुदाय के बीच कृषि संबंधी सूचना और प्रौद्योगिकी का प्रसार करने के लिए जनशक्ति की भारी कमी है;

(ग) यदि हां, तो वर्तमान में किसान कॉल सेंटर के प्रत्येक एक्सटेंशन के कामगार से जुड़े किसानों की राज्य-वार संख्या दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अंतर्गत जनशक्ति में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत सभी किसानों को शामिल करने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) मुख्य विस्तार कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएइटी) के 'कृषि विस्तार पर उप-मिशन' के अधीन कार्यान्वित किए जाते हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) तकनीकी कार्य करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू) भी इन प्रयासों को पूरा करने में सहयोग करते हैं। इस संबंध में और अधिक ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) कृषि विस्तार के लिए जनशक्ति बढ़ाने के विषय में, सरकार राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन के भाग के रूप में विस्तार सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रम (एटीएमए) स्कीम के लिए सहायता कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत 29 राज्यों में 26100 पद बनाए गए हैं जिसमें से अभी तक 12114 पद भरे गए हैं।

देश में 14 जगह पर किसान कॉल सेंटर (केसीसी) स्थापित किए गए हैं जिससे कि एक राष्ट्र-व्यापी टोल फ्री नम्बर प्रयोग करते हुए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में किसानों को दूरभाष पर विस्तार सहायता उपलब्ध कराई जा सके। प्रत्येक फार्म दूरभाष सलाहकार (एफटीए) द्वारा संभाली गई प्रति दिन कॉलों की औसत संख्या 34 है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) केसीसी में कॉल प्रवाह को निरंतर मॉनीटर किया जा रहा है जिससे कि फार्म दूरभाष सलाहकारों (एफटीए) की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जा सके। सम्पूर्ण राष्ट्र के किसानों को पहले ही किसान कॉल सेंटर स्कीम के अधीन शामिल किया गया है। तथापि, आधुनिक अवसंरचना और नई प्रौद्योगिकीय विशेषताओं जैसे कि वाइस मीडिया गेटवे, डेडिकेटिड इंटरनेट बैंडविथ, 100 प्रतिशत कॉल रिकार्डिंग, कॉल बार्गिंग सुविधा, कॉल इंतजार अवधि के दौरान वाइस मेल का प्रावधान और किसानों को एसएमएस (दी गई परामर्शिकाओं का सार सूचित करना), के कारण केसीसी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के साथ केसीसी में कॉल प्रवाह की संख्या विगत दो वर्षों में पर्याप्त रूप से बढ़ी है। अत: सीटों की संख्या जनवरी, 2012 में 144 से बढ़कर अक्तूबर, 2013 में 376 तक हो गई है।

विवरण-I

देश में कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य कृषि विस्तार कार्यक्रम

कृषि एवं सहकारिता विभाग

राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमईटी) - कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)

(1) **विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता** : यह स्कीम वर्ष 2005 से देश के 29 राज्यों एवं 3 संघ शासित क्षेत्रों के 639 जिलों में कार्यान्वयनाधीन है। स्कीम जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के रूप में प्रौद्योगिकी प्रचार प्रसार हेतु एक संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से विकेन्द्रीकृत किसान संचालित तथा किसान उत्तरदायी विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देता है। स्कीम के अंतर्गत विस्तार प्रणाली के पुर्नसंचार के प्रयासों को सहायता देने तथा विस्तार गतिविधियों यथा किसानों के प्रशिक्षण, प्रदर्शन, विगोपन दौरे, किसान मेला, किसानों समूहों को संगठित करना तथा फार्म स्कूलों की स्थापना के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न विषयक क्षेत्रों में नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को अनुदान सहायता निर्मुक्त की जाती है। किसानों के अभियान हेतु क्षेत्र, प्रशिक्षण, विगोपन दौरे आदि विस्तार गतिविधियों का चयन राज्यों द्वारा किया जाता है जो आधारभूत योजना तथा किसानों की जरूरत पर आधारित है।

(2) **कृषि विस्तार के लिए मास मीडिया सहायता** : कृषि संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण 180 नेरो कास्टिंग केन्द्रों, 18 क्षेत्रीय केन्द्रों एवं दूरदर्शन केन्द्र के 1 राष्ट्रीय केन्द्र तथा सप्ताह में पांच/छ: दिन 30 मिनट हेतु 96 एफएम स्टेशन रेडियो के माध्यम से किया जाता है।

(3) **कृषि क्लीनिक तथा कृषि व्यवसाय केन्द्र** : इसकी शुरुआत अप्रैल, 2002 से की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत पूरे देश में अभिज्ञात नोडल प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से चुने हुए पात्र उम्मीदवारों को दो माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ऋण पुर्नभुगतान अवधि के दौरान विस्तार सेवाओं के रूप में ऐसे कृषि उपक्रमों के लिए राजसहायता प्रदान करता है।

(4) **किसान कॉल सेंटर (केसीसी)** : स्कीम टॉल फ्री टेलिफोन लाईनों के माध्यम से कृषक समुदाय को कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करती है। किसान कॉल सेंटर के लिए देशव्यापी सार्वजनिक 11 डिजिट संख्या 1800-180-1551 प्रदान किया गया है। नंबर का पता निजी सेवा प्रदाताओं सहित सभी मोबाईल फोन और सभी दूरसंचार नेटवर्क के लैंडलाइन से लगाया जा सकता है। किसानों के प्रश्नों के उत्तर 22 स्थानीय भाषाओं में दिए जाते हैं। प्रत्येक केसीसी केन्द्र में सप्ताह के सातों दिन 6.00 बजे सुबह से रात 10.00 बजे तक प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। किसानों के

तत्काल उत्तर देने के लिए स्तर 1 एजेंट के रूप में फार्म टेलि सलाहकार उपलब्ध रहते हैं। उन प्रश्नों के कॉल कॉन्फ्रेन्सिंग कॉल मोड में विशेषज्ञों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं जिनका उत्तर स्तर 1 के एजेंट नहीं दे सकते हैं। केसीसी को संगठित करके और किसानों को कॉल करने के लिए वॉयस मेल, कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल बार्गिंग, एसएमएस जैसे अत्याधुनिक विशेषताएं और उच्च स्तरों पर सलाह के लिए कॉल कॉन्फ्रेंस/कॉल एस्कालेशन शुरू करने के लिए नवनियुक्त सेवा प्रदाता देकर संशोधित किया गया है। वर्तमान में किसान कॉल सेंटर देश में 14 स्थानों से कार्य कर रहा है।

(5) **प्रदर्शन और मेलें :** कृषि के विकास पर कृषि समुदायों को सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए पूर्वोत्तर सहित पांच क्षेत्रों में कृषि एवं सहकारिता विभाग के साथ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/आईसीएआर संस्थानों द्वारा क्षेत्रीय कृषि मेलें आयोजित किए जा रहे हैं।

(6) **सूचना और सम्पर्क प्रौद्योगिकी (आईसीटी) हस्तक्षेप :** कृषि एवं सहकारिता विभाग ने मुख्यालय और इसके फील्ड कार्यालयों/निदेशालयों दोनों को कवर करते हुए 80 पोर्टल, अनुप्रयोग और वेबसाइट विकसित किया है। प्रमुख पोर्टलों में सीडनेट, डीएसीनेट, एकमार्क नेट, आरकेवीवाई, एटीएम, एनएचएस, इंट्राडीएसी, एनएफएसएम और एपीवाई शामिल हैं। पूरे देश के वेबसाइटों की बहुत अधिक संख्या के समेकित करने के बाद ब्लॉक स्तर तक क्षेत्रों के विभिन्न विषयों के मामलों के अंतर्गत किसानों को परामर्श प्रदान करने के लिए 'किसान पोर्टल' विकसित किया गया है। किसानों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर एसएमएस आधारित परामर्श प्रदान करने के लिए जुलाई, 2013 से कार्य के अधीन एसएमएस पोर्टल भी शुरू किया गया है। पिछले एक वर्ष के दौरान किसानों को राष्ट्रीय स्तर से ब्लॉक स्तर तक स्थित 2300 से भी अधिक विशेषज्ञों द्वारा लगभग सौ करोड़ एसएमएस भेजे गए हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

(7) **कृषि विज्ञान केन्द्र :** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर्) ने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली द्वारा सृजित कृषि प्रौद्योगिकियों तक किसानों की पहुंच की सुविधा देने के लिए देश में 630 कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) के नेटवर्क तैयार किए हैं। इस सुविधा प्रक्रिया के भाग के रूप में केवीके किसानों के खेत में उत्पादक संभाव्यता की उपयुक्ता का पता लगाने और प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों तक पहुंच, सुधार और प्रदर्शन करता है।

इसके अलावा एनएमएईटी के अंतर्गत अन्य उप मिशन के विस्तार संबंधित घटक भी एटीएमए के स्तर पर कवर किए जा रहे हैं।

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में विस्तार निदेशालय किसानों के लिए उपयोगी सामग्रियों का प्रकाशन और विस्तार कार्मिकों के प्रशिक्षण संचालित करने सहित किसान परामर्श सेवाएं भी शुरू करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने संस्थान भी उनके विस्तार पहुंच कार्यक्रम हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) द्वारा सृजित कृषि प्रौद्योगिकी/उत्पादों के मूल्यांकन, परिशोधन और प्रदर्शन करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र विभिन्न फसलों के लिए किसानों और विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी खेत पर प्रशिक्षण और अग्रणी प्रदर्शन आयोजित करता है।

विवरण-II

किसान कॉल सेन्टर के अधीन प्रत्येक विस्तार कामगार द्वारा सम्पर्क किए गए किसानों की संख्या, राज्य-वार

(अक्तूबर, 2013 से मार्च, 2014 तक)

राज्य	केसीसी में पंजीकृत किसान कॉल की संख्या	फार्म दूरभाष सलाहकारों (एफटीए) की संख्या	प्रतिदिन प्रत्येक एफटीए द्वारा सफलता से संभाली गई औसत कॉलें
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	55	2	0.15

1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	131435	18	40.12
अरुणाचल प्रदेश	141	3	0.26
असम	18878	6	17.29
बिहार	52058	11	26.00
छत्तीसगढ़	19686	6	18.03
दादरा और नगर हवेली	10	1	0.05
दमन और दीव	3	1	0.02
दिल्ली	11883	6	10.88
गोवा	38	2	0.10
गुजरात	107845	21	28.22
हरियाणा	95723	15	35.06
हिमाचल प्रदेश	22402	6	20.51
जम्मू और कश्मीर	53238	9	32.50
झारखंड	15729	5	17.28
कर्नाटक	57995	17	18.74
केरल	3931	3	7.20
लक्षद्वीप	4	2	0.01
मध्य प्रदेश	157471	32	27.04
महाराष्ट्र	352997	40	48.49
मणिपुर	521	3	0.95
मेघालय	232	3	0.42
मिज़ोरम	109	3	0.20
नागालैंड	91	3	0.17
ओडिशा	94929	19	27.45

1	2	3	4
पुदुचेरी	453	2	1.24
पंजाब	104157	18	31.79
राजस्थान	204462	32	35.11
सिक्किम	1047	2	2.88
तमिलनाडु	140523	7	110.30
त्रिपुरा	2327	3	4.26
उत्तर प्रदेश	445196	44	55.59
उत्तराखंड	24050	10	13.21
पश्चिम बंगाल	184594	21	48.30
कुल योग	2304213	376	33.67

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

108. **श्री राजीव सातव :**

श्री धनंजय महाडीक :

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के महापंजीयक को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करते वक्त 'नागरिकों' और 'गैर-नागरिकों' की पहचान करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम के पीछे क्या उद्देश्य है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप आधार की भूमिका कम होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या आधार के मौजूदा डाटाबेस को इसके सुरक्षा मानदंडों की तर्ज पर घरों के पते का सत्यापन करने के लिए एपीआर को सौंप दिया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या एनपीआर को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) नागरिकता अधिनियम 1955 को वर्ष 2003 में धारा 14-ए समावेशित करते हुए संशोधित किया गया था जिसके अनुसार केन्द्र सरकार अनिवार्य रूप से, भारत के प्रत्येक नागरिक का रजिस्ट्रीकरण करेगी और उसे राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करेगी तथा भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) का रखरखाव करेगी और इस प्रयोजन के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण (एनआरए) स्थापित करेगी। इसलिए यह एक विधिक दायित्व है।

(ग) और (घ) यह जानकारी यूआईडीएआई से एकत्र की जा रही है।

(ङ) एनपीआर स्कीम की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि एनपीआर को पूरा किया जायेगा और इसे इसके तार्किक (युक्तिसंगत) परिणाम तक ले जाया जायेगा जोकि एनपीआर में प्रत्येक सामान्य नागरिक की नागरिकता की स्थिति के सत्यापन के द्वारा एनआरआईसी तैयार करना है। संबंधित प्रस्ताव सरकार के निर्णय के आधार पर तैयार किया जाएगा।

[हिन्दी]

नए उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

109. योगी आदित्यनाथ : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई उर्वरक परियोजनाओं/संयंत्रों की स्थापना के लिए विभिन्न कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कंपनियों/परियोजनाओं के नामों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) देश में नए उर्वरक संयंत्र की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चन्द) : (क) और (ख) इस विभाग को निम्न 15 कम्पनियों से प्रस्ताव/परियोजनाएं प्राप्त हुईं:

क्र.सं.	कम्पनी	परियोजना	स्वामित्व	राज्य/देश
1	2	3	4	5
1.	इफ्को-कलोल	कलोल में ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया	सहकारी विस्तार संयंत्र	गुजरात
2.	आईजीएफएल-जगदीशपुर	जगदीशपुर में ब्राउनफील्ड विस्तार यूरिया परियोजना	निजी	उत्तर प्रदेश
3.	सीएफसीएल-गडेपान	गडेपान-कोटा में ब्राउनफील्ड विस्तार यूरिया परियोजना	निजी	राजस्थान
4.	कृभको-हजीरा	ब्राउनफील्ड हजीरा उर्वरक इकाई चरण-II	सहकारी	गुजरात
5.	टीसीएल-बबराला	बाबराला में यूरिया परियोजना का विस्तार	निजी	उत्तर प्रदेश
6.	जीएनवीएफसी-भरुच	दाहेज में ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया परियोजना	राज्य संयुक्त उद्यम	गुजरात
7.	जीएसएफसी-वडोदरा	दाहेज में ग्रीनफील्ड अमोनिया-यूरिया परियोजना	राज्य पीएसयू	गुजरात
8.	एनएफसीएल-काकीनाडा	काकीनाडा में अमोनिया-यूरिया परियोजना का विस्तार	निजी	आंध्र प्रदेश
9.	मेट्रिक्स फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	पानगढ़, पश्चिम बंगाल में ग्रीनफील्ड अमोनिया-यूरिया फर्टिलाइजर्स परिसर	निजी	पश्चिम बंगाल
10.	बीसीसीएल (श्रीराम ग्रुप)	पाराद्वीप, ओडिशा में ग्रीनफील्ड कोल गैसीफिकेशन अमोनिया-यूरिया परियोजना	निजी	ओडिशा
11.	आरसीएफ-थाल	आरसीएल के थाल-III पर ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया विस्तार परियोजना	सीपीएसयू	महाराष्ट्र
12.	केएफ एण्ड सीएल-कानपुर	पनकी-कानपुर में ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया परियोजना	निजी	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5
13.	केएसएफएल-शाहजहांपुर	शाहजहांपुर-II में ब्राउनफील्ड यूरिया अमोनिया परियोजना	निजी	उत्तर प्रदेश
14.	फैक्ट-कोची	कोची में ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया परियोजना	पीएसयू	केरल
15.	एनएफसीएनएल-नाईजीरिया	नाइजीरिया में एनएफसीएनएल-अमोनिया यूरिया परियोजना-संयुक्त उद्यम	निजी	नाईजीरिया

(ग) और (घ) नई विदेश नीति (एनआईपी)-2012 में संशोधन की अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् अंतिम निर्णय लिया जाएगा जो अनुमोदन हेतु विचाराधीन है।

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटकों की आवक

110. श्रीमती सुप्रिया सुले : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई देशों ने अपने नागरिकों, विशेषकर महिला पर्यटकों को भारत की यात्रा पर जाने से बचने की सलाह जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में पर्यटन के क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) देश में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्यटकों की आवक बढ़ाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) विभिन्न देशों द्वारा अपने नागरिकों को विभिन्न कारणों से दूसरे देशों की यात्रा करने से बचने अथवा अन्य देशों/अन्य देशों के कपितय क्षेत्रों की यात्रा करते समय सावधानी रखने के लिए सलाह देते हुए समय-समय पर ट्रेवल एडवाइजरी जारी की जाती है। यूएसए, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी और फ्रांस सहित कुछ देशों ने महिला पर्यटकों को भारत की यात्रा के दौरान विशेष रूप से अकेले और रात्रि के समय यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है।

वर्ष 2012 के दौरान 6.58 मिलियन के विदेशी पर्यटक आगमनों की तुलना में वर्ष 2013 में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) 6.97 मिलियन था।

जनवरी से मई 2013 तक 2.86 मिलियन एफटीए की तुलना में जनवरी से मई माह 2014 के दौरान 6.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ एफटीए 3.05 मिलियन था।

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पब्लिक आर्डर' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। इस प्रकार, पर्यटकों के साथ अपराध सहित अपराध की रोकथाम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

विदेशी पर्यटकों सहित पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यटक पुलिस तैनात करने की सलाह दी है। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है।

महिला यात्रियों सहित घरेलू और विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए जा रहे उपाय निम्नलिखित हैं:-

(1) पर्यटक सुविधा और सुरक्षा संगठन (टीएफएसओ) की प्रायोगिक आधार पर स्थापना के लिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(2) सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन के लिए आचार संहिता को अपनाया जाना जो पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों दोनों विशेषकर महिलाओं और बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाने, प्रतिष्ठा और सुरक्षा जैसे मूल अधिकारों के लिए सम्मान के संबंध में किए जाने वाले पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट है।

(3) सभी राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्र

प्रशासनों के प्रशासकों को सभी पर्यटकों के साथ अनुकूल और मित्रवत् वातावरण सुनिश्चित करने, वर्तमान/भावी यात्रियों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ाने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने और उठाए जा रहे/प्रस्तावित कदमों का प्रचार करने के अनुरोध के साथ-साथ नकारात्मक प्रचार का विरोध करने के लिए पत्र लिखे गए हैं।

(4) अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के साथ हुई कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को देखते हुए पर्यटन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट *www.incredibleindia.org* पर एडवाइजरी पोस्ट कर दी है।

(5) 18 जुलाई, 2013 को आयोजित 'राज्य पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन' का फोकस पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा था। पर्यटकों की सुरक्षा के संबंध में सम्मेलन में निम्नलिखित संकल्प लिए गए:-

i. सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन विभाग पर्यटकों की, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए कार्य करेंगे।

ii. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन विभाग स्पेशल फोर्स की जैसे कि 'टूरिस्ट पुलिस', जहां यह अभी नहीं है, पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कुछ कंपनियां लेकर अथवा भूतपूर्व सैनिकों अथवा होम गार्डस को लेकर स्थापना करने पर विचार करेंगे।

iii. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन विभाग एक जन जागरुकता अभियान "मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं" चलाएंगे।

(6) 'अतिथि देवो भव' की अवधारणा के पारंपरिक भारतीय मूल्यों के संबंध में पर्यटन उद्योग के स्टेकहोल्डरों और आम जनता को जागरूक बनाने की आवश्यकता को मान्यता देते हुए पर्यटन मंत्रालय देश के अग्रणी टेलीविजन चैनलों पर अन्य बातों के साथ-साथ पर्यटकों के प्रति व्यवहार से संबंधित विषयों पर सामाजिक जागरूकता अभियान भी चलाता है।

खेलों को प्रोत्साहन

111. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खेलों को शिक्षा के समतुल्य मानने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार छह से सोलह साल की उम्र के सभी बच्चों को खेलों/क्रीड़ाओं के विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेने और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्वानन्द सोनोवाल) : (क) और (ख) खेल पहले से ही शिक्षा का एक अनिवार्य भाग है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 बनाया गया है जिसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है और जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए प्रावधान किया गया है:

(i) प्रत्येक विद्यालय के लिए खेल का मैदान;

(ii) अपर प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के लिए एक अंशकालिक अनुदेशक;

(iii) विद्यालयों को यथा आवश्यक खेल सामग्री, खेल-कूद उपकरण की आपूर्ति।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी विद्यालय को स्थापित अथवा मान्यता प्राप्त नहीं माना जाएगा जब तक वे उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करते।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने उससे संबद्ध सभी विद्यालयों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे 10वीं कक्षा तक सप्ताह में खेलों के लिए एक पीरियड और 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए 2 पीरियड अनिवार्य करें।

(ग) और (घ) चूंकि, 'खेल' राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए खेल-कूद के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों को भागीदारी और प्रशिक्षण के समान अवसर उपलब्ध कराने सहित खेलों के संवर्धन और विकास का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। जहां तक युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की बच्चों के लिए प्रतिभा की पहचान और पोषण संबंधी स्कीमों का संबंध है, खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए पोषण और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित आयु वर्ग के युवा प्रतिभावान बच्चें की पहचान की जाती है:-

क्र.सं.	भाखेप्रा की स्कीमों का नाम	आयु वर्ग
1.	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी)	8-14 वर्ष
2.	सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी)	8-16 वर्ष
3.	भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी)	14-21 वर्ष
4.	विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी)	12-18 वर्ष
5.	उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)	12-25 वर्ष

निधियों का अन्यत्र उपयोग

112. प्रो. सौगत राय : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ी जातियों और अन्य वंचित समूहों के कल्याण के प्रयोजनार्थ निधियों का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है ओर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निधियों के अन्यत्र उपयोग के लिए कोई जवाबदेही तय की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विपथन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) दलितों के कल्याण के प्रयोजनार्थ निधियों के विपथन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/वरिष्ठ नागरिकों/विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं तथा उपायोंके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आबंटित निधियों का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने संबंधी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शुष्क भूमि कृषि

113. श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री सुनील कुमार सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वित्तपोषित की जा रही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) और अन्य संस्थानों में वर्तमान में कार्यरत कृषि वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान इन वैज्ञानिकों द्वारा विशेष रूप से शुष्क-भूमि के क्षेत्र में हासिल उल्लेखनीय उपलब्धियां कौन सी हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके कृषि के क्षेत्र को प्रौद्योगिकी में तीव्र करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नवीनतम प्रौद्योगिकी को कृषकों को हस्तांतरित करने के लिए वैज्ञानिकों को कृषकों के समीप लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और इसके संस्थानों में जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) भी शामिल है वर्तमान में 5365 कृषि वैज्ञानिक विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं।

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान, शुष्क भूमि क्षेत्रों सहित देश में फसल उत्पादकता बढ़ाने हेतु वैज्ञानिकों ने जल संवर्धन, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों, समेकित जल और पोषण प्रबंधन, सूक्ष्म-सिंचाई, समेकित कृषि प्रणाली मॉडलों जिसमें कृषि वानिकी उपाय, सक्षम फसल प्रणालियों आदि के क्षेत्र में अनेक प्रौद्योगिकियों को विकसित किया है। इसके अलावा, जिला स्तर के 100 आकस्मिक योजनाएं (कुल 500 पूर्ण हो चुकी) और कृषि परामर्श भी प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि पहल (एनआईसीआरए) के तहत लगभग 25,000 किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि प्रक्रियाओं/प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण दिया गया है। कुछ अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियों और 2013-14 के दौरान जारी प्रमुख फसलों की सुधरी किस्मों/संकरों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ) उच्चतर कृषि में मानक को बनाए रखने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, भाकृअप, कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम पहलुओं को देखने के लिए समय-समय पर संकायाध्यक्षों की समिति गठित करती है, ताकि बड़े पैमाने पर समाज और स्टेकहोल्डरों की वर्तमान जरूरतों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जा सके। अब तक, संकायाध्यक्षों की चार समितियां गठित की जा चुकी हैं और उनसे प्राप्त रिपोर्टों पर विश्वविद्यालयों के साथ कार्यान्वयन हेतु विचार-विमर्श किया गया।

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने की

प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु अलग-अलग कृषि पारिस्थितिकियों के तहत प्रौद्योगिकी/उत्पादों के मूल्यांकन, परिष्करण और प्रदर्शन के माध्यम से प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के लिए देश में 638 कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) की स्थापना की है। कृषि विज्ञान केन्द्रों की गतिविधियों में विभिन्न कृषि प्रणालियों में प्रौद्योगिकियों के स्थान विशिष्टता की पहचान हेतु खेत परीक्षण, प्रौद्योगिकियों के उत्पादन क्षमता को प्रदर्शित करने हेतु अग्रपंक्ति के प्रदर्शन और किसानों, कृषि महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण देना शामिल है, ताकि विभिन्न कृषि से जुड़े क्रियाकलापों को शुरू करने हेतु उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जाए। परिसर के अंदर और परिसर के बाहर की गतिविधियों जैसे किसान दिवस, किसान मेला, किसान संगोष्ठी, खेत दिवसों, समूह चर्चाओं, भ्रमण दौरों और टीवी/रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाया जाता है। इसके अलावा, संस्थान अपनी प्रौद्योगिकियों को किसानों और अन्य सहयोगियों को दिखाने के लिए (क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर) कृषि प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं।

विवरण-I

विशेष रूप से शुष्क-भूमि कृषि के क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की पिछले एक वर्ष के दौरान कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां:

- कृषि उत्पादन की हानियों को न्यूनतम करने के लिए 100 जिला स्तरीय आकस्मिक योजनाएं तैयार की गईं।
- विभिन्न जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जलवायु परिवर्तन हेतु भारतीय कृषि की अतिसंवेदनशीलता के संबंध में एटलस तैयार की गई।
- स्वस्थाने जल उपयोग, बुआई और उर्वरक के अनुप्रयोग जैसे सम्मिलित प्रचालनों के लिए रिज प्लांटर को डिजाइन कर उसका विकास किया गया।
- विशेष रूप से बुन्देलखंड क्षेत्र के लिए शुष्क भूमि कृषि प्रणाली के लिए विकसित कृषि-वानिकी प्रौद्योगिकी और वर्षा के जल का उपयोग करने के लिए लागत-प्रभावी संरचनाओं तथा वर्षा के जल का उपयोग करने के लिए पुरानी संरचनाओं को लीक प्रूफ बनाने की तकनीक का विकास किया गया।
- ओडिशा के धेनकनाल जिले के ओडापडा और सदर ब्लॉकों में किसानों के खेतों में वर्षा के जल का उपयोग करने की संरचनाओं का विकास किया गया। वर्षा के जल का उपयोग करने की इन संरचनाओं में किसानों के लिए 2.5 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर तक निवल रिटर्न का सृजन करने की सम्भाव्यता है।
- मक्का और लोबिया के लिए आशाजनक ऐक्टिनोमाइसिटीज स्ट्रेनों की पहचान की गई। ऐक्टिनोमाइसिटीज ए10 ने शुष्क भूमि स्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया और मक्का के लिए 25 प्रतिशत एनपी की बचत की।
- कुछ नीबूवर्गीय और अंगूर में नबी प्रतिबल और अन्य अजैव तथा जैव प्रतिबल को कम करने के लिए कई देशी और अन्य स्थानिक प्रकंदों का मूल्यांकन किया गया।
- अनार के नोडलब्लाइट हेतु एकीकृत रोग प्रबंधन (आईडीएच) विकसित किया गया और किसानों में इस प्रौद्योगिकी का प्रसार किया गया।
- शुष्क भूमि के किसानों की अनार के लिए रोपण सामग्री की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, किसानों के लाभ हेतु एक ऊतक संवर्धन नयाचार विकसित किया गया।
- भारतीय भूमि अनुसंधान परिषद और सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से किसानों को बड़े पैमाने पर आंवले की रोपण सामग्री की आपूर्ति की जा रही है।
- पटसन की किस्में (जेआरओएम 1 तथा जेआरसीएम 2) रिलीज की गई है।
- बाजरा (27), मंडुआ (35), मक्का (143) और फ्लैक्स (94) में आनुवंशिक विविधता का विश्लेषण करने और कृषि उपप्रजातियों की पहचान करने के लिए माइक्रोसेटेलाइट मार्करों का उपयोग किया गया। सिम्पल सीक्वेंश रिपीट (एसएसआर) मार्करों का उपयोग करके मोठबीन (250), *लैथाइरस* (225), जिल (450) के महत्वपूर्ण संग्रहों और महुंआ (110), गेहूं (186) तथा सुगंधित एवं असुगंधित चावल (104) में मिनी कोर का आण्विक चित्रण किया गया।
- खरीफ के दौरान चावल के खेतों में और रबी के दौरान चने के खेतों में भागीदारी पद्धति के जरिए किसानों के खेतों में एक नए कीट लाइट ट्रैप का वैधीकरण किया गया।
- विभिन्न खाद्य जिंसों और पर्यावरणीय नमूनों में कीटनाशी अपशिष्टों के निष्कर्षण और विश्लेषण के लिए नई बहु-अपशिष्ट विधियां विकसित की गईं।
- फसलों में परागण में वृद्धि करने के लिए उत्तर-पूर्व भारत में मधुमक्खियों की छह दंश रहित प्रजातियों *टेट्रागोनुला केनीफ्रॉस, टी. इरिडिपेनिनिस, टी. एट्रीपेस टी. लेइबीसेप्स, टी. वेंट्रालिस और टी. रुफिकॉरनिस की पहचान की गई।*

- स्थायी क्यारी खेतों के लिए रोटावेटर से सहायता प्राप्त क्यारी मेकर-सह-सीडर के आदिप्ररूप का विकास किया गया।
- अत्यधिक अपशिष्ट स्थितियों के अधीन बुआई के लिए स्ट्रा हैंडलिंग मेकेनिज्म के साथ जीरो-टिल ड्रिल का विकास किया गया।
- सोयाबीन के बीजों की बुआई और डीएपी उर्वरक की ड्रिलिंग के लिए कंट्रोलर आधारित बीज सह-उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया।
- कोदो और छोटी मिलेट की खेती के लिए उपयुक्त मशीनरी का पैकेज विकसित किया गया।
- टमाटर के शुष्कन के लिए ग्रेवल बैड हीट स्टोरेज प्रणाली के साथ सोलर केबिनेट ड्रायर (15 किलाग्राम/बैच) का विकास किया गया।
- कपास की डंडियों को ब्रिकेट, पार्टिकल बोर्डों, आदि में परिवर्तन करके उनका उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया गया।

विवरण-II

2013-14 के दौरान जारी की गई मुख्य फसलों की नई उन्नत किस्मों/संकरों की सूची

फसल	किस्मों का नाम
1	2
जौ	डीडब्ल्यूअरबी 91, वीएलबी 118, आरडी 2786, आरडी 2794
अरण्डी	जीसी-3
चना	जीएनजी 1958, जीएनजी 1969, एल 555, सीएसजेके 6, एनबीइजी 3
कपास	सीएसएचजी 1962
हरी मटर	आईपीएफडी 6-3
चारा	एसपीवी 2057 (सीएसवी 30 एफ), बुंदेल गुनिया 4 गुनिया - घास, बुंदेल लोबिया 4 लोबिया
मूंगफली	जीजेजी 22 (जेएसएसपी 36), जीजेजी-17 (जेएसपी-48), धारानी
सरसों	आरजीएन 229, आरजीएन 236, डीआरएमआरईजे 31, आरएच 0406, राज विजय सरसों-72, आरएच 0749, पूसा सरसों 29, पूसा सरसों 30, आरआरएन 573, पंत राय 20
जूट	जेआरओएम 1 (प्रदीप), जेआरसीएम 2 (पार्थो)
मसूर	आईपीएल 316
अलसी	प्रताप अलसी-2
मक्का	सीएमएच 08-282, शालीमार मक्का कम्पोजिट 3 (ओपीवी), केडीएम-438, पंज संकर मक्का-1, विवेक मक्का संकर 45 (एफएच 3483), प्रताप क्यूपीएम संकर-1 (ईएचक्यू-16)
मेस्ता	जेबीएम 81 (शक्ति)
मूंग	एमएच 421, केएम 2195, बीएम 2003-2
बाजरा	प्रताप संकर (एमएच 1642), पीकेवी-राज संकर (बीबीएच 3), एबीपीसी-4-3 (एमपी 484), संकर सीओ 9
अरहर	राजेश्वरी (फुले तूर 12), आरजीटी-1, रुद्रेश्वर (डब्ल्यूआरजी 65), पीकेवी तारा, प्रकाश (आईपीए 203)
चावल	पूसा बासमती 1509, सीओ 4 (संकर), एनडीजीआर 201, सीआर सुगंधधान 907, शीतल, सिद्‌धी, कृष्णा, सुजाना, प्रत्युमना, प्राणहथा, नेल्लोर सोना, श्वेता, कनका लता, साबौर सुरभित, जीएनआर 2, फूले आरडीएन 6, लूना संखी, लूना बरियल, सीएसआर 43, पंत सुगंधधान 12, मंगलफो, इनोटफो, आरसी मणी-फो 12

1	2
कुसुम	एसएसएफ-708, पीकेवी गुलाबी (एकेएस-31), एनएआरआईएच-23
तिल	एचटी-9713 (एचटी-2)
सोयाबीन	पूसा 12 (डीएस 12-13), पंत सोयाबीन 1368 (पीएस 1368), एमएसीएस-188, प्रताप सोया 45 (आरकेएस 45)
गन्ना	सीओ 06027, सीओ 06030, सीओ 05009 (करण 10) सीओएलके 9709
सूरजमुखी	आरएसएफवी-901 (कंथी), आरएसएसफएच-130 (भद्रा), सीओ-2
सनहैम्प	एसयूआईएन 037 (अंकुर)
तम्बाकू	अविरामी सीआर (एचवी 2000-6), कामाच्ची (वीडीएच-3), एफसीएच-222
उड़द	एनयूएल 7, यूएच 1
गेहूं	टीएल 2969 (टी), एचडी 36059, एचपीडब्ल्यू 349, डब्ल्यूएच 1105, एचआई 8713 (पूसा मंगल) (डी), एचडब्ल्यू 5216 (पूसा थेनमलाई), डीबीडब्ल्यू 71, यूएस 304, एमपी 3336

[अनुवाद]

बीपीएल कार्ड

114. कुमारी शोभा कारान्दलाजे : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में सूचना/शिकायतें हैं कि कई गरीब परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड से मिलने वाले लाभों/अधिकारों से वंचित कर दिया गया है जबकि कई संपन्न परिवारों को गैर-कानूनी रूप से ये कार्ड जारी कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने गरीबों को जन वितरण प्रणाली के लाभों की सक्रिय सुपुर्दगी हेतु इन विसंगतियों को दूर करने के लिए राज्यों को किसी प्रकार के सलाह/निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(घ) बीपीएल कार्डधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या अन्य उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) से (घ) कुछ क्षेत्रों/राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जो अन्य बातों के अलावा लाभभोगियों की पहचान, पात्र परिवारों को राशन कार्ड देने से इंकार करने तथा अपात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी करने से संबंधित है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र सरकार तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेवारी में प्रचालित की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारें गरीबी रेखा से नीचे के पात्र परिवारों की पहचान के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश तैयार करेंगी। पात्र परिवारों की पहचान करने तथा उन्हें राशन कार्ड जारी करने की प्रचालनात्मक जिम्मेवारी भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की है। अत: जब कभी सरकार को व्यक्तियों तथा संगठनों एवं प्रैस रिपोर्टों के माध्यम से शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन्हें जांच तथा उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को भेज दिया जाता है।

इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के अपात्र परिवारों का नाम सूची से हटाने तथा पात्र परिवारों को सूची में शामिल करने के प्रयोजनार्थ बीपीएल तथा अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूचियों की प्रतिवर्ष समीक्षा करना आवश्यक है। यह एक सतत प्रक्रिया है तथा राज्य सरकारों के लिए इसे आवधिक रूप से करना होता है।

इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के परामर्श से वर्ष 2006 में एक नौ-सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बीपीएल/अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सूची की सतत समीक्षा करना तथा खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सहित अपात्र/जाली राशन कार्डों को सूची से हटाना शामिल है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों से अपात्र/जाली राशन कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार पाए गए सरकारी कर्मचारियों तथा ऐसे राशन कार्ड रखने वाले परिवारों/व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई प्रारम्भ करने का अनुरोध भी किया गया था। सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को जाली राशन कार्डधारकों को जाली

राशन कार्ड लौटाने के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से चेतावनी देने संबंधी अनुदेश भी जारी किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप 30 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों ने जुलाई, 2006 से दिनांक 31.03.2014 तक 393.46 लाख जाली/अपात्र राशन कार्ड समाप्त करने के संबंध में सूचित किया है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ तथा सुप्रवाही बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार नियमित रूप से परामर्श जारी करती है तथा सम्मेलन आयोजित करती है, जिनमें राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे बीपीएल तथा अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूची की नियमित समीक्षा करें, आबंटित खाद्यान्नों के उठान में सुधार करें, उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करें, लक्षित सार्वजनिक वितरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाए, विभिन्न स्तरों पर निगरानी तथा सतर्कता तंत्र में सुधार करें, आदर्श नागरिक घोषणापत्र को अपनाएं, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का प्रयोग करें तथा उचित दर दुकानों के प्रचालनों की व्यवहार्यता में सुधार करें आदि।

इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में अन्य बातों के साथ-साथ केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रगामी रूप से किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों को भी शामिल किया गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रिकार्डों को सार्वजनिक करने, सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने, राज्य, जिला, ब्लॉक तथा उचित दर दुकानों के स्तरों पर सतर्कता समितियों का गठन करने, जिला तथा राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र का गठन करने सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही के प्रावधान भी अधिनियम में किए गए हैं।

[हिन्दी]

रिफाइन्ड खाद्य तेल का आयात

115. **श्री हंसराज गंगाराम अहीर : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे पाम तेल की तुलना में रिफाइन्ड खाद्य तेल का अधिक मात्रा में आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आयात किए गए कच्चे और रिफाइन्ड खाद्य तेल की कुल मात्रा को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रिफाइन्ड खाद्य तेल के बढ़ते आयात के कारण घरेलू रिफाइनिंग (शोधन) कंपनियों को भारी हानि हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार घरेलू रिफाइनिंग उद्योग की सहायता के लिए रिफाइन्ड खाद्य तेल पर आयात शुल्क बढ़ाने और अन्य उपाय लागू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) से (ग) जी, नहीं। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (खाद्य तेल वर्ष नवम्बर-अक्तूबर) के दौरान आयातित रिफाइन्ड खाद्य तेल (पामोलीन) तथा अपरिष्कृत पाम आयल (सीपीओ) की मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

खाद्य तेल वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर)	रिफाइन्ड खाद्य तेल (पामोलीन)	अपरिष्कृत पाम आयल
2010-11	10.82	53.74
2011-12	15.77	59.94
2012-13	22.23	58.89
2013-14*	9.99	32.58

*स्रोत: सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया।

*अक्तूबर, 2013 से मई, 2014 तक।

(घ) और (ङ) दिनांक 20.01.2014 से रिफाइन्ड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क 7.5% से बढ़कर 10% हो गया है, जबकि अपरिष्कृत खाद्य तेलों पर आयात शुल्क अपरिवर्तित अर्थात् 2.5% है।

[अनुवाद]

कीटनाशकों की आपूर्ति

116. **श्री नलीन कुमार कटील : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के कृषकों को कीटनाशकों की पर्याप्त आपूर्ति व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषकों को राजसहायता प्राप्त दर पर आवश्यक कीटनाशक उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा कर्नाटक सहित राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम क्या है जिनसे इन कीटनाशकों को खरीदा जाता है; और

(ङ) सरकार देश के कृषकों को राज सहायता प्राप्त दरों पर कीटनाशकों की पर्याप्त आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित करती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) और (ख) आंचलिक सम्मेलनों में राज्य सरकारों द्वारा कीटनाशकों की आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) कृषि एवं सहकारिता विभाग अभिज्ञात जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पौध रक्षण रसायनों तथा जैव-एजेंटों के वितरण के लिए लागत के 50 प्रतिशत या 500 रु. प्रति हैक्टे. की दर पर, इसमें जो कम हो, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत विभिन्न घटकों के लिए राज्यों को निधियां आबंटित की जाती हैं। स्कीम के तहत कीटनाशकों के लिए किसी विशिष्ट सब्सिडी स्तर का निर्धारण नहीं किया गया है। राज्य वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार की स्कीमों की लागत मानक/सब्सिडी प्रणाली का अनुसरण कर सकते हैं।

दृष्टिबाधित लोगों के लिए अनुसंधान और विकास

117. श्री बी.वी. नाईक : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दृष्टिबाधित लोगों के लिए नई प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए कोई अनुसंधान और विकास कार्य चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में ऐसा कोई अनुसंधान/नवीन प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग/विकसित उपकरण है, जो दृष्टिबाधित लोगों को ध्वनि के माध्यम से देखने में समर्थ बनाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) और (ख) वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए किये गये/किये जाने वाले अनुसंधान और विकास कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष 2013-14

(i) दृष्टिबाधितों के रोजगार और उत्पादकता की सम्भावना को बढ़ाने के लिए जॉब मैपिंग स्टडी।

(ii) ब्रेल टैक्नोलॉजी मैथोडोलॉजी पर वीडियो फिल्म का निर्माण।

(iii) यूनिकोड टेबल के आधार पर ओपन सोर्स ब्रेल लाईब्रेरी में इंडियन लैंग्वेजिज़ ब्रेल टेबल्स तैयार की गयी।

(iv) अपवर्ड ब्रेल राइटिंग फ्रेम की डिजाइनिंग।

चल रही परियोजनाएं:

(i) यूनिकोर्ड प्रतीकों से जोड़ने के लिए भारती ब्रेल की समीक्षा।

(ii) पूर्वोत्तर राज्यों की भाषाओं के लिए ब्रेल कोड़ का विकास।

(iii) दृष्टि बाधिता पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना पुस्तिका तैयार करना।

(iv) दृष्टि बाधिता शिक्षकों के लिए हैन्डबुक के संशोधित संस्करण को तैयार करना।

वर्ष 2014-15 के लिए प्रस्तावित परियोजनाएं:

(i) विशेष विद्यालयों और एकीकृत विद्यालयों में पढ़ रहे दृष्टिबाधित छात्रों की ब्रेल रीडिंग और राइटिंग क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन।

(ii) विशेष विद्यालयों में एकीकृत बच्चों के सीखने पर गणित शिक्षण कार्यनीति और उनका प्रभाव।

(iii) हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध "ख्याल बंदिश" के नोटेशन का लिप्यान्तरण।

(iv) मांग और ब्रेल उत्पादन में अन्तर का अध्ययन करने के लिए परियोजना प्रस्ताव।

(v) एडवांस ब्रेल मैस कोड पर गणित के शिक्षकों के लिए हैन्ड बुक तैयार करना।

(vi) युवा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक संक्षिप्त शैक्षिक फिल्म बनाना।

(vii) दृष्टिबाधित बच्चों के लिए रेज्ड़ फोरमेट में बेसिक एटलस का डिजार्जन तथा विकास।

(viii) युवा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग मैटेरियल की प्री-स्कूल किट का डिजाईन तथा विकास।

(ix) दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए लिक्विड लेबल इंडीकेटर का डिजाईन तथा विकास।

(ग) और (घ) अभी तक भारत में ऐसे किसी उपकरण का विकास नहीं किया गया है, जो किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति को इस उपकरण का प्रयोग करते हुए कानों के माध्यम से मदद कर सके। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार, पूरे विश्व में इस बारे में अनुसंधान जारी है। यह टैक्नोलॉजी वृहद् रूप से प्रायोगिक स्तर पर है।

उर्वरकों का आयात

118. **श्री प्रताप सिम्हा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आयात किए गए विभिन्न उर्वरकों की उर्वरक-वार मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन कंपनियों और देशों से ये उर्वरक आयात किए गए हैं;

(ग) क्या ये उर्वरक देश में उर्वरकों की कमी के कारण आयात किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आयात किए जा रहे उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच के लिए क्या तंत्र है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चन्द) : (क) और (ख) यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत है और आकलित मांग तथा स्वदेशी उत्पादन के बीच अंतर को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष कृषि उपयोग हेतु इसका आयात सरकारी खाते से राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) नामत: एमएमटीसी लि. (एमएमटीसी), स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लि. (एसटीसी) और इंडियन पोटाश लि. (आईपीएल) के जरिए किया जाता है। सरकार ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी (ओमिफ्को) से भारत सरकार और ओमिफ्को के बीच हुए दीर्घावधि यूरिया उठान करार (यूओटीए) के अंतर्गत लगभग 20 लाख मी.टन यूरिया का आयात भी कर रही है। ओमिफ्को से यूरिया का आयात मैसर्स इफ्को और मैसर्स कृभको के जरिए किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष (मई 2014 तक) के दौरान आयात किए गए यूरिया की वर्ष-वार मात्रा और मूल्य का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	यूरिया की मात्रा (लाख मी. टन)			मूल्य (मि.यूस डॉलर)
	ओमान से	एसटीई के माध्यम से	कुल	
2011-12	20.69	57.65	78.34	3,222.48
2012-13	18.33	62.11	80.44	3,009.49
2013-14	21.21	49.67	70.88	1,968.36
2014-15*	3.41	11.49	14.90	439.94

यूरिया के अलावा, अन्य उर्वरकों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत किया जाता है। कंपनियां इन उर्वरकों का आयात अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार करती हैं। सरकार इन आयातों के मूल्य नहीं रख रही है। तथापि, सरकार पोष्क-तत्व आधारित राजसहायता योजना के अंतर्गत पीएण्डके उर्वरक पर राजसहायता का भुगतान कर रही है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (मई, 2014 तक) के दौरान आयातित पीएण्डके उर्वरकों की मात्रा का वर्ष-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(मात्रा लाख मी.टन में)

वर्ष	डीएपी	टीएसपी	एनपीके	एमओपी#	एमएपी
2011-12	69.05	1.60	36.73	26.93	4.94
2012-13	57.02	0.00	4.05	18.80	1.52
2013-14	32.61	0.00	3.62	20.67	0.39
2014-15	3.30	0.00	0.33	3.07	0.00

*मई, 2014 तक।

#सीधे कृषि उपयोग के लिए।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन उर्वरकों का आयात करने वाली कंपनियों के नाम:- एग्रीगोल्ड आर्गेनिक्स प्रा. लि., चंबल फर्टिलाइजर्स

एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ग्रीनस्टार फर्टिलाइजर लिमिटेड, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लि., हिंडाल्को इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को-ऑपरेटिव लिमिटेड, इंडियन पोटाश लिमिटेड, केपीआर फर्टिलाइजर्स लि., कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड, मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मोसाइक इंडिया (प्रा.) लिमिटेड, नागार्जन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, श्रीराम फर्टि. एंड केमिकल्स, सनफर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि., टाटा केमिकल्स लिमिटेड, जुआरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड हैं।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जिन देशों से उर्वरकों का आयात किया गया है, उनके नाम हैं: आस्ट्रेलिया, बहरीन, बेलारूस, चीन, कनाडा, चिली, सीआईएस, मिस्र, एस्टोनिया, जर्मनी, यूनान, इंडोनेशिया, ईरान, इज़राइल, जार्डन, कोरिया, कुवैत, लाटविया, लिथुआनिया, मलेशिया, मेक्सिको, मोरक्को, ओमान, फिलिपीन्स, कतर, रोमानिया, रूस, दक्षिण अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, स्पेन, तुर्की, ट्यूनिशिया, यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन, तालिन्न, उक्रेन, वेंतस्पिल्स और वियतनाम।

(ग) जी हां, डीएपी और एनपीके उर्वरकों का आयात इन उर्वरकों की आकलित मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच अंतर को पूरा करने के लिए किया जाता है। देश में एमओपी की संपूर्ण आवश्यकता को आयात के जरिए पूरा किया जाता है क्योंकि देश में पोटाश के कोई व्यवहार्य स्रोत नहीं हैं।

(घ) और (ङ) उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच आयातकों द्वारा नियुक्त सर्वेक्षकों द्वारा लदान बंदरगाहों पर की जाती है। इसके अलावा, फरीदाबाद स्थित उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान (सीएफक्यूसीएण्डटीआई) और मुम्बई, कल्याणी और चेन्नई स्थित क्षेत्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के उर्वरक निरीक्षक भारतीय बंदरगाहों पर उतराई कर रहे सभी उर्वरक पोतों से गुणवत्ता की जांच करने हेतु नियमित रूप से उर्वरक नमूने एकत्र करते हैं और उनकी जांच करते हैं।

क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र

119. मोहम्मद फैज़ल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मानसिक रूप से मंद लोगों के लिए क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए चयनित स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : (क) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र शुरू करने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के पास नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फसल हानि के लिए सहायता

120. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कर्नाटक सहित सूखा प्रभावित राज्यों के किसानों को निर्गत की गई फसल क्षतिपूर्ति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और फसल-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) लाभान्वित किसानों की संख्या और केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत क्षतिपूर्ति की राशि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है; और

(ग) सरकार के पास क्षतिपूर्ति के लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है और ऐसे लंबित मामलों पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) राज्य सरकार आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के अंतर्गत निधियों की सुलभ रूप से उपलब्धता से सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की हानि/क्षति की स्थिति में उचित राहत उपाय शुरू कर सकती है। एसडीआरएफ के अलावा, प्रक्रिया और स्थापित मानकों के अनुसार सरकार द्वारा आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एनडीआरएफ से वित्तीय सहायता तत्काल राहत के लिए प्रदान की जाती है और यह फसलों की हानि/क्षति के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में नहीं दी जाती है। कर्नाटक सहित सूखा प्रभावित राज्यों को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनडीआरएफ से भारत सरकार द्वारा की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राज्य सरकारें सूखा प्रभावित किसानों के बीच सूखा राहत की राशि और उसके विवरण के आकलन के लिए जिम्मेवार हैं।

(ग) अद्यतन स्थिति के अनुसार सूखा प्रभावित राज्यों को एनडीआरएफ से सहायता की सिफारिश करने संबंधी कोई मामला सरकार के पास लंबित नहीं है।

विवरण

वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के सूखे के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अनुमोदित सहायता

क्र. सं.	राज्य	2011-12 का सूखा	2012-13 का सूखा	2013-14 का सूखा	2014-15 का सूखा
1.	आंध्र प्रदेश	706.15	142.97	254.44@	अभी तक
2.	बिहार	-	--	931.87	चालू वर्ष के
3.	गुजरात	-	864.71	-	दौरान किसी
4.	कर्नाटक	469.03	526.06	226.57	भी राज्य से
5.	केरल	-	170.50	-	सूखे
6.	महाराष्ट्र	574.71	815.07	-	की रिपोर्ट
7.	राजस्थान	-	320.64	-	प्राप्त नहीं
8.	तमिलनाडु	-	624.69	-	है।

*संबंधित राज्य सरकार पर राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में उपलब्ध बकाये का 75 प्रतिशत समायोजन के अध्यधीन।

@राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप समिति द्वारा संयुक्त तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश (शेष) सहित सिफारिश।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

121. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओडिशा सहित देश के विभिन्न भागों में विद्यमान खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान देश में ऐसी इकाइयों की स्थापना के लिए जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ओडिशा समेत देश के विभिन्न भागों में मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के बारे में आंकड़े नहीं रखता है। परंतु, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार, ओडिशा समेत देश में 36,881 पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें थीं। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में अपने स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करता है। परंतु, मंत्रालय राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना करने वाले निजी उद्यमियों की सहायता करता है। इस स्कीम को 12वीं योजना (2012-17) से हाल ही में शुरू की गई नई केंद्र प्रायोजित स्कीम - राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) में सन्निविष्ट कर दिया गया है। देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए मिशन के अंतर्गत, स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, उपर्युक्त स्कीम/मिशन के अंतर्गत 12वीं योजना (01.04.2012) में सभी नए आवेदन संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, अनुमोदित किए जाते हैं और निधियां जारी की जाती हैं।

(घ) वर्ष 2014-15 के दौरान, विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) के अंतर्गत 180 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। प्रत्येक राज्य/संघ-राज्यक्षेत्र में निधियां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम सहित एनएमएफपी की सभी स्कीमों के लिए होती हैं, जिनके अंतर्गत इच्छुक उद्यमियों द्वारा देश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना की जा सकती है।

विवरण-I

पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	9,359
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4
3.	असम	1,212

1	2	3
4.	बिहार	715
5.	चंडीगढ़ (संघ राज्यक्षेत्र)	23
6.	छत्तीसगढ़	1,028
7.	दादरा और नगर हवेली	8
8.	दमन और दीव	35
9.	दिल्ली	145
10.	गोवा	85
11.	गुजरात	1,924
12.	हरियाणा	650
13.	हिमाचल प्रदेश	171
14.	जम्मू और कश्मीर	150
15.	झारखंड	169
16.	कर्नाटक	1,979
17.	केरल	1,437
18.	मध्य प्रदेश	754
19.	महाराष्ट्र	3,113
20.	मणिपुर	18
21.	मेघालय	18
22.	नागालैंड	12
23.	ओडिशा	875
24.	पुदुचेरी	70
25.	पंजाब	2,784
26.	राजस्थान	777
27.	सिक्किम	18
28.	तमिलनाडु	5,186
29.	त्रिपुरा	55
30.	उत्तर प्रदेश	2,116
31.	उत्तराखंड	381
32.	पश्चिमी बंगाल	1,600
	कुल	36,881

(स्रोत : उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2011-12)

विवरण-II

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान एनएमएफपी के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियों के आवंटन/भारत सरकार के हिस्से को दर्शाने वाला ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

(क) राज्य :

क्र. सं.	राज्य	भारत सरकार के हिस्से का आबंटन (2014-15)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	11.38
2.	बिहार	8.92
3.	छत्तीसगढ़	5.83
4.	गोवा	2.14
5.	गुजरात	8.68
6.	हरियाणा	4.11
7.	हिमाचल प्रदेश	3.39
8.	जम्मू और कश्मीर	6.81
9.	झारखंड	5.13
10.	कर्नाटक	8.64
11.	केरल	4.39

1	2	3
12.	मध्य प्रदेश	11.40
13.	महाराष्ट्र	13.36
14.	ओडिशा	7.01
15.	पंजाब	4.32
16.	राजस्थान	11.84
17.	तमिलनाडु	8.02
18.	उत्तर प्रदेश	16.43
19.	उत्तराखंड	3.51
20.	पश्चिमी बंगाल	8.20
	कुल	153.51

(ख) पूर्वोत्तर राज्य:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	भारत सरकार के हिस्से का आबंटन (2014-15)
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	2.96
2.	असम	4.70
3.	मणिपुर	2.40
4.	मेघालय	2.41
5.	मिजोरम	2.29
6.	नागालैंड	2.29
7.	सिक्किम	2.11
8.	त्रिपुरा	2.33
	कुल	21.49

(ग) संघ राज्य क्षेत्र:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	भारत सरकार के हिस्से का आबंटन (2014-15)
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.41
2.	चंडीगढ़*	0.00
3.	दादरा और नगर हवेली*	0.00
4.	दमन और दीव*	0.00
5.	दिल्ली	1.53
6.	लक्षद्वीप	1.00
7.	पुदुचेरी	1.06
	कुल	5.00

*संघ राज्य क्षेत्र जिन्होंने तैयारी कार्यकलापों/अग्रिम कार्रवाई हेतु तथा एनएमएफपी की मुख्य स्कीम के लिए भी निधियां नहीं ली हैं।

[हिन्दी]

अंतराष्ट्रीय सीमाओं में लगे क्षेत्रों में खेती

122. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे क्षेत्रों में विशेषकर पश्चिमी क्षेत्रों के किसान इन क्षेत्रों में खेती करने में भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन सीमावर्ती क्षेत्रों में शत्रु सेनाओं द्वारा अत्यधिक गोलाबारी किए जाने पर इन किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) पश्चिमी क्षेत्रों सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा के लिए लगाई गई बाड़ से आगे की जमीनों समेत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगी अपनी जमीन में खेती करते समय किसानों को किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बंजर एवं ऊबड़-खाबड़ जमीन होने तथा सिंचाई की सुविधा की कमी के कारण कुछ हिस्सों में खेती सम्भव नहीं है। जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगे क्षेत्र में अस्थिरता तथा तनावपूर्ण स्थिति के कारण भी सीमा पर लगी बाड़ से आगे की जमीन पर खेती करने के बारे में ग्रामीणों के बीच आम तौर पर अनिच्छा का भाव है।

(ग) और (घ) कृषि राज्य का विषय है। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं, कृषि की संभावनाओं, अपने यहां रहने वाले लोगों की अपेक्षाओं, कृषि-जलवायु की स्थिति आदि के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए अपने-अपने राज्यों से संबंधित योजनाएं चलाती हैं। इसी प्रकार, राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों के विभिन्न भागों में उन योजनाओं/क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करती हैं। इसी प्रकार, राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों के विभिन्न भागों में अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन का भी निर्णय लेती हैं। इस प्रकार, इसका निर्णय संबंधित राज्य सरकारों को लेना है कि उनके राज्य से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगी भूमि पर किस हद तक कृषि का संवर्धन किया जा सकता है।

(ङ) सीमावर्ती क्षेत्रों में शत्रु सेनाओं द्वारा अत्यधिक गोलीबारी के कारण किसानों को होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति का निर्णय राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा अलग-अलग मामले के आधार पर लिया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की प्रतिरक्षात्मक तैयारी/आने जाने (मूवमेंट) की तैयारी के चरण के दौरान वहां के निवासियों/किसानों को उनकी फसलों आदि को हुई क्षति के एवज में मुआवज़ा के तौर पर अनुग्रह राशि का भुगतान किया है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की आपूर्ति

123. श्री निशिकान्त दुबे : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्यान्नों के उत्पादन और उपभोग की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस अंतर को, यदि उसमें कोई देखी गई है, कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या देश में बढ़ रही जनसंख्या खाद्यान्नों की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) खाद्यान्नों के मूल्यों को नियंत्रित रखने के साथ-साथ सरकार द्वारा इसकी बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) देश में विगत 3 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

चावल:

(मिलियन टन में)

	2011-12	2012-13	2013-14
उत्पादन	105.30	105.24	106.29*

*कृषि विभाग के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार।

गेहूं:

(मिलियन टन में)

	2011-12	2012-13	2013-14
उत्पादन	94.88	93.51	95.85*

*कृषि विभाग के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार।

खाद्यान्नों के उपभोग के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार, बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए खुला बाजार बिक्री स्कीम - घरेलू के अंतर्गत खाद्यान्न जारी कर रही है। वर्ष 2013-14 के दौरान खुला बाजार बिक्री स्कीम - घरेलू के अंतर्गत बिक्री के लिए 100 लाख टन गेहूं तथा 50 लाख टन चावल आबंटित किया गया था। वर्ष 2014-15 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किए गए नियमित आबंटन के अतिरिक्त लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण के लिए 50 लाख टन चावल का अतिरिक्त आबंटन किया गया है। गेहूं तथा चावल के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

चावल तथा गेहूं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए कदम

गेहूं और चावल के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं:-

- गेहूं के लिए आयात शुल्क घटाकर शून्य किया गया है।
- दिनांक 30.11.2014 तक धान तथा चावल के संबंध में स्टॉक की सीमाएं निर्धारित की गई है।
- वर्ष 2002 से चावल के संबंध में (बीपीएल के लिए 5.65 रुपये प्रति किलोग्राम तथा अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम) तथा गेहूं के संबंध में (बीपीएल के लिए 4.15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा अंत्योदय अन्न योजना के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से) केंद्रीय निर्गम मूल्य रखे गए हैं।
- चावल के संबंध में वायदा व्यापार स्थगित कर दिया गया है।
- सरकार ने वर्ष -14 के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत 5 लाख टन चावल तथा 100 लाख टन गेहूं आबंटित किया है।
- जिन राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन लंबित है, उन राज्यों में जुलाई, 2014 तथा मार्च, 2015 के बीच बीपीएल तथा एपीएल परिवारों के लिए अतिरिक्त 5 मिलियन टन चावल जारी किया।
- सरकार आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा काला बाजारी को रोकने के उद्देश्य से 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955' तथा 'चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980' भी कार्यान्वित कर रही है।
- जमाखोरी तथा काला बाजारी के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने के लिए 'आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1955' तथा 'चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980' को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकारों को परामर्श पत्र जारी किए गए हैं।

आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी

124. श्री राजीव सातव :
श्री धनंजय महाडीक :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का ध्यान दिया गया है/बताया गया है कि हाल ही के महीनों के दौरान देश में सट्टे के इरादे से की गई जमाखोरी के कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोतरी एक मुख्य कारण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी जमाखोरी के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाने के लिए राज्यों को परामर्श जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है तथा गत तीन महीनों के दौरान मारे गए छापों/गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों तथा उन पर चलाए गए मुकदमों की संख्या कितनी है तथा चूककर्ता राज्यों के विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार जमाखोरी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सरकार को सशक्त बनाने हेतु राज्यों को निदेश जारी करने तथा इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में कुछ धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार, अवांछित जमाखोरी के विरुद्ध, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर-बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु-प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत प्रभावी उपाय करने के लिए राज्यों को नियमित रूप से निदेश जारी करती है। वर्ष 2014 में ऐसे निर्देश 02.05.2014 और 04.06.2014 को जारी किए गए थे। राज्यों के प्रत्युत्तर (07.07.2014 की स्थिति के अनुसार) संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। चूककर्ता राज्यों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई उपबंध नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार को शक्ति प्रदान करने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3 के तहत पहले ही मौजूद हैं।

विवरण-I

वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान कुछेक आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन और मूल्य

इकाई –उत्पादन मिलियन टन में

मूल्य रुपए प्रति किग्रा. में

वस्तु	2012-13		2013-14		उतार-चढ़ाव	
	उत्पादन	कीमत (जून-2013)	उत्पादन	कीमत (जून-2014)	उत्पादन	कीमत
धान	105.24	17-34	106.29	21-38	1.05	4
गेहूं	93.51	16-28	95.85	16-30	2.34	0-2
दालें	18.34	45-80 (उड़द)	19.57	60-92 (उड़द)	1.23	15-12
खाद्य तेल	7.20	83-165 (मूंगफली)	7.65	87-175 (मूंगफली)	0.45	4-10
आलू	45.34	11-26	46.40	17-33	1.06	6-7
प्याज	16.31	11-79	19.30	15-32	2.99	(-)4-(-47)

विवरण-II

वर्ष 2014 (अप्रैल-जून) के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई

क. स्टॉक नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन से इतर अपराधों के संबंध में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए छापों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या			जब्त की गई, वस्तुओं का मूल्य	तक की जानकारी
			नजरबंद	अभियोजित	दोषसिद्ध		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1214	3	0	0	9.24	अप्रैल
2.	गोवा	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मई
3.	गुजरात	460	0	0	-	18.39	अप्रैल
4.	हरियाणा	6	8	4	-	3.65	मई
5.	केरल	3623	0	0	0	0.20	मई
6.	महाराष्ट्र	248	333	11	0	332.02	मई

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	अप्रैल
8.	उत्तर प्रदेश	2071	6	22	0	50.92	अप्रैल
9.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	अप्रैल
10.	पुदुचेरी	60	1	5	0	0.12	अप्रैल
	कुल	7684	351	42	0	414.54	
ख. स्टॉक नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन से संबंधित अपराध							
1.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मई
2.	गुजरात	16	–	–	–	0.07	अप्रैल
3.	केरल	984	0	0	0	0	मई
4.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	अप्रैल
5.	मिज़ोरम	35	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मई
6.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	अप्रैल
7.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मई
8.	पुदुचेरी	60	0	0	0	0	अप्रैल
	कुल	1095	0	0	0	0.07	

चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत नजरबंदी की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण वर्ष 2014

1	तमिलनाडु	65
2	गुजरात	10
	कुल	75

*अन्य राज्यों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

पर्यटन क्षेत्र को हानि

125. **प्रो. सौगत राय : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष उत्तराखंड में घटित प्राकृतिक आपदा के कारण पर्यटन क्षेत्र को हुई अनुमानित हानि का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे अर्थव्यवस्था को हुई अनुमानित हानि सहित इसके क्या परिणाम हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष पैकेज दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य

मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) उत्तराखंड राज्य सरकार के अनुसार, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया (पीएचडीसीसीआई) द्वारा किए गए अध्ययन में अर्थव्यवस्था को लगभग 12000 करोड़ रुपए की अनुमानित हानि बताई गई है। सरकारी पर्यटन संपत्तियों को लगभग 116.00 करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान लगाया गया है। कुछ प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच न होने के कारण सभी निजी पर्यटन परिसंपत्तियों के नुकसान का अभी तक पूर्ण रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सका है।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य के संवर्धन के लिए कोई पैकेज प्रदान नहीं किया है। तथापि नष्ट हुए/क्षतिग्रस्त सरकारी पर्यटन परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण/निर्माण के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा 100.00 करोड़ रुपए का विशेष वित्तीय पैकेज घोषित किया गया है जिसमें से 10.58 करोड़ रुपए निर्मुक्त करने के साथ 72.55 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने 2013-14 में उत्तराखंड में विभिन्न पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 145.17 करोड़ रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता भी स्वीकृत की है।

खाद्यान्नों की खरीद

126. श्री एम.बी. राजेश : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में गेहूं और चावल की खरीद, आबंटन/बिक्री और अधिशेष/बिना बेचा गया भंडार कितना है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान खाद्यान्नों का आयात अथवा निर्यात किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा उक्त खाद्यान्नों के आयात और निर्यात मूल्यों को दर्शाते हुए इसकी प्रमात्रा कितनी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के दौरान गेहूं और चावल के रूप में धान सहित चावल की खरीद का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(आंकड़े लाख मीट्रिक टन में)

रबी विपणन मौसम	गेहूं	खरीफ विपणन मौसम	चावल
2011-12	283.35	2010-11	341.98
2012-13	381.45	2011-12	350.36
2013-14	250.92	2012-13	340.36
2014-15	279.94	2013-14 *	307.46#

*खरीफ विपणन मौसम अभी चल रहा है।

#2 जुलाई, 2014 की स्थिति के अनुसार।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (मई, 2014 तक) के दौरान निर्यात बिक्री को छोड़कर गेहूं और चावल के आबंटन और उठान का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(आंकड़े लाख मीट्रिक टन में)

वर्ष	गेहूं		चावल	
	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
2011-12	324.77	241.70	384.20	320.54
2012-13	391.00	30.68	366.65	326.39
2013-14	361.58	281.86	344.31	291.98
2014-15	231.13	037.68*	352.05	44.76*

(*2014-15 हेतु उठान के आंकड़े केवल मई, 2014 तक हैं)

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार गेहूं और चावल के शेष प्रारंभिक/स्टॉक का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

दिनांक 1 अप्रैल की स्थिति केन्द्रीय पूल में स्टॉक

(आंकड़े मिलियन टन में)

निम्नलिखित तारीख के अनुसार	चावल	गेहूं	कुल
1	2	3	4
1 अप्रैल 2011	28.8	15.4	44.2

1	2	3	4
1 अप्रैल 2012	33.4	19.9	43.3
1 अप्रैल 2013	35.5	24.2	59.7
1 अप्रैल 2014	30.6	17.8	48.4

(ख) और (ग) तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल खाते से खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का कोई आयात और चावल का निर्यात नहीं किया गया है।

जहां तक गेहूं का संबंध है, वर्ष 2011-12 के दौरान केन्द्रीय पूल से कोई निर्यात नहीं किया गया है। वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान निर्यातित गेहूं की मात्रा और औसत फ्रेट ऑन बोर्ड दर का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	निर्यातित मात्रा (टन में)	औसत एफओबी दर (अमेरिकी डॉलर)
2012-13	28,29,238	314.01
2013-14	25,71,406	294.15
2014-15	3,27,080	281.22

[हिन्दी]

दलहनों का उत्पादन

127. श्री हंसराज गंगाराम अहीर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में दलहनों के उत्पादन का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान दलहनों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में दलहनों के उत्पादन में बढ़ोतरी तथा इसकी मांग और पूर्ति में मामूली अंतर को देखते हुए दलहनों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) विगत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष अर्थात् 2010-11 से 2013-14 के दौरान दलहनों के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) देश में दलहनों का उत्पादन 2010-11 में 18.24 मिलियन टन से बढ़कर 2013-14 में 19.57 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर तक हो गया है।

(घ) और (ङ) दलहनों के आयात पर रोक लगाने के संबंध में वाणिज्य विभाग के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

2010-11 से 2013-14 के दौरान दलहनों का राज्य-वार उत्पादन

उत्पादन ('000 टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	1440.0	1230.0	1623.0	1394.0
अरुणाचल प्रदेश	9.1	10.5	10.6	#
असम	70.1	68.6	84.4	79.5

1	2	3	4	5
बिहार	537.8	511.3	542.8	515.6
छत्तीसगढ़	537.5	499.1	648.7	635.5
गोवा	8.0	8.3	9.0	#
गुजरात	723.0	780.0	572.2	794.0
हरियाणा	158.5	127.0	130.4	197.0
हिमाचल प्रदेश	41.6	30.8	46.1	36.0
जम्मू और कश्मीर	16.7	13.2	14.2	16.2
झारखंड	329.6	412.0	609.3	551.7
कर्नाटक	1565.0	1134.1	1259.3	1450.0
केरल	3.0	2.5	3.2	3.5
मध्य प्रदेश	3386.2	4161.9	5165.9	5093.6
महाराष्ट्र	3099.8	2268.0	2306.0	3183.0
मणिपुर	24.2	26.9	28.4	#
मेघालय	3.7	3.7	3.7	#
मिज़ोरम	6.1	5.3	3.3	#
नागालैंड	36.4	34.7	43.6	#
ओडिशा	426.9	343.4	424.4	412.4
पंजाब	19.3	15.0	53.0	19.9
राजस्थान	3259.7	2432.1	1956.8	2354.7
सिक्किम	11.9	5.9	5.8	#
तमिलनाडु	246.0	369.3	209.9	369.3
त्रिपुरा	5.2	6.0	6.0	#
उत्तर प्रदेश	2037.0	2403.0	2332.0	2042.0
उत्तराखंड	52.1	49.0	51.3	57.0
पश्चिम बंगाल	176.1	130.6	192.3	246.1

1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.2	1.0	0.7	#
दादर और नगर हवेली	6.1	4.0	5.0	#
दिल्ली	0.8	0.7	0.7	#
दमन और दीव	1.1	0.0	0.0	#
पुदुचेरी	1.3	1.0	0.8	#
अन्य	एनए	एनए	एनए	117.0
अखिल भारत	18240.9	17088.9	18342.5	19568.1

*15.05.2014 के अनुसार तीसरा अग्रिम अनुमान, # अन्य में शामिल, एनए : लागू नहीं

[अनुवाद]

बहु-राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा औषधियों की बिक्री

128. श्री नलीन कुमार कटील : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बहु-राष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) द्वारा राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) के अंतर्गत सूचीबद्ध आवश्यक औषधियों में से कतिपय/दवाइयां औषधियां अत्यधिक मूल्यों पर बेची जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जानी प्रस्तावित है;

(ग) क्या सरकार का विचार नए एनएलईएम के भाग के रूप में औषधियां (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अंतर्गत कैंसर की औषधियों को शामिल करना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में कैंसर की औषधियों को खरीदने की वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चन्द) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची-2011 (एनएलईएम) में विनिर्दिष्ट सभी दवाइयों को औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I में शामिल कर लिया गया है और कीमत नियंत्रण के अधीन लाया गया है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित दवाइयों के मूल्यों को निर्धारित/संशोधित करता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अनुसूचित फार्मूलेशन (दवाई) को किसी भी ग्राहक को एनपीपीए द्वारा अधिसूचित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने के लिए प्राधिकृत नहीं है। जब कभी भी अधिप्रभार का कोई मामला एनपीपीए के नोटिस में लाया जाता है अथवा एनपीपीए द्वारा इसकी मॉनीटरिंग और प्रवर्तन गतिविधियों के दौरान पता चलता है। डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत वसूली शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है। एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत 451 फार्मूलेशनों जिसमें अन्य के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां (एमएनसी) द्वारा विनिर्मित/बेचे गए फार्मूलेशन भी शामिल हैं, के संबंध में अधिप्रभारन के लिए कार्रवाई शुरू की है। इसके अलावा एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत दो मामलों में 54.03 करोड़ रुपए की राशि के लिए मांग पत्र जारी किए हैं और 54.01 करोड़ रुपए की वसूली की है जिसमें 30.06.2014 तक 4 मामलों में अपने आप किया गया भुगतान शामिल है। तथापि, एनपीपीए द्वारा इस संबंध में एमएनसी के लिए अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची-2011 (एनएलईएम) में विनिर्दिष्ट सभी दवाइयों को डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I में शामिल कर लिया गया है और कीमत नियंत्रण के अधीन लाया गया है। एनएलईएम में विनिर्दिष्ट खुराक और क्षमता की 33 कैंसर औषधियां भी शामिल हैं। कीमत नियंत्रा के प्रयोजन से एनएलईएम का संशोधन एक गतिशील प्रक्रिया है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की

सिफारिश पर कोई भी औषधि जनहित में औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश के तहत एनएलईएम में शामिल की जा सकती है।

एनपीपीए ने उक्त आदेश के प्रावधानों के अंतर्गत डीपीसीओ, 2013 की अनुसूचित श्रेणी के अंतर्गत कुल 680 एनएलईएम दवाइयों में से 30 जून, 2014 तक, 440 दवाइयों के संबंध में उच्चतम कीमत पहले ही अधिसूचित कर दी है। डीपीसीओ, 2013 के तहत अधिसूचित दवाइयों की कीमतों में, इससे पहले प्रचलित उच्चतम कीमत की तुलना में जो फार्मूलेशन दर फार्मूलेशन भिन्न-भिन्न है, महत्वपूर्ण कमी की गई है। कीमत में कमी की समग्र रूपरेखा निम्नवत है:

खुदरा विक्रेता के अधिकतम मूल्य में प्रतिशत गिरावट	औषधियों की संख्या
0<=5%	35
5<=10%	41
10<=15%	49
15<=20%	40
20<=25%	358
25<=30%	43
30<=35%	27
35<=40%	34
40% से ऊपर	113
कुल	440

उर्वरकों पर राजसहायता

129. श्री प्रताप सिम्हा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उर्वरकों/रसायनिक उर्वरकों पर किसानों को मुहैया कराई गई राज-सहायता का कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित उर्वरक-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के गरीब और सीमांत किसानों को उक्त राज-सहायता से कोई लाभ नहीं हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने उर्वरक राज-सहायता किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में ही मुहैया कराने की कोई नई योजना शुरू की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाल चन्द) : (क) स्वदेशी यूरिया, स्वदेशी पीएण्डके और आयातित पीएण्डके (कंपनी-वार) के संबंध में पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष (30 जून, 2014 तक) के दौरान उत्पादकों/आयातकों को भुगतान की गई राजसहायता संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-I से III में दर्शाया गया है। चूंकि राजसहायता कंपनियों को भुगतान की जाती है; इसलिए राज्य-वार राजसहायता भुगतान का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) और (ग) जी हां। उर्वरकों पर राजसहायता के अनुदान से गरीब और सीमांत किसान लाभान्वित होते हैं क्योंकि किसानों को यूरिया और पीएण्डके दोनों उर्वरक राजसहायता प्राप्त मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं और उर्वरकों की वास्तविक लागत से काफी कम होते हैं। यूरिया नियंत्रित है और किसानों को यह सरकार द्वारा नियत किए गए मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है। पीएण्डके उर्वरकों पर पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) के अंतर्गत प्रति मी. टन राजसहायता की नियत राशि भी उपलब्ध कराई जाती है जिसके परिणामस्वरूप एमआरपी पीएण्डके उर्वरकों की वास्तविक लागत से कम होती है।

(घ) और (ङ) जी हां, उर्वरक के मामले में राजसहायता के प्रत्यक्ष अंतरण की योजना तैयार की गई थी। योजना का ब्यौरा इस प्रकार है:

वित्त मंत्री के बजट भाषण के फलस्वरूप अपेक्षित लाभार्थियों को केरोसिन, एलपीजी एवं उर्वरकों पर राजसहायता के सीधे अन्तरण के लिए कार्यान्वित किए जाने लायक हल सुझाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा एक कार्यदल का गठन किया गया है। जून, 2011 में कार्यदल ने वित्त मंत्रालय को अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें राजसहायता के वितरण के लिए आधार अतिविशिष्ट पहचान संख्या का लाभ उठाने के लिए एक आईटी-चालित मूल राजसहायता प्रबंधन प्रणाली (सीएसएमएस) का प्रस्ताव किया है।

अन्तरिम रिपोर्ट में कार्यदल ने अपेक्षित लाभार्थियों को उर्वरक राजसहायता के सीधे वितरण के लिए एक चरणबद्ध पद्धति की सिफारिश की कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर उर्वरक विभाग ने प्रत्यक्ष

उर्वरक राजसहायता अंतरण (अंतिम प्रयोक्ता अर्थात् क्रेता को) का उद्देश्य हासिल करने के लिए एक चरणबद्ध पद्धति अपनाने का निर्णय लिया। ये चरण इस प्रकार हैं:

1. **चरण-I :** खुदरा व्यापारी स्तर तक सूचना प्रत्यक्षता जहां एमएफएमएस (मोबाईल उर्वरक प्रबंधन प्रणाली) में सूचित खुदरा पावतियों की सूचना के आधार पर उत्पादकों को आंशिक राजसहायता वितरित की जाती है।

2. **चरण-II :** एमएफएमएस में दर्ज की गई उर्वरकों की खुदरा बिक्री की सूचना के आधार पर उत्पादकों को आंशिक राजसहायता की अदायगी।

3. **चरण-III :** खुदरा ग्राहक को की गई उर्वरक बिक्री के आधार पर राजसहायता अदायगी।

4. **चरण-IV :** किसानों को उनके द्वारा की गई बिक्री के आधार पर राजसहायता अदायगी।

उर्वरक राजसहायता के प्रत्यक्ष अंतरण पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा 06.05.2013 की गई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार यह चर्चा की गई और निर्णय लिया गया था कि उर्वरकों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) एक जटिल मामला है क्योंकि लक्ष्य बनाने, हकदारी निर्धारित करने और लाभार्थी डाटा बेस तैयार करने में कठिनाइयां हैं। अत: इस समय उर्वरकों से डीबीटी को दूर रखना बेहतर होगा। तदनुसार, चरण-III और IV को स्थगित रखा गया। तथापि, यह निर्णय लिया गया था कि उर्वरक विभाग चरण-II के रूप में क्रेताओं का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने के लिए कदम उठाये।

अपेक्षित लक्ष्य हासिल करने के लिए एनआईसी को मोबाइल उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (एमएफएमएस) विकसित करने का कार्य सौंपा गया। यह अनुप्रयोग मुख्यत: वेब आधारित है। तथापि, अंतिम प्रयोक्ता की प्रोफाइल पर विचार करते हुए एनआईसी द्वारा एक जावा/एंड्रॉएड आधारित मोबाइल हैंडसेट अनुप्रयोग भी विकसित किया गया है ताकि थोक और खुदरा विक्रेता स्तर पर उर्वरक संचलन और उपलब्ध्ता का पता लगाने के लिए पावतियां सुलभ हो सकें।

एमएफएमएस, जिसका चरणबद्ध पद्धति से कार्यान्वयन किया जा रहा है, का उद्देश्य उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला में सूचना दृश्यता लाना और उर्वरक राजसहायता तंत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इसमें थोक और खुदरा विक्रेता को उर्वरक कंपनियों द्वारा की गई बिक्री का पता लगाना, थोक और खुदरा स्तर पर बिक्री और अभिस्वीकृति प्राप्तियों का भी पता लगाना है। दूसरे चरण में, इसकी योजना अंतिम बिक्री बिंदु (अर्थात् खुदरा स्तर) पर क्रेताओं के ब्यौरे का पता लगाना है। राजसहायता भुगतान का एक भाग चरण-I और II में खुदरा विक्रेता की अभिस्वीकृति से पहले ही जोड़ दिया गया है।

विवरण-I

आयातित पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में जारी किया गया कंपनी-वार भुगतान

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	वर्ष				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7
1.	एग्रीगोल्ड	0	0	0	4.90	23.91
2.	चंबल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	834.84	780.68	854.94	1316.82	283.11
3.	सीआईएल	438.67	535.52	486.96	553.26	70.54
4.	दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स को.	103.67	65.93	112.47	154.65	28.22
5.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर	89.91	3.33	91.12	16.88	
6.	एफसीएसपी	106.79	0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7
7.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स को. लि.	0.15	0.00	51.54	4.40	
8.	इंडियन पोटाश लिमिटेड	9929.22	7687.62	5039.11	5319.30	740.53
9.	जीएसएफसी	0.00	0.00	26.68	368.51	
10.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2.91	0.00	15.10	0.00	
11.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	92.00	10.94	0.00	0.00	
12.	नागार्जुन फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	382.66	813.92	809.74	875.83	43.79
13.	पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड	462.53	353.24	669.36	826.80	125.93
14.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	608.10	263.56	624.57	362.95	57.62
15.	श्रीराम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स	221.67	78.54	105.92	307.54	61.27
16.	स्पिक	0.00	0.48	0.00	0.00	
17.	टाटा केमिकल्स लिमिटेड (एचएलएल)	796.31	533.30	582.02	591.04	159.48
18.	तुंगभद्रा केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड	113.82	4.11	0.00	0.001	
19.	जेडआईएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1705.92	1396.19	1143.35	1086.09	96.57
20.	एमएमटीसी	0.00	0.00	1.56	0.00	
21.	एचपीएम	0.00	0.00	17.63	1.40	11.54
22.	इंडियन फर्मर्स फर्टिलाइजर कोओपरेटिव लिमिटेड	2962.37	2104.61	1998.94	342.40	93.30
23.	मौजाइक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	903.66	733.77	338.91	625.38	188.67
24.	कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड	639.70	370.78	534.36	387.47	76.27
25.	इंडो गल्फ	0.00	80.59	156.72	296.76	0.07
26.	डंकन इंडिया लिमिटेड	0.00	1.57	0.00	0.00	
27.	मंगलोर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	414.43	337.86	480.83	282.96	39.42
28.	रैलिस इंडिया लिमिटेड	0.00	2.55	0.00	0.00	
29.	फोलिएज क्राप सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	0.00	1.73	0.00	0.00	
30.	ग्रीनस्टार फर्टिलाइजरर्स लिमिटेड	0.00	327.66	272.72	41.01	

1	2	3	4	5	6	7
31.	केपीआर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	40.67	81.96	151.99	52.98	
32.	टोपीयर प्राइवेट लिमिटेड	0.00	1.48	0.00	0.00	
33.	सनफर्ट	0.00	0.00	4.24	87.73	62.59
34.	ट्रांस एग्रो	0.00	0.00	5.32	0.67	
	एसबीए पर ब्याज	0.00	0.00	0	19.13	0.24
	कुल	20850.00	16571.92	14576.10	13926.86	2163.07

विवरण-II

स्वदेशी पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में जारी कंपनी-वार भुगतान

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम स्वदेशी डीएपी/मिश्रित	वर्ष			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
1.	कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	3269.52	2555.36	2344.41	491.00
2.	दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन	193.16	134.06	266.14	39.16
3.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	1085.22	826.43	683.69	164.97
4.	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.0
5.	ग्रीनस्टार फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	111.25	440.84	214.40	77.97
6.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कोरपोरेशन लिमिटेड	247.70	199.18	166	26.72
7.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	1418.86	752.76	1121.08	119.21
8.	हिंडाल्को इंडस्ट्रीस लिमिटेड	346.17	290.87	326.95	0
9.	इंडियन फामर्स फर्टिलाइजर कोरपोरेटिव लिमिटेड	5968.28	4489.78	4475.38	670.60
10.	इंडियन पोटाश लिमिटेड	13.43	0.00	0.00	
11.	मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	313.64	210.1	191.59	24.21
12.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	35.16	116.53	52.97	1.66

1	2	3	4	5	6
13.	ओसवाल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0
14.	पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड	1345.44	1217.51	1101.38	235.10
15.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	625.07	705.89	500.83	69.09
16.	सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कोरपोरेशन लिमिटेड	403.23	0	0	0
17.	जेडआईएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	868.89	591.53	397.69	47.35
18.	टाटा केमिकल्स लिमिटेड (एचएलएल)	994.23	597.74	779.2	107.53
	कुल	17239.25	13128.58	12621.71	2074.57
19.	एसएसपी को कुल भुगतान	1851.63	1604.38	1548.22	227.77
20.	अक्तूबर, 2000 से पहले व्यय	73.58	82.88	0.00	0
21.	विशेष भाड़ा पर व्यय	778.54	1184.16	1330.07	438.49
22.	बॉंड से हुई हानि	294.49	0.00	0.00	
	सकल योग	20237.49	16000.00	15500.00	2740.83

विवरण-III

स्वदेशी यूरिया (एफआईसीसी) के संबंध में जारी कंपनी-वार भुगतान

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	इकाई	वर्ष			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
(क)	**सार्वजनिक क्षेत्र**				(30.06.2014 तक)
1.	आरसीएफ-थाल	708.51	954.80	1498.15	656.58
2.	आरसीएफ-ट्राम्बे	232.53	219.05	287.99	124.61
3.	एमएफएल	1768.74	1427.26	1492.63	803.22
4.	एनएफएल-बठिण्डा	1107.87	1201.50	1364.51	376.75
5.	एनएफएल-पानीपत	1213.97	1193.59	1433.86	2261.10

1	2	3	4	5	6
6.	एनएफएल-विजयपुर-I	408.54	413.43	677.59	98.33
7.	एनएफएल-विजयपुर-II	502.98	583.53	932.43	35.70
8.	एनएफएल-नांगल	1270.69	1123.71	1345.93	115.37
9.	बीवीएफसीएल-नामरूप-III	59.22	104.63	109.29	43.16
10.	बीवीएफसीएल-नामरूप-II	119.06	65.71	80.57	29.57
11.	फैक्ट	0.00	0.00	0.00	
12.	एफसीआई (रामागुण्डम)	0.00	0.00	0.00	
13.	एफसीआई (सिंदरी)	0.00	0.00	0.00	
14.	एफसीआई (तलचर)	0.00	0.00	0.00	
15.	एनएलसी	0.00	0.00	0.00	
16.	जीएसएफसी (राज्य सरकार)	196.83	134.64	200.33	167.88
17.	जीएसएफसी (राज्य सरकार)	878.30	858.82	1119.54	582.83
	योग	8467.24	8280.67	10542.82	5295.10
	सहकारी क्षेत्र				
1.	कृभको	591.75	660.01	1216.62	413.19
2.	इफ्को-फूलपुर-II	907.11	981.90	1651.10	303.25
3.	इफ्को-फूलपुर-I	583.99	804.39	1004.36	212.24
4.	इफ्को-कलोल	382.09	359.68	375.54	84.31
5.	इफ्को-आंवला-I	439.11	539.56	953.58	1295.63
6.	इफ्को-आंवला-II	481.44	528.02	682.75	114.80
	योग	3385.49	3873.56	5883.95	2423.42
	निजी क्षेत्र				
1.	एनएफसीएल-I	397.75	307.12	527.88	253.32
2.	एनएफसीएल-II	387.33	344.50	466.87	75.99
3.	सीएफसीएल-I	689.51	701.45	1205.46	846.63

1	2	3	4	5	6
4.	सीएफसीएल-II	751.38	889.10	1144.19	252.78
5.	टाटा केमिकल्स	643.26	606.89	937.77	348.75
6.	जेडएसीएल	781.21	1101.68	1263.14	761.09
7.	एसएफसी	277.47	274.31	314.19	148.58
8.	इण्डोगल्फ	717.68	648.40	1388.03	493.49
9.	स्पिक	2164.66	1477.96	791.90	415.80
10.	ओसीएफएल	0.00	0.00	0.00	
11.	केएसएफएल	452.42	614.02	609.91	257.28
12.	एमसीएफएल	1170.02	880.34	1221.53	746.57
13.	डंकन	0.00	0.00	0.00	
14.	केएफसीएल	0.00	0.00	202.36	523.64
	योग	8432.69	7845.77	10073.23	5123.92
	एसबीएफए ब्याज				
	कुल योग	20285.42	20000.00	26500.00	12842.44

पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय पैकेज

130. **मोहम्मद फैज़ल : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन परियोजनाओं के लिए कोई वित्तीय सहायता/पैकेज उपलब्ध कराया है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ आबंटित निधि जारी की जा चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी राशि आबंटित/जारी की गई है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) प्रशासन की जिम्मेवारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को उनके साथ परामर्श से प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता प्रदत्त विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं हेतु निधियों की उपलब्धता, परस्पर प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन परियोजनाओं हेतु पैकेज प्रदान/स्वीकृत नहीं करता है।

वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को स्वीकृत पर्यटन परियोजनाओं की संख्या एवं राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और राशि**

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2011-12		
		सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12	50.77	45.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	30.68	23.96
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0.00
4.	असम	5	11.08	3.86
5.	बिहार	0	0.00	0.00
6.	चंडीगढ़	2	0.25	0.25
7.	छत्तीसगढ़	1	0.35	0.35
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0.00
9.	दमन और दीव	0	0.00	0.00
10.	दिल्ली	4	2.72	2.19
11.	गोवा	1	4.98	3.98
12.	गुजरात	3	51.75	27.45
13.	हरियाणा	6	0.80	0.80
14.	हिमाचल प्रदेश	5	0.47	0.25
15.	जम्मू और कश्मीर	33	171.23	98.99
16.	झारखंड	6	48.15	16.29
17.	केरल	7	23.76	18.71
18.	कर्नाटक	6	21.95	17.57
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00
20.	महाराष्ट्र	8	82.76	44.83

1	2	3	4	5
21.	मणिपुर	5	30.73	24.69
22.	मेघालय	3	0.50	0.50
23.	मिज़ोरम	7	13.91	10.82
24.	मध्य प्रदेश	8	40.43	28.59
25.	नागालैंड	19	65.45	38.68
26.	ओडिशा	6	11.95	9.47
27.	पुदुचेरी	4	0.30	0.30
28.	पंजाब	2	4.39	4.36
29.	राजस्थान	3	14.50	4.00
30.	सिक्किम	8	25.15	20.22
31.	तमिलनाडु	6	20.75	16.38
32.	त्रिपुरा	6	15.44	12.50
33.	उत्तर प्रदेश	11	51.00	50.90
34.	उत्तराखंड	14	102.66	62.64
35.	पश्चिम बंगाल	11	28.80	22.61
	कुल जोड़	223	927.66	611.77

*इसमें गंतव्यों एवं परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), मेले एवं उत्सव और ग्रामीण पर्यटन (आरटी) से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2012-13		
		सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10	104.97	49.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	17	66.33	25.97
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0.00

1	2	3	4	5
4.	असम	0	0.00	0.00
5.	बिहार	0	0.00	0.00
6.	चंडीगढ़	0	0.00	0.00
7.	छत्तीसगढ़	0	0.00	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0.00
9.	दमन और दीव	0	0.00	0.00
10.	दिल्ली	1	24.37	8.86
11.	गोवा	2	0.50	0.50
12.	गुजरात	1	4.87	3.89
13.	हरियाणा	0	0.00	0.00
14.	हिमाचल प्रदेश	5	29.80	23.84
15.	जम्मू और कश्मीर	27	112.86	40.00
16.	झारखंड	2	48.86	21.42
17.	केरल	6	78.26	23.22
18.	कर्नाटक	0	0.00	0.00
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00
20.	महाराष्ट्र	6	79.64	15.78
21.	मणिपुर	1	0.50	7.74
22.	मेघालय	2	0.68	0.18
23.	मिज़ोरम	4	1.12	0.49
24.	मध्य प्रदेश	16	206.50	70.83
25.	नागालैंड	17	47.60	20.13
26.	ओडिशा	2	0.61	0.61
27.	पुदुचेरी	0	0.00	0.00
28.	पंजाब	0	0.00	0.00

1	2	3	4	5
29.	राजस्थान	0	0.00	0.00
30	सिक्किम	4	20.75	26.57
31.	तमिलनाडु	2	20.42	11.16
32.	त्रिपुरा	0	0.00	0.00
33.	उत्तर प्रदेश	7	21.29	19.65
34.	उत्तराखंड	2	12.97	10.38
35.	पश्चिम बंगाल	2	46.94	23.60
	कुल जोड़	136	929.84	404.42

*इसमें गंतव्यों एवं परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), मेले एवं उत्सव और ग्रामीण पर्यटन (आरटी) से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2013-14		
		सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	25	181.79	11.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	74.74	15.40
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0.00
4.	असम	0	0.00	0.00
5.	बिहार	14	111.10	21.11
6.	चंडीगढ़	0	0.00	0.00
7.	छत्तीसगढ़	0	0.00	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0.00
9.	दमन और दीव	0	0.00	0.00
10.	दिल्ली	2	57.69	10.29
11.	गोवा	0	0.00	0.00

1	2	3	4	5
12.	गुजरात	0	0.00	0.00
13.	हरियाणा	8	14.87	14.87
14.	हिमाचल प्रदेश	1	33.71	0.05
15.	जम्मू और कश्मीर	45	85.47	15.48
16.	झारखंड	1	5.00	1.00
17.	केरल	10	46.68	2.98
18.	कर्नाटक	8	32.29	6.41
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00
20.	महाराष्ट्र	6	67.95	4.73
21.	मणिपुर	11	214.38	14.87
22.	मेघालय	1	0.47	0.47
23.	मिज़ोरम	10	47.11	9.74
24.	मध्य प्रदेश	9	100.21	20.50
25.	नागालैंड	9	52.22	10.72
26.	ओडिशा	12	65.43	0.50
27.	पुदुचेरी	1	48.48	9.70
28.	पंजाब	2	10.39	0.90
29.	राजस्थान	10	51.75	10.35
30.	सिक्किम	11	104.35	14.00
31.	तमिलनाडु	0	0.00	0.00
32.	त्रिपुरा	0	0.00	0.00
33.	उत्तर प्रदेश	24	130.13	10.22
34.	उत्तराखंड	30	265.33	39.61
35.	पश्चिम बंगाल	0	0.00	0.00
	कुल जोड़	261	1801.54	244.90

*इसमें गंतव्यों एवं परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंचना विकास (पीआईडीडीसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), मेले एवं उत्सव और ग्रामीण पर्यटन (आरटी) से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2014-15 (30.06.2014 तक)		
		सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
4.	असम	0	0	0
5.	बिहार	0	0	0
6.	चंडीगढ़	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0
10.	दिल्ली	0	0	0
11.	गोवा	1	8.79	1.76
12.	गुजरात	0	0	0
13.	हरियाणा	0	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
15.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
16.	झारखंड	0	0	0
17.	केरल	0	0	0
18.	कर्नाटक	1	50.00	10.00
19.	लक्षद्वीप	0	0	0
20.	महाराष्ट्र	0	0	0
21.	मणिपुर	0	0	0
22.	मेघालय	0	0	0
23.	मिज़ोरम	0	0	0

1	2	3	4	5
24.	मध्य प्रदेश	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0
26.	ओडिशा	0	0	0
27.	पुदुचेरी	0	0	0
28.	पंजाब	0	0	0
29.	राजस्थान	0	0	0
30.	सिक्किम	0	0	0
31.	तमिलनाडु	0	0	0
32.	त्रिपुरा	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	0	0	0
34.	उत्तराखंड	0	0	0
35.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
	कुल जोड़	2	58.79	11.76

*इसमें गंतव्यों एवं परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), मेले एवं उत्सव और ग्रामीण पर्यटन (आरटी) से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

131. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों को इस हेतु जारी की गई/उनके द्वारा प्रयुक्त राशि कितनी है और इनके कार्यान्वयन में संलग्न विभागों/संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस सिलसिले में धन के गबन या आबंटित निधि के विपथन का कोई मामला सूचित हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कृषि क्षेत्र में सतत विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का कार्यान्वयन कर रही है। विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान आरकेवीवाई के तहत कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों द्वारा जारी की गई तथा खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्य कृषि विभाग आरकेवीवाई के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है।

(घ) और (ङ) सरकार को अभी तक आरकेवीवाई के तहत आबंटित धनराशि के अन्यत्र उपयोग तथा विपथन का कोई मामला नहीं मिला है।

विवरण

वर्ष 2011-12 से 2013-14 और 2014-15 के दौरान आर.के.वी.आई. के तहत राज्य-वार जारी की गई तथा खर्च की गई धनराशि

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		निर्मुक्त	उपयोगिता	निर्मुक्त	उपयोगिता	निर्मुक्त	उपयोगिता	निर्मुक्त	उपयोगिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश**	734.20	734.20	577.79	571.43	456.87	376.70	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.68	10.68	24.94	24.94	33.04	12.29	0.00	0.00
3.	असम	227.77	227.77	399.57	399.57	218.87	141.30	0.00	0.00
4.	बिहार	506.82	506.82	700.20	585.56	254.26	234.84	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	212.61	209.69	571.22	568.92	233.82	222.90	191.09	0.00
6.	गोवा	24.78	23.07	35.27	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	515.48	515.48	610.87	594.72	476.89	168.80	166.68	0.00
8.	हरियाणा	176.87	167.38	179.88	164.80	159.29	84.33	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	99.93	99.93	59.27	57.65	77.40	23.24	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	63.03	59.28	103.22	102.01	88.52	75.44	0.00	0.00
11.	झारखंड	174.56	174.56	219.38	211.78	147.10	103.09	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	595.90	595.90	549.15	549.15	467.29	242.99	0.00	0.00
13.	केरल	182.89	182.45	253.03	252.69	256.24	82.08	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	398.37	398.37	448.13	424.88	276.25	252.54	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	735.44	735.44	1050.81	1050.81	959.69	368.76	399.32	0.00
16.	मणिपुर	22.25	22.25	47.97	38.15	23.66	20.16	0.00	0.00
17.	मेघालय	20.44	20.44	22.68	22.68	37.98	30.45	0.00	0.00
18.	मिज़ोरम	36.63	36.63	184.73	184.73	77.41	42.14	0.00	0.00
19.	नागालैंड	37.54	37.54	85.75	85.75	30.07	30.07	0.00	0.00
20.	ओडिशा	356.96	353.81	468.28	456.78	529.42	383.57	0.00	0.00
21.	पंजाब	145.87	145.87	86.83	68.51	229.44	71.25	0.00	0.00
22.	राजस्थान	692.08	692.08	348.18	348.18	735.24	663.21	0.00	0.00
23.	सिक्किम	24.64	24.64	15.21	15.21	10.20	10.10	0.00	0.00
24.	तेलंगाना**	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	333.06	321.95	613.27	613.27	269.96	127.83	149.48	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	त्रिपुरा	25.63	25.63	56.43	56.43	70.50	70.50	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	762.83	762.83	294.52	294.52	561.09	434.64	351.30	0.00
28.	उत्तराखंड	128.84	115.51	8.21	5.22	44.03	22.91	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	486.65	486.65	374.58	374.58	265.08	174.24	299.31	0.00
	सभी राज्यों का कुल योग	7732.75	7686.85	8389.37	8122.92	7000.04	4470.37	1557.18	0.00

*02.07.2014 के अनुसार।

**2013-14 तक के तेलंगाना के आंकड़े आंध्र प्रदेश में शामिल हैं।

महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध

132. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से महिलाओं और बच्चों के प्रति अत्याचार और अपराध हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सूचित/पंजीकृत ऐसे कुल मामलों का अपराध-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इनमें कितने आरोपितों को गिरफ्तार/दोषसिद्ध किया गया, कितने मामलों का समाधान हुआ/समाधान नहीं हुआ, इनमें दोषसिद्ध की दर क्या रही और सारे लंबित मामलों को सुलझाने तथा इनमें दोषसिद्धता-दर बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों में वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे मामलों को रोकने और महिलाओं तथा बच्चों को सुरक्षा व संरक्षा प्रदान करने के लिए किए गए/किए जा रहे प्रभावी उपायों का ब्यौरा क्या है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) : (क) और (ख) उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011, 2012 और 2013 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत दर्ज मामलों की कुल संख्या के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

गृह मंत्रालय ने महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध पर सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को क्रमशः दिनांक 04.09.2009 और 14.07.2010 के परामर्शी पत्र जारी किए हैं। इन परामर्शी पत्रों में राज्य सरकारों से महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हिंसा के दोषी पाए गए व्यक्तियों को त्वरित एवं पर्याप्त सजा देने के लिए उपयुक्त कदम उठाने, फास्ट ट्रैक न्यायालयों, परिवार न्यायालयों का गठन करने, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिलाओं/बच्चों के विरुद्ध अपराध संबंधी डेस्कों की स्थापना करने, जांच की गुणवत्ता में सुधार करने, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध की जांच में विलंब में कमी लाने और पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने का सुझाव दिया गया है। इन परामर्शी पत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशिष्ट रूप से यह निर्देश प्रदान किए गए हैं कि जांच की गुणवत्ता से समझौता किए बगैर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मामलों की संपूर्ण जांच की जानी चाहिए और वारदात की तिथि से तीन माह के भीतर आरोप-पत्र दाखिल किया जाना चाहिए। बलात्कार, हत्या आदि जैसे जघन्य अपराधों की त्वरित जांच की जानी चाहिए। बलात्कार पीड़ितों का बगैर किसी विलंब के चिकित्सीय परीक्षण किया जाना चाहिए।

(ग) सरकार ने समय-समय पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर अनेक अध्ययन संचालित किए हैं और ऐसे अध्ययनों से इस प्रकार के अपराधों में वृद्धि के लिए अनन्य रूप से किन्हीं ठोस कारणों का पता नहीं चला है।

(घ) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इस प्रकार अपराध की रोकथाम, उसका पता लगाने, मामला दर्ज करने, उसकी जांच करने और अभियोजन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। जहां तक देश में महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करने और ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों का संबंध है, इनमें ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2011 से 2013 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध किए गए कुल अपराध के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोप पत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस), दोष सिद्ध व्यक्ति (पीसीवी) और दोष सिद्धि दर (सीवीआर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011							2012							2013						
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीवीआर	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीवीआर	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीवीआर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	आन्ध्र प्रदेश	28246	22550	2243	37766	36275	4366	16.9	28171	22524	2086	39288	39191	3527	13.4	32809	26002	2228	43232	40499	3791	16.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	171	114	15	199	130	17	23.8	201	127	24	202	130	24	25.3	288	186	15	333	210	14	48.4
3.	असम	11503	6037	762	11241	6953	739	18.3	13544	7524	430	12346	7694	637	10.4	17449	9317	394	16035	10542	451	6.3
4.	बिहार	10231	8519	1031	18157	15563	1776	19.7	11229	8970	682	20147	19282	1317	17.8	13609	9448	812	21404	21743	1515	20.2
5.	छत्तीसगढ़	4219	4054	842	6423	6447	1227	28.4	4228	4108	1050	6594	6566	1605	30.3	7012	5453	1170	8205	8023	2066	27.7
6.	गोवा	127	109	12	159	155	12	22.6	200	82	6	286	127	7	12.8	440	243	11	496	365	14	16.9
7.	गुजरात	8815	8334	157	22223	22232	346	4.1	9561	9017	199	23965	23525	434	4.5	12283	11263	217	30684	30256	474	4.4
8.	हरियाणा	5491	3908	952	6696	6725	1369	25.9	6002	4314	852	7264	7429	1266	20.3	9089	6374	1190	10652	11078	1896	24.2
9.	हिमाचल प्रदेश	997	764	72	1268	1219	110	15.8	912	745	72	1325	1317	107	13.5	1478	1049	111	1908	1868	178	17.7
10.	जम्मू और कश्मीर	3146	2514	143	5098	5089	194	11.8	3328	2639	219	5204	5203	338	10.1	3509	2522	252	5262	5239	360	7.9
11.	झारखंड	3132	2451	719	4873	4526	1212	36.9	4536	3234	764	6549	5720	1152	29.8	6506	4543	982	8513	7395	1424	29.5
12.	कर्नाटक	9594	7957	488	16084	15509	866	9.3	10366	8174	378	16680	15849	859	6.5	12027	9733	369	19628	18440	722	6.4
13.	केरल	11288	9532	580	13964	13303	1309	12.4	10930	10377	610	13517	13187	862	13.1	11216	9927	690	13153	12825	897	14.0
14.	मध्य प्रदेश	16599	16100	5027	27818	27830	7530	34.7	16832	16687	3181	29247	29234	5529	31.0	22061	19729	4220	34005	33897	6950	32.1
15.	महाराष्ट्र	15728	14129	625	39643	39545	1074	6.5	16353	14746	598	41048	39535	1047	5.5	24895	20301	768	53640	49142	1401	7.3
16.	मणिपुर	247	6	4	170	6	12	66.7	304	25	0	202	28	0	0	285	28	3	221	29	8	37.5
17.	मेघालय	269	158	4	258	164	8	8.2	255	147	9	271	160	9	34.6	343	296	9	382	328	11	36.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
18.	मिजोरम	167	139	84	149	143	75	83.2	199	187	118	215	185	118	76.6	177	159	102	195	167	114	69.9
19.	नागालैंड	38	32	34	49	39	62	87.2	51	41	22	75	69	58	84.6	67	48	42	86	40	33	89.4
20.	ओडिशा	9433	8999	564	14122	14096	954	11.6	11988	10628	653	17183	17142	974	11.5	14173	12094	428	19126	19043	780	8.8
21.	पंजाब	2641	1800	448	4436	3885	893	30.4	3238	1842	388	5048	3439	904	29.2	4994	2953	800	6875	4785	1388	36.3
22.	राजस्थान	19888	10998	2355	16764	16600	3884	40.9	21106	11388	2761	17095	17087	4582	38.4	27933	14473	3192	21261	21243	4712	39.8
23.	सिक्किम	55	38	18	59	42	24	48.6	68	51	11	69	47	35	42.3	93	100	106	102	106	116	64.2
24.	तमिलनाडु	6940	4342	1316	9727	7774	2084	34.5	7192	4967	1060	10913	9393	2046	28.9	7475	6091	1512	11161	10505	2248	28.2
25.	त्रिपुरा	1358	1426	89	2676	1975	112	10.4	1559	1415	279	1946	2088	349	15.2	1628	1546	140	2593	2127	169	13.2
26.	उत्तर प्रदेश	22639	16464	10204	72153	44183	25343	60.0	23569	15262	5757	77745	43775	12971	52.6	32546	21868	5672	100021	59248	13653	53.3
27.	उत्तराखंड	996	742	305	1344	1402	569	60.3	1067	794	607	1420	1343	813	70.0	1719	1022	435	1688	1652	912	59.8
28.	पश्चिम बंगाल	29133	23440	448	26320	24842	758	9.2	30942	30627	607	34023	33694	915	7.8	29826	30112	609	36248	33842	718	8.7
	कुल राज्य	223091	175656	29541	359839	316652	56925	26.8	237931	190642	23423	389867	342439	42485	20.9	295930	226880	26479	467109	404637	47015	22.2
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	51	55	1	86	95	1	100.0	49	42	5	73	73	5	23.8	106	111	8	134	167	16	20.5
30.	चंडीगढ़	156	103	24	128	92	36	26.7	241	190	23	268	265	38	18.1	488	256	54	481	397	70	22.8
31.	दादरा और नगर हवेली	18	17	1	14	24	1	12.5	16	20	3	30	38	4	15.8	21	12	0	29	28	0	
32.	दमन और दीव	11	6	1	55	30	1	33.3	11	14	1	45	54	1	11.1	24	18	0	49	43	0	
33.	दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र	5234	2953	687	3475	3104	1075	35.0	5959	3061	1176	3981	3397	1771	38.6	12888	6429	923	9106	7841	1528	33.3
34.	लक्षद्वीप	0	1	2	0	1	2	50.0	2	0	0	1	0	0		3	1	0	5	1	0	
35.	पुदुचेरी	89	58	9	205	130	27	33.3	61	52	9	110	103	26	15.8	86	64	12	96	117	22	35.3
	कुल संघ राज्यक्षेत्र	5559	3193	725	3963	3476	1143	34.6	6339	3379	1217	4508	3930	1845	37.1	13616	6891	997	9900	8594	1636	32.3
	कुल अखिल भारत	228650	178849	30266	363802	320128	58068	26.9	244270	194021	24640	394375	346369	44330	21.3	309546	233771	27476	477009	413231	48651	22.4

विवरण-II

वर्ष 2011, 2012 और 2013 के दौरान बच्चों के विरुद्ध किए गए कुल अपराध के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोप पत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस), दोष सिद्ध व्यक्ति (पीसीवी) और दोष सिद्धि दर (सीवीआर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2011							2012							2013						
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीवीआर	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीवीआर	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीवीआर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	आंध्र प्रदेश	2213	1600	209	2550	2286	274	17.1	2274	1937	142	2387	2470	214	9.7	2576	1947	115	2838	2353	167	10.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	35	30	2	34	31	2	50.0	39	25	2	39	24	2	40.0	82	51	0	72	53	0	–
3.	असम	236	110	3	236	103	3	10.7	392	237	2	391	236	2	4.4	518	336	14	514	345	14	6.1
4.	बिहार	2233	1248	106	2859	2310	176	17.8	2894	1386	94	2319	2466	133	10.8	1580	1330	117	2025	2460	177	22.8
5.	छत्तीसगढ़	1782	1569	293	1991	1994	336	29.4	1881	1820	531	2059	2057	593	43.5	3737	2497	464	2637	2603	595	37.4
6.	गोवा	75	58	6	70	70	6	28.6	122	66	1	125	87	1	9.1	270	101	3	222	123	5	33.3
7.	गुजरात	1131	871	44	1279	1301	111	13.3	1327	1058	63	1563	1559	94	13.5	2076	1512	55	2185	2048	73	10.5
8.	हरियाणा	280	206	56	198	204	60	24.0	1015	653	35	1101	1091	37	15.8	1640	955	123	1357	1331	147	20.1
9.	हिमाचल प्रदेश	260	188	22	226	221	31	26.2	266	202	26	285	261	42	26.8	428	270	47	397	392	42	26.3
10.	जम्मू और कश्मीर	25	15	0	29	29	0	–	40	29	1	44	44	1	10.0	75	55	2	88	88	2	1.6
11.	झारखंड	85	68	8	95	127	8	12.1	113	91	2	113	101	2	2.3	129	64	8	89	99	13	17.0
12.	कर्नाटक	334	218	22	329	331	24	12.1	875	372	28	607	541	27	11.1	1353	663	28	1087	962	29	7.3
13.	केरल	1452	1019	52	1533	1080	53	20.2	1324	1158	76	1582	1438	101	19.6	1877	1421	96	2008	1660	96	22.7
14.	मध्य प्रदेश	4383	4013	1090	5586	5592	1632	35.7	5168	5017	940	7136	7200	1299	30.5	8247	6400	1366	8661	8603	1867	33.6
15.	महाराष्ट्र	3362	2611	103	4050	3813	150	9.9	3456	2764	113	4185	4067	143	10.9	6410	4255	119	6805	6015	159	12.0
16.	मणिपुर	87	0	0	49	0	0	–	104	2	0	33	2	0	–	123	4	0	10	2	1	–
17.	मेघालय	104	40	2	64	33	2	11.1	91	26	2	90	31	2	40.0	183	117	7	133	119	8	46.7
18.	मिज़ोरम	54	45	26	57	46	26	92.9	95	88	40	93	89	39	95.2	78	57	29	74	56	34	78.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
19.	नागालैंड	20	2	5	20	2	5	100.0	13	23	16	12	33	33	100.0	8	5	12	12	5	8	100.0
20.	ओडिशा	315	277	16	287	285	18	11.0	418	371	13	489	472	21	13.1	1123	759	31	1005	980	34	16.1
21.	पंजाब	622	377	131	668	559	187	41.9	877	420	102	717	596	132	35.3	1336	726	272	1149	842	314	43.0
22.	राजस्थान	1491	675	141	995	998	169	36.8	1807	949	254	1248	1213	354	33.0	2888	1483	240	1961	1952	476	39.4
23.	सिक्किम	29	32	21	33	33	21	60.0	30	52	18	30	23	46	47.4	39	39	66	68	76	68	66.7
24.	तमिलनाडु	925	488	92	901	600	103	26.8	1036	570	74	1105	840	104	24.7	1188	821	164	1475	1207	189	30.3
25.	त्रिपुरा	102	180	22	253	208	40	21.0	20	46	7	22	62	20	19.4	100	103	8	150	133	13	36.4
26.	उत्तर प्रदेश	5500	3885	1708	8560	6359	2697	59.0	6033	4518	1046	11470	8120	1772	54.7	9857	6952	1177	19286	12407	1943	57.7
27.	उत्तराखंड	83	74	19	77	77	25	52.8	122	89	40	118	112	49	70.2	232	116	42	173	155	73	51.2
28.	पश्चिम बंगाल	1450	724	39	1064	828	30	21.9	1706	1121	18	1259	965	22	9.3	2530	1306	17	1800	1742	25	7.7
	कुल राज्य	28668	20623	4238	34093	29520	6189	33.6	33538	25090	3686	40622	36200	5285	28.3	50683	34345	4622	58281	48811	6572	30.9
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	31	49	0	36	91	0	–	28	26	1	33	32	1	12.5	54	71	6	51	83	6	31.6
30.	चंडीगढ़	74	48	22	65	61	26	55.0	96	55	17	56	56	23	38.6	213	75	28	109	79	29	40.6
31.	दादरा और नगर हवेली	11	7	1	5	7	1	20.0	8	9	3	14	15	4	37.5	14	6	1	6	6	3	16.7
32.	दमन और दीव	3	1	2	0	1	2	50.0	8	8	1	9	14	1	33.3	14	5	0	5	5	0	–
33.	दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र	4250	925	356	1199	1266	424	49.5	4462	912	318	1351	1198	390	40.4	7199	1436	259	2037	1926	360	32.3
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–
35.	पुदुचेरी	15	14	1	29	28	1	16.7	32	22	6	32	26	6	35.3	47	16	0	22	23	0	–
	कुल संघ राज्यक्षेत्र	4384	1044	382	1334	1454	454	49.4	4634	1032	346	1495	1341	425	39.9	7541	1609	294	2230	2122	398	32.4
	कुल अखिल भारत	33052	21667	4620	35427	30974	6643	34.6	3872	26122	4032	42117	37541	5710	29.0	58224	35954	4916	60511	50933	6970	30.9

वर्ष 2011 के बच्चों के विरुद्ध अपराध के आंकड़े रिपोर्ट के प्रकाशन एवं जारी होने के पश्चात् अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह द्वारा संशोधन के पश्चात् दर्शाए गए हैं।

विवरण-III

देश में महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करने और महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

1. भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 19 जून, 2012 को यौन अपराध से बाल सुरक्षा अधिनियम, 2012 को अपनी मंजूरी प्रदान की, जिसमें बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान है।

2. भारत सरकार ने बलात्कार, गंभीर बलात्कार, महिलाओं पर हमला करने, उनकी शालीनता भंग करने की नीयत रखने और यौन उत्पीड़न करने हेतु अधिक सजा के प्रावधान के लिए दांडिक संशोधन अधिनियम, 2013 को अधिनियम किया है। नए अपराधों को परिभाषित किया गया है और किसी अस्पताल द्वारा पीड़ितों के उपचार से मना करने, तेजाब से हमले, तेजाब के हमले का प्रयास करने, महिलाओं को निर्वस्त्र करने के लिए बल प्रयोग करने, घूरने, पीछा करने, मानव तस्करी और दोबारा अपराध करने के लिए सजा का निर्धारण किया गया है।

3. गृह मंत्रालय ने महिलाओं एवं समाज के अन्य कमजोर समूहों के विरुद्ध अपराध पर मुख्य सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों के एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम करने और महिलाओं के विरुद्ध अपराध की जांच और विचारण को गति प्रदान करने के विभिन्न उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।

4. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनेक परामर्शी पत्र जारी किए हैं जिसमें उनसे महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

   (i) दिनांक 4.09.2009 को महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर नियंत्रण के लिए अपेक्षित उपायों पर एक परामर्शी पत्र जारी किया गया।

   (ii) दिनांक 14.07.2010 को बच्चों के विरुद्ध अपराध पर नियंत्रण के लिए अपेक्षित उपायों पर एक परामर्शी पत्र जारी किया गया।

   (iii) दिनांक 04.01.2012 को बच्चों के विरुद्ध विभिन्न अपराधों की रोकथाम एवं उनसे निपटने हेतु परामर्शी पत्र जारी किया गया।

   (iv) दिनांक 31.01.2012 और 29.10.2012 को लापता बच्चों की तलाश करने और उनकी तस्करी रोकने के लिए अपेक्षित उपायों पर परामर्शी पत्र जारी किए गए।

   (v) गृह मंत्रालय ने दिनांक 22 अप्रैल, 2013 को एक परामर्शी पत्र जारी किया है जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पुलिस में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को 33% तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया था।

   (vi) दिनांक 28.05.2013 को यौन अपराध से बाल सुरक्षा अधिनियम, 2013 पर परामर्शी पत्र जारी किया गया।

   (vii) लापता बच्चों के मामले में अनिवार्य रूप से प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के आधार पर दिनांक 25.06.2013 को एक परामर्शी पत्र जारी किया गया।

   (viii) क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र को ध्यान में रखे बगैर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट और शून्य प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने पर दिनांक 10.05.2013 को एक परामर्शी पत्र जारी किया गया।

5. इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं के आवागमन, कार्य करने और भयमुक्त जीवन जीने के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी तंत्र स्थापित करने का लगातार प्रयास करता रहा है और यह मानता है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाओं पर तब तक नियंत्रण नहीं पाया जा सकता जब तक कि आमतौर पर लोगों की सोच को नहीं बदला जाता। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस समाज में पुरुषों और महिलाओं में कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, नुक्कड़ नाटकों, नारी चौपालों, विशेष ग्राम सभाओं आदि और प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से निरंतर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

6. कानून बनाने के क्षेत्र में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निम्नलिखित अधिनियमों का अधिनियमन किया है:

(i) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2013

(ii) घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005

(iii) दहेज निषेध अधिनियम, 1961

(iv) महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन (निषेध) अधिनियम, 1986 और

(v) बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए)।

धान का उत्पादन

133. **श्री बी.वी. नाईक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान धान का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान देश के कुछ हिस्सों में धान के उत्पादन में कमी देखी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने धान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष अर्थात् 2010-11 से 2013-14 के दौरान धान के उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे (चावल के मद में संलग्न विवरण) में दिए गए हैं। यह देखा गया है कि 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान, देश में अधिकांश महत्वपूर्ण चावल उत्पादक राज्यों में चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्षा की स्थिति पर निर्भरता, फसलीय पद्धति में अंतरण आदि के कारण, देश में चावल के राज्य-वार उत्पादन में उतार-चढ़ाव होता रहता है।

(घ) और (ङ) देश में धान (चावल) के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, भारत सरकार अनेक फसल विकास योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है यथा चावल पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम-चावल), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना के रूप में पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई) आदि। इसके अतिरिक्त, देश में चावल की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई), कटक तथा चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद द्वारा अखिल भारतीय समन्वित चावल अनुसंधान परियोजना के माध्यम से फसल सुधार, फसल उत्पादन एवं फसल सुरक्षा संबंधी भिन्न-भिन्न पहलुओं से संबंधित मूल एवं नीतिगत अनुसंधान कार्य कर रहा है।

विवरण

2010-11 से 2013-14 के दौरान धान (चावल के मद में) का राज्य-वार उत्पादन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादन ('000 टन में)			
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	14418.0	12895.0	11510.0	13436.2
अरुणाचल प्रदेश	234.0	255.0	263.0	#
असम	4736.6	4516.3	5128.5	4970.6

1	2	3	4	5
बिहार	3102.1	7162.6	7529.3	5212.1
छत्तीसगढ़	6159.0	6028.4	6608.8	6716.4
गोवा	115.0	121.8	122.8	#
गुजरात	1496.6	1790.0	1541.0	1916.0
हरियाणा	3472.0	3759.0	3976.0	3998.0
हिमाचल प्रदेश	128.9	131.6	125.3	132.5
जम्मू और कश्मीर	507.7	544.7	818.1	552.7
झारखंड	1110.0	3130.6	3164.9	2741.1
कर्नाटक	4188.0	3955.0	3364.0	3521.0
केरल	522.7	569.0	508.3	499.7
मध्य प्रदेश	1772.1	2227.3	2775.0	2780.7
महाराष्ट्र	2696.0	2841.0	3057.0	2915.0
मणिपुर	521.7	591.0	257.6	#
मेघालय	207.0	216.5	232.0	#
मिज़ोरम	47.2	54.3	30.5	#
नागालैंड	381.4	382.4	405.2	#
ओडिशा	6827.7	5807.0	7295.5	7389.7
पंजाब	10837.0	10542.0	11374.0	10997.5
राजस्थान	265.5	253.4	222.5	312.6
सिक्किम	21.0	20.9	21.3	#
तमिलनाडु	5792.4	7458.7	4049.9	5520.5
त्रिपुरा	702.5	718.3	713.2	#
उत्तर प्रदेश	11992.0	14022.0	14416.0	14628.0
उत्तराखंड	550.4	594.0	579.8	583.0
पश्चिम बंगाल	13045.9	14605.8	15023.7	15290.0

1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23.9	24.0	21.5	#
दादरा और नगर हवेली	20.8	18.6	27.4	#
दिल्ली	19.6	19.8	19.7	#
पुदुचेरी	52.0	42.1	46.5	#
अन्य	एनए	एनए	एनए	2174.0
अखिल भारत	95970.0	105301.0	105231.6	106287.2

*15.05.2014 के अनुसार तीसरा अग्रिम अनुमान

#अन्य में शामिल, एनए : लागू नहीं

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

134. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इस योजना के अंतर्गत ग्रामों को बीमा का इकाई-क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : (क) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

- स्कीम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक है।
- स्कीम सभी किसानों-ऋणी तथा गैर ऋणी दोनों के लिए उपलब्ध है।
- सभी खाद्य फसलों (अनाज, कदन्न एवं दलहन), तिलहन तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों का कवरेज जिसके संबंध में विगत डाटा अनेक वर्षों के लिए उपलब्ध है।
- प्रीमियम दरें खाद्य तथा तिलहन फसलों हेतु बीमित राशि के 1.5% से 3.5% के बीच होती हैं।
- खाद्य तथा तिलहन फसलों हेतु सामान्य की तुलना में बीमित तथा क्षतिपूर्ति स्तर की उच्च राशि तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के संबंध में प्रीमियम की बीमांकिक दर प्रभारित की जाती हैं।
- छोटे तथा सीमांत किसानों हेतु 10% प्रीमियम राजसहायता।
- जहां बीमांकिक प्रीमियम प्रभारित की जाती हैं, उसे छोड़कर वित्तीय देयताएं केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच 50:50 के आधार पर शेयर की जाती हैं।

(ख) और (ग) मूल्यांकन अध्ययन, कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त अनुभव तथा पणधारकों के फीडबैक के आधार पर "राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम" (एनसीआईपी) नामक पुर्नसंरचित केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम, रबी 2013-14 से पूरे देश में कार्यान्वयन हेतु विभिन्न सुधार/बदलाव के साथ पाइलेट संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (डब्ल्यूबीसीआईएस), पाइलेट मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (डब्ल्यूबीसीआईएस) एवं नारियल पाम बीमा स्कीम (सीपीआईएस) को एक साथ मिलाकर आरम्भ की गई है। एनएआईएस को रबी 2013-14 से बंद कर दिया गया था। तथापि, प्राप्त अनुरोध के आधार पर कुछ राज्यों को रबी 2013-14 से 2014-15 के दौरान एनएआईएस के कार्यान्वयन को अनुमति दी गई है।

(घ) और (ङ) एनसीआईपी के एमएनएआईएस घटक के अंतर्गत गांव/गांव पंचायत स्तर तक बीमा इकाई क्षेत्र को निर्धारित किया गया

है तथा गांव/गांव पंचायत स्तर तक एमएनएआईएस का कार्यान्वयन करने वाले राज्य भारत सरकार (जीओआई) से फसल कटाई प्रयोग संबंधी बढ़ते हुए खर्चों की 50% प्रतिपूर्ति हेतु पात्र हैं। उन राज्यों को जो गांव/गांव पंचायत स्तर पर बीमा इकाई तय करने के लिए समर्थ नहीं हैं, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, आरम्भिक 3-5 वर्षों के लिए, उच्च इकाई क्षेत्र स्तर (अधिकतम 15 गांवों के समूहों तक) तक कार्यान्वयन के लिए अनुमति होगी।

[अनुवाद]

दालें और खाद्य तेल

135. श्री निशिकान्त दुबे : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालों, खाद्य तेलों और ऐसी अन्य वस्तुओं की मांग और आपूर्ति के बीच विद्यमान अन्तर के कारण और इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई है और इनके आयात पर निर्भरता बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त वस्तुओं के उत्पादन, मांग, आयात और मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता की स्थिति सुधारने और इसके मूल्य को नियंत्रण में रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं; और

(ङ) क्या सरकार का उपर्युक्त वस्तुओं की उपभोक्ताओं को रियायती दर पर आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : (क) और (ख) भारत दालों और खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है और उपलब्धता में कमी को आयातों के जरिए पूरा किया जाता है। चूंकि आयात कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित होती है जिसके कारण इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है।

(ग) दालों और खाद्य तेलों के उत्पादन और आयात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	दालें		खाद्य तेल	
	उत्पादन	आयात	उत्पादन	आयात
	(आंकड़े मिलियन टन में)		(आंकड़े लाख टन में)	
2011-12	17.09	3.58	297.99	99.43
2012-13	18.34	4.02	307.24	106.05
2013-14	19.57*	3.66	324.14*	51.41#

* वर्ष 2013-14 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार

नवम्बर, 2013 से अप्रैल 2014 (डीजीसीआईएस)

योजना आयोग की 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के अनुसार वर्ष 2016-17 के अंतिम वर्ष के लिए दालों और खाद्य तेलों की अनुमानित मांग क्रमश: 22 मिलियन टन और 59 मिलियन टन है।

गत दो वर्षों और चालू वर्ष के लिए दालों और खाद्य तेलों के खुदरा मूल्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण-I

पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 02.07.2014 की स्थिति के अनुसार दालों और खाद्य तेलों की खुदरा कीमतें

वस्तु : चना दाल

इकाई : (रु./प्रति कि.ग्रा.)

केन्द्र	दैनिक खुदरा मूल्य						
	वर्तमान तारीख 02-07-14	1 माह पूर्व 02-06-14	3 माह पूर्व 02-04-14	6 माह पूर्व 02-01-14	1 वर्ष पूर्व 02-07-13	2 वर्ष पूर्व 02-07-12	3 वर्ष पूर्व 01-07-11
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	47	50	49	51	54	60	37

1	2	3	4	5	6	7	8
मुम्बई	61	64	64	66	58	64	41
कोलकाता	46	45	48	50	54	60	35
चेन्नई	47	सं.न.	50	52	52	64	38

वस्तु : तूर/अरहर दाल

इकाई : (रु./प्रति कि.ग्रा.)

केन्द्र	दैनिक खुदरा मूल्य						
	वर्तमान तारीख 02-07-14	1 माह पूर्व 02-06-14	3 माह पूर्व 02-04-14	6 माह पूर्व 02-01-14	1 वर्ष पूर्व 02-07-13	2 वर्ष पूर्व 02-07-12	3 वर्ष पूर्व 01-07-11
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	75	73	74	76	77	70	69
मुम्बई	79	86	86	93	72	71	69
कोलकाता	68	68	70	72	68	70	55
चेन्नई	72	सं.न.	75	68	75	70	62

वस्तु : उड़द दाल

इकाई : (रु./प्रति कि.ग्रा.)

केन्द्र	दैनिक खुदरा मूल्य						
	वर्तमान तारीख 02-07-14	1 माह पूर्व 02-06-14	3 माह पूर्व 02-04-14	6 माह पूर्व 02-01-14	1 वर्ष पूर्व 02-07-13	2 वर्ष पूर्व 02-07-12	3 वर्ष पूर्व 01-07-11
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	77	72	70	65	69	65	71
मुम्बई	79	82	82	83	70	73	75
कोलकाता	66	68	62	62	55	62	60
चेन्नई	84	सं.न.	79	73	62	58	68

वस्तु : मूंग दाल

केन्द्र	दैनिक खुदरा मूल्य						
	वर्तमान तारीख 02-07-14	1 माह पूर्व 02-06-14	3 माह पूर्व 02-04-14	6 माह पूर्व 02-01-14	1 वर्ष पूर्व 02-07-13	2 वर्ष पूर्व 02-07-12	3 वर्ष पूर्व 01-07-11
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	92	97	94	78	83	67	71
मुम्बई	92	102	102	87	76	69	77
कोलकाता	85	92	98	100	90	72	70
चेन्नई	95	सं.न.	100	88	80	66	67

वस्तु : मसूर दाल

इकाई : (रु./प्रति कि.ग्रा.)

केन्द्र	दैनिक खुदरा मूल्य						
	वर्तमान तारीख 02-07-14	1 माह पूर्व 02-06-14	3 माह पूर्व 02-04-14	6 माह पूर्व 02-01-14	1 वर्ष पूर्व 02-07-13	2 वर्ष पूर्व 02-07-12	3 वर्ष पूर्व 01-07-11
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	69	69	66	65	67	54	52
मुम्बई	75	73	73	61	66	60	54
कोलकाता	60	60	60	54	54	48	44
चेन्नई	75	सं.न.	60	56	58	50	45

वस्तु : मूंगफली का तेल (पैकबंद)

इकाई : (रु./प्रति कि.ग्रा.)

केन्द्र	दैनिक खुदरा मूल्य						
	वर्तमान तारीख 02-07-14	1 माह पूर्व 02-06-14	3 माह पूर्व 02-04-14	6 माह पूर्व 02-01-14	1 वर्ष पूर्व 02-07-13	2 वर्ष पूर्व 02-07-12	3 वर्ष पूर्व 01-07-11
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	157	159	158	169	161	167	128

1	2	3	4	5	6	7	8
मुम्बई	123	126	128	131	122	132	113
कोलकाता	118	118	120	124	142	140	105
चेन्नई	100	सं.न.	102	105	136	138	95

वस्तु : सरसों का तेल (पैकबंद)

इकाई : (रु./प्रति कि.ग्रा.)

केन्द्र	दैनिक खुदरा मूल्य						
	वर्तमान तारीख 02-07-14	1 माह पूर्व 02-06-14	3 माह पूर्व 02-04-14	6 माह पूर्व 02-01-14	1 वर्ष पूर्व 02-07-13	2 वर्ष पूर्व 02-07-12	3 वर्ष पूर्व 01-07-11
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	105	101	102	102	99	101	81
मुम्बई	93	92	93	98	98	96	85
कोलकाता	92	92	96	98	95	100	75
चेन्नई	106	सं.न.	सं.न.	सं.न.	132	108	77

वस्तु : वनस्पति (पैकबंद)

इकाई : (रु./प्रति कि.ग्रा.)

केन्द्र	दैनिक खुदरा मूल्य						
	वर्तमान तारीख 02-07-14	1 माह पूर्व 02-06-14	3 माह पूर्व 02-04-14	6 माह पूर्व 02-01-14	1 वर्ष पूर्व 02-07-13	2 वर्ष पूर्व 02-07-12	3 वर्ष पूर्व 01-07-11
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	87	82	86	82	76	84	76
मुम्बई	103	102	103	102	104	92	77
कोलकाता	68	68	74	72	58	76	65
चेन्नई	85	सं.न.	89	86	79	88	76

वस्तु : सोया तेल (पैकबंद)

इकाई : (रु./प्रति कि.ग्रा.)

केन्द्र	दैनिक खुदरा मूल्य						
	वर्तमान तारीख 02-07-14	1 माह पूर्व 02-06-14	3 माह पूर्व 02-04-14	6 माह पूर्व 02-01-14	1 वर्ष पूर्व 02-07-13	2 वर्ष पूर्व 02-07-12	3 वर्ष पूर्व 01-07-11
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	96	96	96	96	95	92	83
मुम्बई	95	95	95	91	96	82	80
कोलकाता	82	80	83	83	84	86	70
चेन्नई	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.

वस्तु : सूरजमुखी का तेल (पैकबंद)

इकाई : (रु./प्रति कि.ग्रा.)

केन्द्र	दैनिक खुदरा मूल्य						
	वर्तमान तारीख 02-07-14	1 माह पूर्व 02-06-14	3 माह पूर्व 02-04-14	6 माह पूर्व 02-01-14	1 वर्ष पूर्व 02-07-13	2 वर्ष पूर्व 02-07-12	3 वर्ष पूर्व 01-07-11
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	106	106	106	106	106	105	93
मुम्बई	85	85	87	89	100	सं.न.	87
कोलकाता	88	86	88	96	94	100	85
चेन्नई	87	सं.न.	90	95	97	89	78

वस्तु : पॉम ऑयल (पैकबंद)

इकाई : (रु./प्रति कि.ग्रा.)

केन्द्र	दैनिक खुदरा मूल्य						
	वर्तमान तारीख 02-07-14	1 माह पूर्व 02-06-14	3 माह पूर्व 02-04-14	6 माह पूर्व 02-01-14	1 वर्ष पूर्व 02-07-13	2 वर्ष पूर्व 02-07-12	3 वर्ष पूर्व 01-07-11
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.

1	2	3	4	5	6	7	8
मुम्बई	62	63	65	65	58	73	60
कोलकाता	65	64	68	63	57	66	64
चेन्नई	66	सं.न.	72	70	60	70	56

सं.न. : संसूचित नहीं।
स्रोत : राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग।

विवरण-II

आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- गेहूं, प्याज और दालों पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य किया गया।
- खाद्य तेलों (नारियल तेल और वन आधारित तेल और खाद्य तेलों के 5 कि.ग्रा. के उपभोक्ता पैकों में न्यूनतम निर्यात मूल्य 1500 यू.एस. डॉलर प्रति मीट्रिक टन को छोड़कर) तथा दालों (काबुली चना और जैविक दलहन तथा मसूर के अधिकतम 10,000 टन प्रतिवर्ष को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं जैसे कि दालों, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के मामले में समय-समय पर 30.09.2014 तक की अवधि के लिए स्टॉक सीमाएं अधिरोपित की गईं।
- चावल, उड़द और तूर के भावी सौदों को स्थगित कर दिया गया।
- तिलहनों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने और उसके द्वारा खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तिलहन और पॉम ऑयल पर एक राष्ट्रीय मिशन (एनएमओओपी) को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन में तिलहन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने और उसके उत्पादन और खपत के अंदर को पाटने की परिकल्पना की गई है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभापटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे; श्री अनन्त कुमार।

...*(व्यवधान)*

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग,रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 19/16/14]

(दो) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 20/16/14]

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : अध्यक्ष महोदया, बिहार की महिलाओं के बारे में बहुत गलत शब्द बोले गये हैं। ...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं श्री किरन रिजीजू की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) हिन्दी के प्रसार और विकास तथा संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग में तेजी लाने और वर्ष 2011-2012 के लिए इसके कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम के बारे में 43वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 21/16/14]

(2) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 231 (अ) जो 29 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की तीसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 22/16/14]

(3) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई कार्यवाही ज्ञापन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 23/16/14]

[अनुवाद]

अपराह्न 12.01 बजे

इस समय श्रीमती रंजीत रंजन आगे आकर सभा पटल के निकट खड़ी हो गईं।

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : अध्यक्ष महोदया, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) का.आ. 968(अ) जो 29 मार्च, 2014 के भारत के राजस्व में प्रकाशित हआ था तथा जिसके द्वारा उर्वरक (नियंत्रण)आदेश, 1985 को अधिसूचित किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 24/16/14]

(दो) का.आ.1180(अ) जो 30 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं.का.आ. 382(अ)में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 25/16/14]

(तीन) उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2014 जो 30 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1181(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 26/16/14]

(चार) का.आ.1182(अ) जो 30 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कस्टमाइज़्ड उर्वरक के निर्देशनों को इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 27/16/14]

अपराह्न 12.01½ बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा दिनांक 7 जुलाई, 2014 को हुई अपनी बैठक में पारित राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान विधेयक, 2014 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. अध्यक्ष महोदया, मैं दिनांक 7 जुलाई, 2014 को राज्य सभा द्वारा यथापारित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान विधेयक, 2014 सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अभी पेपर्स लेड हो रहे हैं, इसलिए इस बीच कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं देखूंगी। अभी नहीं होगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे मालूम है। अभी काम तो होने दीजिए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) प्राक्कलन समिति

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मुझे मालूम है। कृपया आप अपनी सीट पर जाइये।

अपराह्न 12.03 बजे

इस समय श्रीमती रंजीत रंजन अपने स्थान पर वापस चली गईं।

(दो) लोक लेखा समिति

श्री एम. वेंकैया नायडू : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पंद्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पंद्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम. वेंकैया नायडू : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

श्री एम. वेंकैया नायडू : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचलन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय सदस्य : प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचलन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम. वेंकैया नायडू : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

श्री एम. वेंकैया नायडू : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम. वेंकैया नायडू: मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : कृपया मेरी बात सुनें।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.06 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैंने उनका नोटिस भी देखा है। इस विषय पर मैं इतना ही कहूंगी कि महिलाओं के बारे में, सदन में तो नहीं, पर सदन के बाहर जो टिप्पणियां होती हैं, वे वास्तव में अशोभनीय हैं। मैं भी उनसे चिन्तित हूं। मैं इतना ही कहूंगी कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों द्वारा इस तरीके से टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हम सभी की दृष्टि से वह ठीक होगा। इससे हमारे देश के भीतर और बाहर भी सांस्कृतिक मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इस प्रकार आघात होता है। यह स्थिति चिन्ताजनक होती जा रही है। मैं चाहूंगी कि इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए हम सभी प्रयास करें। बार-बार ऐसी टिप्पणियां न हों, इसके लिए हम सब सावधानी बरतें। इतना ही मैं कहना चाहूंगी।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : रेल बजट प्लीज।

अपराह्न 12.07 बजे

रेल बजट (2014-15)

रेल मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्दा गौड़ा) : अध्यक्ष महोदया,

मैं सम्मानित सदन के समक्ष वर्ष 2014-15 के लिए रेलवे की अनुमानित आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे गणतंत्र के इस मंदिर में खड़े होने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं देश की जनता का आभारी हूं जिन्होंने अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें यहां चुनकर भेजा है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं जिन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया है और भारतीय रेलवे का नेतृत्व करने की बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करने का वादा करता हूं और न केवल भारतीय रेल का नेतृत्व करने बल्कि श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एक प्रगतिशील भारत के निर्माण का हर संभव प्रयास करने का भी वचन देता हूं। मैं इस कथन में विश्वास रखता हूं कि 'ईमानदारी बुद्धिमता की पुस्तक का पहला अध्याय है। मैं इसका अनुसरण करता हूं।

मुझे अपना पहला रेल बजट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। भारतीय रेल, देश का अग्रणी वाहक होने के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद और आत्मा भी है। उत्तर में बारामूला से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में ओखा से लेकर पूर्व में लेखापानी तक देश के प्रत्येक नागरिक के दिलों में इसकी गूंज सुनाई देती है। अध्यक्ष महोदया, हम सभी जानते हैं कि भारतीय रेल सभी क्षेत्रों, वर्गों और मजहबों से परे है और इसमें एक लघु भारत सफर करता है।

बेंगलूरू की गलियों के एक आम आदमी से लेकर कोलकाता में मछली विक्रेताओं तथा चहल-पहल भरे निजामुद्दीन स्टेशन तक, हर जगह आपको इस देश का नागरिक भारतीय रेलवे से यात्रा करने के लिए बेताब मिलेगा।

अध्यक्ष महोदया, यद्यपि मुझे पदभार ग्रहण किए हुए मुश्किल से एक महीना हुआ है, मेरे पास माननीय संसद सदस्यों, सरकार में मेरे सहयोगियों, राज्यों, स्टेक होल्डरों, संगठनों और देश के विभिन्न कोनों से नई गाड़ियों, नई रेल लाइनों और बेहतर सुविधाओं के लिए अनुरोधों और सुझावों की बाढ़-सी आ गई है। मैं जानता हूं कि हर कोई यह महसूस करता है कि उनके पास उन सभी चुनौतियों का समाधान है जिनका सामना भारतीय रेलवे कर रही है।

इस विशाल संगठन की भारी जटिलताओं और समस्याओं से परिचित होने से पहले मेरी भी ऐसी धारणा थी। अब मैं रेल मंत्री के रूप में इन अपेक्षाओं को पूरा करने में अपनी बड़ी जिम्मेदारियों से अभिभूत हूं।

अध्यक्ष महोदया, मुझे कौटिल्य के निम्नलिखित शब्दों का स्मरण होता है:

'प्रजासुखे सुखं राज्ञ: प्रजानां च हिते हितम्।
नात्मप्रियं हितं राज्ञ: प्रजानां तु प्रियं हितम्।।

जनता की खुशियों में शासक की खुशी निहित होती है
उनका कल्याण उसका कल्याण होता है
जिस बात से शासक को खुशी होती है वह उसे ठीक से समझेगा
परन्तु जिस किसी बात से जनता खुश होती है
शासक उसे ठीक समझेगा।'

भारतीय रेल इस उपमहाद्वीप के 7000 से अधिक स्टेशनों को जोड़ते हुए प्रतिदिन 12500 गाड़ियों में 23 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को ढोती है। यह प्रतिदिन आस्ट्रेलिया की संपूर्ण जनसंख्या को ढोने के बराबर है। हम 7400 से अधिक मालगाड़ियों में प्रतिदिन लगभग 3 मिलियन टन माल ढोते हैं।

अध्यक्ष महोदया, एक बिलियन टन माल यातायात से अधिक लदान कर चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका की रेलों के सेलेक्ट क्लब में भारतीय रेल को प्रवेश करने की उपलब्धि हासिल है, अब मेरा लक्ष्य विश्व में सबसे अग्रणी वाहक के रूप में उभरने का है।

अध्यक्ष महोदया, जैसा आप जानती हैं, भारतीय रेल, यात्रियों को ढोने के अतिरिक्त कोयला भी ढोती है।

यह स्टील की ढुलाई करती है

यह सीमेंट की ढुलाई करती है

यह नमक की ढुलाई करती है

यह खाद्यान्नों और चारे की ढुलाई करती है

और यह दूध की भी ढुलाई करती है।

इस प्रकार, भारतीय रेल व्यावहारिक रूप से सभी की ढुलाई करती है और यह किसी भी वस्तु को ना नहीं करती है, बशर्ते उसे मालडिब्बे में ढोया जा सकता हो। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम रक्षा संगठन की आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ बनकर राष्ट्र की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अध्यक्ष महोदया, हालांकि हम प्रतिदिन 23 मिलियन यात्रियों को ढोते हैं लेकिन अभी भी काफी जनता ऐसी है जिन्होंने अभी तक रेलगाड़ी में पैर तक नहीं रखा है। हम औद्योगिक समूहों को पत्तनों और खदानों से जोड़ते हुए प्रतिवर्ष एक बिलियन टन से अधिक माल यातायात का लदान करते हैं लेकिन अभी भी कई अंदरूनी भाग रेल संपर्क की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यद्यपि विगत वर्षों में माल यातायात व्यापार निरंतर बढ़ रहा है, भारतीय रेल देश में सभी साधनों से ढोए जाने वाले कुल माल यातयात का 31% को ही ढोती है। ये ऐसी चुनौतियां हैं जिनका हमें सामना करना है।

अध्यक्ष महोदया, विविध किस्म की जिम्मेदारियां निभाने वाले इस प्रकार के विशाल संगठन से एक वाणिज्यिक उद्यम के रूप में आमदनी अर्जित करने के साथ एक कल्याणकारी संगठन के रूप में भी कार्य करने की उम्मीद की जाती है। ये दो कार्य, रेलपथ की दो पटरियों के समान हैं, जो हालांकि साथ-साथ चलती हैं लेकिन कभी मिलती नहीं हैं। अभी तक भारतीय रेल इन दो विरोधात्मक उद्देश्यों में संतुलन बनाते हुए इस कठिन कार्य कार्य को निभाती रही है।

2000-01 में सामाजिक सेवा-दायित्व, सकल यातायात प्राप्तियों के 9·4% से बढ़कर 2010-11 में 16·6% हो गया। 2012-13 में इस प्रकार का दायित्व 20,000 करोड़ रु. से भी अधिक हो गया। इस वर्ष का कुल निवेश अर्थात् बजटीय स्रोतों के अंतर्गत योजना परिव्यय 35,241 करोड़ रु. था।

अध्यक्ष महोदया, भारतीय रेल अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करती रहेगी लेकिन कार्यकुशलता तथा गाड़ी परिचालन की संरक्षा के साथ समझौता किए बिना एक सीमा के बाद इन दो परस्पर विरोधी उद्देश्यों में संतुलन बनाए रखना संभव नहीं है।

हमारे पास 1·16 लाख कि·मी· लंबाई का कुल रेलपथ 63,000 सवारी डिब्बे, 2·4 लाख से अधिक माल डिब्बे और 13 लाख कर्मचारी हैं। इसके लिए ईंधन, वेतन और पेंशन, रेलपथ एवं सवारी डिब्बा अनुरक्षण और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, संरक्षा संबंधी कार्यों पर खर्च की आवश्यकता होती है। इन कार्यों पर सकल यातायात आमदनी से होने वाली हमारी अधिकांश आय खर्च हो जाती है। वर्ष 2013-14 में, सकल यातायात आमदनी 1,39,558 करोड़ रु. और कुल संचालन व्यय 1,30,321 करोड़ रु. था, जिसका परिचालन अनुपात लगभग 94% बनता है।

अध्यक्ष महोदया, इससे पता चलता है कि अर्जित किए गए प्रत्येक रूपए में से हम 94 पैसा परिचालन पर खर्च कर देते हैं। हमारे पास अधिशेष के रूप में 6 पैसा ही बचता है। यह राशि कम होने के अलावा किरायों में संशोधन न किए जाने के कारण इसमें निरन्तर गिरावट आई है। अनिवार्यत: किए जाने वाले लाभांश और लीज प्रभारों के भुगतान के बाद वर्ष 2007-08 में यह अधिशेष 11,754 करोड़ रु. था और मौजूदा वित्त वर्ष में 602 करोड़ रु. होने का अनुमान है।

अध्यक्ष महोदया, रेलों द्वारा इस प्रकार जुटाए गए इस बहुत ही कम अधिशेष द्वारा संरक्षा, क्षमता बढ़ाने, अवसंरचना, यात्री सेवाओं और सुख-सुविधाओं को बेहतर बनाने के कार्यों को वित्तपोषित किया जाना है।

मात्र चालू परियोजनाओं के लिए ही आने वाले दस वर्षों तक 5 लाख करोड़ रुपए अर्थात् प्रतिवर्ष लगभग 50,000 करोड़ रुपए आने वाले दस वर्षों तक अपेक्षित हैं। इससे अपेक्षित राशि अधिशेष के रूप में उपलब्ध राशि के बीच भारी अंतर आ जाता है।

यद्यपि इस अन्तर को पाटने के लिए विवेकपूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए थे, परन्तु जो टैरिफ नीति अपनाई गई उसमें युक्तिसंगत दृष्टिकोण की कमी रही। यात्री किरायों को लागत से कम रखा गया और इस प्रकार पैसेंजर गाड़ी के परिचालन में हानि हुई। यह हानि बढ़ती रही जो 2000-10 में प्रति पैसेंजर कि·मी· 10 पैसे से बढ़कर 2012-13 में 23 पैसे हो गई।

दूसरी ओर, माल भाड़ा दरों को समय-समय पर बढ़ाया गया और उन्हें ज्यादा रखा गया ताकि पैसेंजर सेक्टर में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति की जा सके। परिणामस्वरूप माल यातायात निरन्तर रेलवे से छूटता गया। विगत 30 वर्षों में कुल माल यातायात में रेलवे का हिस्सा निरन्तर

कम हुआ है। अध्यक्ष महोदया, यह उल्लेखनीय है कि कुल माल यातायात में रेलवे का हिस्सा कम होना, राजस्व की हानि होना जैसा ही है।

अध्यक्ष महोदया, यह बताने के बाद कि किस प्रकार राजस्व को गंवाया गया, अब मैं यह बताना चाहता हूं कि किस प्रकार निवेश में दिशाहीनता रही।

परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिए जाने के बजाय उन्हें स्वीकृत कर देने पर ध्यान दिया गया। पिछले 30 वर्षों के दौरान 1,57,883 करोड़ रुपए मूल्य की कुल 676 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, इनमें से केवल 317 परियोजनाओं को ही पूरा किया जा सका और शेष 359 परियोजनाओं को पूरा किया जाना बाकी है, जिन्हें पूरा करने के लिए अब 1,82,000 करोड़ रुपए अपेक्षित होंगे।

पिछले 10 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए मूल्य की 99 नई लाइन परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया, जिनमें से आज की तारीख तक मात्र एक परियोजना को ही पूरा किया गया है। वास्तव में इसमें 4 परियोजनाएं तो ऐसी हैं जो 30 वर्ष तक पुरानी हैं परन्तु वे किसी न किसी कारण से अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। जितनी अधिक परियोजनाओं को हम इसमें जोड़ देंगे हम उनके लिए उतना ही कम संसाधन मुहैया करा पाएंगे और उन्हें पूरा करने में उतना ज्यादा समय भी लगेगा।

यदि यही प्रवृति जारी रखी गई तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि और अधिक हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे और इससे मुश्किल से ही कोई प्रतिफल प्राप्त होगा।

अध्यक्ष महोदया, भारतीय रेलों की कभी न समाप्त होने वाली परियोजनाओं के बारे में बताने के बाद मैं परियोजनाओं का चयन करने में किस प्रकार प्राथमिकता दी जाती है, उसका उल्लेख करता हूं। अति संतृप्त नेटवर्क में भीड़भाड़ को कम करने के लिए दोहरीकरण और तिहरीकरण के लिए किए जाने वाले निवेश से रेलों को धन प्राप्त होता है। दूसरी ओर नई लाइनों का निर्माण करने से अधिकांशत: परिचालनिक लागत भी पूरी प्राप्त नहीं होती है।

पिछले 10 वर्षों में भारतीय रेल ने 3738 कि.मी. नई लाइनों को बिछाने के लिए 41,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। दूसरी ओर इसने 5050 कि.मी. के दोहरीकरण के लिए मात्र 18,400 करोड़ रुपए ही खर्च किए। यद्यपि प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए यह प्राथमिकता वाला कार्य था।

संयोग से, मैं भारतीय रेल के बारे में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई निम्नलिखित बात, को यहां उद्धृत करना चाहूंगा। मैं इसे अब तक नहीं समझ पाया जब तक मुझे इन तथ्यों की जानकारी नहीं थी, जिनका मैंने अभी तक जिक्र किया है। यह कथन इस प्रकार है:

> "आपने ऐसे किसी व्यापार के बारे में नहीं सुना होगा, जिसका एकाधिकार हो, जिसका ग्राहक आधार लगभग 100 करोड़ हो, जिसकी 100% बिक्री अग्रिम भुगतान पर होती हो, और उसके बावजूद उसके पास धन का अभाव हो।"

अध्यक्ष महोदया, अब तक भारतीय रेल की यही कहानी रही है।

रेलवे द्वारा सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना कोई मुद्दा नहीं है। परन्तु सामाजिक जरूरत के नाम पर लोक-लुभावन परियोजनाओं का चयन किया गया, जिनसे रेलवे को मुश्किल से कोई राजस्व प्राप्त हुआ हो। सामाजिक दायित्व के नाम पर अलाभप्रद परियोजनाओं पर निवेश किया जाना जारी रहा। समग्रत: देखा जाए तो कई वर्षों तक न तो इन परियोजनाओं से रेलवे को कोई प्रतिफल प्राप्त हुआ और न ही पूरी तरह से सामाजिक दायित्व ही पूरा हुआ।

इस त्रुटिपूर्ण प्रबंधन और उदासीनता से बहुत वर्षों से रेलवे धन की भारी तंगी का सामना कर रही है, 'जो स्वर्णिम दुविधा के दशक' - वाणिज्यिक व्यवहार्यता और सामाजिक व्यवहार्यता के बीच चयन की दुविधा का परिणाम है।

अध्यक्ष महोदया, मुझे पता है कि मेरे पूर्ववर्ती सम्मानित मंत्री भी इस अनिश्चितता की स्थिति से परिचित थे परन्तु उनके द्वारा इन परियोजनाओं की घोषणा करते समय सदन में बजने वाली तालियां सुनने से प्राप्त होने वाले 'नशे' का वे परित्याग न कर सके।

अध्यक्ष महोदया, कुछ नई परियोजनाओं की घोषणा करके मैं भी इस सम्मानित सदन से तालियां पा सकता हूं परन्तु यह कठिन स्थिति से गुजर रहे इस संगठन के प्रति अन्याय करना होगा। मेरी इच्छा है कि रेल कि स्थिति में सुधार लाकर मैं वर्ष भर तालियां पाता रहूं।

भारतीय रेल की इस शोचनीय स्थिति को तत्काल ठीक किए जाने की आवश्यकता है। कुछ सुधारात्मक उपायों, जिनकी मैंने योजना बनाई है, में एक उपाय किरायों में संशोधन का रहा। यह एक कठिन परन्तु जरूरी निर्णय था। अध्यक्ष महोदय, जैसाकि कहा गया कि

> यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्।
> "दवा खाने में तो कड़वी लगती है
> लेकिन उसका परिणाम मधुर होता है।"

इस किराया संशोधन से भारतीय रेल को लगभग 8000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। बहरहाल, स्वर्णिम चतुर्भुज नेटवर्क को पूरा

करने के लिए हमें 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की और केवल एक बुलेट गाड़ी चलाने के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदया, क्या यह उचित होगा कि इन निधियों की व्यवस्था करने के लिए किरायों और माल-भाड़ा की दरों में वृद्धि की जाए ...*(व्यवधान)*

मैं इसे दोबारा पढ़ता हूं। कृपया मेरी बात सुनिए। यदि आप मेरा बजट भाषण धैर्यपूर्वक नहीं सुनना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

लेकिन अध्यक्ष महोदया, क्या यह उचित होगा कि इन निधियों की व्यवस्था करने के लिए किरायों और माल-भाड़ा की दरों में वृद्धि की जाए और उसका बोझ जनता पर डाला जाए? चूंकि यह अवास्तविक है, इसलिए इन निधियों की व्यवस्था करने के लिए मुझे वैकल्पिक उपायों पर सोचना होगा।

I. संसाधन जुटाना

रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संसाधनों का उपयोग

अध्यक्ष महोदय, रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन सराहनीय है और इनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। मैं रेलवे की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अधिशेष निधियों को निवेश करने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखता हूं, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आकर्षक प्रतिफल की प्राप्ति होगी।

घरेलू और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के जरिए रेल अवसंरचना में निजी निवेशः

रेलवे सेक्टर की उन्नति रेल अवसंरचना में निवेश करने के लिए पूरी तरह से निधियों की उपलब्धता पर निर्भर है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आंतरिक राजस्व स्रोत और सरकारी वित्तपोषण अपर्याप्त हैं। इसलिए, रेल सेक्टर में एफडीआई की अनुमति के लिए रेल मंत्रालय को मंत्रिमंडल का अनुमोदन चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सार्वजनिक निजी भागीदारीः

संसाधनों को जुटाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के संबंध में कई बार चर्चा हुई है। रेलवे एक व्यापक पूंजी वाला सेक्टर होने के बावजूद, रेलवे को पीपीपी माध्यम के जरिए उल्लेखनीय ढंग से संसाधन जुटाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदया, इस संबंध में, मैं ईमानदारी से सही दिशा में कार्रवाई करने का प्रयास करूंगा। बड़ी संख्या में भावी परियोजनाओं को पीपीपी माध्यम के जरिए पूरा करने का हमारा लक्ष्य है जिसमें हाई-स्पीड रेल शामिल है, जिसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदया, संसाधन जुटाने के अलावा, रेलवे संबंधी योजना और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं को युक्तिसंगत ढंग से नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने का प्रस्ताव करता हूं:

(क) नियर प्लान होलीडे अप्रोच

(ख) चालू परियोजनाओं की प्राथमिकता और उन्हें पूरा करने के लिए समय-सीमा का निर्धारण

(ग) रेल अवसंरचना हेतु निधियां जुटाने के लिए तंत्र की संकल्पना

(घ) परियोजना कार्यान्वयन के लिए निर्णय लेने में सहायक प्रणाली

(ङ) खरीद प्रक्रिया में नीति संबंधी भागीदारी और पारदर्शिता

(च) आयातित उत्पादों का बड़े पैमाने पर देशीकरण

(छ) अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संरक्षा मानक अपनाना और दुर्घटनाओं के कारणों का अध्ययन करने के लिए सिम्युलेशन सेंटर की स्थापना।

(ज) रेल इंजनों, सवारी डिब्बों और वैगन लीजिंग मार्केट के विकास को प्रोत्साहन देना।

अब, अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदन के समक्ष वर्ष 2013-14 के वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगा।

II. वित्तीय निष्पादन 2013-14

अंतरिम बजट प्रस्तुत किए जाने और पिछली फरवरी में "लेखानुदान" पारित किए जाने के बाद से वित्तीय स्थिति बदली है।

महोदया, रेलवे पर 1050.18 मिलियन टन की ढुलाई की गई। माल आमदनी केवल 94 करोड़ रु. कम रही। साथ ही, आरंभिक यात्री यातायात भी संशोधित लक्ष्य की तुलना में 46 मिलियन कम था और यात्री यातायात से आमदनी संशोधित लक्ष्य की तुलना में 968 करोड़ रु. कम रही।

कुल मिलाकर, यद्यपि सकल यातायात प्राप्तियों में 12.8% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 1,39,558 करोड़ रु. हो गई लेकिन यह संशोधित लक्ष्य

से 942 करोड़ रु. कम रहीं। दूसरी ओर, साधारण संचलन व्यय 97,571 करोड़ रु. था, जो 511 करोड़ रु. अधिक था।

कम प्रावधान को वास्तविक खर्च के अनुरूप बनाने के लिए पेंशन निधि में विनियोजन बढ़ाना पड़ा।

परिणामस्वरूप, वर्ष के अंत में 7,943 करोड़ रु. के सरप्लस के बजाय वस्तुतः सरप्लस 3,783 करोड़ रु. था अर्थात् इसमें 4,160 करोड़ रु. की कमी हुई। यह स्थिति 8,010 करोड़ रु. की लाभांश दायिता पूरी करने के बाद है।

2013-14 की योजना में 14,496 करोड़ रु. के संशोधित लक्ष्य की तुलना में आंतरिक तौर पर 11,710 करोड़ रु. सृजित किए गए। इसमें 2,786 करोड़ रु. की कमी हुई।

वर्ष 2013-14 के संशोधित अनुमानों की तुलना में यातायात वृद्धि में गिरावट आयी। बहरहाल, खर्च में वृद्धि हुई और यह अनुमान की तुलना में अधिक था। परिचालन अनुपात में संशोधित लक्ष्य की तुलना में 2.7% की गिरावट आयी और यह 2013-14 के वित्त वर्ष के अंत में 93.5% तक पहुंच गया।

जहां तक 2013-14 की हमारी योजना व्यय का संबंध है, यह मुख्यतः पीपीपी लक्ष्यों के फलीभूत न होने के कारण 59.359 करोड़ रु. के संशोधित लक्ष्य से कम रहा।

अध्यक्ष महोदया, अब मैं इस सदन के समक्ष वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं।

III. 2014-15 के लिए बजट अनुमान:

अर्थव्यवस्था में और अधिक वृद्धि की उम्मीद करते हुए, मैं 1,64,374 करोड़ रु. की कुल आमदनियों की आशा करता हूं और कुल व्यय के रूप में 1,49,176 करोड़ रु. निर्धारित करता हूं।

मुझे माल-यातायात में 4.9% की वृद्धि की आशा है, जो वर्ष 2013-14 की तुलना में 51.07 मिलियन टन बढ़कर 1,101.25 मिलियन टन हो जाएगा जो पहले दो महीनों के रुझान पर आधारित है। मुझे यात्री यातायात में 2013-14 के ऊपर मामूली वृद्धि की उम्मीद है। माल-यातायात से 1,05,770 करोड़ रु. और यात्री यातायात से 44,645 करोड़ रु. आमदनी होने का अनुमान है।

25.06.2014 से लागू किरायों में वृद्धि से रेलवे को राहत मिली है, जो भले ही कम हो लेकिन बहुत जरूरी थी। मैंने मासिक सीजन टिकट के किरायों में संशोधन करने संबंधी उपनगरीय यात्रियों के अनुरोध पर विचार किया है, इस वजह से होने वाली राजस्व की हानि लगभग 610 करोड़ रु. होगी।

यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि, जैसाकि माननीय सदन द्वारा मंजूरी दी गई है, यात्री किरायों और मालभाड़े में आवधिक संशोधन ईंधन की कीमतों के संशोधनों से जोड़ा जाए ताकि ईंधन की लागत में वृद्धि से रेलवे राजस्व को सुरक्षित रखा जा सके।

अध्यक्ष महोदया, कुल व्यय में से साधारण संचलन व्यय 1,12,649 करोड़ रु. प्रस्तावित किया गया है जो 2013-14 की तुलना में 15,078 करोड़ रु. अधिक है। ईंधन की कीमतों में वृद्धि और कर्मचारी लागतों में वृद्धि की वजह से ऐसा करना आवश्यक हो गया। वर्ष 2013-14 में पेंशन व्यय में लगभग 16% की वृद्धि हुई थी। इसी रुख को ध्यान में रखते हुए पेंशन के लिए 28.850 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया है।

IV. वार्षिक योजना 2014-15

अध्यक्ष महोदया, मैं महत्वपूर्ण सड़क संरक्षा कार्यों के लिए पूंजी के रूप में 1,100 करोड़ रु. और डीज़ल उपकर से रेलवे के हिस्से के रूप में 273 करोड़ रु. का अतिरिक्त बजटीय समर्थन देने के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं। मुख्यतः इस उपाय और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयासों के कारण, मैं बजटीय स्रोतों के अंतर्गत योजना परिव्यय को बढ़ाकर 47,650 करोड़ रु. करने का प्रस्ताव करता हूं जो 2013-14 की तुलना में 9,383 करोड़ रु. अधिक है। इस उच्चतर योजना परिव्यय का बड़ा हिस्सा संरक्षा संबंधी कार्यों को जाता है, जो हमारी सरकार की उच्च प्राथमिकता भी है।

जैसाकि, मैंने योजना परिव्यय का आंतरिक संसाधन घटक अंतरिम स्तर को बढ़ा दिया है, इसलिए मैं भारतीय रेल वित्त निगम के माध्यम से बाजार से उधार घटाकर 11,790 करोड़ रु. करने का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदया, अधिकांश रेल परियोजनाओं की समयावधि बढ़ने और परिणामस्वरूप लागत बढ़ना वर्षों से रेलवे के लिए अत्यधिक चिंता का विषय रहा है। मैं, प्राथमिकता और संरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा वर्ष के दौरान पूरा करने हेतु लक्षित परियोजनाओं के लिए पूर्ण वित्तीय परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं। मैंने 30 प्राथमिकता वाले कार्यों को उनकी समय से प्रगति के लिए पर्याप्त आबंटन सुनिश्चित किया है।

उपलब्ध संसाधनों का संरक्षा और गाड़ी परिचालन में क्षमता संवर्धन तथा साफ-सफाई पर बल देते हुए यात्रियों के लिए सुविधाओं और

सेवाओं में सुधार जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए आबंटन मेरे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदया, अब मुझे इस बजट के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का ब्यौरा प्रस्तुत करने की अनुमति दें।

V. यात्री सुविधाएं एवं स्टेशन प्रबंधन

स्टेशनों पर सुविधाएं

सर्वप्रथम मैं, यात्री सुविधाओं में सुधार हेतु प्रस्तावित कदमों के बारे में बात करूंगा।

यात्री सुख-सुविधाओं के रूप में, भारतीय रेल सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पीपीपी के माध्यम से ऊपरी पैदल पुल, एस्केलेटर और लिफ्ट की व्यवस्था करने पर विचार करती है।

भारतीय रेल इस वर्ष रेलवे स्टेशनों पर पानी की आपूर्ति, प्लेटफार्म शेल्टर, शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करेगी।

निजी संगठनों के माध्यम से यात्री सुविधाएं:

भारतीय रेल सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बैटरी चालित कार्ट शुरू करने का प्रस्ताव करती है ताकि भिन्न रूप से सक्षम और वरिष्ठ नागरिक आराम से किसी भी प्लेटफार्म तक पहुंच सकें।

हमने स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं मुहैया कराने के लिए वैयक्तिक, गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, चेरीटेबल संस्थानों, कॉरपोरेटरों आदि को शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

ऑफिस ऑन व्हील्स:

चूंकि भारतीय रेल पर बहुत से व्यवसायी यात्रा करते हैं जो सफर में काफी समय व्यतीत करते हैं इसलिए उनके द्वारा समय के सदुपयोग के लिए मैं चुनिंदा गाड़ियों में भुगतान के आधार पर वर्क स्टेशनों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं। इस वर्ष एक पायलट परियोजना शुरू कर दी जाएगी।

रेलवे विश्रामालयों की ई-बुकिंग:

इस वर्ष के दौरान सभी स्टेशनों पर रेलवे विश्रामालयों की ऑन लाइन बुकिंग सुविधा प्रदान की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, यात्री अनुकूल सेवाएं प्रदान करना भारतीय रेल का मुख्य उद्देश्य है, इस दिशा में, मैं ऑनलाइन बुकिंग का दायरा बढ़ा रहा हूं:

जनता एक गाड़ी बुक कर सकती है
जनता कोच बुक कर सकती है
जनता बर्थ बुक कर सकती है और
जनता चेयर कार में एक सीट बुक कर सकती है

VI. खानपान

अध्यक्ष महोदया, रेलवे पर खानपान काफी लंबे समय से एक चिंता का विषय रहा है।

ऑन-बोर्ड खानपान सेवाओं की गुणवत्ता और स्वच्छता में सुधार लाने और विविधता प्रदान करने के उद्देश्य से, मैं चरणबद्ध आधार पर प्रतिष्ठित ब्रांडों के पहले से तैयार किया हुआ भोजन (रेडी टू ईट) शुरू करने का प्रस्ताव रखता हूं।

इसके अलावा, मैं पूरी निष्ठा से एनएबीसीबी प्रमाणित एजेन्सियों द्वारा थर्ड पार्टी ऑडिट के जरिए गुणवत्ता आश्वासन तंत्र शुरू करके खानपान सेवाओं में प्रत्यक्ष सुधार लाने का इच्छुक हूं।

थर्ड पार्टी ऑडिट के अलावा, यात्रियों को परोसे गए भोजन पर आईवीआरएस तंत्र के जरिए यात्रियों से फीडबैक प्राप्त करने की प्रणाली शीघ्र ही शुरू की जाएगी।

यदि सेवा विशेषरूप से स्वच्छता और स्वाद के मामले में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होगी तो ठेकों को रद्द करने के सहित वेन्डरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

स्टेशनों पर फूड कोर्ट और गाड़ी में स्थानीय भोजन:

भारतीय रेलों का प्रमुख स्टेशनों पर फूड कोर्ट स्थापित करने का भी प्रस्ताव है ताकि यात्रियों को गाड़ी के भीतर ईमेल, एसएमएस और स्मार्ट फोन आदि के जरिए स्थानीय भोजन का ऑर्डर देने का विकल्प मिल सके। नई दिल्ली-अमृतसर और नई दिल्ली-जम्मू तवी खंडों के बीच पायलट परियोजना शीघ्र ही शुरू की जाएगी।

VII. साफ-सफाई

अध्यक्ष महोदया, हमारे प्रिय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा कि 'जहां साफ-सफाई होती है, वहां देवता वास करते हैं'।

महोदया, मुझे रेलगाड़ियों और स्टेशनों में साफ-सफाई की खराब स्थिति के बारे में पता है। रेलवे साफ-सफाई को उच्च प्राथमिकता दे रही है, परन्तु स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या को देखते हुए अपेक्षित स्तर पर साफ-सफाई बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

अध्यक्ष महोदया, मैंने चालू वर्ष में साफ-सफाई के लिए बजट आबंटन में काफी वृद्धि की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% ज्यादा है। मैं 50 बड़े स्टेशनों पर साफ-सफाई गतिविधियों को आउटसोर्स कर व्यवसायिक एजेंसियों द्वारा कराने का और अलग-से हाऊसकीपिंग विंग स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो स्टेशनों पर साफ-सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देगा और स्वच्छता बनाए रखने की पूर्ण जिम्मेदारी इसी विभाग की होगी।

अध्यक्ष महोदया, स्टेशनों पर साफ-सफाई बनाए रखने के लिए स्टेशन पर एक कॉर्पस फंड की व्यवस्था की जाएगी।

साफ-सफाई संबंधी गतिविधियों की निगरानी के लिए स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। सभी टिकटों के पीछे अखिल भारतीय स्तर के शिकायत/हेल्पलाइन नंबर मुद्रित किए जाएंगे। आवधिक थर्ड पार्टी निरीक्षण प्रणाली शुरू की जाएगी।

इसके अलावा, स्टेशनों पर रेलपथों और प्लेटफार्म एप्रनों पर मल-मूत्र की समस्या को कम करने के उद्देश्य से रेलगाड़ियों में जैविक शौचालयों की पर्याप्त संख्या में वृद्धि की जाएंगी।

इस समय 400 रेलगाड़ियों में ऑनबोर्ड हाऊसकीपिंग सेवाएं दी गई हैं और यात्रियों से अच्छे फीडबैक प्राप्त हुए हैं। यह सेवा सभी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में शुरू की जाएगी। वातानुकूलित सवारी डिब्बे में मुहैया कराए जा रहे बेडरोल की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से मैं मशीनीकृत लांड्रियों की संख्या बढ़ाने का भी प्रस्ताव करता हूं।

पीने का पानी:

हम स्टेशनों और गाड़ियों में प्रायोगिक तौर पर पीने के लिए आरओ यूनिट लगाने की भी शुरुआत करेंगे।

स्टेशनों को गोद लेने और वहां पर बेहतर स्वच्छता एवं साफ-सफाई बनाए रखने के लिए प्रतिष्ठित और इच्छुक गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), चैरिटेबल संस्थानों और कॉरपोरेट घरानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

VIII. संरक्षा

अध्यक्ष महोदया, भारतीय रेलों में यात्रियों की संरक्षा को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। अनुमान है कि रेलपथ नवीकरण, बिना चौकीदार वाले समपारों को समाप्त करने और निचले सड़क पुल एवं ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए प्रत्येक वर्ष 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की आवश्यकता होगी।

मुझे विभिन्न राज्यों से ऊपरी पुलों और निचले सड़क पुलों के निर्माण के संबंध में बहुत से अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं। मैं इस बजट में निचले सड़क पुल एवं ऊपरी सड़क पुल के लिए 1,785 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहा हूं। मैं संबंधित राज्य सरकारों से अपने प्रस्तावों के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने और अपने हिस्से की लागत जमा करवाने का अनुरोध करूंगा। मैंने शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए एक प्रणाली शुरू किए जाने का विनिश्चय किया है। हम इन डिजाइनों को मानकीकृत करने और इन्हें ऑनलाइन करने का इरादा रखते हैं। इस संबंध में शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाएगा ताकि स्वीकृति करने की शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जा सके।

बिना चौकीदार वाले समपारों को समाप्त करना

भारतीय रेल पर 30,348 समपार हैं, जिनमें से 11,563 बिना चौकीदार वाले हैं। बिना चौकीदार वाले प्रत्येक समपार की विस्तृत जांच की जा रही है और स्थान की स्थिति के आधार पर उसे उपयुक्त माध्यमों द्वारा समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

भारतीय रेलों का पटरियों और वेल्डिंग की टूट-फूट का पता लगाने के लिए आधुनिक व्हीकल बोर्न अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, पायलट परियोजना के रूप में दो स्थानों पर अल्ट्रासोनिक ब्रोकन रेल डिटेक्शन सिस्टम (यूबीआरडी) का भी परीक्षण किया जाएगा।

मैं, मेन लाइन और उपनगरीय सवारी डिब्बों, दोनों में गाड़ी के चलने से पहले स्वत: दरवाजे बंद होने की प्रौद्योगिकी लाने का प्रस्ताव करता हूं ताकि यात्रियों की संरक्षा में सुधार किया जा सके। कुछ चुनिंदा गाड़ियों में पायलट परियोजना शुरू की जाएगी।

IX. सुरक्षा

गाड़ियों में और स्टेशनों पर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए 17000 रेल सुरक्षा बल कांस्टेबलों की भर्ती की गई है और शीघ्र ही उनकी तैनाती कर दी जाएगी। हम 4000 महिला रेल सुरक्षा बल कांस्टेबलों की भर्ती का भी प्रस्ताव करते हैं।

अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यात्रा की प्रत्येक श्रेणी में महिलाओं की संरक्षा के लिए विशेष अनुदेश जारी किए जा रहे हैं। महिला रेसुब कांस्टेबलों को शामिल करने के साथ, महिला सवारी डिब्बों का मार्गरक्षण किया जायेगा।

गाड़ियों में रेल सुरक्षा बल के मार्गरक्षी दलों को मोबाइल फोन मुहैया कराया जाएगा ताकि रेल यात्री परेशानी में उनसे संपर्क कर सकें। सुरक्षा हैल्प लाइन को बेहतर किया जाएगा

हम सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से स्टेशनों के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण करने की संभावना का भी पता लगाएंगे।

X. रेल पर्यटन

अध्यक्ष महोदया, मैं देश में घरेलू पर्यटन के क्षेत्र में ऐसी भारी संभावना देखता हूं। जिसका अभी लाभ नहीं उठाया गया है। हमारी पूर्वोत्तर राज्यों में ईको-टूरिज़्म और एजुकेशन टूरिज़्म शुरू करने की योजना है।

देवी सर्किट, ज्योतिर्लिंग सर्किट, जैन सर्किट, क्रिश्चन सर्किट, मुस्लिम/सूफी सर्किट, सिख सर्किट, बोध सर्किट, प्रसिद्ध मंदिर सर्किट आदि जैसे विशेष तीर्थ सर्किटों की पहचान की गई है। मैं इन सर्किटों के लिए विशेष पैकेज गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव करता हूं। इस क्षेत्र में निजी भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

बागलकोट, बीजापुर और सोलापुर के रास्ते गदग से पंढरपुर तक एक पर्यटन गाड़ी चलाई जाएगी जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों को कवर करेगी। इस प्रकार की एक दूसरी गाड़ी रामेश्वरम से चलाई जाएगी जो कि बेंगलूरू, चेन्नै, अयोध्या, वाराणसी और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों को भी कवर करेगी। मेरी स्वामी विवेकानंद के नैतिक मूल्यों और उनके उपदेशों का प्रचार करने के लिए स्वामी विवेकानंद के जीवन और कार्य का प्रचार करने वाली एक विशेष गाड़ी चलाने की भी योजना है।

XI. रेलवे आरक्षण प्रणाली में सुधार

अध्यक्ष महोदया, अगली पीढ़ी की ई-टिकटिंग प्रणाली को शुरू करके रेलवे आरक्षण प्रणाली का सुधार किया जायेगा। मोबाइल फोन और डाक घरों के जरिए टिकट बुकिंग को लोकप्रिय बनाया जाएगा।

हम ई-टिकट के क्षेत्र में प्रणाली की क्षमताओं में सुधार करेंगे ताकि 2,000 टिकट प्रति मिनट की तुलना में 7200 टिकट प्रति मिनट उपलब्ध कराई जा सकें और एक समय में एक साथ 1,20,000 उपयोगकर्ता इसका लाभ उठा सकें।

सिक्के डालकर परिचालित होने वाली ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग स्टेशनों की सुविधा का परीक्षण किया जाएगा।

इंटरनेट के जरिए प्लेटफार्म टिकट और अनारक्षित टिकट खरीदने की सुविधा मुहैया कराने के भी प्रयास किए जाएंगे।

यात्रियों की सुविधा के लिए और उनका समय बचाने के लिए पार्किंग-सह-प्लेटफार्म काम्बो टिकट शुरू की जाएगी।

XII. संरचनात्मक सुधार

अध्यक्ष महोदया, नीति निर्धारण और कार्यान्वयन की ओवरलैपिंग भूमिका के कारण फिलहाल रेलवे बोर्ड का कार्य बोझिल हो रहा है इसलिए, मैं इन दोनों कार्यों को अलग-अलग करने का प्रस्ताव करता हूं।

XIII. कर्मचारी कल्याण - हमारे रेल परिवार की देखभाल

भारतीय रेल पर 13 लाख कर्मचारी हैं, जिनमें से अधिकांश रेल सेवाएं मुहैया कराने के लिए कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं। मेरा यह कर्तव्य है कि उन्हें पर्याप्त सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। इस दिशा में मैं निम्नलिखित कार्य शुरू करना चाहता हूं:

(i) इस समय, कर्मचारी हित निधि में 500 रु. प्रति व्यक्ति राशि का अंशदान किया जाता है। मैं इस राशि को बढ़ाकर 800 रु. प्रति व्यक्ति करने का प्रस्ताव करता हूं।

(ii) मैं शिक्षा एवं खेल-कूद के क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा सराहनीय कार्य करने पर उनके लिए विशेष योजना की घोषणा करने का प्रस्ताव करता हूं।

(iii) सभी स्वास्थ्य इकाइयों, मंडल स्तर के अस्पतालों और सेंट्रल अस्पतालों के साथ-साथ हमारे पैनलबद्ध अस्पतालों को एकीकृत करने के लिए अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा।

(iv) लोको केबिनों में वातानुकूलन की व्यवस्था करने की व्यवहार्यता की जांच करना।

XIV. कर्मचारियों के कौशल का विकास

मैं तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों विषयों के लिए रेलवे विश्व विद्यालय की स्थापना करने का विचार कर रहा हूं।

हम स्नातक स्तर पर रेलवे से संबंधित विषयों को चालू करने और कौशल विकास के लिए तकनीकी संस्थाओं के साथ समझौता करेंगे।

फिलहाल, ग्राउंड लेवल के कर्मचारियों को स्थानीय तकनीकी संस्थानों में इस्तेमाल करके तकनीकी और गैर-तकनीकी किस्म के अल्प अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए भेजा जाएगा। उच्च रफ्तार, भारी-कर्षण परिचालन आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करने के लिए सभी स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों को भारत तथा विदेश में उपयुक्त संस्थाओं में भेजा जाएगा।

XV. रेलगाड़ियों की गति

प्रत्येक भारतीय की यह इच्छा और सपना है कि भारत में यथाशीघ्र बुलेट ट्रेन चलाई जाए। अध्यक्ष महोदया, भारतीय रेल लंबे समय से संजोए हुए इस सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मुंबई-अहमदाबाद खंड पर पहले से ही चिह्नित किए हुए खंड पर बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए कई अध्ययन किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदया, हमारे महान नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शिता थी जिन्होंने भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज रोड नेटवर्क दिया। आज हम श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के प्रमुख महानगरों और विकास केन्द्रों को जोड़ने के लिए उच्च गति वाले रेल के हीरक चतुर्भुज नेटवर्क की महत्वाकांक्षी योजना आरंभ कर रहे हैं। इस संबंध में उपाय करने के लिए इस बजट में उच्च रफ्तार परियोजना के लिए आरवीएनएल/एचएसआरसी (उच्च रफ्तार रेल गलियारा) हेतु 100 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है।

अध्यक्ष महोदया, यद्यपि बुलेट ट्रेनों के लिए पूरी तरह से नई अवसंरचना की आवश्यकता होगी तथापि वर्तमान नेटवर्क को अपग्रेड करके मौजूदा रेलगाड़ियों की गति बढ़ाई जाएगी। इसलिए, चुनिंदा सेक्टरों में 160-200 कि.मी.प्र.घं. तक रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा ताकि प्रमुख नगरों के बीच यात्रा समय में काफी कमी आ सके।

चुने गए क्षेत्र हैं:

(i) दिल्ली-आगरा

(ii) दिल्ली-चंडीगढ़

(iii) दिल्ली-कानपुर

(iv) नागपुर-बिलासपुर

(v) मैसूर-बेंगलूरू-चेन्नै

(vi) मुंबई-गोवा

(vii) मुंबई-अहमदाबाद

(viii) चेन्नई-हैदराबाद और

(ix) नागपुर-सिंकदराबाद

XVI. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहल

अध्यक्ष महोदया, जैसाकि आप जानती हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी क्रान्ति मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में शामिल हो गई है। इससे न केवल जीवन आरामदायक हो गया है बल्कि इससे सेवा प्रदाता करना भी सरल और कारगर हो गया है और अब सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है।

यद्यपि भारतीय रेलों में कंप्यूटरीकरण का बड़े स्तर पर उपयोग किया जा रहा है, तथापि सभी प्रयासों में एकरूपता नहीं है। इसलिए वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। भारतीय रेलों की प्रमुख कार्यप्रणालियों का व्यापक स्तर पर एकीकृत रूप से कंप्यूटरीकरण करके रेलों की कार्य संस्कृति और रेल सेवाएं प्रदान करने के कार्य में आमूल-चूल परिवर्तन लाना समय की मांग है।

अध्यक्ष महोदया, भारतीय रेल कंप्यूटर असिस्टड इंटरप्राइस रिसोर्स प्लानिंग सोलूशन भी शुरू करने वाली है ताकि एकरूपता लाई जा सके। इसके लिए प्रारंभ में निम्नलिखित पहल की जाएंगी:

(i) भारतीय रेल को 5 वर्षों के भीतर कागज़ रहित कार्यालय बनाने की ओर अग्रसर

(ii) अगली पीढ़ी की टिकट आरक्षण प्रणाली

(iii) ए1 और ए कोटि के सभी स्टेशनों और चुनिंदा रेलगाड़ियों में वाई-फाई सेवाएं

(iv) रेलगाड़ियों और चल स्टॉक की रियल टाइम ट्रैकिंग

(v) यात्रियों के लिए मोबाइल आधारित वेकअप कॉल प्रणाली

(vi) मोबाइल आधारित गंतव्य आगमन चेतावनी

(vii) स्टेशन नेविगेशन सूचना प्रणाली

(viii) पीपीपी के माध्यम से सभी टिकट काउंटरों पर ड्यूअल डिस्पले फेयर रिपीटर्स का विस्तार

(ix) स्टेशनों पर डिजिटल आरक्षण चार्ट (बैंगलूरू मॉडल)

(x) कम्प्यूटरीकृत पार्सल प्रबंधन प्रणाली का विस्तार

(xi) निर्धारित स्टेशनों पर नार्मित पिक-अप सेंटरों की व्यवस्था करके विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों को लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करना

(xii) रेलटेल ओएफसी (ऑप्टिकल फाइबर केबल) नेटवर्क के माध्यम से दूरस्थ स्थलों के रेल कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना।

भारतीय रेल की भूमि परिसंपत्तियों की जीआईएस मैपिंग का डिजिटाइजेशन:

भारतीय रेल पर विस्तृत भूमि-संपदा है, जिसे डिजिटाइज करने और उसकी जीआईएस मैपिंग करने की आवश्यकता है ताकि उसका बेहतर प्रबंधन तथा इस्तेमाल हो सके। इससे रेलवे को इस भूमि की सुरक्षा और संसाधनों में वृद्धि करने के लिए इसका उपयोग करने में सहायता मिलेगी। रेलवे भूमि पर रेलवे से संबंधित कारोबार शुरू करने और साथ ही वाणिज्यिक विकास के लिए निजी भागीदारी के माध्यम से भूमि-संपदा का इस्तेमाल करके संसाधन जुटाने की संभावना का पता लगाया जाएगा।

XVII. अभिनव इनक्यूबेशन सेन्टर

अध्यक्ष महोदया, आधुनिक विश्व के विकास के साथ-साथ चलने का प्रयास करते हुए रेलों को विश्वभर में हो रही विकासात्मक गतिविधियों को अपनाना होगा और सतत् रूप से नयापन लाना होगा। आने वाले कल की चुनौतियों का सामना बीते हुए कल के साधनों से नहीं किया जा सकता। मैं इस दिशा में अभिनव इनक्यूबेशन सेन्टर स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। इस केन्द्र में भारतीय रेलकर्मियों के विचारों को लिया जाएगा और सिस्टम की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाएगा। जिन कर्मचारियों की नूतन सोच से लागत में बचत होगी और साथ ही राजस्व का सृजन होगा उन्हें प्रोत्साहन के रूप में समुचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा।

इस कार्य के भाग के रूप में, मैं इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट स्टडी के अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूं। छात्र रेलों कि किसी भी इकाई अर्थात् मंडलों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उत्पादन इकाइयों पर इंटर्न कर सकते हैं।

XVIII. अधिक संसाधन जुटाना:

स्वीकृत परियोजनाओं के एक बड़े बैकलॉग से रेलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती वित्तपोषण को जारी रखना है। यद्यपि कुछ पोर्ट कनेक्टिविटी परियोजनाओं और कुछ अन्य पॉवर सेक्टर परियोजनाओं के लिए निजी निवेश और कस्टमर फंडिंग शुरू हो गई है तथापि यदि आवश्यकता के अनुरूप अवसंरचना सृजित की जानी है तो बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हम इंडस्ट्री के साथ चर्चा करेंगे और बीओटी और वार्षिकी आधार पर पीपीपी के अंतर्गत निवेश आकर्षित करने के लिए और कदम उठाएंगे और इस उद्देश्य के लिए संतृप्त मार्गों पर क्षमता आवर्धन संबंधी 8 से 10 परियोजनाओं की पहचान की जाएगी। क्षेत्रीय रेलें को इस तरह की परियोजनाओं को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां दी जाएंगी।

अध्यक्ष महोदया, भारतीय रेल ने पोर्ट डेवलेपमेंट की सागर माला परियोजना के साथ मिलकर पीपीपी माध्यम से वित्तपोषण के जरिए पोर्ट कनेक्टिविटी का कार्य प्राथमिकता पर शुरू किया है। रेलवे द्वारा निजी भागीदारी द्वारा नए और उदीयमान पोर्टों को जोड़ा जाएगा। अभी तक, भारतीय रेल की भागीदारी मॉडल पॉलिसी के अंतर्गत जयगढ़, दीघी, रेवास, हजीरा, टुना, धोलेरा एवं अंस्ट्रांगा के पोर्टों तक रेल संपर्क स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया गया है जो कुल 4,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का है।

कोल कनेक्टिविटी:

रेलवे द्वारा टोरी-शिवपुर-कथौटिया क्षेत्र, झारसुगुडा-बारपल्ली-सरडेगा और भूपदेवपुर-रायगढ़-मंड क्षेत्र में महत्वपूर्ण कोल कनेक्टिविटी लाइनों के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। इससे रेलों का यातायात बढ़ेगा और इससे लगभग 100 मिलियन टन की वृद्धि होगी तथा बिजली घरों तक तेजी से कोयला भी पहुंचाया जा सकेगा।

स्टेशन का संपूर्ण विकास:

अध्यक्ष महोदया, हम पीपीपी माध्यम से नव विकसित एयरपोर्टों की तर्ज पर चिह्नित कुछ स्टेशनों का आधुनिक सुख-साधनों और यात्री सुविधाओं से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकास शुरू करेंगे। प्रारंभ में स्टेशनों और इसके आस-पास की भूमि और एयर-स्पेस का उपयोग करते हुए महानगरों और महत्वपूर्ण जंक्शनों के कम से कम 10 स्टेशनों में अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था करके उन्हें विकसित किया जाएगा।

रेलवे लॉजिस्टिक्स में निजी निवेश:

अध्यक्ष महोदया, भारतीय रेल लॉजिस्टिक पार्कों जो गोदाम में माल रखने, पैकेजिंग करने, लेबल लगाने, वितरण करने, द्वार से द्वार सुपुर्दगी और परेषणों का पता लगाना उपलब्ध कराती है, की स्थापना कर अपने लॉजिस्टिक परिचालन का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव करती है। इस संबंध में बेहतर कुशलता प्राप्त करने के लिए लदान और उतराई के यांत्रिकीकरण को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

भारतीय रेल पर यातायात संचलन के मौजूदा पैटर्न में रेल प्रणाली पर 33% से भी अधिक मालगाड़ियां खाली चलती हैं क्योंकि मौजूदा

भाड़ा दरों पर वापसी दिशा में यातायात प्राप्त नहीं होता है। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए उपयुक्त कीमत-निर्धारण तंत्र के जरिए मैं एक पायलट परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव रखता हूं जिससे भारित संचलन के मौजूदा अनुमानित स्तर से ऊपर ग्राहकों को उनके द्वारा पेश किए गए यातायात को कंप्यूटरीकृत एफओआईएस प्रणाली से स्वत: ही छूट उपलब्ध हो जाएगी। इससे अतिरिक्त राजस्व जुटाने के अलावा, भारतीय रेल प्रणाली पर खाली मालडिब्बों के यातायात में कमी आएगी।

पार्सल यातायात:

यद्यपि हमारी पार्सल आमदनी में निरंतर वृद्धि हुई है तथापि मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में काफी अधिक संभावनाएं हैं, जिनका भारतीय रेलों द्वारा अभी दोहन किया जाना है। इस समय पार्सलों की वजह से यात्रियों को आवागमन में असुविधा होती है। इसलिए, पार्सल यातायात के लिए पृथक टर्मिनल बनाए जाने की आवश्यकता है जिसमें ग्राहकों के लिए पार्सलों के भंडारण/सम्हलाई के लिए पर्याप्त अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हों और निश्चित समय-सारणी के अनुसार चलने वाली समर्पित पार्सल गाड़ियों में पार्सल प्रेषणों का संचलन हो। तदनुसार, पार्सल संचलन में निजी भागीदारी के लिए एक योजना शीघ्र ही शुरू की जाएगी जिसमें निजी पार्टियों को पार्सल वैन अथवा पार्सल रेक खरीदने की सुविधा होगी।

बेहतर टेयर टू पे लोड वाले पार्सल वैनों के नए डिजाइन को पहले ही अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसी आशा है कि इन उपायों को अपनाने से पार्सल क्षेत्र से हम अपनी आमदनी में उल्लेखनीय ढंग से सुधार ला सकेंगे।

निजी माल यातायात टर्मिनल (पीएफटी):

माल यातायात टर्मिनलों के नेटवर्क के विकास के लिए पीपीपी माध्यम से निजी माल यातायात टर्मिनल संबंधी नीति को परिष्कृत किया जाएगा।

कृषि-उत्पादों का संचलन:

मैं, पहले चरण में भारतीय रेल के 10 स्थनों यथा वत्वा, विशाखापटनम, बडगरा, चेरियानड, भिवंडी रोड, अजरा, नव्लुर, कलंबोली और सानंद पर तापमान नियंत्रित भंडारों की अपेक्षित सुविधा उपलब्ध कराकर सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (सीआरडब्ल्यूसी) के साथ भागीदारी में फलों और सब्जियों के रेल द्वारा संचलन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव करता हूं। रेलवे टर्मिनल पाइंटों पर एकत्रित और वितरण करने का कार्य सीआरडब्ल्यूसी द्वारा किया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इन उत्पादों की राष्ट्रीय बर्बादी से बचने के अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों में सब्जियों और फलों के उत्पादनकर्ताओं को अपने उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदया, भारतीय रेल नेशनल डेरी डेवलेपमेंट बोर्ड और अमूल के सहयोग से दूध टैंकरों की विशेष गाड़ियां उपलब्ध कराकर दूध के परिवहन को सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव करती है।

XIX. ऊर्जा संरक्षण

अध्यक्ष महोदया, रेलवे स्टेशनों, अन्य रेलवे इमारतों की छतों और भूमि का उपयोग कर अपने स्वयं के संसाधनों के अलावा पीपीपी के माध्यम से सौर ऊर्जा का सृजन करने का प्रस्ताव किय गया है।

भारतीय रेलवे, डीजल इंजनों के कुल ईंधन उपभोग के 5 प्रतिशत तक बायो डीजल का उपयोग करना शुरू करेगी। इससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की भारी बचत होगी।

XX. परियोजना समन्वयन और प्रबंधकीय समूह

रेलवे को खराब परियोजना प्रबन्धन के कारण समय और लागत के बढ़ जाने से काफी नुकसान हो रहा है। परियोजना के निश्पादन में होने वाली देरी से बचने के लिए, मैं रेलवे बोर्ड स्तर पर परियोजना प्रबंधन समूह की स्थापना का प्रस्ताव रखता हूं, इसी प्रकार ग्राउंड लेवल पर परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के लिए परियोजना निगरानी एवं समन्वयन समूह की स्थापना की जाएगी जिसमें राज्य सरकार, रेलवे के पदाधिकारी और पेशेवर शामिल होंगे।

XXI. रेल कार्य प्रणाली में पारदर्शिता

कार्य प्रणाली का सरलीकरण और आसानी से सूचनाओं की उपलब्धता से पारदर्शिता आती है और जनता बीच विश्वास बढ़ता है। प्रशासन, परियोजनाओं के निष्पादन और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और अधिक कारगर बनाने के लिए युक्तिसंगत खरीद नीतियों का अनुपालन किया जाएगा। 25 लाख रु. और उससे अधिक की लागत की खरीद के लिए ई-खरीद अनिवार्य कर दिया जायेगा।

राज्य सरकारों और अन्य स्टेक होल्डरों की सुविधा के लिए चालू परियोजनाओं की स्थिति ऑन-लाइन उपलब्ध करवाई जाएगी।

XXII. दूरदराज के क्षेत्रों के साथ संपर्क

पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रेल विस्तार:

अध्यक्ष महोदया, इस सदन को यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में 23 परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनमें 11 राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं। मैं पिछले वर्ष की तुलना में इन परियोजनाओं के लिए काफी अधिक धनराशि आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। 2014-15 में, पूर्वोत्तर क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 5,116 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। यह पिछले वर्ष के आबंटन से 54% अधिक है। इन अधिक आबंटनों और इस क्षेत्र में कार्यों की गहन निगरानी के द्वारा मैं आशा करता हूं कि दुधनोई-मेंदीपठार नई लाइन, लमडिंग-बदरपुर-सिलचर आमान परिवर्तन, हरमुटी-मुर्कोंगसलेक और बालीपाड़ा-भालुकपोंग खंडों को शीघ्र चालू कर दिया जायेगा। इन उपायों से इस क्षेत्र में राज्य की राजधानी को जोड़ने संबंधी परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

अध्यक्ष महोदया, इस सम्मानित सदन को पहले से ही विदित है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी और देशभर के लाखों श्रद्धालुओं के चिर-प्रतीक्षित संजोए हुए सपनों को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हाल ही में उधमपुर-कटरा रेल संपर्क राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा : आप अगला वाक्य सुनिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा : हमने उधमपुर-बनिहाल खंड पर बस द्वारा यात्रा करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार के साथ समझौता किया है ताकि यात्री प्रारंभिक स्थान से अपने गंतव्य स्थल तक एक सिंगल टिकट से श्रीनगर पहुंच सकें।

अब, रेलवे द्वारा बनिहाल से कटरा के मिसिंग लिंक को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।

XXIII. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में रेल परियोजनाएं

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 20,680 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 29 परियोजनाएं चल रही हैं। मैं इन नव गठित राज्यों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करना चाहता हूं जिससे उनकी आवश्यकताओं पर विचार किया जाएगा ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को आवश्यक बल मिल सके।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दोनों राज्यों में रेलवे से जुड़े मुद्दों से संबंधित एक समिति का गठन पहले ही कर दिया गया है, जिसमें रेलवे और राज्य सरकारों के पदाधिकारी शामिल हैं। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस संबंध में आगे कार्रवाई की जाएगी।

XXIV. उपनगरीय यातायात को बढ़ावा देना

शहरी परिवहन:

महानगरों और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में निरंतर बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या की चुनौतियों को देखते हुए शहरी परिवहन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। शहरी परिवहन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक सुचारू और निर्बाध इंटर-मॉडल परिवहन व्यवस्था अनिवार्य है और इसलिए शहरी परिवहन अवसंरचना के सृजन के लिए यात्री केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाना होगा। परिवहन के अन्य साधनों के साथ रेलवे के एकीकरण की प्रणालियों को विकसित करने के लिए हम अन्य परिवहन मंत्रालयों और शहरी निकायों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

मुंबई शहर को दो वर्ष की अवधि में 864 अतिरिक्त अत्याधुनिक ईएमयू गाड़ियां दी जाएंगी। मुंबई उपनगरीय रेलवे में 1500 वोल्ट डीसी को 25 केवी एसी कर्षण में बदलने का कार्य पूरा होने से परिचालन की लागत को कम होने के साथ-साथ परिचालन की क्षमता में सुधार होगा।

अध्यक्ष महोदया, जैसा कि आपको विदित है, बेंगलूरू शहर वाणिज्यिक गतिविधियों से भरपूर होने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों से भारी संख्या में दैनिक यात्रियों को आकर्षित करता है जिसे बेंगलूरू सिटी को अपने उपनगरीय क्षेत्रों और भीतरी क्षेत्रों के साथ बेहतर संपर्क मुहैया कराना आवश्यक हो जाता है। उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए बेंगलूरू के मौजूदा भारतीय रेल नेटवर्क के संवर्धन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अध्ययन शुरू किया जाएगा।

इसके अलावा, बेंगलूरू क्षेत्र में यात्री यातायात की मांग को पूरा करने के लिए बायप्पनाहल्ली को कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा।

अपराह्न 1.00 बजे

XXV. माल यातायात व्यवसाय

मालडिब्बों के लिए मांग की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगले दो महीनों में शुरू की जाएगी। इससे मालडिब्बा रजिस्ट्रेशन फीस की ऑनलाइन भुगतान के साथ-साथ मालडिब्बों के लिए मांग दर्ज करने की सुविधा सुलभ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान ईआरआर (इलेक्ट्रॉनिक रेलवे पावती) की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

भारतीय रेल का नमक के परिवहन के लिए कम धड़ा भार वाले जगरोधी मालडिब्बों को शुरू करने का प्रस्ताव है...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय (दमदम) : कोलकोता मेट्रो के बारे में आपका क्या कहना है? ...*(व्यवधान)*

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : कोलकाता मेट्रो के बारे में आपका क्या कहना है?...(व्यवधान) आप केवल बेंगलुरू और महाराष्ट्र के लिए कर रहे हैं...*(व्यवधान)*।

श्री डी.वी. सदानन्दा गौड़ा : मैं इसी पर आ रहा हूं...*(व्यवधान)* मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिए। मैं पढ़ रहा हूं। मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है...*(व्यवधान)*।

पूर्वी और पश्चिमी डीएफसी का समर्पित माल यातायात गलियारा परियोजना कार्यान्वयन, एक महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजना है, जिसकी गहन निगरानी की जाएगी। समर्पित माल यातायात गलियारा के पूर्वी गलियारे के कानपुर-मुगलसराय खंड के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण करार पर चालू वर्ष के दौरान हस्ताक्षर किए जाएंगे। 2014-15 के दौरान, लगभग 1000 कि.मी. के लिए सिविल निर्माण ठेके प्रदान करने का लक्ष्य है।

XXVI. गाड़ियों का ठहराव

जब से मैंने कार्यभार ग्रहण किया है, तब से मुझे संसद के माननीय सदस्यों और विभिन्न जनप्रतिनिधियों से परीक्षण के आधार पर दिए गए ठहराव को जारी रखने के लिए भारी संख्या में निरंतर अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मैं समझता हूं कि विगत में परीक्षण के आधार पर बड़ी संख्या में ठहराव की व्यवस्था की गई है। हालांकि मैं उन सभी का जो अपने कार्यस्थल अथवा निवास स्थल के नजदीक ठहराव चाहते हैं, की इच्छा से सहमत हूं, परन्तु प्रत्येक ठहराव के लिए प्रणाली को एक लागत वहन करनी पड़ती है। अत्यधिक ठहराव देने के परिणामस्वरूप गाड़ियों की गति भी कम हो जाती है और यात्रा समय भी बढ़ता है विशेषकर लंबी दूरी के यात्रियों के लिए। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो हमारी अधिकांश एक्सप्रेस गाड़ियां पैसेंजर गाड़ियां बन जाएंगी।

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मैंने प्रयोगात्मक आधार पर दिए गए इन ठहरावों को और 3 महीने की अवधि अर्थात् 30 सितंबर, 2014 तक जारी रखने की अनुमति दी है। इन ठहरावों की केवल परिचालनिक व्यवहार्यता औचित्य के आधार पर समीक्षा की जाएगी। तत्पश्चात् नए ठहराव के लिए की गई मांग पर उसी मापदंड के आधार पर विचार किया जाएगा। हम जनता की वास्तविक मांग को पूरा करने के लिए वैकल्पिक गाड़ी संपर्क मुहैया कराने की कोशिश करेंगे।

XXVII. सर्वेक्षण

परियोजनाओं के विस्तार और क्षमता संवर्द्धन के अलावा, रेल से अब तक न जुड़े हुए क्षेत्रों को कनेक्टिविटी मुहैया कराने के रूप में भावी जरूरतों और आवश्यकताओं का आकलन, नए उत्पादन/ खपत केन्द्रों से माल के संचलन की आवश्यकता की सतत आधार पर आकलन करने की आवश्यकता है। माननीय संसद सदस्यों, राज्य सरकारों और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी मुझे परियोजनाओं के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उनके अनुरोध का सम्मान करते हुए, मैं 2014-15 में नई लाइनों के लिए 18 सर्वेक्षण, दोहरीकरण/तीसरी लाइन/चौथी लाइन और आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए 10 सर्वेक्षण शुरू करने का प्रस्ताव रखता हूं। ऐसे सर्वेक्षणों की सूची निम्नलिखित है:-

(क) नई लाइनें

(i) कनहनगढ़-पनातूर-कनियुरू

(ii) मुगलसराय-भबुआ वाया नौघर

(iii) होशियार-अम्ब-अंदौरा

(iv) औरंगाबाद-चालीसगांव

(v) सिंगरौली-घोरावल लूसा

(vi) गब्बूर-बेल्लारी

(vii) शिमोगा-श्रृंगेरी-मंगलौर

(viii) बदोवन-झारग्राम वाया चांडिल

(ix) तालगुप्पा-सिद्दपुर

(x) भबुआ-मुंडेश्वरी

(xi) जींद-हिसार

(xii) गदग-हरफनहल्ली (अद्यतन)

(xiii) ऊना-हमीरपुर

(xiv) उज्जैन-झालावाड़-अगार-सुसनेर-सोयठ (अद्यतन)

(xv) हिसार-नरवाना

(xvi) सोलापुर-तुलजापुर (अद्यतन)

(xvii) चारधाम, केदारनाथ, बदरीनाथ आदि के लिए रेल संपर्कता

(xviii) नयागढ़-बांसपानी के बीच लौह अयस्क की खान तक रेल संपर्कता

...(*व्यवधान*)

(ख) दोहरीकरण/तीसरी लाइन और चौथी लाइन, आमान परिवर्तन

(i) जयपुर-कोटा का दोहरीकरण

(ii) चांदना-फोर्ट-नागभीड़ का दोहरीकरण

(iii) मंगलौर-उल्लाल-सूरतकल का दोहरीकरण

(iv) रेवाड़ी-महेन्द्रगढ़ का दोहरीकरण

(v) भुसावल-बडनेरा-वर्धा तीसरी लाइन

(vi) कसारा-इगलपुरी चौथी लाइन

(vii) करजत-लोनावला चौथी लाइन

(viii) इटारसी-भुसावल तीसरी लाइन

(ix) मेहसाणा तक अहमदाबाद क्षेत्र में मीटर आमान लाइन का आमान परिवर्तन

(x) पीलीभीत-शाहजहानपुर का आमान परिवर्तन (अद्यतन)

सागर-छतरपुर-खजुराहो-भोपाल और जबलपुर-उदयपुरा-सागर नई लाइन के सर्वेक्षण पूरे हो गए हैं। मैं शीघ्र ही इनकी जांच कराऊंगा। इंदौर-जबलपुर नई लाइन का सर्वेक्षण शीघ्र ही पूरा किया जाएगा।

मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैसूर-कुशलनगर-मेडीकेरे नई लाइन का मैसूर-कुशालनगर भाग का सर्वेक्षण पूरा हो गया है और राज्य सरकार इस परियोजना की लागत वहन करने पर सहमत हो गई है। इससे कोडागू (कुर्ग) में महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्यों तक रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी। मेडीकेरे तथा शेष भाग का सर्वेक्षण पूरा होने के बाद मैं इस परियोजना के लिए अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव रखता हूं।

तारीघाट और गाजीपुर के बीच नई लाइन का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। बहरहाल, मऊ तक इसके सर्वेक्षण का विस्तार करने की जांच किए जाने की आवश्यकता है ताकि इस लाइन को आगे रेल नेटवर्क से जोड़ा जा सके। इसे शीघ्र ही पूरा किया जाएगा।

XXVIII. नई गाड़ियां

मैं इस सम्मानित सदन को सूचित करना चाहूंगा कि यद्यपि नई गाड़ी सेवाएं चलाने के लिए मुझे विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं तथापि संसाधनों की तंगियों के कारण इनमें से कई सेवाओं का पूरा कर पाना संभव नहीं है। इसके बावजूद, विभिन्न क्षेत्रों के अनारक्षित और आरक्षित सेगमेन्टों की महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने के लिए मैंने क्रमशः जनसाधारण गाड़ियां और प्रीमियम गाड़ियां चलाने का विनिश्चय किया है, जिसमें 2014-15 के अंतरिम रेल बजट में घोषित गाड़ियां भी शामिल हैं। इन सेवाओं से विशेष अवसरों पर बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति की जा सकेगी। हॉलीडे और त्यौहारों के अवसर पर होने वाली भीड़-भाड़ को कम करने के लिए स्पेशल गाड़ियां पहले की तरह चलती रहेंगी और इनमें मेलमारूवतूर, वेलंकन्नी, झालावाड़ आदि के लिए सेवाएं शामिल हैं, जिनके लिए मुझे जनप्रतिनिधियों से विशेष अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

मैं पांच जनसाधारण गाड़ियां, 5 प्रीमियम गाड़ियां, 6 एसी एक्सप्रेस गाड़ियां, 27 एक्सप्रेस गाड़ियां, 8 पैसेंजर गाड़ियां, 2 मेमू सेवाएं और 5 डेमू सेवाएं भी शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा, मैं 11 वर्तमान गाड़ियों का विस्तार करने का भी प्रस्ताव करता हूं। इन गाड़ियों की सूची निम्नलिखित है:

(क) जनसाधारण गाड़ियां

(i) अहमदाबाद-दरभंगा जनसाधारण एक्सप्रेस वाया सूरत

(ii) जयनगर-मुंबई जनसाधारण एक्सप्रेस

(iii) मुंबई-गोरखपुर जनसाधारण एक्सप्रेस

(iv) सहरसा-आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस वाया मोतीहारी

(v) सहरसा-अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस

(ख) प्रीमियत गाड़ियां

(i) मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली प्रीमियम एसी एक्सप्रेस

(ii) शालीमार-चेन्नई प्रीमियम एसी एक्सप्रेस

(iii) सिकंदराबाद-हजरत निजामुद्दीन प्रीमियम एसी एक्सप्रेस

(iv) जयपुर-मदुरै प्रीमियम एक्सप्रेस

(v) कामाख्या-बेंगलूरू प्रीमियम एक्सप्रेस

(ग) एसी एक्सप्रेस गाड़ियां

(i) विजयवाड़ा-नई दिल्ली (दैनिक)

(ii) लोकमान्य तिलक (ट) - लखनऊ (साप्ताहिक)

(iii) नागपुर - पुणे (साप्ताहिक)

(iv) नागपुर - अमृतसर (साप्ताहिक)

(v) नहरलगुन - नई दिल्ली (साप्ताहिक)

(vi) निजामुद्दीन - पुणे (साप्ताहिक)

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय (दमदम) : पश्चिम बंगाल को बिल्कुल वंचित कर दिया गया है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.08 बजे

इस समय श्री कल्याण बैनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

(घ) एक्सप्रेस गाड़ियां

(i) अहमदाबाद - पटना एक्सप्रेस (साप्ताहिक) वाया वाराणसी

(ii) अहमदाबाद - चेन्नई एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन) वाया वसई रोड

(iii) बेंगलूरू - मंगलौर एक्सप्रेस (दैनिक)

(iv) बेंगलूरू - शिमोगा एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)

(v) बांद्रा (टी) - जयपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) वाया नागदा, कोटा

(vi) बीदर - मुंबई एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

(vii) छपरा - लखनऊ एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) वाया बलिया, गाजीपुर, वाराणसी

(viii) फिरोजपुर - चंडीगढ़ एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन)

(ix) गुवाहाटी - नहरलगुन इंटरसिटी एक्सप्रेस (दैनिक)

(x) गुवाहाटी - मुर्कोंगसेलेक इंटरसिटी एक्सप्रेस (दैनिक)

(xi) गोरखपुर - आनंद विहार एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

(xii) हापा - बिलासपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) वाया नागपुर

(xiii) हजूर साहेब नांदेड़ - बीकानेर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

(xiv) इंदौर - जम्मू तवी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

(xv) कामाख्या - कटरा एक्सप्रेस (साप्ताहिक) वाया दरभंगा

(xvi) कानपुर - जम्मू तवी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)

(xvii) लोकमान्य तिलक (ट) - आजमगढ़ एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

(xviii) मुंबई - काजीपेट एक्सप्रेस (साप्ताहिक) वाया बल्हारशाह

(xix) मुंबई - पलितना एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

(xx) नई दिल्ली - बठिंडा शताब्दी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)

(xxi) नई दिल्ली - वाराणसी एक्सप्रेस (दैनिक)

(xxii) पारादीप - हावड़ा एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

(xxiii) पारादीप - विशाखापटनम एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

(xxiv) राजकोट - रीवा एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

(xxv) रामनगर - आगरा एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

(xxvi) टाटानगर - बैय्यप्पनहली (बेंगलूरू) एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

(xxvii) विशाखापटनम - चेन्नई एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

(ङ) पैसेंजर गाड़ियां

(i) बीकानेर - रेवाड़ी पैसेंजर (दैनिक)

(ii) धारवाड़ - दोडेली पैसेंजर (दैनिक) वाया अलनावर

(iii) गोरखपुर - नौतनवा पैसेंजर (दैनिक)

(iv) गुवाहाटी - मेंदीपठार पैसेंजर (दैनिक)

(v) हटिया - राऊरकेला पैसेंजर

(vi) बिंदूर - कासरगौड़ पैसेंजर (दैनिक)

(vii) रंगापाड़ा नार्थ - रांगिया पैसेंजर (दैनिक)

(viii) यशवंतपुर - तुमकुर पैसेंजर (दैनिक)

(च) मेमू सेवाएं

(i) बेंगलूरू - रामनगरम [सप्ताह में 6 दिन (3 जोड़ी)]

ii) पलवल - दिल्ली - अलीगढ़

(छ) डेमू सेवाएं

(i) बेंगलूरू - नीलमंगला (दैनिक)

(ii) छपरा - मंडुआडीह (सप्ताह में 6 दिन) वाया बलिया

(iii) बारामूला - बनिहाल (दैनिक)

(iv) संबलपुर - राऊरकेला (सप्ताह में 6 दिन)

(v) यशवंतपुर - होसूर (सप्ताह में 6 दिन)

(ज) मौजूदा गाड़ियों के चालन का विस्तार

(i) 22409/22410 आनन्द विहार - सासाराम गरीब रथ एक्सप्रेस गया तक

(ii) 12455/12456 दिल्ली सराय रोहिल्ला - श्रीगंगानगर एक्सप्रेस बीकानेर तक

(iii) 15231/15232 गोंदिया - मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस बरौनी तक

(iv) 12001/12002 नई दिल्ली - भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस हबीबगंज तक

(v) 54602 लुधियाना - हिसार पैसेंजर सादुलपुर तक

(vi) 55007/55008 सोनपुर - कप्तानगंज पैसेंजर गोरखपुर तक

(vii) 55072/55073 गोरखपुर - थावे पैसेंजर सीवान तक

(viii) 63237/63238 बक्सर - मुगलसराय मेमू वाराणसी तक

(ix) 63208/63211 झाझा - पटना मेमू जसीडीह तक

(x) 64221/64222 लखनऊ - हरदोई मेमू शाहजहांपुर तक

(xi) 68002/68007 हावड़ा - बेल्दा मेमू जलेश्वर तक

अध्यक्ष महोदया, मैं जानता हूं कि मुझे प्रशंसा और आलोचना, दोनो का समान रूप से सामना करना पड़ेगा।

अन्त में, मैं कन्नड़ के एक सुविख्यात कवि, दार्शनिक और लेखक, श्री डी.वी. गुंडप्पा, जिन्होंने अपने उपनाम - मनिकुट्टमा नाम से लिखा है, कि लोकप्रिय कविता का स्मरण करता हूं जिसका अनुवाद निम्नवत् है:

"ऐसा नहीं कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कोई शंकाएं नहीं रहेगी
ऐसा भी नहीं कि आज की हमारी धारणा सदैव कायम रहेगी
यदि कोई कमियों की ओर ध्यान दिलाता है तो मैं खुले मन से
उसमें सुधार कर सकता हूं परंतु अभी मेरी धारणा है यही सही है"

अध्यक्ष महोदया, इन शब्दों के साथ, मैं, रेल बजट 2014-15 माननीय सदन को संस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 28/16/14]

अपराह्न 1.10 बजे

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 2011-12

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब, मद संख्या 14 लेंगे, माननीय मंत्री महोदय।

...*(व्यवधान)*

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा : अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2011-12 हेतु बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।...*(व्यवधान)*

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 29/16/14]

माननीय अध्यक्ष : सभा अपराह्न 2.10 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.12 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.10 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.10 बजे पुन: समवेत हुई।

[**डॉ. एम. तंबिदुरै** *पीठासीन हुए*]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.10 ¼ बजे

इस समय श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.10 ½ बजे

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014*

माननीय सभापति : माननीय गृह मंत्री विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, हमें इस विधेयक को पुर:स्थापित करने पर आपत्ति है।

...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : मैं अब श्री भर्तृहरि महताब को बोलने का अवसर देता हूं। उनके वक्तव्य के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 72 के अनुसार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने का विरोध करता हूं।

राज्य का विभाजन पंद्रहवीं लोक सभा में किया गया था। इसके लिए कतिपय शर्तें निर्धारित की गई थीं तथा उन शर्तों को इस सभा ने बहुमत से स्वीकार किया था। इसके पश्चात् तेलंगाना से सात तालुका आंध्र प्रदेश को दिए गए और तदनुसार राज्य के अस्तित्व में आने से केवल दो दिन पहले एक अध्यादेश जारी कर दिया गया। यह गैर संवैधानिक पहलू है।

सभापति महोदय, संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यह एक जनजातीय क्षेत्र है। जिस क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाना है, उसमें रहने वाले 90 प्रतिशत से अधिक लोग जनजातीय समुदाय से हैं। यह संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। पांचवीं अनुसूची में किसी भी परिवर्तन के लिए उस क्षेत्र के लोगों से जनादेश लेना होगा। जनजातीय लोग यह तय करेंगे कि वे तेलंगाना राज्य में ही बने रहना चाहते हैं अथवा वे आंध्र प्रदेश जाना चाहते हैं।

उनकी सहमति लिए बिना और यह जानने की कोशिश किए बिना कि उस क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं, सरकार अध्यादेश ले आयी और अब एक विधेयक लाया गया है। अत: मैं आपके समक्ष यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि इस विधेयक को वापस लिया जाए तथा अध्यादेश की अवधि समाप्त होने दी जाए।

मेरा सरकार से आग्रह है कि वह जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा करे। एक लाख से अधिक जनजातीय लोग विस्थापित हो रहे हैं और उन्हें अब दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है, जहां उन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। इसलिए, मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने का विरोध करता हूं। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस विधेयक को वापस लेने के लिए उचित कार्यवाही करे तथा जनजातीय लोगों के हितों की भी रक्षा करे।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.13 बजे

इस समय श्री कोनाकल्ला नारायणराव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.13¼ बजे

इस समय श्रीमती कविता कलवकुंतला और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.13½ बजे

इस समय श्री भगवंत मान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर) : महोदय, मैं आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड 2 दिनांक 08.07.2014 में प्रकाशित।

महोदय, मैं विधेयक में संलग्न उद्देश्यों और कारणों के कथन से केवल दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, जिसमें यह कहा गया है:

"आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 आंध्र प्रदेश राज्य का, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य में पुनर्गठन करने का उपबंध करने के लिए 1 मार्च, 2014 को अधिनियमित किया गया था।"

महोदय, इससे स्पष्ट रूप से यह दिखाई देता है कि कानून 1 मार्च, 2014 को अधिनियमित किया गया था और राजपत्र अधिसूचना भी जारी की गई थी।

अत: यदि सरकार किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना चाहती है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 3 का अनुसरण करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधान सभाओं के विधानमंडलों के विचारों को जानने के पश्चात् ही विधेयक की सदन को सिफारिश करेंगे। तथापि, इस मामले में राष्ट्रपति ने तेलंगाना राज्य तथा आंध्र प्रदेश राज्य के विचारों को नहीं जाना है।

इस संदर्भ में मैं विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है और इसकी कोई शुचिता नहीं है। हम सभी संसद सदस्य यह जानते हैं कि कोई भी सरकार तब तक किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकती है जब तक कि वह संविधान के अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट उपबंधों का अनुसरण नहीं करती हो, इसलिए मैं संपूर्ण रूप से इस विधेयक का विरोध करता हूं ...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजनाथ सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.17 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 4) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : मैं आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 4) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

आंध्र प्रदेश राज्य को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में पुनर्गठित करने का प्रावधान करने के लिए दिनांक 01 मार्च, 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का संख्यांक 6) अधिनियमित किया गया था।

पोलावरम बहु-उद्देश्यीय राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना के पुनर्वास और बंदोबस्त पहलू को कार्यान्वित करने तथा आंध्र प्रदेश के भाग वाले क्षेत्रों में समीपता सुनिश्चित करने के लिए और प्रशासनिक सुविधा के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को विकल्प देने के उद्देश्य से खम्माम जिले में स्थित सभी मण्डल (प्रशासनिक इकाई), जिनके कुछ राजस्व ग्राम जलमग्न हो जाएंगे और जिनकी पुनर्वास और बंदोबस्त के उद्देश्य से आवश्यकता होगी, को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 3 को संशोधित करके उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को अंतरित किए जाने अपेक्षित थे। क्षेत्रों के इस अंतरण में भद्राचलम कस्बा और खम्माम जिले के बूरगपाडु मण्डल में स्थित 12 राजस्व ग्राम, जिनसे होकर राष्ट्रीय राजमार्ग-221 गुजरता है, शामिल नहीं हैं क्योंकि उक्त राजमार्ग शेष तेलंगाना को भद्राचलम नगर से जोड़ने वाली एकमात्र उपलब्ध सड़क है।

वर्ष 1959 से पहले, संपूर्ण भद्राचलम राजस्व मण्डल पूर्वी गोदावरी जिले का भाग था। प्रशासनिक कारणों से इसे खम्माम जिले में अंतरित कर दिया गया था। अब भद्राचलम राजस्व मण्डल का केवल एक भाग आंध्र प्रदेश को अंतरित किया जा रहा है ताकि पोलावरम परियोजना की पुनर्वास और बंदोबस्त संबंधी आवश्यकताओं का निराकरण किया जा सके।

सरकार का यह मत था कि निर्धारित तारीख अर्थात् 02 जून, 2014, जिस दिन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 को लागू होना था, से पहले दो उत्तरवर्ती राज्यों के भू-भागों को संशोधित करने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक थी। भू-भागों के समायोजन के अभाव में यह संभावना थी कि राष्ट्रीय परियोजना के निष्पादन में और विलंब हो जाएगा। अत: शेष आंध्र प्रदेश राज्य को जलमग्न होने वाले संभावित क्षेत्र अंतरित किए जाने के बारे में तत्काल निर्णय लिया जाना आवश्यक था जिससे कि उक्त राज्यों द्वारा पुनर्वास और बंदोबस्त संबंधी मुद्दों से समुचित प्रकारसे निपटा जा सके। अत: आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन)

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 30/16/14

अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश 4) दिनांक 29 मई, 2014 को प्रख्यापित किया गया था।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2014 के प्रख्यापन द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 3 को संशोधित किया गया है। अब एक प्रतिस्थापित विधेयक नामत: आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 3 में किए गए संशोधनों की निरंतरता बनी रहे।

अपराह्न 2.18 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, अब नियम 377 के अधीन मामले सभापटल पर रखे जाएंगे। सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे यदि इन मामलों को सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं तो वे स्वयं 20 मिनट के अंदर सभा पटल पर पर्ची रख दें। केवल वही मामले सभापटल पर रखे माने जाएंगे जिनकी पर्ची निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभा पटल पर रख दी गई हो। शेष व्यपगत माने जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

(एक) गुजरात में बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पालनपुर रेलवे स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं और महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): मेरा संसदीय क्षेत्र बनासकांठा रेल की सुविधा से पूरी तरह से वंचित है। बनासकांठा जिले का मुख्यालय पालनपुर रेलवे स्टेशन बुनियादी सेवा से वंचित है। प्लेटफार्म पर शैड नहीं है। इस पालनपुर रेलवे स्टेशन से लंबी दूरी के रेल सेवा नहीं है दूरस्थ शहरों को जाने के लिए दूसरे स्टेशनों पर जाना पड़ता है। कई महत्वपूर्ण गाड़ियों का इस रेलवे स्टेशन पर ठहराव नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्य रेलवे स्टेशन अमीरगढ़, इकबालगढ़, धनेरा, दीसा, दियोदर, भिल्डी एवं भब्बर इत्यादि पर रेलवे विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही समदारी-भिल्डी पर एल सी 149ए फाटक जो 50 साल पुराना है। उसके स्थान पर पुल बनाने के लिए रेलवे एवं गुजरात राज्य के बीच लागत हिस्सेदारी के आधार पर निर्माण शुरू किया गया परंतु रेलवे विभाग ने कार्य का निर्माण होने के बाद लागत की हिस्सेदारी देने से मना कर दिया है जिसके कारण यह फाटक न बनने से इस फाटक से यातायात में काफी विलम्ब होता है और घातक दुर्घटनाएं भी हो रही हैं।

सरकार से अनुरोध है कि बनासकांठा के मुख्यालय पालनपुर रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं और यहां के लोगों की मांग पर आवश्यक रेलवे सेवा शुरू कराने का काम किया जाये और जिन रेल सेवाओं के ठहराव की मांग की जा रही है उनका ठहराव किया जाए और जोधपुर रेलवे प्रबंधक कार्यालय अंतर्गत समदारी-भिल्डी रेलवे लाईन पर स्थित एल सी 149ए पुराने फाटक पर रोके गए कार्य को रेलवे एवं गुजरात सरकार की हिस्सेदारी के माध्यम से निर्माण कार्य में तेजी लाई जाये जैसा कि पूर्व में हिस्सेदारी के आधार पर निर्माण कार्य शुरू किया गया था।

(दो) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता हेतु अनुरोध करने वाले सभी लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): हमारे देश में प्रधानमंत्री राहत कोष देश में गरीब परिवारों के रोगियों के इलाज के लिए एक वरदान है जो माननीय संसद सदस्यों की सिफारिशों पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करता है। लेकिन सांसदों को इस विषय पर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे चुनाव क्षेत्र से गंभीर रोगों से पीड़ित जैसे दिल की सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर जैसे गंभीर और महंगे इलाज के लिए लोग प्रधानमंत्री जी को उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए निवेदन करते रहते हैं और इससे कुछ लोगों को कुछ प्रमाण में आर्थिक सहायता मिलती भी है, लेकिन कई लोगों के निवेदनों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक चुनाव क्षेत्र में कम से कम 15 से 20 लाख मतदाता रहते हैं और संसद सदस्यों को हर रोज गंभीर रूप से पीड़ित लोगों के निवेदन प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन प्रत्येक संसद सदस्य की एक महीने में दो या तीन सिफारिशों को ही मंजूर किया जाता है और वह भी लॉटरी सिस्टम से। सांसदों के पास वही लोग आते हैं जिन्हें आर्थिक सहायता हेतु कोई और रास्ता नहीं पता और इसमें एक ऑपरेशन या सर्जरी के लिए 5 से 7 लाख रुपए तक का खर्च आ रहा है। लेकिन इन लोगों को आर्थिक सहायता के नाम पर 25 से 50 या हजार रुपये तक ही आर्थिक सहायता मंजूर होती है इससे उन्हें अपना इलाज कराने में बहुत दिक्कतें होती हैं और उन्हें इलाज के लिए आर्थिक सहायता पूरी

---

* सभा पटल पर रखे माने गए।

नहीं मिलने के कारण उनका इलाज अधूरा रह जाता है और इससे कई मरीजों की मृत्यु तक हो रही है।

अत: मैं सरकार से और माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए जितने भी निवेदन माननीय संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और आर्थिक सहायता हेतु संस्तुति कर प्रधानमंत्री कार्यालय भेजे जाते हैं उनको इलाज का पूरा खर्च प्रधानमंत्री राहत कोष से तत्काल देने का प्रावधान किया जाये या जिस हॉस्पीटल में उसका इलाज चल रहा है उस हॉस्पीटल को निर्देश दिया जाये कि इस रोगी का इलाज पूरी तरह मुफ्त किया जाये।

(तीन) नेफेड द्वारा राजस्थान में बीकानेर के तिलम संघ और मूंगफली किसानों की बकाया राशि का भुगतान की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : राजस्थान में मेरे संसदीय क्षेत्र बीकानेर में 4 खरीद केन्द्रों यथा बीकानेर, नोखा, श्रीडूंगरगढ़ और लूनकरणसर में किसानों से मूंगफली खरीदी गई, जो 1,20,230.80 मीट्रिक टन राशि 480.92 करोड़ रुपए की थी। उक्त मूंगफली को तिलम संघ के द्वारा नेफेड द्वारा निर्देशित आर.एस.डब्ल्यू.सी. के गोदामों में जमा करवाया जा चुका है। परंतु अभी तक लगभग 300 किसानों को संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। राजस्थान सरकार ने नेफेड को इस भुगतान के लिए पत्र लिखा है।

किसानों ने मूंगफली सरकार की एजेंसियों द्वारा निर्धारित बहुउद्देशीय क्रय-विक्रय सहकारी समिति श्रीगंगानगर को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बेच दिया। एजेंसियों द्वारा किसानों को प्राप्ति रसीद भी दी गई है। तीन महीने बीत जाने के बाद भी किसानों को अपने माल का भुगतान नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूंगा कि चने की फसल में इस वर्ष देरी हुई है। अत: चने की खरीद की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है।

राजस्थान सरकार के अति मुख्य सचिव द्वारा नेफेड से बकाया राशि की मांग की गई। मेरी भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से मांग है कि राजस्थान सरकार के अनुसार किसानों की बकाया राशि का भुगतान नेफेड द्वारा तिलम संघ को तथा किसानों को करवाने की शीघ्र व्यवस्था करावें।

(चार) उत्तर प्रदेश के बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा और घाघरा नदियों पर बाढ़ प्रबंधन तथा भूमि कटाव नियंत्रण परियोजना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री भरत सिंह (बलिया) : मैं अपने संसदीय क्षेत्र-बलिया के अंतर्गत गंगा एवं घाघरा नदियों पर स्वीकृत परियोजनाओं का निर्माण कार्य बाढ़ आने से पूर्व पूर्ण करने के संबंध में केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

गंगा एवं घाघरा नदियों पर स्वीकृत परियोजना का निर्माण कार्य अत्यधिक मन्द गति से चल रहा है जिसके कारण राजस्व एवं जान-माल का काफी भारी नुकसान हो सकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र बलिया में गंगा एवं घाघरा नदियों के बाढ़ एवं कटान से श्रीनगर (दूबे छपरा) - बैरिया, जगदीशपुर, भुसौला, नरदरा, गडेरिया-मुरली छपरा, सेमरा विकास खंड-मुहम्मदाबाद, जिला-गाजीपुर, इब्राहिमाबाद, नौबरार (आठगांव) मुरली छपरा, तिलापुर, दतहां-रेवती आदि ग्राम गंभीर रूप से प्रभावित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 भी भारी खतरे में है। यदि बाढ़ आने से पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष कार्य नहीं कराये गये तो जनपद बलिया की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना है।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस अविलंबनीय लोकहित के गंभीर मामले पर हस्तक्षेप कर बलिया में गंगा एवं घाघरा नदियों पर स्वीकृत परियोजना को बाढ़ आने से पूर्व शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के लिए संबंधित विभाग को आदेश दें जिससे बाढ़ एवं कटान से होने वाली राजस्व एवं भारी जान-माल की क्षति से क्षेत्र को बचाया जा सके।

(पांच) उत्तर प्रदेश के धौरहरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शारदा और घाघरा नदियों के कारण आने वाली बाढ़ को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) : मेरे लोक सभा क्षेत्र धौरहरा (उ.प्र.) सर्वाधिक बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है। यहां मुख्य रूप से शारदा और घाघरा नदी द्वारा बाढ़ का प्रकोप होता है। बरसात के दिनों में तमाम गांव और किसानों की फसलें कटान से बह जाती हैं। साथ ही साथ जन-धन की हानि होती है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगी कि बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने की कृपा करें ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सकें।

(छह) उत्तर-पूर्व मुम्बई का साल्ट पैन भूमि पर स्वामित्व अधिकार के मुद्दे का निपटान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, साल्ट करीमनगर, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने उत्तर-पूर्व मुम्बई अर्थात् घाटकोपर, मुलुन्ड क्षेत्र में विकसित करने योग्य लगभग 800 एकड़ साल्ट पैन भूमि की पहचान

की है। इस भूमि का बाजार मूल्य 10,000 करोड़ से भी अधिक है। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच इस भूमि को कम लागत वाले आरामदायक आवास बनाने और अन्य प्रयोजनार्थ संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए कई संवाद, बैठकें और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अचानक, मुम्बई उपनगर जिले के कलेक्टर ने एक अडिग के द्वारा घोषित कर दिया कि यह साल्ट पैन भूमि महाराष्ट्र की है और इस भूमि का कब्जा लेना आरम्भ कर दिया। जबकि वहां पिछले 20 वर्षों से नमक का उत्पादन नहीं हो रहा है, और यह विकसित किए जाने वाली भूमि है। इस भूमि को भू-माफिया से बचाने के लिए अत्यावश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है और राज्य सरकार को इस पूरे साल्ट पैन में दावा करने से प्रतिबंधित किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, मैं सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और तत्काल कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

(सात) कर्नाटक के मैसूर में पासपोर्ट सेवा केन्द्र और प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने की आवश्यकता

श्री प्रताप सिम्हा (मैसूर) : मैसूर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा आईटी केन्द्र है और यहां से गत वित्त वर्ष में 2000 करोड़ से अधिक का साफ्टवेयर निर्यात किया गया है तथा इसकी आबादी एक मिलियन होने वाली है। यहां एक स्थानीय पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीएसके) मैसूर, मांड्या चामराजनगर, हसन, कोडगू और आस-पास के क्षेत्रों की तत्संबंधी आवश्यकता को पूरा कर सकती है। मैसूर एक उदीयमान औद्योगिक केन्द्र और आई टी निर्यातक शहर है, मैसूर में कुछ आई टी और आई टी ए एस कंपनियां कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती करती हैं और वे 50-60 के बैच में अपने कर्मचारियों को पासपोर्ट बनाने के लिए बंगलौर भेजती है तथा इसमें काफी समय आता है। गत चार वर्षों में शहर से आवेदकों की संख्या लगभग दुगनी हो गयी है। पूर्व में पुलिस के समक्ष आवेदन देना होता था लेकिन अब ऑन लाइन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन देना होता है और पुलिस सत्यापन हेतु पुलिस को आवेदन प्राप्त होते हैं। इस शहर में पीएसके की बड़ी आवश्यकता है क्योंकि यह एक महत्व पर्यटक केन्द्र है तथा यहां से काफी अन्तर्राष्ट्रीय यात्री आवाजाही करते हैं।

मुझे बताया गया है कि मंत्रालय ने देश भर में 80 पी एस के खोलने का प्रस्ताव किया है जिसमें एक मैसूर में भी खोला जाना है। पीएसके की स्थापना की आवश्यकता विधिमान्य और न्यायोचित है क्योंकि इससे शहर का समग्र विकास होगा। शीर्ष औद्योगिक निकाय और सरकार मैसूर को पर्यटकों और निवेश गंतव्य के लिए विश्वस्तरीय सुविधा युक्त आदर्श टियर-II शहर के रूप में विकसित करने की योजना बना रखी है। पीएसके से मैसूर का ब्रांड मूल्य बढ़ेगा।

मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वे मैसूर शहर में पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलने पर सम्पूर्ण रूप से विचार करें।

(आठ) बिहार में रोहतास जिले को झारखंड में पलामू जिले से जोड़ने हेतु सोन नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम): मेरे संसदीय क्षेत्र के रोहतास जिला अंतर्गत नौहटा प्रखण्ड के पंडुका ग्राम से श्रीनगर (पलामू)झारखण्ड तक सोन नदी पर पुल का निर्माण होने से झारखण्ड तथा बिहार के बीच सुगम आवागमन, व्यापार, रोजगार के अवसर तथा दोनों राज्यों के करोड़ों जनमानस के जीवन में सुख समृद्धि के अवसर सृजित होंगे तथा यह झारखण्ड, बिहार, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश के बीच सम्पर्क सेतु सिद्ध होगा।

अत: मेरा विशेष आग्रह है कि प्राथमिकता के आधार पर इस उपयोगी योजना का निर्माण कार्य को संपादित कराने की कृपा की जाए।

(नौ) केरल सरकार इस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी घाट संबंधी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एंटो एन्टोनी (पथनमथीट्टा) : मैं सरकार का ध्यान प्रो. माधव गाड्गिल समिति और डॉ. कस्तूरीरंगा पैनल की पश्चिमी घाट पर रिपोर्ट के बारे में केरल के लोगों की चिंता की ओर आकृष्ट करता हूं। इन रिपोर्टों की सिफारिशों के कार्यान्वयन से लाखों लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस मुद्दे की गम्भीरता को देखते हुए, केरल सरकार ने पश्चिम घाट संबंधी उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मैं सरकार से पश्चिमी घाट पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

(दस) नई दिल्ली स्थित सरदार बल्लभभाई पटेल के सरकारी आवास को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद देश की 565 देशी रियासतों को एकसूत्र में

पिरोने का कठिन कार्य तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल ने बखूबी निभाकर संपूर्ण राष्ट्र को एकसूत्र में बांधकर राष्ट्र शिल्पी बने। उनका यह कार्य बेहद प्रेरणादायी है और आने वाली पीढ़ियों को इसकी जानकारी हो और उसे देश प्रेम की प्रेरणा ली जाये इसलिए सरदार बल्लभभाई पटेल के लिए स्थित शासकीय निवास 1, औरंगजेब रोड राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने हेतु कई संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर सरकार से भवन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किये जाने की मांग की जाती रही है। परंतु आज दिनांक तक राष्ट्र के इस शिल्पी सरदार बल्लभभाई पटेल के कार्य को नजरअंदाज करते हुए उनके कार्यों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया जिससे राष्ट्र के प्रति स्नेह रखने वालों को दु:ख होना स्वाभाविक हैं इस दर्द को दूर करके शिल्पी सरदार के महान कार्य की आगे की पीढ़ियों को जानकारी मिले इसलिए दिल्ली स्थित शासकीय निवास स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाये।

(ग्यारह) तमिलनाडु में नागापट्टिनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तिरुवरूर और कराईकुडी के बीच रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. के. गोपाल (नागापट्टिनम) : मैं सरकार से नागापट्टिनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तमिलनाडु तिरुवरूर और कराईकुडी के बीच रेलवे आमान परिवर्तन परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह करता है। यह परियोजना गत कई वर्षों से बिना किसी कारण के लम्बित है। इसका सर्वेक्षण अध्ययन पहले ही पूरा हो गया है, लेकिन सरकार ने इस बावत अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए, मैं सरकार से इस लम्बित परियोजना को शुरू करने तथा इसे रेल बजट में शामिल करके इस प्रयोजनार्थ आवश्यक निधियों का आबंटन करने का अनुरोध करता हूं। ताकि इस परियोजना को पूरा करने की मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की मांग लगभग दो दशकों से रही है इसलिए सरकार को तिरुवरूर और कराईकुडी के बीच लाइन के कार्य में तेजी लानी चाहिए। इस रेलवे आमान परिवर्तन का कार्य न केवल इस लाइन से लगे गांवों और शहरों के लोगों के लिए हितकर होगा बल्कि इससे रेलवे की और अधिक आय भी होगी।

(बारह) पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में अमटा और बगनान के बीच नई रेल लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री सुल्तान अहमद (उलुबेरिया): वर्ष 2009-2010 में रेल मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले में उलुबेरिया के लोगों की मांग को पूरा करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल के अंतर्गत 16 किलोमीटर लम्बी नई रेल लाइन स्वीकृत की थी। मैंने इस स्थान का दौरा किया और पाया कि चार साल बाद भी कार्य की प्रगति केवल 20% ही है। इससे पता चलता है कि रेल मंत्रालय समय सीमा के अन्तर्गत इस कार्य को पूरा भी कर पायेगा और इससे कार्य लागत बढ़ने की सम्भावना है जिससे भारतीय रेल को भारी घाटा होगा। इसलिए स्थानीय लोग भी इस परियोजना के भविष्य को ले कर आशंकित हैं।

इसलिए, अमटा-बगनान नई रेल लाइन पर निर्माण कार्य में तेजी लाये जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

(तेरह) राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 को विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास हेतु भारत सरकार ने ईस्ट कोस्ट कैनाल की गोयनखली-चरबतिया पट्टी मतेयानदा तथा मंगलगढ़ी तथा पारादीप के बीच महानदी डेल्टा नदी के चरबतिया-धर्मे पट्टी के साथ-साथ ब्राह्मणी की तालचेर धामरा पट्टी, खरसौन-धामरा नदी सिस्टम तथा ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 5 के रूप में घोषणा की है। इसका सर्वेक्षण डब्ल्यू ए एफ ओ एस के माध्यम से किया गया है। इस संबंध में संसद में दिनांक 18 नवम्बर, 2008 को एक अधिनियम बनाया गया था। इस राष्ट्रीय जलमार्ग ओडिशा की कोयला खदानों तथा अन्य उद्योगों से पारादीप, घामरा तथा हल्दिया पत्तनों के लिए परिवहन का वैकल्पिक तरीका खुल जायेगा।

पारादीप पत्तन न्यास, नाल्को, एम सी एल, ओ एम सी आदि के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 के विकास हेतु आई डब्ल्यू ए आई के साथ संयुक्त उद्यम के मामले में पणधारियों के रूप में काम करने में रुचि दशाई है। ओडिशा में आंतरिक जलमार्ग संख्या 5 के विकास के मामले में विशेषकर कलिंगानगर, अनुगल के औद्योगिक केन्द्र तथा तालचेर की कोयला क्षेत्र, महानदी कोल फील्ड को पारादीप तथा घामरा के पत्तन से जोड़ने के लिए अवधारणा पत्र से यह दर्शाता है कि यह पट्टी वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य होगी तथा इसे सरकारी-निजी भागीदारी व्यवस्था (पीपीपी) के तहत लिया जा सकता है।

इस संबंध में मैं सरकार से तत्काल तथा आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

(चौदह) रबड़ के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

श्री जोस के. मणि (कोट्टायम) : भारतीय रबड़ बाजार में विगत दो वर्षों के दौरान गिरावट आई है। एक किलो रबड़ की लागत जो अप्रैल

2011 में 240 रुपए थी, मई 2014 में घटकर 144 रुपए रह गई है। कीमतों में 60% से ज्यादा की इतनी बड़ी गिरावट से फसलें आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी हो गई हैं। रबड़ की कीमतों में गिरावट का मुख्य कारण माने आपूर्ति अंतराल पर ध्यान दिये बिना अत्यधिक आयात करना है।

जब देश ने वर्ष 2013 के दौरान 8.07 लाख मीट्रिक टन रबड़ का उत्पादन किया है और इसकी खपत 9.55 लाख मीट्रिक टन थी तो 1.48 मीट्रिक टन का अंतर आ गया है। आयात के द्वारा अंतराल को खत्म करने के बजाय वास्तविक आयातित मात्रा 3.00 लाख मीट्रिक टन रह गई थी जिससे 1.52 मीट्रिक टन की आधिक्य आपूर्ति हुई है। इस प्रकार से आयात पर प्रतिबंध इस मामले के संबंध में उलझन पैदा करता है।

रबड़ी कृषि उत्पाद होने के नाते डब्ल्यू टी ओ के मानदण्डों में 20 से 70% तक आयात शुल्क लगाने की बात कही गई है। इस समय रबड़ पर जो शुल्क लगाया गया है, वह केवल 20% का न्यनूतम शुल्क है। इसे 50% तक बढ़ाया जाना चाहिए।

रबड़ उत्पादन के चरम सीजन (सितम्बर-जनवरी) के दौरान रबड़ का किसी भी प्रकार से आयात नहीं होना चाहिए। डिस्चार्ज पोर्टों की संख्या को सीमित की जानी चाहिए ताकि क्रेताओं का रुझान और ज्यादा घरेलू रबड़ का उपयोग करने की ओर रुझान हो सके। कम कीमत पर घटिया क्वालिटी के आयात से बचने के लिए शत प्रतिशत निरीक्षण किया जाना चाहिए। अत्यधिक आयात से बचने के लिए एक निगरानी तंज बनाया जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा रबड़ की कीमत स्थिरीकरण योजना कार्यान्वित की जाये। इस प्रयोजन हेतु 1000 करोड़ रुपये का एक निधिकोष बनाया जाये।

मैं आपसे उपर्युक्त सुझावों पर ध्यान देने तथा रबड़ का उत्पादन करने वाले किसानों को सहायता दिये जाने हेतु तत्काल कदम उठाये जाने का अनुरोध करता हूं।

माननीय सभापति : सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[डॉ. एम. तंबिदुरै *पीठासीन हुए]*

...(व्यवधान)

इस समय श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.0¼ बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा – *जारी*

मूल्य वृद्धि

[अनुवाद]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यो, नियम 193 के अधीन मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा को श्री पी. करुणाकरन तथा श्री शैलेन्द्र कुमार के नाम पर आज की कार्य-सूची में शामिल किया गया है। मैं सभा को सूचित कर दूं कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नेता ने माननीय अध्यक्ष से यह अनुरोध किया है कि वह श्री अमरिन्दर सिंह को चर्चा शुरू करने की अनुमति दें। एक विशेष मामले के रूप में माननीय अध्यक्ष ने अनुमति दे दी है। इसलिए, मैं श्री करुणाकरणन से यह अनुरोध करता हूं कि वह श्री अमरिन्दर सिंह को चर्चा शुरू करने दें। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है। मैं श्री अमरिन्दर सिंह के पश्चात् श्री करुणाकरन का नाम पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

श्री पी. करुणाकरन (कासरगौड) **:** महोदय, सूची में पहला नाम मेरा है। अत:, वास्तव में मेरा सबसे पहले बोलने का अधिकार है। परन्तु सभा के सहज एवम् सुगम कार्यकरण के लिए माननीय अध्यक्ष पर निर्णय लेना छोड़ दिया जाता है। परन्तु वास्तव में मेरा बोलने का अधिकार है। मैं वास्तव में माननीय अध्यक्ष से सहमत हूं। यदि माननीय अध्यक्ष यह सोचते हैं कि यह सभा के बेहतर कार्यकरण हेतु आवश्यक है तो इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है ...(व्यवधान)

कैप्टन अमरिन्दर सिंह (अमृतसर) **:** महोदय, ऐसे मुद्दे बहुत सारे हैं जिन्हें हम सभा के समक्ष लाना चाहते हैं। हम यह आशा करते हैं कि

जब हम ये महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं तो भारत का प्रत्येक परिवार इससे प्रभावित होता है। हम यह चाहते हैं कि सरकार को इसे देखना चाहिए तथा सभा पटल पर उत्तर देना चाहिए ...(व्यवधान)। आज, कीमतें आमजन की कमर तोड़ रही हैं। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि मई माह में उनके अपने मंत्रालय ने हमें 'होलसेल' सूचकांक दे दिया है तथा एक माह में कीमतें इस हद तक बढ़ गई हैं कि किसी आम व्यक्ति के लिए इनको वहन कर पाना कठिन हो गया है...*(व्यवधान)*। इसलिए, आमजन के लिए इस कीमत वृद्धि से निपटना संभव नहीं है। आज, आलू में 200% तक बढ़ोत्तरी हुई है, प्याज में 200% तक बढ़ोतरी हुई है तथा टमाटर में 200% तक बढ़ोतरी हुई है। आमजन इससे किस प्रकार से बच सकता है? यह संभव नहीं है। आपने पेट्रोल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है। आपने डीजल की कीमतों में दो बार बढ़ोत्तरी की है। इसमें दो बार बढ़ोतरी हुई है।...*(व्यवधान)* जब भी माल-भाड़ा में बढ़ोत्तरी होती है तो वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी होती है। आज, यदि भारत में इस तरह कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो आने वाले समय में इसमें कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : कृपया अपनी सीटों पर वापस जाइये। जो भी मुद्दा आप उठाना चाहते हैं अपनी सीट पर जाइये और फिर वह मुद्दा उठाइये।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप क्या चाहते हैं? आप मुझे बताइये, आप क्या चाहते हैं?

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप क्या चाहते हैं? आप मुझे बताइए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा अपराह्न 3.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.09 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा अपराह्न 3.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

[अनुवाद]

लोक सभा अपराह्न 3.30 बजे पुन: समवेत हुई।

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव *पीठासीन हुए***]**

...(व्यवधान)

नियम 193 के अधीन चर्चा – *जारी*

मूल्य वृद्धि

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय अमरिन्दर सिंह जी, अपना भाषण प्रारंभ करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अपराह्न 3.30¼ बजे

इस समय श्री कल्याण बनर्जी, श्री भगवंतमान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सदस्य : माननीय अमरिन्दर सिंह जी।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह (अमृतसर) : चेयरमैन साहब, हाउस को ऑर्डर में तो लाएं।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : आप अपना भाषण प्रारंभ करें।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह : ऑर्डर के बिना हम कैसे बोलेंगे? कुछ आवाज नहीं आ रही है।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : अमरिन्दर सिंह जी के भाषण के अलावा कोई बात कार्यवाही में दर्ज नहीं होगी।

*(व्यवधान)**...

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

कैप्टन अमरिन्दर सिंह : महोदय, जब सभा व्यवस्थित होगी तब ही मैं बोल सकता हूं...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : महंगाई जैसे विषय पर चर्चा होने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कैप्टन अमरिन्दर सिंह : सभा व्यवस्थित नहीं है। अतः, मैं नहीं बोल सकता। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय सभापति : अमरिन्दर सिंह जी को बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, उन्हें बोलने दीजिए। इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है। वे खड़े हैं, उनको बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : उनको बोलने दीजिए, वे खड़े हैं। इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**...

माननीय सभापति : रुकिए, रुकिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : आप लोग अपनी सीट पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : आप लोग अपनी सीट पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : सभी माननीय सदस्य अपनी सीट पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय सभापति : सदन की कार्यवाही साढ़े चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 3.36 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 4.30 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री नारायण कोनाकल्ला नारायण राव** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कैप्टन अमरिन्दर सिंह बोलिए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगात राय (दम दम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय सभापति : किस नियम के तहत?

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय : महोदय, मेरा सभा में व्यवस्था बनाये रखने की आवश्यकता के बारे में नियम 376 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न है। आप सभा में व्यवस्था बनाये रखने के लिए नियम 374 का उपयोग कर सकते हैं। मुझे यह बताने दीजिए कि इस सभा में पहले क्या हुआ ...*(व्यवधान)* यह हो रहा था कि टी.एम.सी. के सदस्य रेल बजट के विरुद्ध प्रदर्शन तथा आंदोलन कर रहे थे जिसमें रेलवे के किराये में बढ़ोतरी में कोई कटौती नहीं है तथा पश्चिम बंगाल के लिए कोई परियोजनाएं नहीं हैं . ..*(व्यवधान)*

पप्पू जी, मुझे अभी बोलने दीजिए।

हम कह सकते हैं कि भारत के कई हिस्सों के लिए कोई परियोजनायें नहीं हैं। महोदय, मैं पन्द्रहवीं लोक सभा में था और उससे पहले की भी लोक सभा में था। हमने यह देखा है कि ऐसा तब होता है जब लोग, कुछ मुद्दों पर आंदोलन करते हैं। अब टी.एम.सी. सदस्यों में हमारी महिला सदस्यों पर आरोप लगाया गया था। उस समय जब वे नारा लगा रहे थे तब सत्ताधारी दल, भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने मुझे यह कहा कि उनका नाम श्री हरिनारायण राजभर - जो इस तरह आये

हैं जैसे उन्हें लोगों पर वार करना है। मैं स्वयं गया तथा इसमें हस्तक्षेप किया। परन्तु उससे पहले ही उन्होंने हमारे नेता के विरुद्ध बहुत ही गंदी भाषा का प्रयोग किया था। ...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**...

प्रो. सौगत राय : महोदय, उन्होंने हमारी महिला सदस्यों को धमकाया है कि वे उनकी पिटाई कर देंगे।**...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर) : सभापति महोदय, ये 545 नए सांसद चुन कर आए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूं तथा यह मुद्दा बहुत ही सरल है। लोगों ने बहुत बड़े अधिदेश के साथ इस सरकार का चुनाव किया है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.33 बजे

इस समय, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

श्री प्रकाश जावडेकर : वे भी लोगों के प्रतिनिधि हैं। हाउस आर्डर में नहीं है। मुद्दा यह है कि किसने सभा के कामकाज में बाधा पहुंचाई है। जिन्होंने सभा में बाधा पहुंचाई है अब शिकायत कर रहे हैं तथा शिकायत करते हुए भी वे व्यवस्था को बनाये नहीं रखे हुए हैं ... *(व्यवधान)* कृपया उन्हें व्यवस्था बनाये रखने के लिए कहिए ...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : सभा कल 9 जुलाई, 2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.34 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 9 जुलाई, 2014/18 आषाढ़, 1936 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान श्री एम. बी. राजेश	21
2.	श्री बी. वी. नाईक डॉ. ए. सम्पत	22
3.	एडवोकेट जोएस जॉर्ज	23
4.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	24
5.	श्री निशिकान्त दुबे	25
6.	मोहम्मद फैज़ल	26
7.	श्री एंटो एन्टोनी	27
8.	श्री नलीन कुमार कटील	28
9.	श्रीमती के. मरगथम	29
10.	श्री राजीव सातव श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव	30
11.	योगी आदित्यनाथ	31
12.	श्री हंसराज गंगाराम अहीर	32
13.	श्री धनंजय महाडीक	33
14.	श्रीमती सुप्रिया सुले	34
15.	श्री प्रताप सिम्हा	35
16.	श्री के.सी. वेणुगोपाल	36
17.	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	37
18.	प्रो. सौगत राय	38
19.	श्री सुल्तान अहमद	39
20.	श्री ए. टी. नाना पाटील	40

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री हंसराज गंगाराम अहीर	72, 95, 115, 127
2.	श्री पी.के. बिजू	71, 97
3.	श्री आर. ध्रुवनारायण	70, 85, 103, 120, 131
4.	श्री निशिकान्त दुबे	88, 107, 123, 135
5.	मोहम्मद फैज़ल	83, 102, 119, 130
6.	एडवोकेट जोएस जॉर्ज	73, 105
7.	कुमारी शोभा कारान्दलाजे	67, 94, 114
8.	श्री नलीन कुमार कटील	77, 98, 116, 128
9.	श्री धनंजय महाडीक	71, 90, 108, 124
10.	श्रीमती के. मरगथम	89
11.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	87, 106, 122, 134
12.	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	75, 111
13.	श्री बी.वी. नाईक	78, 99, 117, 133
14.	श्री देवजी एम. पटेल	68, 80, 82
15.	श्री ए.टी. नाना पाटील	80, 113

1	2	3
16.	श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान	86, 104, 121, 132
17.	श्री एम.बी. राजेश	71, 81, 101, 126
18.	प्रो. सौगत राय	93, 112, 125
19.	डा. ए. सम्पत	71, 76, 97
20.	श्री राजीव सातव	71, 90, 108, 124
21.	श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव	108
22.	श्री एंटो एन्टोनी	74, 96
23.	श्री प्रताप सिम्हा	79, 100, 118, 129
24.	श्री सुनील कुमार सिंह	69
25.	श्रीमती सुप्रिया सुले	92, 110
26.	श्री के.सी. वेणुगोपाल	84
27.	योगी आदित्यनाथ	91, 109

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	21, 33, 38
रसायन और उर्वरक	:	22, 31, 32, 35
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	27, 28, 37, 39
संस्कृति	:	23
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	24
गृह	:	25, 30, 36
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	
कौशल विकास, उद्यमिता, युवा मामले और खेल	:	26, 29, 40
पर्यटन	:	34.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	68, 70, 71, 74, 75, 80, 81, 82, 88, 89, 93, 95, 96, 104, 106, 107, 113, 116, 120, 127, 131, 133, 134
रसायन और उर्वरक	:	73, 76, 91, 98, 100, 109, 118, 128, 129
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	67, 77, 78, 79, 90, 94, 97, 101, 114, 115, 123, 124, 126, 135
संस्कृति	:	86, 92, 103
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	121
गृह	:	69, 72, 83, 99, 102, 108, 122, 132
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	87, 112, 117, 119
कौशल विकास, उद्यमिता, युवा मामले और खेल	:	85, 111
पर्यटन	:	84, 105, 110, 125, 130.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और मैसर्स आकाशदीप प्रिन्टर्स, 20 अंसारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली–110002 द्वारा मुद्रित।